राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का 76 वां दिवस संख्या 37

मंगलवार,

दिनांक अप्रेल 2, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[देवस्थान, राजस्व, पंचायत, सिंचाई, वन, वित्त, श्रम, समाज-कल्याण, भूतपूर्व सैनिक सहायता, राजकीय उपक्रम, अकाल सहायता व योजना विभाग]

प्रश्न संख्या 1029

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजवल्लभ बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह !

जोधपुर के हवाई अड्डे के पास स्थित पाबूपुरा बस्ती

1030. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के हवाई अड्डे के पास स्थित पाबूपुरा नामक बस्ती को जो वार्ड नम्बर 31 में है पाक आक्रमण के समय काफी खतरा रहा था ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार सदा के लिए इस बस्ती को खतरे से बचाने के लिए दूसरी किसी जगह बसाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

श्री केशरीसिंह हाडा: सवाल का जवाब तो आपने आसानी से दे दिया तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गांव वालों को कितना नुकसान हुआ वहां रहने से और सरकार उनको वहां से हटाने के लिए तत्पर क्यों नहीं है ?

श्री खेतसिंह: जिस समय पाकिस्तानी हमला हुआ था उस समय इस गांव पर बम पडे थे, मैं स्वयं मौके पर गया था, काफी झोंपडियों को नुकसान हुआ था, उनको कुछ दिन बाद में मुआवजा दे दिया गया था। हालांकि सवाल का जवाब मैंने 'जी नहीं' दिया है, लेकिन मैं खुद सोचता हूं कि उस गांव को वहां से हटाना आवश्यक है क्योंकि वह रन-वे के पास आया हुआ है और इमर्जेन्सी में हटाना ही पडेगा। इसलिए मैं स्वयं लिख रहा हूं कि इस गांव को वहां से हटाया जाय, और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाय।

श्री केशरीसिंह हाडा : तो 'जी नहीं' क्यों कह दिया ?

श्री खेतसिंह: अभी कोई योजना नहीं है। भविष्य में इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं कभी दूसरे किसी उपयुक्त स्थान मिलने पर उसको वहां से हटाना चाहिए।

श्री केशरीसिंह हाडा: उपयुक्त स्थान के लिए आप इतना होने पर भी आप अभी विचार ही कर रहे हैं, और नतीजे पर नहीं पहुंचे ? अफसोस की बात है।

श्री खेतसिंह: अफसोस का सवाल नहीं।

श्री केशरीसिंह हाडा: क्या सरकार इतना मानते हुए भी उनको क्यों नहीं हटाती ? खुदा-न ख्वास्त, भगवान न करे, फिर आक्रमण हो जाय, तो फिर उनको नुकसान हो सकता है।

श्री खेतसिंह : यूं तो गांव वाले खुद हटना नहीं चाहते थे, वे चाहते हैं कि वहां पर उनको बसाया जाय लेकिन उनके हित में और सरकार के हित में जरूरी है कि वास्तव में उनको वहां से हटना चाहिए।

श्री केशरीसिंह हाडा : कब तक उनको हटाया जायगा ?

श्री खेतसिंह: आश्वासन तो नहीं दे सकता। मैं अपनी तरफ से जरूर लिखूंगा कि उनको वहां से हटाना चाहिए।

श्री केशरीसिंह हाडा: जल्दी उनको वहां से हटाया जाय, इस बात का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

ग्राम पंचायतों के सेक्रेट्रीज के वेतन का भुगतान

1031. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि राज्य की ग्राम पंचायतों के पुराने सेक्रेट्रीज के वेतन की रकम का भुगतान किया जाना बाकी है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी रकम बकाया कब से चली आ रही है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त बकाया रकम का चुकारा करने के लिए सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा चुकारा करने में कितना समय लगेगा ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि भुगतान पंचायतों द्वारा होना है और राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1-देखिये)

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि पंचायतें अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इसका भुगतान करने में असमर्थ हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा: भुगतान पंचायतों की आर्थिक स्थिति के कारण नहीं हुआ है

(श्री हीरालाल देवपुरा)
या और कारणों से नहीं हुआ है, वह पंचायतों का संबंध है। इसका राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है। पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत सचिवों को रखना पंचायतों पर निर्भर है, पंचायतों के सोचने की बात है कि आय कितनी है और काम कितना है, उस आधार पर वे सचिवों की नियुक्ति करती हैं।

श्री श्रवणलाल : इतनी बडी धनराशि जो करीब आपकी सूचना के अनुसार तीन लाख के करीब होती है और सन् 1956 से 1967 तक की बकाया है, तो क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि वह सन् 1956 से अब तक की जो बकाया है, किसी भी प्रकार पंचायत समितियों को अनुदान देकर उन कर्मचारियों का वेतन चुकाया जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा: राज्य सरकार पंचायतों को 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देती है। यह पंचायतों के सोचने की बात है कि वह किस प्रकार यह वेतन चुकायें।

श्री श्रवणलाल: इस सूची के अनुसार झुंझुनूं में 85,389।– व सवाई माधोपुर में 93,740।– यानी दो जिलों के अन्दर इतनी बडी बडी राशि है। इसके अलावा कहीं 12 हजार, कहीं 11 हजार, कहीं 8 हजार, कहीं 10 हजार के आसपास है तो क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके पास में इस प्रकार कोई साधन आय का न होने के कारण आप जो रेवेन्यू वसूल करते हैं वह उनको देकर उनके बकाया वेतन को चुका कर पूरा करें ?

श्री हीरालाल देवपुरा: प्रश्न विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात यह तो पंचायतों का दायित्व है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पंचायत नियम के अन्तर्गत अधिकार दिए हुए हैं तो पंचायतों को रास्ता निकालना चाहिए कि अपने आप वे कैसे अपनी स्थिति सुधार सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): राज्य सरकार ने किस आधार पर पंचायतों को 25 पैसा प्रति व्यक्ति और नगरपालिकाओं को 50 पैसा प्रति व्यक्ति सहायता देना तय कर रखा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: अलग से प्रश्न है। पंचायतों और नगरपालिकाओं का कम्पेरीजन किस आधार पर किया गया है, यह तो अलग प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण: शहर में रहने वालों के लिए 50 पैसा और गांव वालों के लिए 25 पैसा प्रति व्यक्ति सहायता दी जाती है, यह भेदभाव क्यों है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आपने सहायता देने का क्या आधार तय किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लैंड रेवेन्यू पंचायतों को अपने विकास के कामों के लिए मिले, इस आधार पर 25 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंचायतों को मिलता है और पंचायतों को दिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या आपने 3-3, 4-4 ग्राम पंचायतों में एक-एक सचिव राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां, यह प्रारम्भ किया है कि तीन पंचायतों के बीच में एक ग्रुप सेक्रेट्री रखा जाय। यह 65 पंचायतों में की गई है।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): पंचायत नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को 25 नये पैसे के हिसाब से अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। राज्य सरकार के सामने यह भी प्रश्न आ गया कि उसमें से कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दिया गया तो क्या राज्य सरकार यह अपना कर्त्तव्य नहीं समझती है कि जो रकम अनुदान की पंचायतों को दी जाती है उनमें से कर्मचारियों का वेतन नहीं चुकाया जाता है तो ऐसी पंचायतों पर कोई कठिन नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? क्या यह राज्य सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा: अनुदान की राशि जो पंचायतों को दी जाती है उसमें यह कहें कि सचिवों को वेतन चुकायें, ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है। मैं निवेदन कर दूं राज्य सरकार के पास पंचायतों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है जिससे राज्य सरकार को यह लिख कर देना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष: (माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाढदार के खड़े होने पर) प्रश्न कर्ता!

श्री श्रवणलाल: राज्य सरकार जो अनुदान देती है उसमें सचिवों के वेतन चुकाये या नहीं चुकाये, यह बात नहीं है। केवल आपके कह देने मात्र से काम नहीं चलता है कि हमने तो पंचायतों को अनुदान दे दिया और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। इससे आपका कर्त्तव्य खत्म नहीं होता है।

श्री हीरालाल देवपुरा: बिलकुल सही है। अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिये। आपने पूछा है कि किस किस पंचायत में कितनी कितनी बकाया है। जिनके प्रति यह बकाया है उनकी कोई शिकायत इस प्रकार राज्य सरकार के पास नहीं है कि सचिवों को वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्पेसिफिक किसी पंचायत की ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री श्रवणलाल: मंत्री महोदय ने जिस प्रकार की जानकारी दी है। मेरे पास बहुत से उन सचिवों के, सेक्रेटरियों की सूची है। पूर्ण रूप से उन्होंने लेटर लिखकर कापी टू ग्राम पंचायत भिजवाई है। जिसमें, उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनकर और मंत्री महोदय भी अफसोस करेंगे कि सचिवों की 6–6 हजार की बकाया है। मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि उनको वेतन दिया जाय। 56 से जिनके 6–6 हजार, 2–2 हजार, 1–1 हजार की धनराशि बकाया है, आपके आदेशों के अनुसार उन्होंने कार्य किया, उस ग्राम पंचायत का काम किया है और आज उस बकाया की वजह से बहुत से सचिव उस पद पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तक का वेतन उनको मिला नहीं और आगे मिलने की उम्मीद नहीं, तो क्या मंत्री महोदय, किसी जरिये के अनुसार उनकी वेतन ग्राम पंचायतों से दिलवाने का आश्वासन देंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा: मैंने निवेदन किया कि किसी के अनुसार वेतन दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कानून में जो प्रावधान हैं उसके अन्तर्गत ही चुकारा किया जा सकता है। यह पंचायतों का दायित्व है, उनको निवेदन किया गया है और जो आपने 6–6, 5–6 हजार की बकाया की बात कही ऐसे किसी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
सचिव विशेष की कोई जानकारी राज्य सरकार के पास शिकायत के रूप में नहीं आई है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री श्रवणलाल : नगरपालिका क्षेत्र में 50 पैसे प्रति व्यक्ति के रूप में अनुदान दिया जाता है तो क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि उसी रूप में ग्राम पंचायतों को यह अनुदान दिया जाय ताकि धनराशि की कमी की समस्या न रहे?

श्री हीरालाल देवपुरा: मैंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी से इसका कम्पेयर करने का सवाल ही नहीं है। यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री दौलतराम सारण: नगरपालिका के आय के श्रोत ज्यादा हैं, उनको तो 50 पैसे प्रति व्यक्ति देते हैं और पंचायतों की आमदनी के श्रोत कम हैं, उनको आप 25 पैसे प्रति व्यक्ति ही अनुदान देते हैं, यह भेद-भाव क्यों है?

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक····

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री श्रवणलाल: क्या राज्य सरकार ने पंचायतों को ऐसे आदेश दे रखे हैं कि 25 पैसे प्रति व्यक्ति अनुदान मिलता है, वह वेतन चुकाने के काम में न लिया जावे और इसे विकास के कामों में खर्च किया जावे?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं। ऐसी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके·

श्री रणजीतसिंह: राज्य सरकार जो 25 पैसे प्रति व्यक्ति पंचायतों को और 50 पैसे प्रति व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी को अनुदान के रूप में देती है, इस भेद-भाव को समाप्त करने का विचार रखती है या जनता ही निर्णय करेगी?

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोकुलचन्द!

प्रश्न संख्या 1032।

श्री गोकुलचन्द!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री उपाध्यक्ष: प्रो. केदारनाथ!

नहर में पानी की कमी

1033. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर):— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अगस्त, 1967 से लेकर 15 दिसम्बर, 1967 तक गंगानगर क्षेत्र में सबसे अधिक बन्दी किस माईनर (रामवा) में हुई है?

(2) क्या यह सच है कि आर.बी. अपर 6 माही नहर से भी कम चला?

(3) क्या यह सच है कि यह कमी पिछले 3-4 वर्षों से इसी तरह चल रही है?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह):
(1) लालगढ़ 6 मासी नहर में।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: (सदन में माननीय सदस्यों द्वारा आपस में बातचीत होने पर) कृपया शान्त रहें, आपस में बात नहीं करें।

श्री मनफूल सिंह: (1) लालगढ़ में 6 मासी नहर में।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हंसराज आर्य !

श्री केदारनाथ: क्या आर.बी. नहर में 6 मासी से कम पानी मिला है ? प्रश्न के फर्स्ट पार्ट में, कितने दिन पानी चला, कितने दिन क्लोजर रहा, यह बतायें।

श्री मनफूलसिंह: आर.बी. नहर के लिये माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्लोजर कितने हुए। इसका कारण स्पष्ट यह है कि इस नहर को कई बार कई किसानों ने काट लिया और उसके बाद जब पानी की नहर काट दी जाती है तो नहर बन्द कर देते हैं। उससे उनको कम पानी मिला है। इसलिये माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब नहर बन्द की गई है तभी पानी कम मिल पाया है। इसको कम्पन्सेट करने के लिये कोई बात नहीं की गई है। जो अननेचुरल कट्स हैं, उनको बन्द किया जायगा। इसके बारे में राज्य सरकार विचार रखती है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हंसराज आर्य !

जिला गंगानगर के नहरी क्षेत्र में खिदमतगारों की भूमि के खातेदारी हकूक

1038. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र के गांवों में जो खिदमतगार यानि नाई, केतवाल और बेगारी वगैरह बेगार करते थे उनकी भूमि का लगान माफ था ?

(2) क्या यह सही है कि अब यह खिदमतगार बेगार करना नहीं चाहते हैं और भूमि की नियमानुसार कीमत देकर हकूक खातेदारी चाहते हैं ?

(3) यदि हां, तो ऐसे हकूक खातेदारी किस-किस तहसील के किन किन गांवों में दिये गये हैं और कौन-कौन से गांवों में अभी तक ये हकूक नहीं दिये गये हैं ?

(4) जिन गांवों में हकूक खातेदारी नहीं दिये गये हैं, उनके क्या कारण हैं ?

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने आदेश कब जारी किये थे ? आदेश की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या गंगानगर जिले के बारानी क्षेत्र के गांवों के खिदमतगारों को भी हकूक खातेदारी देने का राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था? यदि हां, तो कब किया था ? आदेश की कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) बारानी क्षेत्र के गांवों में किस-किस तहसील के किन-किन गांवों के खिदमतगारों को हकूक खातेदारी दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हंसराज आर्य)

(8) जिस तहसील के कर्मचारियों ने इस पर अमल नहीं किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां।

(2) जी हां, इस पर विचार किया जावेगा तथा कई गांवों में खातेदारी हक परिस्थितियों की जांच करते हुये दे दिये गये हैं।

(3) सूची संलग्न है।

(4) बाकी के लिये कार्यवाही जेर तजवीज है।

(5) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) प्रश्न (5) के उत्तर में प्रस्तुत आदेश की प्रतिलिपि इस सम्बन्ध में भी लागू है।

(7) प्रश्न (3) में उत्तर दिया जा चुका है।

(8) तहसील नोहर तथा भादरा का रिकार्ड सेटलमेंट विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये वहां कार्यवाही होना शेष है। इस सम्बन्ध में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री हंसराज आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गई है उसमें बतलाया गया है कि छः गांवों में खिदमतगारों को हकूक खातेदारी दे दिये गये हैं, 24 गांवों के कागज एस. डी.एम. के पास हैं, और गांवों की मिसलें जेर तजवीज हैं।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): प्रत्येक तहसील के बारे में कह नहीं सकता लेकिन भादरा के बारे में जो पूछा गया उसका जवाब दे दिया गया।

श्री हंसराज आर्य: आपने जो लिस्ट दी है उसमें लिखा है भादरा के बारे में छः गांवों में खिदमतगारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं, 24 गांवों के कागज एस.डी.एम. के पास हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जहां पर सेटलमेन्ट हो गया है आपने भादरा तहसील के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था उसका स्पेसिफिक जवाब दे दिया गया है। भादरा तहसील के 6 गांवों के खिदमतगारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं, 24 गांवों की मिसलें तहसील भादरा में मन्जूरी के लिये भेज दी हैं और 11 गांवों की मिसलें जेर तजवीज हैं।

श्री हंसराज आर्य: छ गांवों के जो खातेदारी हकूक दे दिये गये उनके नाम क्या हैं

श्री गंगाराम चौधरी: डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री हंसराज आर्य: आपके पास क्या आधार है कि इन छः गांवों में दे दिये गये हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह सूचना गंगानगर जिले से प्राप्त हुई है उसी आधार पर उत्तर दिया जा रहा है। सूचना सही मानी जानी चाहिये। आप यदि इसको झूठ बतायेंगे और वह साबित हो जायगी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री हंसराज आर्य: यह मामला सन् 54 में जब वर्तमान मुख्य-मंत्री राजस्व मंत्री थे उस समय ऐलान किया गया था आज

(श्री हंसराज आर्य)
उसको 15 वां साल चल रहा है। अब आप कम से कम यह आश्वासन तो दे दो महीने में, दो साल में, पांच साल में इस हुक्म को माना जायगा और उन लोगों को छुटकारा मिलेगा बेगार से। सरकार बराबर आश्वासन देती है, लेकिन उसका हुक्म अमल नहीं होता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इस सम्बन्ध में मैं इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इस बारे में ढिलाई होती है तो गंगानगर में जाकर फैसला कर देंगे।

श्री हंसराज आर्य: हम चाहते हैं कि आप आश्वासनदे दें कि इतने सालों में जाकर उनको खातेदारी अधिकार दिलवा देंगे। 14 साल पहले ऐलान किया गया था कि जो खिदमतगार खातेदार हैं उनका लगान माफ किया गया है। जन कल्याणकारी राज्य में बेगार नहीं ली जा सकती। वे लगान देने के लिये तैयार हैं। उनको खातेदारी हकूक दिलाने का प्रश्न है जो 14 साल से प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा कि मैंने निवेदन किया वे खातेदार हो जाने चाहिये किसी पर्टीकूलर इन्स्टान्स में डिफीकल्टी आती है उसको देखकर निपटाया जा सकता है।

श्री हंसराज आर्य: आपके यहां से 6–6–65 को यह हुक्म जारी कर दिया गया था कि बेगार न लेकर लगान लिया जाय लेकिन तीन साल में एक भी खिदमतगार को खातेदारी राइट नहीं दिये गये। रजिस्टर मौजूद है केवल तहसीलदार को हुक्म देकर उसके इन्दराज दर्ज करने की बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मैं तो इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बारे में जो हुक्म दिया गया है उसके पालन करवाये जाने के लिये स्पेसिफिक आदेश और जारी कर दिये जायेंगे।

श्री हंसराज आर्य: बारानी के लिये तो आपका आज तक भी हुक्म नहीं गया। बारानी में खातेदारी हुक्म दे दे दिये जायं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बारानी जमीन के लिये तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होना चाहिये। आलरेडी उनको दे देने चाहियें। यह तो सिर्फ कोलोनाइजेशन का प्रश्न है जहां पर रिजर्व प्राइज लेने का सवाल है। बारानी के बारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये।

श्री हंसराज आर्य: कलेक्टर गंगानगर के पास बारानी के लिये आपके कोई आदेश नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मिनिस्टर्स के हुक्म को तो नीचे के अधिकारी नहीं मानते। आज सैंकडों लोग अदालतों में मारे-मारे फिर रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री हंसराज आर्य: दस ग्यारह साल हो गये। तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। आपका हुक्म कोई मानता नहीं है तो आपको इसके बारे में क्या कहना है?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या खिदमतगारों ने सरकार की हजामत करना बन्द कर दिया है?

श्री दुर्गालाल बाढदार: शायद राजस्व मंत्री की हजामत करना बन्द कर दिया है।

प्रश्न संख्या 1035

श्री उपाध्यक्ष: श्री ललितसिंह !

Page No. 9

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1036

श्री जगन्नाथ !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 1037

श्री लक्ष्मण तानीवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा !

श्री महाराजा उम्मेद मिल पाली के मजदूरों को बोनस का भुगतान

1038. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री महाराजा उम्मेद मिल पाली के मजदूरों को सन् 1965–66, 1966–67 में बोनस दिया गया या नहीं ? यदि दिया गया तो किस-किस वर्ष का तथा कितना-कितना?

(2) क्या सरकार को यह मालूम है कि जो बोनस की रकम दी गई है वह कानून की दृष्टि से अपर्याप्त है ? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा):
(1) महाराजा श्री उम्मेद मिल लि., पाली द्वारा वर्ष 1965 व 1966 का बोनस मजदूरों को 4 प्रतिशत या 40 रुपये की दर से जो भी अधिक होता है दे दिया गया है।

(2) बोनस की जो रकम दी गई है वह कानून के अनुसार ही दी गई है और इसमें अपर्याप्त या पर्याप्त का प्रश्न नहीं है, और इस लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मूलचन्द डागा: अभी महाराजा उम्मेद मिल्स में 27 हजार का बोनस जमा है जो मजदूरों में वितरण नहीं हुआ है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जिस प्रतिशत से तय हुआ था वह दे दिया गया है। उसमें भी कुछ क्वश्चन्स अराइज हो गये थे उस पर कार्यवाही चल रही है। चार प्रतिशत से ज्यादा के लिये कोई औद्योगिक विवाद भी मजदूर यूनियन ने नहीं उठाया है।

वृद्धों व अपाहिजों की पेन्शन

1039. **श्री जुझारसिंह** : (रामगंज मंडी): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में वृद्धों व अपाहिजों को जिलेवार कितनी पेन्शन बांटी जाती है? कृपया मय पेन्शनरों की तादाद के पिछले दो साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) वृद्ध व अपाहिजों को पेन्शन प्राप्त करने के लिये किन-किन संस्थाओं व व्यक्तियों के सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने होते हैं ?

(3) क्या सरकार अनुभव करती है कि प्राशासनिक अड़चनों के कारण पेन्शन पाने वाले व्यक्तियों को पेन्शन प्राप्त करने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(4) कोटा जिले के सांगोद व रामगंज मन्डी क्षेत्र में कितने व्यक्तियों द्वारा पेन्शन

(श्री जुझारसिंह)
के लिये दरख्वास्तें दी गई हैं और कितने की पेन्शन चालू हो गई है ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) वृद्धों व अपाहिजों को पेन्शन प्राप्त करने के लिये लोकसभा, विधान सभा, म्युनिसिपल कौन्सिल, कार्पोरेशन के सदस्य या पंचायत के सरपंच या पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के प्रमुख या किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है । इनमें से किसी एक का प्रमाण-पत्र पर्याप्त होता है ।

आयु के प्रमाण-पत्र के लिये निम्नलिखित में से कोई भी प्रमाण-पत्र प्राथमिकता से मान्य होते हैं ।

(1) स्कूल प्रमाण-पत्र, (2) नगरपालिका का अथवा पंचायत का जन्म प्रमाण-पत्र, (3) विधान सभा की मतदाता सूचियों में अंकित आयु, (4) सब डिवीजनल ऑफिसर का प्रमाण-पत्र ।

(3) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वृद्ध व अपाहिजों को सहायता दिये जाने के नियमों के सरलीकरण पर विचार किया जा रहा है ।

(4) सांगोद व रामगंज मंडी क्षेत्र से 8 व्यक्तियों द्वारा पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये जिनमें से 6 अपूर्ण होने के कारण वापिस हटाये गये । 2 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि इन सब प्रमाण-पत्रों के बावजूद भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिये इनसिस्ट करते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसके लिये तो इन्सिस्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री जुझारसिंह : सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना लोगों को पेन्शन नहीं मिलती ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा कोई नियम तो नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आयु के बारे में सर्टिफिकेट लेते हैं या नहीं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आयु के विषय में नियमानुसार जो प्रमाण-पत्र लिये जाते हैं जिसमें नगरपालिका, पंचायत के लिये जाते हैं । अन्ततोगत्वा यह कलेक्टर के डिस्क्रीशन पर है ।

श्री भैरोंसिंह : नियमों के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्ति को पेन्शन लेनी हो वह अपनी आयु का प्रमाण-पत्र डाक्टर से लेकर कलेक्टर को पेश करे ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं समझता हूँ ऐसी आवश्यकता नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ अब तक यही प्रेक्टिस रही है ?

श्री नारायणसिंह : यह प्रेक्टिस रही है तो गलत रही है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : आपने जैसे बताया ये प्रमाण-पत्र दे दिये जायं उसके बाद पेन्शन मिल जानी चाहिये लेकिन अनुभव के आधार पर जयपुर जिले में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिये अगर केवल एम. एल. ए. या म्युनिसिपैलिटी ने दे दिया तो उसके आवेदन-पत्र को निरस्त कर देते हैं। कारण क्या होता है कि 82 साल का वृद्ध बेचारा इन प्रमाण-पत्रों के लिये इधर-उधर फिरता रहता है। कम से कम आप इन्स्ट्रक्शन तो यह जारी कर दें कि इस तरह से हेरेसमेन्ट गरीबों का नहीं होना चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर इस प्रकार नियमों के अलावा लिये जाते हैं तो स्पष्ट आदेश दे दिये जायेंगे कि इससे अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिन संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र मान्य हैं उनके देने के बावजूद भी जिलाधीश अपने अधिकारियों के मार्फत जांच करवाता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर यह सही है तो गलत है। जो प्रमाण-पत्र यहां बताये हैं वे दे दिये जाते हैं तो उसके अलावा और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं।

श्री जुझार सिंह : पेन्शन कहां से सेंक्शन होती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : फाइनल ओथोरिटी कलेक्टर ही है। उस पर यदि किसी को एतराज हो तो वह अपील सोशियल वेलफेअर विभाग के अन्तर्गत होती है।

श्री भैरोंसिंह : आपके जांच करने के बाद मे फिर ट्रेजरी ऑफिसर भी जांच करता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ट्रेजरी ऑफिसर को कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह: जिन स्थान के विधायक हैं जैसे जयपुर में रहते हैं वे निर्वाचन क्षेत्र में रहते नहीं हैं और नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होते ऐसी हालत में वहां के लोगों को किनके प्रमाण-पत्र पर पेन्शन मिल सकती है ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : जिनमें प्रमाण-पत्र विधान सभा के सदयस्य, अन्य अधिकारी गण के कई आल्टरनेट दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये कई हैं। पर जो गरीब आदमी हैं, एम. एल. ए. हैं, मुख्य-मन्त्रीजी, मन्त्रीजी भी यहां बैठे हों वे कभी तस्दीक करने वाले नहीं हैं। दे भी देते हैं तो ट्रेजरी ऑफीसर फिर जांच करते फिरते हैं, और माननीय मन्त्री को यह जानकारी नहीं है कि उसको मैडिकल सर्टिफिकेट भी लाना पडता है जिसमें दस रुपया जमा कराना पड़ता है। जब दस रुपये देंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन करदूं कि आल्टरनेट तो काफी हैं। अब इसके अलावा भी अगर टी. ओ. और विभिन्न प्रकार की जांच आदि बढ़ती है तो स्पष्ट आदेश कर दिये जावेंगे कि इन लोगों के अतिरिक्त और कोई जांच करवाने में लाभ नहीं है और नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक हलफनामें का प्रोवीजन काफी होना चाहिये। कानून भी है इस बात का। अगर वह झूंठा साबित हो तो

(श्री भैरोंसिंह)

तो इस पर प्रोसीक्यूशन किया जा सकता है। एक व्यक्ति अगर वृद्धावस्था के बारे में और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सर्टिफिकेट देता है तो उसी के हलफनामें पर पेन्शन क्यों नहीं दी जाती ? एम. एल. ए. या निर्वाचित सदस्यों से करवाते हैं। आप बेशक यह मानकर चलिये कि हम लोग किसी को इन्कार नहीं कर सकते, पर हम भी आर्थिक स्थिति के बारे में उसके घर पर जांच करवाने वाले नहीं हैं। उस प्रमाण-पत्र के आधार पर भी उसको नहीं मिलता, उस पर भी और जांच की जाती है। तो जो व्यक्ति पेन्शन लेता है उसके हलफनामें के माध्यम से स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेकर डिपार्टमेन्ट को मूव करे और सरकार उसी के आधार पर उसको पेन्शन दे। अगर उसका वह हलफनामा झूठा साबित हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नियम तो . . .

श्री भैरोंसिंह : नियम आप बदलदें।

श्री नारायणसिंह मसूदा: आपने जो सुझाव दिया है हलफनामें का यह भी विचारणीय है, और इस पर अवश्य विचार किया जावेगा। और यह ठीक भी है कि बोझा आवेदक पर ही क्यों न डाला जाय।

श्री जुझार सिंह : आपको मालूम है कि इस तरह के मामले कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ कर दिये जाते हैं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : अरसा काफी लग जाता है, यह मैं मानता हूं। दिक्कतें बड़ी आती हैं, इसलिये निवेदन किया कि जैसा भैरोंसिंह जी ने सुझाव दिया बरडन आवेदक पर ही डाल दिया जावे यह भी उचित है। इस दृष्टि से इसे एग्जामिन कराया जावेगा।

श्री श्रवणलाल : सब प्रकार की जानकारी के बाद भी कलेक्टर के दफ्तर में कागज दबे पड़े रहते हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अगर ऐसी बात है तो बड़ी ऐतराजजनक बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यहां तक कि बीकानेर में कलेक्टर के कार्यालय के सामने चक्कर खाते खाते ही एक आदमी तो उसके दफ्तर के बाहर ही मर गया।

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह प्रश्न भी था। जानकारी भी की। कलक्टर ने कहा था . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नत्थी सिंह !

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर) : जब जब कठिनाई महसूस करते हैं नियमों में तो लगता है कि ये नियम सरल होने चाहिये और केवल उनके हल्फी बयानों के आधार पर ही उसकी उमर मान ली जानी चाहिये। आप कितने दिनों में नियमों में संशोधन के लिये हिदायत दे देंगे ताकि आयन्दा कठिनाई न हो ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसको एग्जामिन करके यथा शीघ्र संशोधन करने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री रामकिशन (वैर) : हिन्दुस्तान की और राजस्थान की औसत आयु सीमा जो है उसके अनुसार 64 साल तक बहुत कम लोग

(श्री रामकिशन)
रहते हैं। इसलिये इस आयु को भी सरकारी रिटायर होने की आयु के बराबर 55 वर्ष कर दिया जावे तो ठीक रहेगा।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह परम्परागत है और दूसरा वस्तुस्थिति को देखकर है। यह पेन्शन विशेष अवस्थाओं में ही दी जाती है जब वह अशक्त होगया हो, और अपाहिज हो, जो बिल्कुल निराधार हो। तो इस दृष्टि से 55 वर्ष की आयु में व्यक्ति इतना अक्षय नहीं होगा।

श्री रामकिशन : 55 वर्ष कर देने में आपको क्या आपत्ति है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत भीख मांगते हैं और अब भीख मांगना छोड़ना चाहते हैं। राजस्थान सरकार भी भिखमंगों के लिये कानून लाना चाहती है। अब अगर भीख मांगने वाले अशक्त, अपाहिज लोग कलेक्टर को दरख्वास्त करते हैं तो जिलाधीश इन्कार कर देता है, कह देता है कि तुम्हारा पेशा भीख मांगना है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : भीख मांगने वालों को पेन्शन दें तो भीख के बराबर होगया यह तो।

श्री रामकिशन : आप यह कैसे कह सकते हैं?

श्री नारायण सिंह मसूदा : यह सारा काम सीमित साधनों से कर रहे हैं। इसमें भी भिक्षु गृह बनाये गये हैं। सदस्यों ने कानून बनाने के बारे में प्रश्न भी उठाया था पर उत्तर में यह कहा गया था कि केवल कानून से ही भिक्षावृत्ति का निवारण नहीं हो सकता।

श्री जुझार सिंह : मैंने यह भी पूछा था कि रामगंज मण्डी में 8 आदमियों में से दो को ही यह पेन्शन दी गई। छः को नहीं देने का क्या कारण है?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मेरी सूचना के अनुसार उनके कागजात अपूर्ण बनाये गये हैं।

श्री जुझार सिंह : अपूर्ण कुछ नहीं होते। आपका सिस्टम ही अपूर्ण है।

श्री भैरोंसिंह : सांगोद के फार्म अपूर्ण हैं। अब उनमें न आदमी हैं न स्त्री है। इस प्रकार के आदमी वहां रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न रूप में ही पूछिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय मन्त्री महोदय, यह जो ओल्ड एज पेन्शन के नियम बनाये हैं उनमें संशोधन करने का विचार कर रहे हैं यह तो बहुत सुन्दर बात है। जब 65 वर्ष की आयु हो जाती है और पेन्शन के योग्य आदमी हो जाता है तब आपने कहा कि भीख मांगने वाले को पेन्शन देने का सवाल नहीं है तो क्या भीख मांगना और पेन्शन लेना बराबर है? चाहे गरीब आदमी हो या मालदार हो जब वह 65 वर्ष का हो जाय उसको ओल्ड एज पेन्शन का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय समझ गये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो 65 साल की आयु के पश्चात् क्या अनिवार्य रूप से वह

Page No. 14

(श्री दुर्गालाल बाढदार)
व्यक्ति पेन्शन का अधिकारी हो जाता है, उस पर राज्य सरकार विचार करेगी क्या ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : आपका प्रश्न यह है कि 65 वर्ष की आयु के लोगों को पेन्शन मिलना चाहिये अनिवार्यतः ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मिलना चाहिये चाहे वह मालदार हो, भिखारी हो या गरीब हो।

श्री नारायण सिंह मसूदा : 65 वर्ष के बाद में पेन्शन देने का आदर्श है वह केवल इस लिये है कि वृद्ध भी होगया है और उसका कोई आधार नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिये है। इसलिये मालदार को भी पेन्शन दी जाय वृद्ध होने पर तो वह ठीक नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने जो ये नियम बनाये हैं उन नियमों के अनुसार हिजड़ों को पेन्शन नहीं मिल सकती है ?

श्री नारायणसिंह : यह प्रश्न अलग से है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य श्री जुझार सिंहजी का प्रोब्लम ही यही है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : उपाध्यक्षजी . . .

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अगले प्रश्न में पूछलें।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रार्थना-पत्र जो दिये जाते हैं उनकी अवधि नियत हो जानी चाहिये ओल्ड एज पेन्शन के लिये। उपाध्यक्षजी, जो पेन्शन की दरख्वास्तें देते हैं उनकी अवधि निर्धारित होनी चाहिये। वे साल-साल भर तक मारे मारे फिरते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय इस पर भी विचार करेंगे।

ग्राम हींगोला फौजियों को भूमि का एलाटमेंट

1040. श्री **पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या भूतपूर्व सैनिक सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत वर्ष पाली जिले के ग्राम हींगोला में कितने फौजियों को भूमि आवन्टित की गई थी ?

(2) क्या उक्त फौजियों का कब्जा उक्त भूमि पर हो गया है ?

(3) अगर नहीं, तो क्यों और कब तक कब्जा करवा दिया जायेगा ?

उप मन्त्री भूतपूर्व सैनिक (श्री खेतसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न दो महीने पहले पूछा था, और इसकी दो महीने पहले ही सूचना दी थी, और पाली यहां से विलायत में तो नहीं। वहां पर टेलिफोन कनेक्शन भी लगा हुआ है। कलैक्टर से जानकारी रातों रात पूछ सकते है। यह कोई लम्बा- चौड़ा प्रश्न भी नहीं है। बारबार इसको स्थगित किया जाता है।

श्री खेतसिंह : कलेक्टर, पाली से जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया जाय। अगले टर्न पर इसका उत्तर दिया जाय। आर्डर प्लीज !

श्री पृथ्वी सिंह : अब टर्न कब आयेगा ?

श्री खेतसिंह : आपको लिखित जवाब भेज दिया जायगा।

श्री पृथ्वीसिंह : लिखित क्या इसका जवाब अभी दिया जाय।

श्री **उपाध्यक्ष** : सूचना उपलब्ध नहीं है इस लिये इसको अगले टर्न पर लिया जाय।

श्री पृथ्वी सिंह : उपाध्यक्षजी, दो महीने पहले से यह प्रश्न दिया हुआ है। सूचना प्राप्त नहीं हुई तो टेलिफोन का वहां पर कनेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या मन्त्री महोदय तारीख 5 तक इस प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर देंगे ?

श्री पृथ्वी सिंह : रातों रात इसकी जानकारी की जा सकती थी।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : उपाध्यक्षजी, कल मैंने देखा था तो 18-3-68 को यह सवाल आया था। उसके बाद कलेक्टर, पाली को इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए लिखा गया था। परसों ही उनको फोन पर कहा गया है जल्दी से जवाब भेजो इसके बावजूद भी जवाब नहीं आसका है तो दो दिन में नहीं आ सकता है, लकिन यह निवेदन

श्री पृथ्वी सिंह : जवाब देना ही नहीं था राजनैतिक कारणों से।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : जवाब नहीं देना होता तो मंगाया नहीं जाता।

श्री पृथ्वी सिंह : जवाब नहीं आया इस तरह से कह कर इसको लम्बा करते जाना चाहते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : कलेक्टर, पाली से सम्पर्क स्थापित करके कोशिश की कि रात को जवाब आये। जल्दी से उसका जवाब आये इस बात की कोशिश करूंगा, लेकिन यह प्रॉमिज नहीं कर सकता हूं कि दो दिन में जवाब दे ही दिया जायगा।

श्री पृथ्वी सिंह : इसका जवाब मंगाना होता है तो स्पेशल मैसेन्जर भेजकर मंगाया जा सकता था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजय सिंह !

ग्राम पंचायत बनेड़ा का रिकार्ड

1041. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बनेडा, तहसील उनियारा, जिला टौंक के विरुद्ध वहां के निवासियों ने जिला अधिकारी पंचायत को शिकायत पेश की है कि पंचायत के कुछ रेकार्ड गायब हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेकार्ड गायब होने के सम्बन्ध में आज दिन तक सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No. 16

(श्री दिग्विजय सिंह)

(3) इस मामले में अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

राज्यमंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। जांच से सरपंच के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित नहीं हुई।

(3) दुबारा जांच के लिये जिलाधीश को लिखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

नर्मदा घाटी परियोजना

1042. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नर्बदा घाटी परियोजना पर कुल कितने व्यय का अनुमान है और इसमें अपने राज्य का क्या अंशदान होगा? राज्य की कुल कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी?

(2) क्या यह सही है कि इस परियोजना का काम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच अनेकों प्रश्नों पर विवाद स्थिति उत्पन्न होने के कारण खटाई में पड़ा हुआ है? यदि हां, तो अभी तक इस दृष्टि से बैठकों का क्या परिणाम निकला?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूल सिंह) : नर्मदा घाटी परियोजना पर आनुमानिक लागत 1200 करोड़ बताई जाती है। यह परियोजना अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। नर्मदा घाटी परियोजना से 2 लाख व माही-साबरमती कम्प्लेक्स से 7-50 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने का अनुमान है।

(2) जी हां, अभी कोई परिणाम नहीं निकला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नर्मदा घाटी परियोजना जिसमें 1200 करोड़ का अनुमान है इसमें राजस्थान का कितना अंशदान होगा?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान का कितना हिस्सा होगा या मध्यप्रदेश का कितना होगा, गुजरात का कितना होगा यह सारा मामला बेनिफिट्स एक्रयूइंग टू ईच स्टेट यदि तय हो जाता है तभी इसका निपटारा हो सकता है, और समय–समय पर मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में डॉ. श्री के. एल. राव के सामने डिसकशन हुए हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है बेनिफिट्स के बारे में, एलोकेशन के बारे में और दूसरे प्रश्नों के ऊपर, इसलिये इस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह योजना केन्द्रीय सरकार के कब से विचाराधीन है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मेरे ख्याल से डेढ़-दो साल से विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस योजना की कार्यान्विति शीघ्रातिशीघ्र हो इस दृष्टि से राज्य सरकार क्या कर रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार इसके लिये प्रयत्न यह कर रही है कि केन्द्रीय सरकार को लिखते हैं, मिलते हैं और डिसकशन होता है, और केन्द्रीय सरकार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
भी खुद इस योजना के बारे में जल्दी निर्णय ले इस बात की इच्छुक है। पिछले दिनों अभी डा. के. एल. राव ने जो बयान पार्लियामेन्ट में दिया है वह आपने सुना होगा। उसमें बताया है कि दो महीनों के भीतर हम मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाकर इस पर अन्तिम निर्णय लेंगे। अगर उस सम्मेलन में अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता तो इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत इस मामले को आर्बीट्रेटर्स के खुद सुपुर्द किया जायगा जिनका फैसला सभी स्टेट्स को मान्य होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस योजना के सम्बन्ध में जो विवादास्पद इश्यू हैं उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से कोई विवाद नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार की तरफ से यह विवाद है कि हम चाहते हैं कि जो खोसला कमेटी ने रिकमण्ड किया है हमको पानी देने का उस हिस्से का पानी हमको मिले। उसके साथ साथ खोसला कमेटी ने जो दूसरी रिकमन्डेशन्स की हैं कि जो सिस्टम मानपुर सिस्टम है उससे जो एरिया अभी माही और साबरमती वाटर्स से इर्रिगेट होता है वह एरिया नर्मदा के कमान्ड में आकर उसके पानी से इर्रिगेट हो ताकि वह पानी कोडाना हाई लेवल केनाल के जरिये बाडमेर और जालौर की 7-50 लाख एकड भूमि को सिंचित कर सके। तो यह माही और नर्मदा की खोसला कमेटी के हिसाब से एक इन्टेग्रेटेड स्कीम है और एक दूसरे पर आधारित है। यदि माही का एरिया नर्मदा से इर्रिगेट होता है तो माही का पानी गुजरात का 200 मील का एरिया पूरा करके बाडमेर और जालौर को दिया जा सकता है, और नर्मदा से जो पानी मिलेगा उससे टोटल इर्रिगेशन एक लाख एकड का ही हो सकेगा। चूंकि उसके लेवल्स में फर्क होता है इस लिये यह दूसरी साबरमती और माही कम्प्लेक्स स्कीम के बारे में खोसला कमेटी ने रिकमन्ड किया है। इसलिये दोनों निर्णय साथ साथ होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माही की जो इन्टेग्रेटेड योजना है तो क्या यह योजना नर्मदा के सम्बन्ध में जब तक फाइनेलाइज न हो तब तक कोडाना योजना को स्थगित करना सरकार उचित समझेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या यह सही है कि इससे राजस्थान को अधिक नुकसान होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान को अधिक लाभ होगा।

श्री नाथूराम : कोडाना डेम में जो जमीन डूब रही है उसका करोडों रुपया मुआवजा का देना पडेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोडाना डेम के सम्बन्ध में जब पहले उनके द्वारा पूछा गया था उसका जवाब दे दिया गया था और सिंचाई की मांग के समय भी दे दिया गया था। नर्मदा योजना के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रश्न माननीय सदस्य पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

Page No. 18

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात के यदि विवाद का निपटारा हो जाय तो क्या राजस्थान को माही परियोजना के अन्तर्गत गुजरात से अधिक पानी मिल सकेगा, लेकिन जब तक विवाद तय नहीं हो उससे पानी कम मिलेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी माही परियोजना से पानी मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ क्योंकि न तो बजाज सागर बना है न कोडाना से पानी मिलने का सवाल अभी तक है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच समझौता होने का मतलब ही यही है कि यह समझौता होते ही उससे डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली राजस्थान को लाभ होता है। गुजरात और राजस्थान का केस एक साथ चल रहा है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का केस एक साथ चल रहा है।

श्री केदार नाथ : इरिगेशन बेनिफिट्स के बारे में राजस्थान सरकार ने कितने क्लेम्स खोसला कमेटी के सामने पुट-अप किये और खोसला कमेटी ने कितने स्वीकार किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ समझ में नहीं आया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नर्मदा घाटी परियोजना के सम्बन्ध में जितने इरिगेशन बेनिफिट्स हम चाहते थे उन में से कितने क्लेम्स खोसला कमेटी के सामने रखे और क्या उस कमेटी ने स्वीकार किया है उनको ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खोसला कमेटी के सामने जो हमने अपने इरिगेशन बेनिफिट्स रखे, हम जैसा चाहते थे वैसा हुआ है और सर्वे करा रहे हैं क्योंकि डिटेल्ड सर्वे जैसा 7।। लाख एकड का फिगर दिया है खोसला कमेटी से तो हम सर्वे करा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इससे अधिक ही मिलेगा कम नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर एक सवाल और बता दीजिये। क्या राज्य सरकार ने इस सारे डिस्प्यूट को आर्बीट्रेशन में रेफर करने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सहमति प्रदान करने का तो प्रश्न ही नहीं है। यह तो प्रश्न सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट तय कर रही है। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने जब चारों स्टेट्स या पार्टीसिपेटिंग स्टेट्स एग्री नहीं होती हैं इसके बाद में तब अपना जो इन्टरस्टेट डिस्प्यूट एक्ट है उसके तहत गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इस केस को रेफर कर सकती है और करना चाहती है जैसा कि उन्होंने अपने बयान में पार्लियामेन्ट में कहा है और रेफर होने से राजस्थान को कोई नुकसान नहीं है।''

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री विद्यासागर !

तहसील खैरवाडा में महुओं के वृक्षों की कटाई

1043. **श्री विद्यासागर** (खैरवाडा-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पाटिया, झाझरी, पंचायत पाटिया, तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर में फलदार वृक्ष महुओं की कटाई हो रही है ?

(2) यदि हां, तो इन महुओं की कटाई कराने के लिये किन किन अधिकारियों ने मन्जूरी के आदेश दिये हैं ?

(श्री विद्यासागर)

(3) क्या यह सही है कि यह महुए किसी मोडासा राज्य गुजरात के बोहरे द्वारा खरीद किये गये हैं ?

(4) यदि हां, तो फलदार वृक्ष महुओं को काटने की क्या आवश्यकता पड़ी है ?

(5) अब तक पाटिया झाझरी में कितने महुओं की कटाई कराई गई है ?

(6) क्या वहां के लोगों ने राज्य सरकार को महुओं की कटाई को बन्द कराने के लिये प्रार्थना की थी ?

(7) यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) तहसील खेरवाड़ा में फलदार वृक्षों की कटाई के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(2) किसी अधिकारी द्वारा फलदार वृक्षों की कटाई की मन्जूरी नहीं दी गई।

(3) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है ?

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) सरकार को इस बारे में कोई सूचना न होने के कारण जांच कराई जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) जी हां।

(7) जांच कराई जा रही है।

श्री विद्यासागर : क्या यह सही है कि तहसीलदार खेरवाड़ा ने उन महुआ के पेड़ों को काटने के आदेश दिये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : जी नहीं। तहसीलदार ने या अन्य किसी अधिकारी ने अब तक कोई आदेश नहीं दिये हैं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत घटनायें हो रही हैं, तहसीलदार ने आज्ञा दी है और यहां जवाब मिल रहा है 'नहीं'। मन्त्री महोदय यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं यह ठीक है क्या ?

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के एक भाग में पूछा है कि क्या यह सही है कि यह महुआ किसी मोडासा राज्य गुजरात के बोहरे द्वारा खरीद किया गया है जब कि महुआ की कटाई के लिये तहसीलदार ने इजाजत दी है और महुआ गुजरात राज्य में जा रहा है। तो उप-मन्त्री महोदय ने सूचना प्राप्त की है वह किसी के द्वारा की है क्योंकि तहसीलदार ने इजाजत दी है। महुआ गुजरात में गया, यह भी सही है कि पेड़ कटवाये गये, यह भी सही है कि अभी भी काटे जा रहे हैं और मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं वह गलत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री) : जो सूचना प्राप्त हुई है उसी के अनुसार कहा जा रहा है कि तहसीलदार ने ऐसे आदेश नहीं दिये और अगर तहसीलदार ने नाजायज तरीके से उनको काटने की आज्ञा दी है तो इस प्रश्न के आते ही एस. डी. ओ. को इन्क्वायरी के लिये भेज दिया गया है और वह पेड ज्यों के त्यों जब्त कर लिये जायेंगे और उनको नहीं ले जाने दिया जायगा।

श्री रोशनलाल : यह महुआ के काटने का मामला साल भर से चल रहा है।

Page No. 20

(श्री रोशनलाल)

कलेक्टर को इसकी इन्फर्मेशन दी गई, मन्त्री महोदय को इन्फर्मेशन दी गई कि खैरवाडा तहसील में इस तरह से पाटिया गांव में महुआ के पेड कटवाये जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं और इनके लिए राजस्थान सरकार के आदेश हैं कि महुआ फलदार वृक्ष है और यह नहीं कटाये जायेंगे, ऐसे निमय भी हैं और फिर भी कटवाये जा रहे हैं इसके लिए वहां की जनता ने भी दरख्वास्तें दी हैं ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एस. डी. ओ. भेज दिया गया है।

श्री रोशनलाल : यह बात काफी अर्से से चल रही है। मन्त्री महोदय के सामने अब भी मैं कह रहा हूं कि वृक्ष काटे जा रहे हैं और करीब करीब सब कट गये हैं और आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो जिस अधिकारी ने कार्यवाही नहीं की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय को जो जानकारी है वह गलत है। ग्राम पंचायत से 1 या 1½ मील के फासले पर है गुजरात और आपाधापी और भ्रष्टाचार यहां पर चल रहा है और गुजरात का व्यापारी जो मोडासा का है वह महुआ ले जा रहा है। यह फलदार वृक्ष और पुष्टकारी वृक्ष है। भैंस, गाय, बैल को खाने के लिए भी इसके फूल बडे पुष्टकारी होते हैं। आदिवासियों के जीवन निर्वाह के लिये भी यह पुष्टकारी है तो खेद का विषय है जब मन्त्री महोदय कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है और वहां पर तहसीलदार जान-बूझकर और आंखें मूंद कर एक तरह से महुआ कटा कर गुजरात में भेजने की दुर्व्यवस्था कर रहा है। तो मन्त्री महोदय से यह आश्वासन सदन में प्राप्त होना चाहिये कि अगर ऐसी कार्यवाही की जा रही है तो तहसीलदार को सस्पेन्ड किया जायेगा। अगर महुआ काटकर गुजरात में इस तरह इसे ले जाया जा रहा है तो फौरन से पेश्तर कटाई बन्द की जायेगी उसका आश्वासन दीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक तहसीलदार के खिलाफ शिकायत का प्रश्न है उसका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है और अगर उसके खिलाफ यह साबित हो गया कि उसने ये पेड कटवाये और नाजायज तरीके से कटाये हैं तो प्राईमाफेसी केस आने पर फौरन से सस्पेन्ड कर दिया जायेगा लेकिन एस. डी. ओ. की रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही की जा सकती है। एस. डी. ओ. को वहां भेजने के आर्डर्स हो गये हैं।

श्री रोशनलाल : कब दिये ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर एक हद तक अपर्याप्त है लेकिन स्थानान्तरण करने की राजस्थान की व्यवस्था बहुत खतरे की व्यवस्था है। अगर कोई कर्मचारी दोषी है तो आप सस्पेन्ड करें, सजा देनी चाहिये। अगर आप सजा देंगे तो 'रंक मरे रावण कांपे' इसके नाते आपके एडमिनिस्ट्रेशन में सुव्यवस्था होगी। आप इसके अन्दर सतर्कता से जांच कराइये और तहसीलदार ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको सस्पेन्ड करने की व्यवस्था आप जरूर कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों को बोलने पर) श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया है इसको मैं बिलकुल गलत मान रहा हूं और जवाब बिलकुल झूठा है। इस तरह से हाउस में झूठा जवाब देने को मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : इस जैसे पेड की उम्र सौइयों वर्ष की है, जिससे इतना अच्छा तेल निकलता है और जैसा हमारे विरोधी दल के नेता भी बता रहे थे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो तत्काल आप तहसीलदार को सस्पेन्ड करने के लिए क्यों नहीं कार्यवाही करना चाहते हैं ?

महाराज श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली): नहीं कर सकते। इनमें हिम्मत नहीं है।

श्री रोशनलाल : आपने जांच के लिए कब आर्डर्स किये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे तारीख याद नहीं है लेकिन सवाल के आने के बाद ही यह जानकारी दी गई है और उसके बाद एस. डी. ओ. को मुकर्रर किया गया है।

श्री रोशनलाल : मेरे पास जानकारी है कि कल शाम तक एस. डी. ओ. इन्क्वायरी करने नहीं गया इस संबंध में कि वृक्ष वहां पर जा रहे हैं ट्रक भर भर कर। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान सरकार की नीति के अनुसार वृक्ष नहीं काटे जायें और फिर भी काट रहे हैं और आप कहते हैं कि एस. डी. ओ. को कहा है। एस. डी. ओ. कल शाम तक तो नहीं गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दिन दहाडे ट्रक भर भर कर जा रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में अभी कलेक्टर को फोन द्वारा सूचना दी जायेगी कि वह फिर जाकर देखें।

श्री रोशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर को भी इस बात के लिये सूचना दी गई थी और कलेक्टर ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो आप कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : आप महुआ के पेडों की चिन्ता कर रहे हैं। चन्दन के पेड कटवा दिये और मंत्रीजी ने उनको पनाह दी आप क्या जांच करायेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: अलग प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर में.......

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कह रहा हूं कि पेड कट कट कर जा रहे हैं और पुलिस ने पकडे 2 ट्रक और ट्रक वालों ने कहा कि मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं। मिनिस्टर साहब का नाम तो बताया नहीं।

(12 मध्यान्ह)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने बात उठाई थी उसके बारे में मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, उनके कहने के अनुसार

(श्री नत्थीसिंह) एक महीने से जिलाधीश और एस.डी.ओ. को इत्तला थी तो उनको जांच करनी चाहिये थी लेकिन उन्होंने जांच नहीं की इसलिये आप क्यों नहीं किसी बड़े अधिकारी को भेज कर उनके खिलाफ जांच करावें कि उन्होंने इतने दिनों तक क्यों नहीं कार्यवाही की ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे आशंका है कि तहसीलदार, बी.डी.ओ. कलेक्टर और जंगलात ओफिसर सबकी मिली भगती है यदि उनकी मिली भगत नहीं होती तो दिन दहाड़े दो-दो सौ तीन-तीन सौ वर्ष पुराने पेड़ काटकर ट्रकों में भर कर क्यों ले जाते। मैं जानता हूं क्योंकि मेरी पर्सनल प्रोपर्टी है उससे डेढ़ मील के फासले पर यह है, लकड़ी वहां से जा रही है। यह उन अधिकारियों की मिली भगत है। जैसा कि नत्थीसिंहजी ने कहा आप निष्पक्ष रूप से जांच करवाइये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को चलते हुए इतना अरसा हो गया, किसी माननीय सदस्य ने इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की कि वहां से पेड़ काटे जा रहे हैं। यह तो प्रश्न आया तब मैंने यह कहा कि एस.डी.ओ. को मुकर्रर करके जांच करवाई जाय। यदि सीरियसनेस की स्थिति आती तो जरूर पहले चर्चा करते। फिर भी मैं इसकी सीरियस स्थिति को मानते हुए कलेक्टर से जानकारी करके ....

एक माननीय सदस्य : कलेक्टर से क्यों ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कलेक्टर को इत्तला है या नहीं

श्री रोशनलाल शर्मा : गुजरात में महुआ जा रहा है और उसके रास्ते में चौकी है, कलेक्टर को यदि इसका पता नहीं है तो फिर कलेक्टर वहां पर बैठा हुआ क्या करता है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक-एक वृक्ष पांच-पांच सौ, सात-सात सौ रुपये की कीमत का है जो काटे जा रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये पेड़ कट गये तो रेगिस्तान हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको तो गांधीजी के तीन बन्दर याद आते हैं आंख से देखना नहीं, कान से सुनना नहीं, मुंह से बोलना नहीं।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपने कहा कि अलवर से वृक्ष मंत्री के यहां जा रहे हैं, किस मंत्री के यहां जा रहे हैं नाम नहीं बताया, (नाम बताइये)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : महारावल साहब ने अभी फरमाया कि कलेक्टर, एस. डी. ओ. और जंगलात के अफसर सबने मिल कर रुपये खाये हैं इसलिये क्या आप इसकी गंभीरता को सोच करके उसी कलेक्टर को जांच करने के लिये सौंपना चाहते हैं जिसके खिलाफ आरोप लगाये हैं ? यह तो अच्छी बात नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इसकी जांच एन्टी करप्शन विभाग के सुपुर्द करने को तैयार हूं गृह मंत्री जी एन्टी करप्शन विभाग की मार्फत जांच करवा लें।

श्री रोशनलाल शर्मा : अलवर से किस मंत्री के घर लकड़ी गई यह बड़ा गंभीर आरोप है कृपया उनका नाम बतलाया जाय।

Page No. 23

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार विजय मंदिर पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उसके अनुसार 2 ट्रक नेजवाले घाटी से लकडी के भर कर किसी मंत्री के यहां गये हैं। एफ. आई. आर. में उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिखा है लेकिन कहा है कि मंत्री के यहां जा रहे हैं यह एफ. आई. आर. में दर्ज है। मैंने इसकी जानकारी की है और मेरी जानकारी के अनुसार संबंधित मंत्री श्री अमृतलाल यादव मालूम पडते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि इस बारे में जांच करें कि गुजरात का वोहरा जो लकडी ले जा रहा है वह गुलाम अब्बास का रिश्तेदार है और गुलाम अब्बास मुख्य मंत्री जी श्री सुखाडियां जी के मित्र है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण अगला प्रश्न।

मवेशीखानों में चराई की दरें

1044. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ मवेशी खानों में दाखिल होने वाले पशुओं की चराई दर 23 नवम्बर, 1967 से पूर्व क्या थी ? और इस दिनांक के पश्चात् क्या दरें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चराई की दरें डेढ़ गुनी से लेकर चार गुनी तक बढ़ाने के क्या कारण हैं ? क्या पंचायत की ओर से ऐसी मांग की गई थी यदि हां, तो उन पंचायतों की सूची सदन की मेज पर उनकी मांग के दिनांक सहित रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह भी सही है कि चुरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर आदि रेगिस्तानी क्षेत्रों की पंचायतों, पंचायत समितियों ने 23 नवम्बर से पूर्व की दरों को भी अपने क्षेत्रों के लिये अधिक बतलाते हुए कम करने की मांग कर रखी थी ?

(4) अन्य संस्थाओं, सम्मेलनों और व्यक्तियों से भी दरें कम करने की मांग आई थी ? यदि हां, तो तिथि सहित उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार रेगिस्तानी एवं फसली पशु पालक क्षेत्र में गरीब पशु पालकों के हित में इन दरों को पुराने स्तर पर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) चराई की दरें मंहगाई में वृद्धि होने के कारण बढ़ाई गई। पंचायतों द्वारा राज्य सरकार को सीधी मांग नहीं भेजी गयी। उप जिला विकास अधिकारी, जयपुर, कोटा तथा भीलवाडा के द्वारा की गई सिफारिशों पर पशु पालन विभाग की सम्मति प्राप्त कर दरों में वृद्धि की गई। उपरोक्त पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी गई हैं।

(3) जी नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुए।

(4) दरों में वृद्धि करने के पश्चात् 27-11-67 को जिला परिषद बीकानेर का प्रस्ताव दिनांक 6-12-67 को प्राप्त हुआ।

(राज्य मंत्री पंचायत)

संशोधन से पूर्व की दरें चालू रखने की मांग की गई। प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखी गई है।

(5) जी नहीं। चारे के भावों को देखते हुए फिलहाल दरों में कमी करने का विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न संख्या (2) में यह बताया है कि जिला विकास अधिकारी, जयपुर, कोटा तथा भीलवाड़ा के द्वारा की गई सिफारिशों पर पशु पालन विभाग की सम्मति प्राप्त कर दरों में वृद्धि की गई है। लेकिन उन्होंने दरें बढ़ाने का जो सुझाव दिया था उनसे दूनी दर आपने बढ़ाई है। जिलाधीश, भीलवाड़ा ने सुझाव दिया था कि गाय व बैल पर रु0 1-50 और भैंस व पाड़ा पर 2 रु0 कर दिये जायं और कोटा के उप जिलाधीश ने ऊंट पर 2 रु0 से 3 रु0, घोड़ा पर 2 रु0 से 3 रु0, भैंस पर 1.50 से 2) रु0, गाय बैल पर 0.50 रु0, खच्चर पर 1) रु0 से 2) रु0 बछड़ा पर 0.75, बकरा व बकरी पर 0.25 से 0.50 पैसे, भेड़ पर 0.25 पैसे, 0.50 पैसे और अन्य पर 1.00 से 2.00 रु0 करने का सुझाव दिया है और इसी तरह उप जिला अधिकारी, जयपुर ने सुझाव निश्चित नहीं दिया लेकिन आपने जो सूची दर बढ़ाने की दी है उसमें हाथी की चराई 10) के 10) ही रखे हैं उसमें चराई की महंगाई बाधक नहीं है लेकिन ऊंट पर 2) रु0 से 4) रु0, घोड़ा पर 2) रु0 से 4) रु0, भैंसा पर 1.50 रु0, से 2.50 रु0, गाय एवं बैल पर 0.75 पैसे से 1.50 रु0, गधा पर 1 रु0 से 1.50 रु0 बछड़ा पर 0.75 पैसे से 1.50 रु0, बकरा पर 0.25 से 1.00 रु0, भेड़ पर 0.25 से 1) रु. और अन्य पर 1) रु. से 2), आपने किस आधार पर यह सब किया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: उपाध्यक्ष महोदय, कुछ उप विकास अधिकारियों के नाम बताये हैं जहां से मांग आई थी कि पंचायतों में मवेशी मवेशीखानों में दाखिल होते हैं उनकी चराई कम पड़ती है। घास महंगा हो गया है इसलिये चराई की दर बढ़ाई जानी चाहिए। यह भी सही है कि कुछ जिला अधिकारियों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव किये थे कि ये दरें बढ़ाई जायं। जब दरें बढ़ाई जाने का प्रश्न था तो पशु पालन विभाग को पूछना जरूरी था क्योंकि वह बता सकते थे कि एक मवेशी को खाने के लिये कितना चारा चाहिये और उस हिसाब से क्या कीमत बैठती है नहीं तो यह प्रश्न फिर दुबारा आयगा और कम पड़ा तो फिर बढ़ाना पड़ेगा चुनाचे पशुपालन विभाग को पूछा गया कि वे बतावें कि प्रति मवेशी कितने चारे की जरूरत है और उसके अनुसार बढ़ोतरी की गई।

श्री पृथ्वीसिंह (बली) : क्या कांजी हाउस में मवेशियों को बांटा मिलता है जो आप ने चार गुना बढ़ा दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा: मैंने बांटा का नाम नहीं लिया है।

श्री पृथ्वीसिंह : भेड बकरी का आपने 1) रु0 रखा है क्या 1) रु. का चारा खा जाती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: भेड बकरी को पाला डालना पडता है इसलिए रखा है।

श्री **नत्थी सिंह** : यह सवाल पंचायतों से संबंधित है, आपने पशुपालन विभाग को पूछ लिया, कुछ उप जिलाधीशों के प्रस्ताव आये क्या आपने समस्त पंचायत समितियों से या ग्राम पंचायतों से इस संबंध में पूछा? आपने उनसे नहीं पूछा जिनसे यह सम्बन्धित है। उनसे पूछने के बाद ही सही नतीजे पर आ सकते थे। केवल पशुपालन ने लिख दिया और मनमाने ढंग से आपने दरें बढा दीं इसमें उनका क्या आता जाता है, इस की आमदनी और खर्च से उन पर क्या असर पडता है? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो रेट्स आपने नई निर्धारित की हैं उनको रोक कर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों से पूछने के बाद दर निर्धारित करने पर विचार करेंगे?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : राज्य सरकार इस वक्त तो इस पर विचार नहीं कर सकती। किस लिए विचार करने को तैयार नहीं हैं इसके कारण मैं आपको निवेदन करूं कि दरें बढाने के बाद किसी पंचायत समिति से या पंचायत से इस प्रकार की मांग नहीं आई राज्य सरकार के पास में जिनके आधार पर कहा जा सके कि दरें बढाई हैं वह मनमाने ढंग से बढाई हैं या पंचायत और पंचायत समितियों के लिए अलाभकारी हैं। मैंने माननीय सदस्यों को कहा कि जो पैसा आता है वह कांजी हाउस में उन पर व्यय किया जाता है और जो भी नफा नुकसान होता है वह पंचायत को होता है। इस नफा-नुकसान की दृष्टि से भी किसी पंचायत या पंचायत समिति ने राज्य सरकार के पास मांग नहीं रखी, केवल एक जिला परिषद् बीकानेर का प्रस्ताव जरूर आया था, वरना राजस्थान की किसी पंचायत या पंचायत समिति ने नहीं भेजा। इस समय यूनीफार्मिटी के लिए आवश्यक है कि राजस्थान में सब भागों में एक प्रकार की दरें लगाई जायं।

श्री **श्रवणलाल** (हिन्डोन-सु.): इस प्रकार की जो दरें मुकर्रर हैं, क्या इससे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद् को हिदायत भेजी कि वह अपने सुझाव भेजें?

श्री **पृथ्वी सिंह** : एक प्रश्न मैं भी करना चहाता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : एक प्रश्न पूछा गया है उसका जबाव आने दीजिये।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : समझ में नहीं आया।

श्री **श्रवणलाल** : दुबारा मैं फिर पूछ लेता हूं। जो रेट आपने निर्धारित की हैं उससे पहले आपने समस्त पंचायत समिति और जिला परिषद् के पास कोई हिदायत या जानकारी भेजी थी कि हम इस प्रकार से मवेशियों की चराई की दर बढा रहे हैं?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : इसको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय हीराभाई।

श्री **हीरा भाई** (कुशलगढ) : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि ग्राम पंचायत की शिकायत आने पर आप दरों में परिवर्तन कर सकते हैं? कौन सी ग्राम पंचायत इतनी पागल होगी जो अपनी आय में कटौती करने की बात के लिए प्रस्ताव भेजेगी?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बात ठीक है।

श्री **हीराभाई**: इसका असर तो उन पर पडता है जिनके मवेशी कांजी हाउस में आते हैं, उन पर इसका अफेक्ट पडता है, उनका खर्चा बढता है। इसलिए क्या राज्य सरकार द्वारा ध्यान देकर इन दरों में कमी करने की कार्यवाही की जायेगी ? कोई भी पंचायत या पंचायत समिति आती हुई लक्ष्मी को वापिस ठोकर मार नहीं सकती। इसलिए आपने यह तय किया है, यह ठीक तय नहीं किया है। आप अगर केवल उन्हें घास खिलाते हैं तो घास के भाव तो यह हो नहीं सकते। घास की इतनी दर नहीं बढ गई है। अगर उनके लिए बांटा या और कोई चीज निर्धारित करते और उस पर पैसा लगाते तो समझ में आ सकता था कि मवेशियों के लिए खर्च हो रहा है। यह तो पंचायतों की आय करने और ग्रामवासियों को तंग करने की कार्यवाही है। इसलिए इस वक्त आप दरों में कमी करने की कार्यवाही करें।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को तंग करने की दृष्टि की जो बात माननीय सदस्य के द्वारा कही गई है कि इसलिए यह दरें बढाई गई हैं–यह इसके पीछे भावना नहीं है। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांजी हाउस में जो पैसा आता है उसमें आम लोगों को अफेक्ट करने की बात नहीं है। इसका अफेक्ट उन्हीं लोगों पर होता है जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते हैं, उनको खुला छोड देते हैं और मनमाने तरीके से विचरने की इजाजत दे देते हैं–अगर इस प्रकार नुकसान करने के बाद कोई मवेशी आता है तो उससे यह दरें लेते हैं। तो इस प्रश्न के पीछे गवर्नमेंट का यही दृष्टिकोण है कि जो भी पशु आता है वह गांव का नुकसान करके आता है, उसके लिए आज के हिसाब से, आज के भाव के हिसाब से वाजिब दरें निर्धारित की गई हैं, उन वाजिब दरों के आधार पर, थोडी देर के लिए मान लिया जाय कि पंचायतों को थोडा बहुत फायदा होता है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई सरकार ने अनियमितता की है। दरों को बढाने की बात की है उसके अन्दर घास के भाव को ध्यान में रखा है।

श्री **दौलत राम सारण** : भावों की कलई तो इससे ही खुल जाती है कि हाथी की चराई रेट दस रुपया थी, वह दस रुपया ही रखी है। उसमें कोई बढोतरी नहीं हुई है। इधर ऊंट की चराई दर दो रुपये थी।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! यह बात आप पहले कह चुके हैं।

श्री **दौलतराम सारण** : यह बिल्कुल बेढंगी बात कह रहे हैं। इसमें भावों के बढने का आधार नहीं है, भावों के बढने का आधार होता तो किसी पर डेढ गुनी, किसी पर दुगनी और किसी पर चार गुनी दर नहीं बढती।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री पृथ्वी सिंह।

श्री **दौलतराम सारण** : भाव की बात की तो कलई खुल गई है। यह दर बढाई है यह बिल्कुल गैर वाजिब है।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसका जवाब दे दिया गया है। माननीय पृथ्वी सिंह।

श्री **दौलतराम सारण** : प्रश्न संख्या तीन में कहते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने खुद ने प्रस्ताव भेजा है, मेरी चिट्ठी के साथ भेजा है। लेकिन आप उनकी चिन्ता नहीं करते हैं।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाडमेर) : आप तो पंचायत समिति नहीं हैं।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न दिया है उसको मैं पढ देता हूं कि आपने क्या पूछा है और मैंने क्या जवाब दिया है।

श्री **दौलतराम सारण** : आप क्या पढ देते हैं। मैंने ही तो वह बनाया है।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : मैं उसे पढ देता हूं।

श्री **दौलतराम सारण** : मैंने प्रश्न बनाया है, मैं उसके बारे में जानता हूं। आप क्या पढ देते हैं ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : मैं पढ देता हूं।

श्री **दौलतराम सारण** : तीसरे के जवाब के अन्दर आप कहते हैं—जी नहीं। ऐसे कोई प्रस्ताव विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के चूरू क्षेत्र की पंचायत समिति डूंगरगढ ने प्रस्ताव भेजा है। और वहां एक मेला हुआ, वहां कई पंचायतों ने इकट्ठे बैठ कर प्रस्ताव पास करके भेजे हैं। और एक प्रस्ताव मैंने मेरे लैटर के साथ भिजवाया है।

श्री **पृथ्वीसिंह** : उपाध्यक्ष महोदय · ·

श्री **हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, सिवाय जिला परिषद् बीकानेर के और किसी जगह से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस प्रश्न में आपने यह पूछा है जिसके उत्तर में मैंने 'जी नहीं' कहा है—क्या यह भी सही है कि चूरू, बीकानेर, नागौर और जोधपुर आदि रेगिस्तानी क्षेत्रों की पंचायतों, पंचायत समितियों ने—तो पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा कोई इस प्रकार की बात राज्य सरकार के समक्ष नहीं आई है।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल गलत जवाब दे रहे हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा · · · ·

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : एक सैकिंड। माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। आपने कहा है सिवाय बीकानेर जिला परिषद् के। बीकानेर की चार पंचायत समितियां हैं, उन चारों पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किया है कि जो टैक्स लगाया है यह बिल्कुल गलत है, नाजायज है। यह चार पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किया है, जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास करके भेजा है और ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके भेजे हैं। मंत्री महोदय इस तरह गलत जवाब देते हैं, शर्म नहीं आती है ?

श्री **हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रकार के आक्षेप पर आपत्ति है। मुझे बहुत एतराज है।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : मैं आपको लैटर नम्बर लाकर दूंगा। यह पंचायत

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)
समिति के रिकार्ड पर है, तो पंचायत समिति का रिकार्ड गलत नहीं हो सकता।

श्री **हीरालाल देवपुरा** : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जोरों से बोल कर दबा दें, और इस प्रकार के आक्षेप करें....

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : पंचायत समिति के रिकार्ड पर है, यह मेरा व्यक्तिगत रिकार्ड नहीं है।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! बात आपने कह दी, उसका जवाब दे दिया है।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : यह चार पंचायत समितियों के रिकार्ड पर है।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **दौलतराम सारण** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और झूठ का नमूना बताता हूं....

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज ! थोडा नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री **दौलतराम सारण** : मंत्री गलत जवाब देते हैं और आप कहते हैं कि बैठ जायें, हम कैसे बैठ जायं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : वाजिब तरीके से आप प्रश्न रखते हैं उनका मंत्री महोदय जवाब देते हैं...

श्री **दौलतराम सारण** : वाजिब कहां है ? गलत जवाब देते हैं। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ?

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **दौलतराम सारण** : मैंने खुद ने प्रस्ताव भेजे हैं और आप गलत बात कहते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री **दौलतराम सारण** : मैंने खुद ने भेजे हैं।

श्री **चुन्नीलाल इंदलिया** : उपाध्यक्ष महोदय, हमें दुःख इस बात का हो रहा है कि मंत्री महोदय, गलत बात कह कर उसका गलत ढंग से उपयोग करते हैं। जिम्मेदार मंत्री होकर इस प्रकार से गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें।

मंत्री, पंचायत विभाग (श्री परसराम मदेरणा) : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरगढ से आने वाले और नौखा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पंचायत समितियों ने इस प्रकार की चराई रेट को कम करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे हैं, और राज्य सरकार की इन्फार्मेशन यह है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने नहीं आया है। इसलिये मैं कल जानकारी करके इस पर स्टेटमेंट दूंगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ले लें 1045।

श्री **दौलतराम सारण** : आपने चार के उत्तर में कहा है..........

श्री **परसराम मदेरणा** : प्रस्ताव भेजे या नहीं भेजे, मैं निश्चित तौर पर जानकारी

Page No. 29

(श्री परसराम मदेरणा)
करके कल स्टेटमेंट दूंगा । मैं आपको कह रहा हूं कि अभी मेरे पास इसके अलावा इन्फार्मेशन नहीं है । मैं कल जानकारी दूंगा ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री **परसराम मदेरणा** : कि कोई प्रस्ताव आया या नहीं आया । यहां पर माननीय सदस्य जोर जोर से बोल कर कहते हैं झूंठ बोलते हैं, या शर्म नहीं आती है, वह नहीं आती है, तो इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों को भी थोडा समझदारी से बोलना चाहिए । पहले उनको अपने आपकी तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं ।

महारावल श्री **लक्ष्मण सिंह** : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, आपने इसमें बकरा-बकरी, गाय-भैंस, गधा-घोडा-सबकी चराई दर बढाई है । केवल हाथी की नहीं बढाई है । तो क्या हाथी को आजकल अजीर्ण हो गया है ? काले हाथी घास नहीं खाते हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह खुद हाथी हो गये हैं ।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : सफेद हाथी खडे हो गये हैं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : एक प्रश्न ले लें 1045 ।

श्री **उपाध्यक्ष** : समय काफी हो गया है ।

श्री **भैरोंसिंह** : बहुत इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह बहुत जरूरी प्रश्न है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : एक एक प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं लें तो सब प्रश्न आ जायें ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह सीक्वेन्स में है, नेक्स्ट है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल ! 1045 ।

भूतपूर्व जागीरदारों के कर्जों के क्लेम

1045. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फर्म मगनीराम भभूतसिंह टोंक ने कुछ भूतपूर्व जागीरदारों की तरफ अपने पुराने कर्जों का क्लेम राज्य सरकार के समक्ष पेश किया था ? यदि हां, तो ये कर्जे किस किस जागीरदार के नाम कितनी कितनी रकमों के थे ? कौन कौन सी तारीखों में लिये गये थे, किस ब्याज की दर पर लिये गये थे, और किस कार्य हेतु लिये गये थे ? कृपया पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने यह भी क्लेम किया था कि उक्त कर्जे भूतपूर्व टोंक राज्य द्वारा अदायगी के लिये गारन्टी शुदा थे ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन कर्जों को राज्य सरकार द्वारा अदायगी करने की गारन्टी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेली ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें भूतपूर्व टोंक राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की गारन्टी दी गई थी ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल) :

(4) राज्य सरकार ने फर्म मगनीराम भभूतसिंह द्वारा जितनी रकमों के कर्जों का क्लेम किया था उनमें से किस किस कर्ज की किस हद तक अदायगी की जिम्मेदारी स्वीकार की और किस किस की नहीं की? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या सरकार ने इन कर्जों की अदायगी के क्लेम को स्वीकार करने से पहले यह जांच-पडताल करली थी कि इन कर्जों की अदायगी सम्बन्धित कर्जदारों द्वारा करदी गई थी अथवा नहीं?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसों को कैश जागीर उन्मूलन एक्ट के तहत खानदान अलाउन्स के बदले मिलने वाले मुआवजे से उक्त फर्म के कर्ज को काटने के आदेश जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश किस किस कर्ज के सम्बन्ध में किन किन वारिसान को मिलने वाले मुआवजे के बारे में जारी किये गये हैं?

(7) क्या यह सही है कि उक्त कर्जदारों के कुछ वारिसान ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन किया है कि उक्त कर्जों की अदायगी हो चुकी है, तथा इन कर्जों को स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकार ने तथाकथित कर्जदारों के वारिसान को नहीं बुलाया? यदि हां, तो क्या उनकी यह शिकायत सही पाई गई; तथा इस प्रकार का ऐतराज किस किस वारिस ने किया था और किस किस का ऐतराज सही पाया गया?

(8) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त फर्म को इन कर्जों के मद में काफी रकम अदा कर चुकी है? यदि हां, तो कितनी कितनी रकम बकाया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(9) क्या सरकार ने जिन वारिसों ने नहीं सुने जाने का ऐतराज किया है, उनसे इन कर्जों की पूर्व अदायगी के बारे में जांच पडताल की है? यदि हां, तो इस जांच पडताल का क्या परिणाम निकला?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) जी हां, उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण पत्र तैयार किया जाकर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, उनमें से कुछ कर्ज ऐसे थे जिनके लिये भूतपूर्व टोंक राज्य ने गारन्टी दी थी।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने इन कर्जों की जांच भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान के समय में एक कमेटी द्वारा करवाई थी तथा कर्जे की रकम दी जाने से पूर्व इस मामले की कानूनी जांच कराली गई थी।

(4) राज्य सरकार के पास प्रस्तुत हुए क्लेम में तीन का भुगतान किया गया। शेष 2 का आपसी तस्फिया हो गया है और एक जागीर मुआवजे में से तथा एक जिलाधीश द्वारा चुकाया गया जिसकी सूची संलग्न है।

(5) जी हां, इस सम्बन्ध में कमेटी द्वारा जांच कराई जा चुकी है, जिसने दावेदार के साथ ही कर्जदारों को भी सुनकर राज्य सरकार को उनकी सिफारिश की थी।

(6) राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिये हैं. फर्म ने कोर्ट से डिग्री प्राप्त की होगी।

(राजस्व मंत्री)

(7) कमेटी ने जांच के समय कर्जदारों के वारिसान को सुनने के बाद ही अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध के प्रार्थना-पत्र मोहम्मद खां शमशेरजंग तथा अब्दुल वाहिद खां के वारिसान ने दिये थे किन्तु कर्जा चुकाये जाने के कोई प्रमाण पेश नहीं किये।

(8) इस सम्बन्ध में प्रश्न 4 में सूचना दी जा चुकी है। शेष के लिये मामले विचाराधीन हैं।

(9) वारिसान ने कोई भी प्रमाण कर्जों के चुकाये जाने के सम्बन्ध में पेश नहीं किये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल था, प्रश्न नं. 1 में मैंने यह जानकारी चाही थी कि ओरिजिनल कर्जे कितने थे और कब कब दिये गये थे। आपने जो सूची दी है उसमें एक में भी ओरिजिनल कर्जा नहीं बताया गया है कि ओरिजिनल कितना कर्जा था और ओरिजिनल कौनसी तारीख को दिया गया था। यह जो 13 की लिस्ट दी गई है, इन 13 में ओरिजिनल कर्जे कितने थे और कितने कितने किस तारीख को लिये और किस शर्त और सूद पर लिये थे ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : प्रत्येक कर्जे के बारे में तो अलग प्रश्न पूछा जाता तो अलग से सूचना मंगा कर देता। ये पुरानी टोंक स्टेट के जमाने के हैं और बहुत अर्से पहले के थे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह तो मैंने प्रश्न में पूछा है कि ओरिजिनल कर्जे कितने कितने के थे और कब कब दिये गये थे ?

श्री **अध्यक्ष** : यह लिखा हुआ है प्रश्न में कि अलग अलग कितने कितने हैं, तारीखें भी मांगी हैं।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : मैं थोड़ी स्थिति साफ कर दूं, मगनीराम भभूतसिंह और लोढ़ाजी, ये दोनों स्टेट के ट्रेजरार थे, एक रतलाम के और दूसरे अजमेर के कहे जाते थे। इनके साथ शर्त थी कि जो कोई कर्जा जागीरदारों को दिलवायेंगे, उनकी जिम्मेदारी टोंक स्टेट गवर्नमेन्ट की होगी और कर्जा चुकाने की टोंक गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी थी। टोंक नवाब ने अपने भाइयों और बहनों आदि को, इनसे कर्जा दिलवाया, उनकी जागीर के ऊपर दिलवाया, और कर्जों को चुकाने की जिम्मेदारी टोंक स्टेट ने ली। मर्जर से पहले टोंक की गवर्नमेन्ट ने कमेटी बैठाई थी, इन कर्जों की जांच के बारे में एक एक्जीक्यूटिव आफीसर मुकर्रर हुआ था। जांच कराई गई और उसकी जांच रिपोर्ट पेश हुई, ब्याज वगैरह लगा कर निबटारे के बारे में कहा कि इतना इनका और इतना इनका कर्जा बाकी है, इन्डिविज्युअल केसेज को देख कर। 3 केसेज में गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान ने पेमेंट किया, क्योंकि सुलह के मुताबिक और जो जो शब्द एग्रीमेंट में थे उनके अनुसार स्टेट की गारन्टी थी, इसलिये उस गारन्टी को सरकार को पूरा करना पड़ा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ये तीनों केसेज, फारूख अली 57 हजार मोहम्मद जान के 46823 रु. 24 नया पैसा और अब्दुल वाहिद का 15750 रु., इतना रुपया अदा किया मगनीराम भभूतसिंह को, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि इन तीनों केसेज में ओरिजिनल कर्जा कितना लिया था, सूद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कितना दे दिया था, बीच में भी कुछ अदायगी हुई या शुरू से ही अदायगी नहीं हुई ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : पहला क्लेम था वह मोहम्मद खां, साहबजादा शमशेरजंग··

(विराम)

आपने किन किन क्लेम्स के बारे में पूछा है, हर एक का निकाल लेता हूं। क्लेम अगेन्स्ट अब्दुल वाहिद खां, इसमें जो नोट है डिटेल्ड नोट है, चाहें तो सारा पढ कर सुनाऊं, यह सारी फाइल ही रंगी हुई है··········

श्री **उपाध्यक्ष** : इसका उत्तर आप कल इसे पढ़ कर देदें ।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : पहले प्रश्न आ जायं तो उत्तर देने में सहूलियत होगी, इतनी बडी फाइल है, 48 से फाइल चल रही है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि टोंक जिले में टोंक की स्टेट के समय के फोर्ज्ड डोक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, सदन में भी यह प्रश्न पहले उठाया गया। सन् 1901 के पुराने कर्ज हैं, इन पुराने कर्जो में गारन्टी दी थी या नहीं यह भी डाउटफुल है, यह गारन्टी फोर्ज्ड बनाई गई है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जितने पुराने कर्जे हैं, ऐसा भी कहते हैं कि इनके पेमेंट कर दिये गये हैं। इस बात को गवर्नमेन्ट ने नहीं देखा, क्लेमेंट से यह नहीं कहा गवर्नमेन्ट ने कि यह प्रूव करो कि इन कर्जों के पेमेंट तुम्हें नहीं किये गये हैं, उल्टे जो कर्जदार हैं, उन्हीं को गवर्नमेन्ट ने कहा कि तुम यह प्रूव करो कि इन कर्जों का पेमेंट कर दिया गया है। आज जो कर्जदार हैं, उनके दादों ने कर्जा लिया था, पोतों को पता नहीं दादे मर गये, सब सरकारी रेकार्ड था।

तीसरा यह कि इन कर्जों की कोई मयाद नहीं थी, पार्टी कोर्ट में नहीं गई, कोई मयाद नहीं, कोई गारन्टी नहीं, जबरदस्ती क्लेम मंजूर कर के सरकारी खजाने से 1,19,669 इन तीन पार्टियों के दे दिये। मेरे पास दरख्वास्तें मौजूद हैं, इन लोगों ने कहा है कि हमें बुलाया ही नहीं गया। अहसान उल्ला खां के वारिसान का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने पेमेंट कर दिया, तो उनको पूछा तक नहीं गया और सरकारी खजाने से पेमेंट कर दिया गया। तो मंत्री महोदय बतावें कि ओरिजिनल कर्जे कितने के थे और उनकी डेट्स क्या क्या हैं ?

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : 3 का पेमेंट किया है, उन तीनों के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : मैंने तो उन सारे क्लेम्स के बारे में पूछा है, जो सारे क्लेम आपने मंजूर किये हैं, उनके बारे में पूछा है, कुछ को कम्पेन्सेशन पूल से दे दिया, कुछ को सरकारी खजाने से दे दिया। ये 13 हैं, सबके बारे में पूछा है।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : 3 का पेमेंट किया है, बाकी का नहीं किया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कम्पेन्सेशन पूल से दे दिया है, किसी को माहवारी तनख्वाह मिलती थी वह रोक कर पेमेंट कर दिया है, किसी को सरकारी खजाने से पेमेंट कर दिया है, सभी का बताइये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपसी लेन देन का मामला है और 60 वर्ष पुराने मामले हैं। रियासत टोंक के इन्टीग्रेशन के वक्त से गवर्नमेन्ट क्या कर रही है? एक फर्म की तरफ हमेशा पक्षपात करना और बेचारे जागीरदारों को तबाह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
करना, तंग करना, परेशान करना, यह शायद सरकार के लिये अशोभनीय है। सरकार ने जिस तरह इस मामले में दखल, दस्तंदाजी की है, उससे पता चलता है कि सरकार एक तरह से फरीकेन है इन मामलों में। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह क्यों आपसी लेन देन के मामलों में दिलचस्पी बताती है? येन केन प्रकारेण डिस्पोज ऑफ करना चाहिये। जागीरदारों की पेन्शन नहीं देना, इस फर्म के साथ पक्षपात करके इसे प्रश्रय देना। 60 वर्ष के पुराने मामले हैं, जो मयाद के बाहर हैं या नहीं, इस प्रकार के कोर्ट के फैसले के बिना ही सरकार दिलचस्पी लेकर कर रही है। भूतपूर्व टोंक रियासत की गारन्टी थी, यह मस्नूई, फर्जी कार्यवाही कर रहे हैं आप फर्म को ओब्लाइज करने के लिये, यह बहुत बुरा मामला है। सरकार को जल्दी से जल्दी इस मामले को निबटा देना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि··

श्री उपाध्यक्ष : कल पूछ लेना।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आपने अपनी लायेबिलिटी समझ कर पेमेंट किये हैं वे कर्जे केवल जागीरदारों के खिलाफ ही थे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ये क्लेम्स जो जागीरदारों के थे, कुछ भी था, जैसे फारूख अली खां बाद में जागीर के नवाब बने उनकी गैरंटी स्टेट कौंसिल ने दे दी थी।

श्री भैरोंसिंह : गैरंटी का सवाल नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लिखित रूप में है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हां, लिखित रूप में गैरंटी पेश हुई है, उनको पेमेंट हुआ है कमेटी ने देखा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह नहीं है। जिन क्लेम्स का भुगतान आपने किया है, वे क्लेम्स कर्जे के रूप में किए हैं एक पार्टी ने जिसका नाम इस प्रश्न में आया है, उसने जागीरदारों को दिया था, जागीरदारों को कर्जा दिया, उसकी गैरेन्टी स्टेट ने दी थी?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जिन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेन्ट के आदेश थे या नवाब साहब का वैरीफिकेशन था उनके सामने कर्जे दिए गए थे और जिसमें नवाब साहब ने आर्डर दिया कि कर्जा दिया जाय और उनके क्लाज़ में ऐसा था···

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उनके रिश्तेदारों को भी था और जागीरदार थे, उनके भाई बहन··

श्री भैरोंसिंह : जो कर्जदार थे, जिनको कर्जा दिया गया, केवल जागीरदार ही थे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जागीरदार हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी···

श्री भैरोंसिंह : आपने देखा क्या है? जागीरदार भी नहीं थे केवल नवाब के रिश्तेदार थे जिनकी एक जागीर भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कल इस पर मंत्री महोदय पूरी जानकारी देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कल वक्तव्य दूंगा जागीरदार भी थे, उनके भाई भी थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन पर दया करें, जागीरदारों का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक कह रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान के लॉ डिपार्टमेन्ट ने राज्य सरकार को यह सलाह दी थी कि इसका पैमेंट नहीं किया जाय, यह मामला टाइम-बार्ड है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राज्य सरकार ने लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछा है, उनकी सलाह थी कि दो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के आधार पर यह क्लेम है और उनको दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को लिमिटेशन के प्रश्न पर···

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : हल हो जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूं कि लॉ डिपार्टमेन्ट की फाइल को यहां पर रखा जाय तब जाकर असलियत का पता लगेगा । ऑडिटर जनरल ने इस मामले में एतराज किया वह सदन की मेज पर रखा जाय तब जाकर पता लगेगा ।

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : जागीरदारों के शब्द से ही हमारी सरकार चमकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्योंकि वहां पर चार्जेज हैं, फिक्टीशियस डाक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, सरकार के पास एक दूसरे केस में प्रूव भी हो गया है, तो इनगैरेन्टीज की जैनियुननेस के बारे में आप जांच करवायेंगे ? खासतौर से दूसरा केस पकड़े जाने के बाद अगर जांच करवाई गई हो तो उसका जस्टीफिकेशन दें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्थगित प्रश्न केवल दो ही रह गए हैं।

श्री डूंगाराम: हरिजनों को भूमि अलॉट करने के बारे में एक स्थगित प्रश्न है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 842।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट का समय दे सकता हूं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : 5 मिनट में नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर मैं प्रश्न समाप्त करता हूं ।

प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री अध्यक्ष : तो पांच मिनिट ही लेंगे ।

स्थगित प्रश्न

(26-3-68)

शराब के ठेकेदारों में बकाया की वसूली

842. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शराब के ठेकेदारों में गारंटी सिस्टम की बकाया की जांच करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय

(श्री भैरोंसिह)
अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उस समिति ने किस किस ठेकेदार के विरुद्ध बकाया राशि में कितनी कितनी छूट की सिफारिश की और किन किन की नहीं ?

(3) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया ?

(4) 1966-67 के वित्तीय वर्ष में शराब की बिक्री से राज्य सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

(5) 1-4-67 से 31-12-67 तक इस मद में कितनी आय हुई ?

(6) उपरोक्त धनराशि किस किस ठेकेदार पर कितनी कितनी कब से बकाया चली आ रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(8) राज्य में शराब के ठेकेदारों में सरकार की वसूली योग्य कुल राशि कितनी है?

(9) क्या ठेकेदारों में बकाया की कोई रकम बट्टे खाते डाली गई है ? यदि हां, तो कितनी, किस किस की और कब कब?

उप मंत्री आबकारी (श्री शिवचरण सिंह) : (1) जी हां।

(2) किस किस ठेकेदार के विरुद्ध बकाया राशि में कितनी कितनी छूट की जाय, इस विषयक समिति ने कोई सिफारिश नहीं की।

(3) राज्य सरकार द्वारा समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 1966-67 में शराब की बिक्री से राज्य को 7,84,50,077 रुपए की आय हुई।

(5) 1-4-67 से 31-12-67 तक शराब की बिक्री से 4,66,75,408 रुपए की आय हुई।

(6) दिनांक 30-9-67 को आबकारी बकायात की जिलेवार सूची संलग्न है। व्यक्तिवार बकाया की सूची अधिक लम्बी होने से देना संभव नहीं है।

(7) 24.30 लाख रुपए के मामले राजस्थान लैंड रेवेन्यू अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए सुपुर्द कर दिए गए हैं। 1962-63, 1963-64 व 1964-65 के करीब 45 लाख रुपए के मामलों पर मुखर्जी कमेटी की सिफारिशों के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है। शेष मामलों में वसूली अथवा अपलेखन के लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(8) मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के पश्चात् ही यह मालूम हो सकेगा कि वसूल तलब बकाया राशि कितनी है।

(9) गत तीन वर्षों में 2,03,643 रुपए की धनराशि का अपलेखन किया गया है जिसकी जिलेवार सूची संलग्न है। व्यक्तिवार तथा तिथिवार अप लेखन की सूची प्राप्त की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मुखर्जी समिति नियुक्त करते समय यह निर्णय लिया था कि बकाया के

(श्री भैरोंसिंह)
संबंध में आगे की कार्यवाही स्थगित कर आगे की दी जाय ?

श्री शिवचरण सिंह : मुखर्जी समिति जब नियुक्त हुई थी उस समय जो बकाया थी, उस बारे में समिति · · ·

श्री भैरोंसिंह : सारी कार्यवाही आपने स्थगित कर दी थी, क्या यह सही है ?

श्री शिवचरण सिंह : ऐसा है, अलग अलग ठेकेदारों · · ·

श्री भैरोंसिंह : ऐसा वैसा नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है । जिस समय समिति आपने नियुक्त की थी, सरकार ने निश्चय कर लिया था कि बकाया के संबंध में सब प्रकार की कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायं ?

श्री शिवचरण सिंह : प्रश्न तो सीधा सा है लेकिन आपको समझाने में जोर पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : आप हां या नां कह दें, मैं समझ जाऊंगा ।

श्री शिवचरण सिंह : तीन क़िस्म की बकाया थीं । कुछ बकाया तो रियासतों के इन्टीग्रेशन के समय की थीं, कुछ बकाया 1962 से पहले थीं और कुछ बकायात 1962 से 1966 तक की थीं । जब अलग अलग ठेकेदारों के रिप्रेजन्टेशन्स आए और अलग अलग हालात के तहत सरकार को विचार करना पड़ा कि किस तरह से कितनी कितनी राहत दी जाय तब समिति नियुक्त हुई । अगर समिति भी नियुक्त हुई और वसूली भी जारी रहती तो समिति नियुक्त करने का महत्व ही क्या रहता है ?

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब हां में देते हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : आपकी सारी बात को मैं समझा दूं · · · ·

श्री भैरोंसिंह : जिस रकम का आपने अपलेखन किया है गारंटी सिस्टम की, वह कितनी रकम है ?

श्री शिवचरण सिंह : अलग अलग साल हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप अपलेखन समझते हैं, इसका मतलब है राइट ऑफ ।

श्री शिवचरण सिंह : राइट आफ अभी तक कोई नहीं हुआ है । समिति ने सिफारिश की है और उसने फ़ार्मूला बनाया है, उसके तहत अब उस पर विचार होगा, कितनी रकम किस पर छोड़ी जाय ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब राइट आफ जो रकम की गई है, कोई भी गारंटी की बकाया नहीं थी ?

श्री शिवचरण सिंह : है ।

श्री भैरोंसिंह : जो रकम राइट आफ की गई है उस रकम के अन्दर गारंटी सिस्टम की कोई बकाया शामिल नहीं थी ।

श्री शिवचरण सिंह : यह जो राइट आफ करने की बात है, राइट आफ नहीं की है । वह समिति ने सिफारिश की है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं समिति का नहीं पूछ रहा हूं । आपने स्टेटमेन्ट दिया है, कि इतनी रकम राइट आफ की गई है । जो रकम राइट

(श्री भैरोंसिंह)
आफ की है उसमें गारंटी सिस्टम की बकाया शामिल नहीं थी ?

श्री शिवचरण सिंह : गारंटी सिस्टम की बकाया है लेकिन जो राइट आफ की है 1950 से पहले की है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो स्टेटमेन्ट दिया है उस स्टेटमेन्ट के बारे में पूछ रहा हूं। इस रकम में गारंटी सिस्टम की बकाया शामिल थी या नहीं ?

श्री शिवचरण सिंह : शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि जब 1965 में मुखर्जी समिति नियुक्त हुई और गारंटी सिस्टम के बारे में राज्य सरकार ने समिति से सलाह मांगी तो समिति की सलाह के बिना ही राइट आफ क्यों किया ?

श्री शिवचरण सिंह : जो कुछ रकम राइट आफ हुई है 1950 से पहले की बकाया थी।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि गारंटी सिस्टम की रकम शामिल थी। गारंटी सिस्टम 1963 में इन्ट्रोड्यूस हुआ है।

श्री शिवचरण सिंह: जो रकम राइट आफ हुई है उसमें गारंटी सिस्टम की रकम शामिल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी बात सही मानी जाय ?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री मत्थी सिंह: असल मंत्री जी को आ जाने दो साहब।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मेरा तो प्रश्न रह ही गया साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी नहीं होगी।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह: सप्लीमेन्टरी नहीं करेंगे। 5 मिनट के लिये कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: नो सप्लीमेंटरी।

(श्री राम प्रसाद लड्ढा के प्रश्न के उत्तर पढ़ने पर)

श्री जयनारायण सालोदिया: यह कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे है—जी नहीं, जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जयनारायण सालोदिया।

प्रश्न संख्या 852।

स्थगित प्रश्न

26-3-68

ग्राम निमेड़ा में भूमि का एलाटमेन्ट

852. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील टोंक के गांव निमेड़ा में दिनांक 6-12-67 को जमीन अलाट की गई ? यदि हां, तो वहां कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र थे और उनमें से कितनों को जमीन अलाट की गई और कितने प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये ? सूची नाम वार सदन की मेज पर रखें तथा उसमें यह भी बतावें कि कौन-कौन कहां कहां के रहने वाले हैं ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) क्या यह सच है कि उक्त अलाटमेंट में सरपंच, प्रधान, बी. डी. ओ. आदि कोई भी शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि उनको इस अलाटमेंट की कोई सूचना नहीं थी ? यदि हां, तो क्या वह अलाटमेंट कानूनी माना जावेगा ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) टौंक जिले में तहसील टौंक के ग्राम निमेड़ा में ता. 6-12-67 को तहसीलदार द्वारा भूमि आंवटन की गई। कुल 104 प्रार्थना-पत्र आंवटन हेतु प्राप्त हुए थे। उनमें से 22 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई और शेष 82 प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सच है कि ता. 6-12-67 को तहसीलदार के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य भूमि आवंटन में उपस्थित नहीं था लेकिन समस्त सदस्यों को तहसीलदार द्वारा सूचना दी जा चुकी थी। ऐसी दशा में सदस्यों के अनुपस्थित रहने पर भी आंवटन नियमित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया: यह आपने जो प्रश्न 1 में कहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी देखेंगे कि भूमि अलॉट की गई है। मेरा मतलब स्थानीय व्यक्तियों से है जो स्थानीय 82 व्यक्ति हैं, उन सब को खारिज किया गया है और जो 22 व्यक्ति हैं, ये टोंक के रहने वाले हैं, इनको अलॉट की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि सप्लीमेंटरी न होगी। मैंने कहा कि भूमि का अलॉटमेंट तहसीलदार द्वारा नियमानुसार किया गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या सरकार की यह नीति है कि प्राथमिकता स्थानीय आदमियों को दी जाय ?

श्री **गंगाराम** : नियमों के अन्दर ऐसा प्रावधान है कि अनियमित अगर कोई आवंटन हुआ है तो उसको अपील करने का प्रावधान है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है ?

श्री गंगाराम : मैं इस वक्त कुछ निवेदन नहीं कर सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया: उपाध्यक्ष महोदय, 22 आदमियों को अलाटमेंट किया गया है। ये सब टौंक के रहने वाले हैं। 82 जो स्थानीय आदमी हैं, उनको एक को भी आलाटमेंट नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य: तहसीलदार ने जमीन इसलिये दी है कि उसने रिश्वत खाई है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न कर्ता। आर्डर प्लीज।

राजस्व मंत्री (श्री बृज सुन्दर शर्मा): यह भूमि, भूमि, आवंटन नियमों के अन्तर्गत अलाट होती है और भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत अलाटमेंट गलत हो जाता है तो उसकी अपील के लिये प्रावधान है, उसके अलावा राज्य सरकार का निगरानी करने का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को गलत आवंटन हुआ है तो वह निगरानी स्टेट गवर्नमेंट में दायर की जा सकती है। लेकिन जो नियमों के अन्तर्गत किसी

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
अफसर ने गलत किया है तो ये इतने सारे लोगों की खारिज की हैं, इसके लिये कोई एप्लीकेशन दी जाय कि····

श्री जयनारायण सागोदिया : यह मैं बता तो रहा हूं। 22 लोगों को भूमि दी गई है, ये सब के सब टौंक के रहने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुये।

श्री विजय सिंह रावत: एक सप्लीमेंटरी अध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुये। आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह रावत: तहसीलदार को··

श्री उपाध्यक्ष: आसन अपने पैरों पर है, स्थान ग्रहण करें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें, उत्तर नहीं दिया जायगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फतेह मेमोरियल उदयपुर

1029. **श्री बृजवल्लभ** (दिगोद): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में फतह मेमोरियल में यात्रियों के ठहरने का प्रबन्ध है?

(2) क्या यह सही है कि उसमें यात्रियों को कमरे किराये पर ठहरने के लिये देने की व्यवस्था है?

(3) क्या यह भी सही है कि फहत मेमोरियल के कुछ कमरों में काफी समय से सूचना प्रसार केन्द्र ने अपना दफ्तर खोल रखा है?

(4) क्या यह भी सही है कि उन कमरों में दफ्तर हो जाने से यात्रियों को तकलीफ होती है?

(5) यदि हां, तो यह कमरे कब तक खाली हो जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) तहकीक तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता।

ग्राम गूजूकी में हरिजनों को अलाट की गई भूमि

1032. **श्री गोकुलचन्द** (खैरथल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम "गूजूकी" तहसील व जिला अलवर के दो हरिजन परिवारों को सन 1962 में आवंटन कमेटी ने 10–10 बीघे भूमि अलॉट की थी?

(2) यदि हां, तो उन हरिजनों के नाम क्या हैं?

(श्री गोकुलचन्द)

(3) क्या यह बात सही है कि उन हरिजनों का कब्जा सन् 1962 से बदस्तूर चला आ रहा है.?

(4) क्या यह सही है कि उक्त हरिजनों के नाम उस भूमि का अभी तक नियमन नहीं हुआ है जबकि उक्त ग्राम में अन्य रकबे का नियमन हो चुका है ?

(5) क्या उक्त ग्राम में हरिजनों को आवंटन राजस्थान सरकार के आदेशानुसार हुआ है? यदि हां, तो उक्त ग्राम में कुल कितनी भूमि आवंटन की गई है? उसका चतुर्थ भाग हरिजनों को आवंटित हुआ या नहीं?

उत्तर

1. जी नहीं।
2. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

3. मुताबिक रेकार्ड पटवार सिवाय चक लगानी रकबे पर श्री मनोहरी पुत्र गोपीराम हरिजन का 10।।)3 रकबे पर व श्री सल्लू पुत्र मोरिया हरिजन का 8।।।)3 रकबे पर बहैसियत अतिक्रमी के सन् 1962 से कब्जा चला आ रहा है.।

4. नियमन की कार्यवाही इस कारण नहीं हो सकी इनकी अपील अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर के कार्यालय में चल रही है।

5. इस ग्राम में 222 बीघा रकबा बंजड़ सिवाय चक लगानी था जिसमें से इस हीं ग्राम के माफीदारान को खुद काश्त में 180 बीघा रकबा आवंटन हुआ। शेष रकबे पर अतिक्रमियों के रूप में काश्तकार काश्त कर रहे हैं। इस ग्राम में भू-आवंटन कमेटी द्वारा कोई भूमि किसी दीगर को या हरिजनों को नियमानुसार आवंटन नहीं की गई है.।

चित्तौड़गढ़ जिले में जंगल की नीलामी

1035 **श्री ललितसिंह** (बड़ीसादड़ी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में साल भर पूर्व कोई जंगल नीलाम हुआ था और उस बाबत ठेकेदार की डिपोजिट की रकम भी जमा हो गई थी? यदि हां, तो उस ठेकेदार का क्या नाम है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने सम्बन्धित वर्ष में उस जंगल को नहीं कोटा और उपरोक्त रकम सरकार के पास जमा रही?

(3) क्या यह सही है कि यह जंगल इस वर्ष फिर नीलाम हुआ और किसी अन्य ठेकेदार के नाम छूट गया? यदि हां, तो इस ठेकेदार का क्या नाम है?

(4) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिस ठेकेदार के नाम पर जंगल छूटा उसे जंगल नहीं दिया गया और पहले जिस ठेकेदार के नाम जंगल छूटा था उसे ही दे दिया गया? यदि हां, तो किस के आदेश से?

(5) क्या यह सही है कि जिस ठेकेदार को जंगल दिया गया है उसकी पहले के वर्ष में जमा करायी हुई डिपोजिट जब्त हो जानी चाहिये थी?

(6) क्या यह भी सही है कि रकमे जब्त नहीं की जाकर उसी डिपोजिट पर इस वर्ष उसे ठेका दे दिया गया है.?

उत्तर

1. जी हां, वन विभाग के ठेके प्रतिवर्ष ही नीलाम होते हैं। तदनुसार चित्तौड़ जिले

(वन मंत्री)
के जंगल भी एक वर्ष पूर्व नीलाम हुये थे और उनकी डिपोजिट भी नियमानुसार जमा की गई। जंगल तथा ठेके की वन पैदावार का नाम मालूम होने पर ठेकेदार का नाम बताया जा सकता है।

2. ठेकेदार का विवरण प्राप्त होने पर सूचना दी जा सकती है।

3. जी नहीं।

4. जी नहीं।

5. जी नही।

6. जी नहीं।

पंचायत समिति टोडारायसिंह के विकास के लिए भूमि

1036 **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति टोडारायसिंह को उसके विकास के लिये कितनी भूमि दी हुई है ?

(2) पंचायत समिति की भूमि किस किस नम्बर की कितने कितने बीधा ह ?

(3) उक्त भूमि चाही है या बारानी और अलग अलग है, तो कितनी कतनी ?

उत्तर

1. 250 बीधा।

2. सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. सारी जमीन बारानी ह।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कर्मचारियों के वेतन में अन्तर

1037. **श्री लक्ष्मण तानीवाल** (डग-सु): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमों में नियम 26 ए जोड़े जाने के कारण 1–4–61 के बाद पदोन्नत व्यक्तियों का वेतन 1–4–61 के पूर्व पदोन्नत हुए कर्मचारियों के वेतन से अधिक हो गया यद्यपि 1–4–61 के पूर्व के पदोन्नत व्यक्ति सीनियर थे ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार जिन कर्मचारियों के वेतन कम रह गये हैं उनके मामले सरकार ने विचारार्थ मांगें हैं ? यदि हां, तो कितने इस प्रकार के मामले सरकार के पास विचारार्थ प्रस्तुत हुए हैं ? और उनमें झालावाड़ जिले के कितने हैं ?

(3) झालावाड़ जिले से प्राप्त कितने कितने मामले किस किस विभाग के हैं और इन मामलों में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

(4) सरकार इस प्रकार के मामलों में आवश्यक सुधार करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सही नहीं है। नियम 27(ए) के अंतर्गत प्रोबेशनर ।एप्रेन्टिसं का वेतन निर्धारित होता है अतः उक्त नियम के कारण 1–4–61 के बाद पदोन्नत हुये कर्मचारियों का वेतन 1–4–61 के पूर्व पदोन्नत हुये कर्मचारियों के वेतन से अधिक होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) सही नहीं है। उक्त नियम के अंतर्गत मामलों को विचारार्थ मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की उपलब्धि

560. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें से किस किस मद में कितनी कितनी कमी आई है? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि की दृष्टि से कृषि उत्पादन, सिंचाई, बिजली के मदों में कितनी कमी आई है?

(3) सिंचाई सम्बन्धी बड़ी, छोटी और मंझली योजनाओं के विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तृतीय पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उनमें से जिस जिस मद में अतिरिक्त लक्ष्य के मुकाबले कमी आई उनको सदन की मेज पर प्रस्तुत तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 147 से 224 पर निशान लगा कर दर्शाया गया है। कृपया अवलोकन करें।

(2) वांछित सूचना तालिका के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सदन की मेज पर प्रस्तुत तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रगति प्रतिवेदन (1961-66) के पृष्ठ 278 से 286 तक वांछित सूचना उपलब्ध है। कृपया अवलोकन करें।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा में पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान नहर परियोजना हेतु मूल्यांकन समिति का गठन

561. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार जयपुर): क्या राजस्थान नहर परियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राजस्थान नहर परियोजना के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन किया था? यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस समिति का गठन कब किया गया और इसमें कौन कौन सदस्य थे तथा इस पर कुल कितना खर्चा किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस समिति का गठन 18 मई, 1966 में किया गया था तथा इसमें निम्नांकित सदस्य हैं।

(1) आयुक्त उपनिवेशन विभाग बीकानेर ... सदस्य

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)

(2) शासन सचिव, राजस्थान नहर परियोजना विभाग संयोजक

(3) उप सचिव, योजना विभाग सदस्य

इस समिति पर कोई चर्चा नहीं हुयी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

562. **श्री बनवारीलाल** (धौलपुर): क्या वित्त एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अभी कुछ माह पूर्व जयपुर में कितने कर निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है तथा उनकी क्या क्या योग्यता थी?

(2) क्या यह सही है कि अधिक योग्य उम्मीदवारों को न रखकर कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को रखा गया है? यदि हां, तो उसका क्या कारण है?

(3) क्या जिन कर निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी उनके लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था? अगर नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब आगे से समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने का विचार रखती है?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

जिला जालोर का सिंचित क्षेत्र

563. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर की तहसील जालोर व भीनमाल में 1956 से 1967 तक हर साल सिंचित क्षेत्र बढ़ा है? अगर हां, तो 1956 में सिंचित क्षेत्र कितना था और बढ़कर 1967 में कितना हुआ? कृपया गांव-वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन तहसीलों में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं?

उत्तर

(1) जी हां, केवल भीनमाल तहसील के बीथान बांध द्वारा सन् 63—64 से सिंचाई प्रारम्भ हुई। बढ़ोतरी के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

ग्रामवार व वर्षवार सिंचाई इस प्रकार है:—

तहसील	ग्राम	63-64	64-65	65-66	66-67
भीनमाल	रार्मसिंह	—	509	—	790
भीनमाल	बीथान	449	589	—	98
		449	589	—	888

तहसील जालोर में कोई सिंचाई नहीं होती है।

2. बीथान बांध व कुए आदि से।

पंचायत समिति टोडारायसिंह में कापर इंजन

564. **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोडारायसिंह पंचायत समिति के पास कापर इंजन कितने हैं?

(2) ये इंजिन कहां कहां काम में आ रहे हैं?

(श्री जगन्नाथ)

(3) इन इंजिनों से 31-3-67 से 29-2-68 तक कितनी आमदनी हुई? और इस अवधि में इनसे कितना खर्चा हुआ?

उत्तर

(1) आठ कूपर इंजिन हैं।

(2) एक इंजिन पंचायत समिति कार्यालय के पीछे की जमीन में बगीचे की सिंचाई के लिए स्थाई रूप से लगाया हुआ है। तीन एंजिन चालू रबी की फसल के समय गांव रलावता व चन्दपुरा में जहां 35 एकड़ में विसकन गेहूं में सिंचाई करनी थी, किराये पर रहे। बाकी एंजिन सिंचाई के काम के लिए काश्तकारों को किराये पर दिये जाते रहे हैं।

(3) आमदनी 2,718.24 पैसे हुई व खर्चा 2,279.37 पैसे हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 5,400) रु. गांव रलावता एवं चन्दपुरा के सम्बन्धित काश्तकारों से जिन्स के रूप में प्राप्त होगा।

सुरास विकास पंचायत के चुनाव

565. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माडलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील की सुरास पंचायत लम्बे समय से काम नहीं कर रही है? यदि हां, तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है और अब तक चुनाव नहीं करने के क्या कारण हैं?

(2) सुरास विकास पंचायत में पंचों के चुनाव जल्दी ही कौनसी तारीख को होंगे?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत कार्य कर रही है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

566. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में पंचायत समितियों का वर्गीकरण किया गया है?

(2) अगर हां, तो वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र का कृषि उत्पादन या पशुपालन अथवा दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होना वर्गीकरण का आधार है।

शक्कर वितरण सम्बन्धी शिकायतें

567. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिलाधीश कार्यालय पाली, डी. एस. ओ, पाली एवं तहसीलों में शक्कर वितरण सम्बन्धी 1-1-67 से आज दिन तक कुल कितनी कितनी शिकायतें पेश हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों के क्या क्या नतीजे दिये गये?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची प्रश्न भाग 1 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में कन्ट्रोल की चीनी का वितरण

568. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिला में मिश्री, पतासा मिष्टान्न आदि (Confectionery) बनाने के लिये कुल कितनी पार्टियों को कितनी कितनी शक्कर कंट्रोल से दी जाती रही है ? कृपया 1-1-67 से आज तक की विगतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य कुछ सहकारी समितियां भी करती हैं ? यदि हां, तो उक्त सहकारी समितियां को क्या क्या विशेष राहत प्रदान की जाती है ?

उत्तर

(1) सूची लग्न है।

(2) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिमला पंचायत एवं अलसीसर पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट

569. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सरदारशहर, जिला चूरू की शिमला पंचायत और अलसीसर पंचायत का गत दो वर्ष में आडिट कब कब हुआ ? कृपया आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध राज्य सरकार के पास कोई शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

प्राथमिक शालाएं पंचायत समिति नोखा

570. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा सु.): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नोखा के अधीन कितनी प्राथमिक शालायें हैं वे किन किन गांवों में हैं ?

(2) उन प्राथमिक शालाओं में कुल कितने अध्यापक किस किस जगह पर इस वक्त कार्य कर रहे हैं ?

(3) किस किस स्कूलों में छात्रों की संख्या कक्षावार कितनी कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम किशनासर बास उत्तरादा में स्कूल भवन जनता द्वारा बनाए जाने के बाद भी आज तक स्कूल नहीं खोली गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका उल्लेख किया हुआ है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में इसका भी उल्लेख किया हुआ है।

(4) जी नहीं। पंचायत समिति द्वारा शाला चालू करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति डीडवाना में ट्रैक्टर की खरीद

521. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति डीडवाना के कोष में से कभी पंचायत समिति के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को रुपये दिये गये थे ? यदि हां, तो कब कितने रुपये किस व्यक्ति को किस प्रकार के ट्रैक्टर के लिए और समिति के किस बजट हैड से दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ट्रैक्टर खरीदने के लिए समिति ने कब प्रस्ताव पास किया तथा किस कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदना था ?

(3) उक्त रुपये के बाद समिति ने ट्रैक्टर की डिलीवरी कब किस अधिकारी के द्वारा कहां पर ली और ट्रैक्टर के साथ क्या क्या सामान था तथा कुल कितने रुपये ट्रैक्टर के लिए दिये गये ?

(4) उक्त ट्रैक्टर खरीदने के लिए समिति की ओर से कब टेन्डर मांगे गये तथा किस किस का टेन्डर कितने कितने रुपयों का कौन कौन से ट्रैक्टर का प्राप्त हुआ था और उनमें किसका किसके द्वारा कितने रुपयों का स्वीकार किया गया ? सूची मय टेन्डर नोटिस, आये हुए टेन्डरों व टेन्डर स्वीकृति के आदेश व सप्लाई करने के आदेश की प्रतियों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) समिति ने उक्त ट्रैक्टर को कितने समय तक रखा और उसको किस कार्य में लिया ?

(6) क्या उपरोक्त कार्यवाही से समिति को किसी प्रकार का कोई नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितने रुपयों का और उसका जिम्मेवार किसको ठहराया गया ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

लाखेरी के नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता

572. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु.) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 14 जनवरी 1967 को ए. सी. सी. कम्पनी लाखेरी के साथ यह एग्रीमेन्ट हुआ था कि कम्पनी में लाखेरी नगर के नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी ? यदि हां, तो कम्पनी के किस किस विभाग में लाखेरी के कितने कितने व्यक्तियों को किस किस पद पर नौकरी दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या एग्रीमेन्ट के अनुसार कम्पनी ने लाखेरी के नागरिकों को प्राथमिकता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां ए. सी. सी. कम्पनी लाखेरी का लाखेरी गांव वालों के साथ दिनांक 14 जनवरी 1947 को एक समझौता हुआ था जिसकी संबंधित शर्त निम्न प्रकार थी:—

"लाखेरी गांव वालों को कम्पनी में नौकरी देने के लिये तथा कुशल कामगारों के लिये उम्मीदवारों के चुनाव में य द सभी चीजें समान हो तो, तरजीह दी जायेगी।"

कम्पनी के विभिन्न विभागों में जितने व्यक्तियों को जिन पदों पर 1947 से अब तक नौकरी दी गई उसकी सूची निम्न प्रकार है:–

विभाग	पद	सं.
1	2	3
प्लान्ट	जूनियर इन्जीनियर	1
	एप्रेटिस इन्जीनियर	1
सिविल इन्जी-	मेसन	1
नियर	मजदूर	65
पेकिंग प्लान्ट	मजदूर	45
एकाउन्ट्स औफिस	क्लर्क	2
टाईम औफिस	क्लर्क	1
	चपरासी	3
वर्क शाप	क्लर्क	1
	टर्नर	1
	हेल्पर	3
	ब्लेकस्मिथ	1
	कारपेन्टर	1
	मजदूर	17
लेबोरेटरी	मजदूर	2
जनरल स्टोर्स	मजदूर	7
	हेल्पर	1
	इशअर	2
इलेक्ट्रिकल	असि. वायर मैन	1
विभाग	मजदूर	4
होस्पीटल एन्ड	कम्पाउन्डर	1
सैनीटेशन	मजदूर	3
	स्वीपर	1
स्कूल	अध्यापक	1
	क्लर्क	1
	चपरासी	1
किलन	मजदूर	1
ग्रेन शोप	क्लर्क	2
पावर हाउस	मजदूर	1
इरेक्शन गेंग	ब्लेकस्मिथ	1
	कुल	173

इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा कम्पनी की आवश्यकताओं के अनुसार समय 2 पर लाखेरी गांव वालों को बतौर आकस्मिक श्रमिक अस्थायी नौकरी दी गई है। लाखेरी गांव वालों को बतौर एप्रेन्टिस के प्रशिक्षण हेतु भी कम्पनी द्वारा समय समय पर रखा गया है।

कम्पनी द्वारा लाखेरी के नागरिकों को दूसरी चीजें समान होने पर तथा विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत तथा एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज स्कीम के दायित्व के अनुसार प्राथमिकता देना बताया गया है?

(2) कम्पनी द्वारा लाखेरी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता देने संबंधी समझौते की पालना के सम्बन्ध में लाखेरी गांव वालों और कम्पनी के मैनेजमेन्ट में मतभेद है। लाखेरी नागरिकों का जहां यह कहना है कि उन्हें प्रारम्भ के कुछ वर्षों को छोड़कर बाद में प्राथमिकता नहीं दी गई वहां मैनेजमेन्ट का कहना है कि उन्होंने समझौते की शर्त का बराबर पालन किया है।

ग्राम असनावर में ट्रेसपासर्स के मामले

573. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) असनावर ग्राम, जिला झालावाड़ में जमीन काश्त करने वाले कितने खातेदार हैं और उनसे कितना लगान वसूल होता है?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(2) असनावर ग्राम में कितने ट्रेस-पासर्स के केस सन् 1966-67 में हुये ?

(3) इन ट्रेस पासर्स के मामलों में सन् 66 व 67 में कितना रुपया जुर्माना किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि खातेदारों को मौके पर जमीन पटवारी ने कमी नापकर नहीं बताई ?

उत्तर

(1) असनावर के ग्राम जिला झालावाड़ में भूमि काश्त करने वाले 291 खातेदार हैं जिनसे 6651-58 पैसा लगान का वसूल होता है।

(2) असनावर ग्राम में ट्रेस पासर्स के सन् 1966 सं. 2023 में 105 तथा सन् 1967 सं0 2024 में 108 केसेज दर्ज हुए हैं।

(3) इन ट्रेस पासर्स के मामलों में सं0 2023 के केसेज में 969.75 पैसे तथा सं0 2024 केसेज में 1679.20 पैसे जुर्माना किया गया है।

(4) खातेदारान की ओर से भूमि के पैमायश कराये जाने बाबत सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश होने पर जो आदेश प्रदान किया जाता है उसकी पालना तहसील से प्राप्त होने पर पटवारी द्वारा की जाती है एवं पटवारी द्वारा खातेदारान को कोई भूमि नाप कर नहीं बतलाई जाती।

त्रिवेणी संगम दीगोद के किनारे एलॉट की गई जमीन

574. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गणपतिलाल वर्मा के नाम पर त्रिवेणी संगम दीगोद के किनारे कितनी जमीन है ?

(2) क्या उन्होंने खेती उतनी ही जमीन पर की है जितनी उनके नाम पर दर्ज है या अधिक जमीन पर की है ? यदि अधिक जमीन पर की है तो क्यों और कितनी जमीन पर ?

(3) क्या उनकी भूमि त्रिवेणी से जहाजपुर जाने वाली सड़क में कटी है ? यदि कटी है तो कितनी कटी है ? जितनी जमीन सड़क में आई है उसका मुआवजा कितने रुपयों का बना ?

(4) मुआवजे के रुपये उन्हें दे दिये गये हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि श्री गणपतिलाल के नाम पर खाचरोल के पास गत दो वर्षों में कोई जमीन एलॉट हुई है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(6) क्या जो भूमि एलॉट हुई है वह कमान्ड एरिया की है ? यदि हां, तो क्या कमान्ड एरिया की जमीन एलॉट करने का अधिकार एलाटमेन्ट कमेटी को है ?

उत्तर

(1) श्री गणपतिलाल वर्मा के शामिलाती खाते मौजा बरखेड़ा में 58 बीघा

(राजस्व मंत्री)

3 बिस्वा 4 बिस्वांसी भूमि थी जिसमें रामप्रसाद मोतीलाल नित्यानन्द के संयुक्त खाते थे।

(2) श्री वर्मा ने अपने हिस्से की भूमि पर ही काश्त की है और अतिरिक्त भूमि पर नहीं।

(3) संयुक्त भूमि में से त्रिवेणी जहाजपुर जाने वाली सड़क में 6 बीघा 1 बिस्वा 4 बिस्वांसी भूमि ली है उक्त जमीन के मुआवजे के रूप में भूमि दी गई।

(4) मुआवजे के रुपये देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मुआवजे के रूप में भूमि दी गई है।

(5) श्री वर्मा जी के नाम पर खांचरोल के पास कोई जमीन 2 गत वर्षों में अलाट नहीं हुई है। बल्कि जिलाधीश के आदेश सं. 1307 दिनांक 16-7-65 के अनुसार सड़क में कहीं भूमि के मुआवजे के बदले 12 बीघा भूमि दी गई है।

(6) उपरोक्त 12 बीघा भूमि जो मुआवजे के एवज में सन् 65 में दी गई थी उस समय वह क्षेत्र कमांडेड एरिया में नहीं था।

चूरू जिले में पडत भूमि का एलाटमेन्ट

575. **श्री मेघराज पंवार** (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले के किन किन गांवों में कितनी कितनी कृषि भूमि पडत राज के रूप में खाली पड़ी हुई है ? और कितने कितने वर्षों से खाली है ? इस भूमि को अब तक एलाट न किये जाने का क्या कारण है ?

(2) चूरू जिले में एक सौ बीघा से कम क्षेत्रफल वाले बीड़, जोहड़ पायतन (जिसमें पानी नहीं ठहरता है) चरागाह इत्यादि के कितने भूमि क्षेत्र हैं जिनका कोई सार्वजनिक प्रयोग मालगुजारी कानून के अन्तर्गत नहीं है ? गांववार अलग अलग बीघों में बतलाने की कृपा करें।

(3) क्या ऐसे रकबे को सरकार भूमि हीन लोगों को एलाट करने की कोई योजना रखती है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले के 124 ग्रामों में 224651।।) 4 बीघा कृषि भूमि पड़त राज के रूप में खाली पड़ी हुई है जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर आवंटित की जा रही है। तहसीलवार सूची (क) संलग्न है।

(2) चुरू जिले में एक सौ बीघा से कम क्षेत्रफल वाले जोहड़ पायतन 1174।।।)2 बीघा भूमि क्षेत्र में है जिनका कोई सार्वजनिक उपयोग मालगुजारी कानून के अन्तर्गत नहीं होता। इस जिले में बीड़, बणी चरागाह के नाम से कोई भूमि सौ बीघा से कम क्षेत्रफल में नहीं है। गांववार सूची (ख) संलग्न है।

(3) जी हां, भूमि की किस्म परिवर्तन होने के बाद भूमि इन व्यक्तियों को अलाट की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिवाय चक जमीन का एलाटमेन्ट

576. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमका थाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 878 ग्राम गनेश्वर, तहसील नीम का थाना की जमीन सिवाय चक (सरकारी जमीन थी)?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(2) क्या यह सही है कि यह जमीन सूवालाल महाजन गनेश्वर को एलाटमेन्ट कमेटी द्वारा एलाट की गई है ? यदि हां, तो कब ? एलाटमेन्ट के समय कौन कौन सदस्य उपस्थित थे और आदेश में किस किस सदस्य के हस्ताक्षर हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सूवालाल जिसको यह जमीन एलाट की गई है, भूमिहीन काश्तकार नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि यह जमीन बगीचा लगाने के लिए एलाट की गई थी और आज तक इसमें कोई वृक्ष नहीं लगाये गये हैं ?

(5) बगीचा लगाने की शर्त के उल्लंघन के कारण सरकार अब क्या कार्यवाही करेगी ?

(प्रश्न स्थगित किया गया)

भूतपूर्व सनिकों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटक

577. **श्री आईदान सिंह** (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिये राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन का प्रावधान रखा था ? अगर हां, तो आज तक कितनी दरख्वास्तें पेश हुई हैं ?

(2) इस में पहली दरख्वास्त कब पेश हुई थी ?

(3) आज तक कितनी भूमि आवंटन कर दी गई है ?

(4) यह भूमि कितने भूतपूर्व सैनिकों में आवंटन की गई है ?

(5) कितनी भूमि अब सुरक्षित रखी गई है जो भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन की जायेगी ?

उत्तर

(1) भारत पाक सीमा पर भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के विचार से राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ भूमि उनके लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया था किन्तु राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1967 में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के कुल 19409 आवेदन उपनिवेशन कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

(2) सबसे पहली दरख्वास्त दिनांक 25-1-61 को प्राप्त हुई थी ?

(3) क्योंकि दिसम्बर, 1967 में पारित नियमों में भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई भूमि आरक्षित नहीं हुई है और नियम नहीं बने हैं इसलिए अब तक कोई भूमि भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन नहीं की गई है।

(4) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसका उत्तर प्रश्न सं० (3) के उत्तर में आ गया है।

(5) भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन करने के लिए अब कोई भूमि सुरक्षित नहीं है।

मुआवजा बोंड्स का विवरण

578. **श्री पृथ्वी सिंह** (बाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिलाधीश के कार्यालय में किन किन भूतपूर्व जागीरदारों के कितनी 2

(श्री पृथ्वीसिंह)

लागत के मुआवजा बोंड किस किस तारीख से पडे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त बोंड जागीरदारों को वितरित करने की कलेक्टर की क्या योजना है ? क्या बोंड लेकर बाबू एस. डी. ओ. के दफ्तरों में वितरण हेतु बराबर जाते हैं ? अगर हां, तो कितने दिनों से जाते हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले में फरवरी सन् 1968 के अन्त तक 3466 बोण्ड्स भूतपूर्व जागीरदारों के नाम के पडे हुए हैं। कितनी लागत के बोन्ड्स किस किस तारीख से पड़े हुवे हैं इसका विवरण अभी तक तहसीलों से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) राज्य सरकार के द्वारा जो नया सेट-अप काम के लिये बताया गया था तदनुसार बोन्ड्स का वितरण तहसीलदारों द्वारा करवाये जाने का प्रावधान है । इस कार्य के लिये प्रत्येक सब डिवीजन में एक वरिष्ठ लिपिक जिला मुख्यावास पर रहता है और निश्चित दिनों में सब डिवीजन एवं तहसील मुख्यावास पर जाकर बोन्ड्स का वितरण करते हैं ।

स्थगित प्रश्न

(18-3-68)

तहसील खेरवाडा में भूमि का एलाटमेंट

285. **श्री विद्यासागर** (खेरवाडा सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

(1) खेरवाडा तहसील, जिला उदयपुर में सन् 1965 जनवरी से सन् 1967 दिसम्बर तक भूमि एलाटमेंट कमेटी की बैठकें कहां कहां किन किन तारीखों में हुई ?

(2) एलोटमेंट कमेटी की बैठकों में कौन कौन व्यक्ति कहां कहां उपस्थित थे ?

(3) किन किन पंचायतों में किस किस व्यक्ति को भूमि एलाट की गई ? क्या जिन व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई उन्हें पटवारियों द्वारा जमीन नाप कर पानड़ी दे दी गई है ?

(4) यदि हां, तो गांव व पंचायत सर्किलवाइज किन किन व्यक्तियों को कितनी बीघा जमीन किस नम्बर की नाप कर पानड़ी दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है ।

(2) सूची (क) के खाना नं० 2 में अंकित है ।

(3) संलग्न सूची (ख) के खाना नं० 4 व 7 में अंकित है ।

(4) सूची क व ख संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(19-3-68)

मृत सैनिक के परिवार को सरकार द्वारा सहायता

302. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुंदा सु.) : क्या राजस्व (सैनिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कूआर्सी निवासी बिलक तहसील खेरवाड़ा, जी. डी.

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
आर. में सैनिक था ? और उसके पेट का आपरेशन 1966 में विक्टोरिया होस्पीटल अजमेर में हुआ था और वहीं उनकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कब व कैसे ? सरकार ने उनकी जीवन रक्षा के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए ?

(2) क्या यह सही है कि मृत सैनिक के परिवार वालों ने तहसीलदार खेरवाड़ा की सेवा में सहायतार्थ प्रार्थना की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) मृत सैनिकों के आश्रितों के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और इनके अनुसार मृत रूपसी के परिवार को अब तक राज्यस्तर से सहायता क्यों नहीं दी गई ?

(4) कब तक उस परिवार को राहत मिल जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री रूपजी 1964 से बीमार थे और नसीराबाद में मिलट्री अस्पताल में 15-6-1966 तक जेर इलाज रहे। 15-6-1966 को नसीराबाद अस्पताल द्वारा यह केस विक्टोरिया हास्पिटल अजमेर को भेजा गया (रेफर किया गया)। वहां उनकी पूरी तरह देखभाल और उचित चिकित्सा की गई कि उनकी सामान्य स्थिति में सुधार हो। 19-6-66 तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने पर 20-6-1966 को श्री रूपसी के पेट का आपरेशन किया गया एवं 21-6-1966 को प्रातः 11.45 पर पैरीटिनोनिटिस के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा केवल मोर्चे पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले आहतों अथवा विकलांग सैनिकों को ही विशेष सहायता, सुविधायें, अनुदान एवं भूमि आवंटन प्रदान की जाती हैं।

अन्य किसी मामले में कोई विशेष सुविधा प्रदान की जाने का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ऐसे मृत सैनिकों को विशेष सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(19-3-68 व 26-3-68)

ग्राम पंचायतों को भूमि का आवंटन

292. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायतों को 15 बीघा प्रति पंचायत के हिसाब से समूचे राजस्थान की ग्राम पंचायतों को भूमि काश्त के लिये या कृषि फार्म के लिये मुस्तकिल एलाट कर दी गई है ?

(2) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कितनी पंचायतों को भूमि दी गई और कितनी बाकी रही है ?

(3) क्या पंचायत समितियों को भी कृषि फार्मों के लिये भूमि एलाट की गई है ?

(4) यदि हां, तो कुल कितनी पंचायत समितियों को और कितनी कितनी भूमि एलाट की गई है ?

(श्री हंसराज आर्य)

(5) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायतों को 15 बीघा प्रति पंचायत के हिसाब से भूमि आवंटन करने के लिये कार्यवाही जारी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) भूमि आवंटन की कार्यवाही जारी है जिसका उल्लेख सूची में कर दिया गया है।

(4) सूची में सूचना दे दी गई है।

(5) भूमि आवंटन नहीं करने के निम्नलिखित कारण हैं :

(क) राजकीय बिला कब्जा पडत भूमि का ग्राम पंचायत के समीप उपलब्ध न होना।

(ख) ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा मांग नहीं करना।

(ग) ग्राम पंचायत क्षेत्र में सिवायचक काबिल काश्त भूमि का उपलब्ध न होना।

(घ) जहां तक चूरू जिले का प्रश्न है 17 पंचायतों ने भूमि आवंटन होने के बावजूद भी कब्जा नहीं लिया। 5 पंचायतें भूमि लेने से इन्कार हो गई।

(ङ) जिला जालौर में 208 पंचायतों द्वारा भूमि लेने की मांग नहीं की गई अत: उन्हें भूमि आवंटन नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

(12.45 म. प.)

वित्तीय समितियों के संबंध में घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : समिति के चुनावों के संबंध में घोषणा।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आर्डर प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि आवंटन संबंधी जो कमेटी बनाई जाती है, फिर उसका क्या महत्व है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति, 1968-69, प्राक्कलन समिति, 1968-69 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1968-69 के चुनावों के हेतु निम्नलिखित उम्मीदवार नामजद किये गये हैं :—

जन लेखा समिति :

1. श्रीमती गौरी पूनिया वि. सं. 33

श्री भैरोंसिंह : 'नाम जद' नहीं, नामांकन पत्र प्रस्तुत हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री रामकिशन : 'नामजद' के स्थान पर 'नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं' होना चाहिये।

Page No. 54

श्री उपाध्यक्ष : इतने नोमीनेशन पेपर्स प्राप्त हुये हैं :—

जनलेखा समिति :—

		वि. सं.
1.	श्रीमती गौरी पूनिया ..	33
2.	श्री गिरधारी लाल व्यास	27
3.	श्री रघुनाथ विश्नोई	221
4.	श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)	17
5.	श्री गोकुल चन्द ..	30
6.	श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ)	56
7.	श्री पुखराज कालानी	72
8.	श्रीमती कान्ता कथूरिया ...	13
9.	श्री कृष्णकुमार गोयल ..	16
10.	श्री रामानन्द अग्रवाल ..	137
11.	श्री भैरोंसिंह शेखावत ..	97
12.	श्री नत्थी लाल ..	59
13.	श्री जयनारायण सालोदिया	39
14.	श्री सहदेव शर्मा ..	166
15.	महारावल श्री लक्ष्मण सिंह	143
16.	श्री लादूराम सुलानिया ..	146

प्राक्कलन समिति :—

1.	श्री मजलिस खां ..	98
2.	श्री रामकुमार नन्दवाना ..	127
3.	श्री दीपचन्द छंगानी ..	49
4.	श्री राम नारायण ..	133
5.	श्री नाथूराम ..	65
6.	श्री जवाहर मल ..	41
7.	श्री कालूराम आर्य ..	15
8.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत	144
9.	श्री जुझार सिंह ..	43
10.	महाराज श्री केसरीसिंह हाडा	21
11.	श्री देवीदत्त गाडिया ..	52
12.	श्री विट्ठल भाई ..	150
13.	श्री रामानन्द अग्रवाल ..	137
14.	श्री मोहनलाल मोदी ...	117
15.	श्री नत्थी लाल ..	59
16.	श्री हरि वल्लभ शर्मा ..	179
17.	श्री परसराम गंगाराम ..	69
18.	राजकुमार श्री दिग्विजयसिंह	48
19.	ठाकुर श्री विजय सिंह मकराना	149
20.	श्री शम्भूराम पटेल ..	155

राजकीय उपक्रम समिति :—

1.	श्री मनफूलराम ...	103
2.	श्री निवास शारदा ..	162
3.	श्री बीरबल ..	88
4.	श्री गोकुल प्रसाद शर्मा ..	31
5.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा ..	55
6.	श्री वृद्धि चन्द्र जैन ..	86
7.	श्री नत्थी सिंह ..	60
8.	श्री कृष्ण कुमार गोयल ..	16
9.	श्री रामानन्द अग्रवाल ..	137
10.	श्री रोशन लाल ..	141
11.	डा. श्री हरि प्रसाद ..	178
12.	श्री भैरोंसिंह शेखावत ..	97
13.	श्री गोरधन सोनी ..	32
14.	श्री पृथ्वी सिंह ..	75

जो माननीय सदस्य अपना नाम वापिस लेना चाहें, वे सदन में वक्तव्य द्वारा जिसमें केवल इस तथ्य को ही व्यक्त किया जाना चाहिये, दिनांक 3 अप्रेल, 1968 को 2.30 बजे मध्यान्होत्तर तक वापिस ले सकते हैं।

स्थगन प्रस्तावों संबंधी व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ व श्री रामकिशन, सदस्य, विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा राज्य के व्यापारियों के दबाव में आकर कृषि उपज मंडियों के कार्य को

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थगित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जानी संभव नहीं होगी। किन्तु फिर भी क्योंकि इसका संबंध कृषि वर्ग से है और उसमें असन्तोष फैल जाना बतलाया गया है, अतः यह उपयुक्त होगा यदि कृषि मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देने की कृपा करें।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री शिवनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बिडला एज्यूकेशन ट्रस्ट पिलानी व अन्य बिडला संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हडताल तथा शिक्षण संस्थानों के बन्द हो जाने का उल्लेख किया है।

यह मामला अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा। चूंकि शिक्षण संस्थायें दो माह से बन्द होना बतलाया जाता है अतः यह उपयुक्त होगा यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या कल वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री केशरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि दिनांक 22-3-68 को श्री अब्दुल गफूर रमन कादरी एवं हाफीज खलिया वगैरा ने एक नाबालिग लडकी का निकाह उसके माता पिता की बगैर इजाजत से कर दिया है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना लक्ष्मन तानीवाल, श्री महेन्द्रसिंह, श्री हरलालसिंह, श्री लाभचन्द वैद व श्री अम्बालाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बतलाया है कि दिनांक 21-3-68 को अस्नावर के पास ग्राम बरोदिया में सेठ बसन्तीलाल जैन के यहां करीब 30-35 डाकुओं ने गोलियां चला कर लगभग 80 हजार रुपये लूट लिये।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हरजीराम बुरडक, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री रामसिंह कूडी, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें बतलाया गया है कि दिनांक 26-3-1968 की रात्रि में श्री चैनाराम ने, जो प्रधान पंचायत समिति डीडवाना भी है, कस्बा डीडवाना में कसाइयों के घरों के पास मदरसे की जमीन पर अपने सहयोगियों के जरिए नाजायज कब्जा कर लिया और इस नाजायज कार्य में पुलिस द्वारा सहयोग दिया गया।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाय। इसके अतिरिक्त इनका संबंध राज्य में लॉ एन्ड आर्डर की व्यवस्था से है, अतः इनको सदन में उठाये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरडक, श्री केदारनाथ व श्री आलम अली, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें फलोदी कस्बे में ताजिया निकालने पर इजाजत देने में

(श्री उपाध्यक्ष)

बाधा डालने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी की गई तो यह बतलाया गया है कि कस्बा फलौदी में अल्प संख्यकों को मोहर्रम का जलूस निकालने के विषय में किसी भी व्यक्ति या अधिकारी द्वारा बाधा डालने की बात सही नहीं है। अतः इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जाना संभव नहीं होगा।

इसके अलावा और जो स्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में राज्य सरकार से जानकारी चाही गई है वह प्राप्त होने पर उनके बारे में व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह बडा ही महत्व-पूर्ण है बूंदी में इस कारण हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों में उत्तेजना फैली हुई है। यदि इस बारे में गृह मंत्री जी वक्तव्य दे दें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नाबालिग लडकी का विवाह होने से और वह भी बिना माता पिता की इजाजत के होने से हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये यह गैर वाजिब है।

श्री० रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव 'लोकवाणी' के संबंध में दिया था जिसमें सहकारी विभाग के द्वारा जाली दस्तावेजात तैयार करने की बात थी एवं उसमें यह बात जाहिर की गई थी कि वे दस्तावेजात जो उनसे संबंधित हैं उनको इधर उधर करने की चेष्टा हो सकती है अतः उनको तुरन्त कब्जे में लिया जाय। उस पर फौरन कार्यवाही की आवश्यकता थी।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वाद विवाद होगा उस वक्त आपको अवसर दिया जायगा आप इस पर कह सकेंगे।

श्री रामानन्द : माननीय मंत्री महोदय तैयार हो जायं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न की मैंने और श्री सतीशचन्द्र जी दोनों ने इस बात की सूचना दी थी कि हमारे विधान सभा में प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी का चित्र है, हिन्दुस्तान के राष्ट्रपतियों का चित्र है लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन का चित्र नहीं है जो व्यक्ति इस समय हिन्दुस्तान में सर्वोच्च पद पर है उनका कोई भी चित्र नहीं लगाना समझ में नहीं आता। इससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति है जो सेकुलरिज्म का केवल नारा लगाती है और जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है लेकिन उसके विपरीत आचरण करती है। इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण होना चाहिये। भूतपूर्व राष्ट्र-पतियों और प्रधान मंत्रियों के जब चित्र हैं तो वर्तमान राष्ट्रपति का चित्र क्यों नहीं है। यहां पर ऐसे भी चित्र हैं जो अंग्रेजी के समर्थक रहे हैं। लेकिन जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया और जो आज भारत के राष्ट्र-पति पद पर आसीन हैं उनका चित्र नहीं लगाये जाने का क्या कारण है? राज्य सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाय तो उसके बाद फिर दूसरे मुद्दे पर प्रकाश डालूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को आप यहां न उठायें तो अच्छा है। यह विधान सभा का प्रांगण है इसमें अध्यक्ष को अधिकार है।

(श्री उपाध्यक्ष)
मैं जहां तक जान पाया हूं राष्ट्रपति महोदय का चित्र उनके एप्रूवल के लिये गया हुआ है उनका जब एप्रूव्ड चित्र आ जायगा तब लगा दिया जायगा।

श्री **रामकिशन** : यह सचिवालय से संबंधित मामला नहीं है बल्कि यह सरकार और भारत सरकार से ताल्लुक रखने वाला है। आज ऐसा वर्ग इसमें है जो जाति और धर्म के कठघरे में बन्द है। यहां भी जाति और धर्म के नाम से कठहरे बने हुए हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : इसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध विधान सभा से है।

(1 म. प.)

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: सरकार ने चित्र प्रस्तुत कर दिया था। अब स्टेटमेन्ट आने पर ही तथ्यों का पता लगेगा कि यहां वे क्यों नहीं लगे।

श्री **मुकुटबिहारी लाल गोयल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, जब दूसरे प्रधान मन्त्री का फोटो है। राष्ट्रपति का फोटो है और केवल डा. जाकिर हुसैन का फोटो नहीं है और इसलिये नहीं है कि वे अल्पसंख्यक जाति से हैं तो यह आपत्तिजनक है।

श्री **उपाध्यक्ष**: सदन में इस तरह की बात नहीं कही जाये।

श्री **मुकुट बिहारी लाल गोयल**: इससे राज्य सरकार की वृत्ति झलकती है।

श्री **उपाध्यक्ष**: इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा न की जावे। और मैं आदर करता हूं माननीय सदस्यों की भावनाओं का कि यह फोटो होना चाहिये। फोटो लगा दी जावेगी, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: रामजी काक की फोटो लगी हुई है और राष्ट्रपति की नहीं।

श्री **उपाध्यक्ष**: आपका स्थगन प्रस्ताव पीने के पानी के सम्बन्ध में है। राज सरकार से किसी रूप में उत्तर प्राप्त किया जा सके सदन के स्थगित होने से पहले 2 ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री **प्रद्युम्नसिंह** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। "अल्प संख्यक" जाति के हैं राष्ट्रपति इसलिए उनका फोटो नहीं लगा रही है सरकार इस प्रकार के आक्षेप न लगाये जावें, जो इस तरह की बात आई है प्रोसीडिंग्स में से उसे एक्सपन्ज करा दें।

श्री **मलखीसह** (भरतपुर): गलती करें खुद और फिर एक्सपन्ज कराने की बात करते हैं।

श्री **उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

श्री **मुकुट बिहारी लाल गोयल**: आप इन लोगों को रोकिये। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? इस तरह की बातें करके अल्प संख्यकों के मन को तोडना चाहते हैं। हव्वा फैलाना चाहते हैं कि चूंकि हमारा देश सेकूलेरिज्म का है इसलिए वह फार्स है धोखा है यह बताना चाहते हैं। इस तरह की हवा हम इस देश में नहीं फैलने देंगे। पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति की फोटो हैं और केवल जाकिर हुसैन, डाक्टर जाकिर हुसैन की इसलिए नहीं है कि वे अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। सदन के प्रांगण में इस तरह की

(श्री मुकट बिहारी लाल)
नीति हम अपनाने नहीं देंगे। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं उपाध्यक्ष महोदय। इस तरह की बात को वे कहते हैं एक्सपंज कर दिया जावे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा हेय, लज्जाजनक और गडबड झाला वाली बात दूसरी कोई हो नहीं सकती।

श्री **मजलिस खां** (कांमा): मुसलमानों में फोटो प्रथा बहुत कम है।

श्री **नत्थीसिंह**: यह कहना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिये नहीं लगाया गया है कि आपने रिप्रेजेन्ट किया है?

श्री **प्रद्युम्नसिंह**: आपके स्वर्गीय नेता लोहियाजी ने इसका विरोध किया था।

श्री **नत्थी सिंह**: उस आधार पर अब भी करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति हिन्दुस्तान के नाम से जाने जाते हैं। मैं ऐसे आदमियों के मानस को जानता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** (बारां): आधा घण्टे की चर्चा का मेरा प्रस्ताव था।

श्री **उपाध्यक्ष**: इसके बाद में आ रहा है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर): डीडवाना के प्रधान के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव रखा गया इसकी कितनी महत्ता है इसको मद्दे नजर रखते हुए यह विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री **उपाध्यक्ष**: इसे आप और किसी तरह से उठा सकते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर): मैं जिस प्रश्न को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसका उत्तर देने को मन्त्री उपस्थित नहीं हैं और मेरे सामने समस्या है कि आपको सम्बोधन करूं कि किस मन्त्री को करूं।

श्री **रामकिशन**: मन्त्री चले भी तो ऐसे आते हैं जैसे बराती आते हैं, मन्त्री में तो चुस्ती और स्फूर्ति होनी चाहिए।

श्री **भैरोंसिंह**: मैंने मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करने के लिये अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और आपने भी उसे उसी रूप में स्वीकार किया है।

मुख्य मन्त्री सदन में अनुपस्थित हैं और उनकी अनुपस्थिति में केवल राजस्व मन्त्री जी, जो श्रम विभाग को भी सम्भालते हैं, का ही प्रश्न होता तो उन्होंने तो 15 जून को अपने एक वक्तव्य द्वारा बता दिया था कि यह फ्राड है। पर इसके बाद भी वे कोई कार्यवाही नहीं कर सके।

ऐसी स्थिति में उनका ध्यान आकर्षित करने से मेरे प्रश्न की समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं चाहता था कि मुख्यमन्त्री स्वयं उपस्थित होते तो सदन को और उनको बता दिया जाता कि इसमें किस प्रकार का घोटाला हो रहा है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुख्य मन्त्री जी उपस्थित हों तभी मेरे प्रस्ताव को रखा जाय और इस पर विचार किया जाय।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** (राजस्व मन्त्री): मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां तक

(श्री राजस्व मंत्री)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का प्रश्न है वहां तक आपकी जो भी भावना होगी उसको मुख्य मंत्रीजी तक भी पहुंचा दिया जावेगा।

श्री **भैरोंसिंह** : मैं आपका आदर करता हूं। हम आपको मैसेन्जर के रूप में नहीं देखना चाहते।

श्री **बृजसुन्दर शर्मा** : 'लोकवाणी' को घाटा है इस बारे में क्या कार्यवाही की जानी शेष है इसके बारे में आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जो कानूनी मुद्दे हैं उन पर विचार किया जाकर जो भी एक्शन लिया जावेगा वह लिया जावेगा। वैसे मुख्य मंत्रीजी के प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। पर फिर भी एक ही वे इस प्रकार का कोई निर्णय ले सकेंगे यह सम्भव नहीं होगा। यह भी गम्भीरता से और लीगल पोजीशन पर विचार करके ही सारी बात पर एक्शन लिया जा सकता है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी। इसको अध्यक्ष महोदय ने भी एग्जामिन किया और लिस्ट आफ बिजनैस जो सरकूलेट की गई है उसमें भी यह लिखा है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक मिनिस्टर के लिये है। और इसे अध्यक्ष महोदय ने, आसन ने स्वीकार किया है और स्वीकार करके लिस्ट आफ बिजनैस में भी लिखा है। अब अगर मुख्य मन्त्री सदन में नहीं आवें तो इसकी सूचना आसन को होनी चाहिए। फिर अगर वे नहीं आ रहे हैं या उपस्थित नहीं हैं तो इसको आगे के लिए रक्खा जाना चाहिये।

यह तो पार्लियामेण्टरी प्रोसीजर भी है। आप अगर धान्धलीबाजी से कुछ करना चाहें तो बात दूसरी है। या यह कहें कि लेवर की बात मेरे से सम्बन्धित है तो आपने तो पिछली बार 'लोकवाणी' के इसी इस्यू को लेकर यहां खड़े होकर कह दिया था कि फ्राड है। यह कह कर भी आज तक आप कोई एक्शन नहीं ले पाये।

यही नहीं, आज इस सम्बन्ध के डाक्यूमेण्ट्स बदले जा रहे हैं। फिर फरजी डाक्यूमेण्ट तैयार किये जा रहे हैं, आप जानते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, आज तक कुछ कर नहीं पाये। ऐसी सूरत में हम समझते हैं कि मुख्य मन्त्रीजी उपस्थित हों तभी इसे लिया जावे तो अच्छा होगा।

यह पार्लियामेंटरी प्रोसीजर भी है। यह बात सही है कि मन्त्री यहां उपस्थित नहीं रहते और सम्बन्धित मन्त्री तो और भी नहीं रहते चाहे कैसा भी मामला हो, कितना ही गम्भीर मसला हो, यह वे लोग सदन के प्रति कण्टेम्पचुअस एटीचूड रखते हैं। इन्सल्ट करते हैं सदन की और सदन के सदस्यों की। पार्लियामेण्टरी प्रोसीजर में, पार्लियामेण्टरी फोर्म आफ गवर्नमेंट में इनका विश्वास नहीं है इससे यह साफ झलकता है।

इसलिये निवेदन है कि मुख्य मन्त्रीजी जब उपस्थित हों तब इसका हल निकलेगा और नहीं तो बार बार नोटिंग होते रहेंगे, फोर्मेलिटी पूरी होती जावेंगी और कार्यवाही कुछ होगी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि मुख्य मन्त्रीजी यहां अभी उपस्थित हों तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको सदन में बुलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना प्राप्त की जा रही है । वे आयें तो उनके सामने प्रस्ताव आ जायेगा, नहीं तो और किसी दिन जब वे उपस्थित हों तब ले लेंगे क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा है और मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मैं जानकारी चाहूंगा, क्षमा करे आसन, कि उनके अनुपस्थित होने की सूचना क्या आसन को नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : वे उपस्थित हैं, फोन से बात हो रही है कि किस वक्त आ सकते हैं, सुविधा के अनुसार ।

श्री रामकिशन : सुविधा मुख्य मन्त्रीजी की या सदन की ? अगर मुख्य मन्त्रीजी की सुविधा का प्रश्न है तो हम नहीं मानेंगे । सरकार के नौकर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि ठीक समय पर सुनने के लिये वे यहां पर उपस्थित हो सकें ।

•

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्रीजी बाद में आयें तो मेरा एड-जोर्नमेन्ट मोशन है । श्रम मंत्रीजी यहां मौजूद हैं । यह फोरी सवाल है यह सम्भावना है कि संबंधित डाकूमेन्ट्स फर्जी बना लिये जावें या उनको मिसप्लेस कर दिया जावे तो इस वास्ते जरूरत है कि लोकवाणी समिति, राष्ट्रवाणी समिति और राष्ट्रदर्शन समिति जो हैं उन सबके कागजात को फौरन जब्त किया जावे । यह भी जरूरत है कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में जो कागजात हैं उन सबको भी एकदम जब्त किया जावे ।

प्रश्न यह है कि जो यह समिति-लोकवाणी समिति 57-58 में रजिस्टर हुई थी उसके अभी तक इलेक्शन कभी नहीं हुए । लाखों रुपया मजदूरों की तरफ था । इसमें व्यक्तिगत तौर से ऐसे सदस्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं । राजस्थान के एक भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं इसके डाइरेक्टरों में, श्री हीरालाल जी शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट रतनजी शास्त्री, सेकसरिया साहब, मदनलालजी सोगानी । राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति इस समिति के सदस्य थे । इसकी तरफ मजदूरों का लाखों रुपया बकाया था और जब पार्टी की तरफ से इस पर डिक्री हो गई और व्यक्तिगत तौर से इन डाइरेक्टरों के खिलाफ क्लेम एग्जीक्यूट होने वाला था तो इन डाइरेक्टरों मे यह बताने की कोशिश की और कर रहे हैं कि आज से कितने ही वर्षों पहले से ये लोग इसके डाइरेक्टर नहीं रहे । जब कि वास्तविकता यह है कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में इस प्रकार की सूचना कि कहीं भी डाइरेक्टरों में चेन्ज हुआ है, वहां पर कोई सूचना नहीं दी गई और न ही वास्तविकता है यह कि कोई भी इलेक्शन हुआ ।

अब फर्जी तौर से कागज बनाकर यह कोशिश की जा रही है सन् 60 में इलेक्शन हुआ था, सन् 61 में इलेक्शन हुआ था, सन् 65 में इलेक्शन हुआ था, सन् 66 में इलेक्शन हुआ था, सन् 67 में इलेक्शन हुआ था यह फर्जी इलेक्शन बनाकर यह जो महान मूर्तियां हैं इन मूर्तियों में से डाइरेक्टर्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को निकाल कर ऐसे डाइरेक्टर्स बताये जा रहे हैं जिनके खिलाफ एक पैसे की भी डिक्री की वसूली नहीं हो और मजदूर मारे जायें। फिर इन्हीं मूर्तियों ने याने श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुल भाई भट्ट, श्री सेकसरिया, श्रीमती रतन शास्त्री, श्री सुधाकर शास्त्री लोकवाणी समिति की बजाय उन्होंने एक राष्ट्रदर्शन सोसाइटी सन् 65 में रजिस्टर करा ली और उसका परपज भी वही 'लोकवाणी' अखबार निकालना। रजिस्ट्रार को यह सब पता हुआ कि मजदूरों की तरफ इनका इतना पैसा है और एक चैरीटेबल इन्स्टीट्यूशन होने के नाते उनको मौका दिया जाय कि नाम बदल ले ताकि नई सोसाइटी के ऊपर पुरानी सोसाइटी की लाइबेलिटी नहीं आये। इस तरह से इन लोगों ने दूसरी सोसाइटी रजिस्टर करा ली। मजदूरों ने अदालत में दरखास्त दी कि यह सोसाइटी उसकी सक्सेसर सोसाइटी है इसलिये इसको भी पार्टी बनाया जाये तो लेबर अदालत ने उनको भी पार्टी बना लिया। अब इन लोगों ने एक तीसरी सोसाइटी 'राष्ट्रवाणी' सोसाइटी बनाने के नाम से दरखास्त दे दी। तो वह महान् जो दिग्गज हैं उन्होंने पिछली तारीख में यह शो करना शुरू किया है कि यह उस सोसाइटी के भी डाइरेक्टर्स नहीं रहे और राष्ट्रवाणी सोसाइटी को रजिस्टर कराने की कोशिश की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मेरे पास इस किस्म के सबूत हैं कि जिससे यह साबित हो सकता है कि रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक पटिकुलर डेट से पहले की दरखास्त की रिसीट बताकर इसको करना चाहते हैं। पहले कोई दरखास्त पेश नहीं की गई। लोकवाणी सोसाइटी की तरह से कि इसके चुनाव अमुक तारीख को हुए और अमुक बदलाव हुआ। अब उसी रजिस्ट्रार के दफ्तर से कुछ कापीज इश्यू हुई हैं उनके ऊपर कोई तारीख नहीं है। न सोसाइटी की तरफ से किसी तारीख को पहुंच की गई यह तारीख है, न रजिस्ट्रार के कोई दस्तखत हैं बल्कि जाली मोहर लगी हुई है। मुझे तो आशंका है कि रजिस्ट्रार के दस्तखत भी हैं या नहीं बल्कि जाली दस्तावेज वहां से जारी किये गये हैं और ऐसा मालूम पडता है कि किसी क्लर्क से मिलकर या किसी ओफिसर से मिल कर इस तरह के जाली दस्तावेज वहां से जारी कराये हैं जिसमें यह जाहिर किया गया है कि यह चुनाव 60, 61 और 65 में हुए और श्री हीरालाल शास्त्री, श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री सेकसरिया, श्री मदनलाल सोगानी, श्री सुधाकर शास्त्री आदि जिनके खिलाफ यह डिक्री वसूल हो सकती थी यह सब के सब उसके डाइरेक्टर्स नहीं रहे ऐसा साबित करने की कोशिश की जा रही है। जब कि मेरा कहना है कि वास्तविकता यह है कि......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस राष्ट्रदर्शन सोसाइटी के बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए और यह जो कागजात रजिस्ट्रार के यहां से जो कापीज प्रस्तुत की गई हैं यह बिलकुल जाली हैं। यह उस डिपार्टमेन्ट में कोई वसूली नहीं की गई। उस डिपार्टमेन्ट की तरफ से चिट्ठी गई हुई है कि तुम्हारा प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया जाये तुमने रिटर्न्स नहीं दिये। 1966 की इस तरह की दरखास्त है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से एक तो रजिस्ट्रार सोसाइटी की तरफ से जो कापीज प्रस्तुत की गई हैं यह जाली हैं और मुझे यह खतरा है कि अब वह रजिस्टर नये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बनाने की कोशिश करेंगे, रिसीट रजिस्टर में चढायें और बतायें कि अमुक तारीख को प्राप्त हुई। अभी कागज पकड लिये जायें कि कोई तारीख वसूली की है या नहीं, उन्होंने यह कापीज कब भेजी या दी इसकी भी कोई तारीख नहीं है और यह सब जाली दस्तावेज उनके बनाये हुए हैं। इसी तरह से अगर लोकवाणी सोसाइटी के, राष्ट्रदर्शन सोसाइटी के सारे कागजात सीज कर लिये जायें और राष्ट्रवाणी सोसाइटी के भी सारे कागजात सीज कर लिये जायें तो उनसे जाहिर हो सकता है कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। इसके कम से कम सात सदस्य होने चाहिए। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सोसाइटी के 7 सदस्य भी नहीं हैं। सभी बोगस नाम हैं। एक ही कमरे में एक प्रेस है और उसका भी 3 नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोई चेतना प्रेस है, यह दरवाजा खोल दो तो दूसरा प्रेस, एक बांया वाला दरवाजा खोल दो तो तीसरा प्रेस उसी प्रेस के तीन तीन रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। तो मेरा निवेदन करना यह है कि मंत्री महोदय ने भी इसको स्वीकार किया था कि यह बहुत बडा फ्राड प्ले कर रहे हैं और खेद का विषय यह है कि इस फ्राड के मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री इसमें शामिल है, राजस्थान के बडे बडे करोडपति इसमें शामिल है और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि कुछ मजदूरों का बोनस, तनख्वाह, उनकी ग्रेचुटी के पैसे का गबन किया जाये और चेरीटेबल ट्रस्ट के नाम से जिस तरह से झण्डु सोसाइटी किसानों को लूटती फिर रही है जगह जगह इसी तरह से यह हीरालाल परिवार सोसाइटी राजस्थान के अन्दर लूट करने की बहुत बडी सोसाइटी बन रही है। इसलिये यह दूसरी झण्डु सोसाइटी है। इसलिये उपाध्यक्षजी मैं निवेदन करूंगा कि यह सारे कागजात सीज होने चाहिये लोकवाणी सोसाइटी के और राष्ट्रदर्शन और राष्ट्रवाणी सोसाइटी के सारे के सारे कागजात फौरन सीज होने चाहिये इससे यह सारा मालूम हो जायेगा कि इनकी फौर्जरी, बोगस और लूट कबड्डी क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की गई तो राजस्थान की जनता में जो दान देने की भावना है. . . .

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें। आपकी बात समझ गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनता में ऐसे निर्माण कार्यों के लिये जो दान देने की भावना है उस पर भारी ठेस पहुंचेगी और लोगों को पता चलेगा कि यह लोग फौर्जरी कर रहे हैं और कबड्डी कर रहे हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि फौरन एक्शन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घन्टे की चर्चा. .

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा तो कौन से प्रावधान के अन्दर यह जब्त होंगे कागजात किस तरह से कार्यवाही चलेगी इसकी लीगली कार्यवाही करके ही कार्यवाही की जा सकती है। . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में किस प्रकार से कार्यवाही कर सकते हैं इसको देखेंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि इसमें उत्तर देने की सरकार की तरफ से आवश्कता नहीं है। जो माननीय सदस्य ने बात कही है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर सकते हैं तो माननीय सदस्य से भी बात कर लें कि कोई कार्यवाही करनी है सीज करना है या नहीं और प्रचार करके की जाये यह उचित नहीं होगा। और बीच में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ले लेते हैं। उसके बाद में मुख्य मन्त्री जी आज यहां पर हों तो वह बाद में बतादें और उसके पहले आधा घन्टे की चर्चा ली जायेगी।

श्री रामकिशन : अगर रेकार्ड को डेस्ट्राय कर देंगे तो जिन कारणों से प्रस्ताव लाया जा रहा है उसकी महत्ता कम हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहां तक उचित समझते हैं कि जो कार्यवाही करना चाहते हैं उसकी खुली चर्चा यहां हो कि हम यह एक्शन लेने जा रहे हैं, यह आदेश दे रहे हैं, वह ले लेंगे। आज आपने कहा वह मन्त्री महोदय ने सुन लिया। जो परिस्थितियां उनके सामने हैं उसके बाद में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इसका उतर इस सदन में नहीं दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात तो ठीक है कि आप कन्विन्स हो गये और सारे आर्ग्युमेन्ट का आपने इन्फरेन्स निकाल दिया। कोई भी रीजनेबल आदमी यही इन्फरेन्स निकालेगा कि कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन माननीय मन्त्रीजी यहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। ये खडे होकर कह सकते हैं कि माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाये हैं वे बडे गम्भीर हैं और ऐसे डाक्युमेन्ट के बारे में वह चीज नहीं होने दी जायगी, और जो आवश्यक कार्यवाही इस सम्बन्ध में होगी वह करेंगे।

श्री शोभाराम (सहकारिता मन्त्री) : इस डाक्युमेन्ट के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है मैं आज उसके बारे में जानकारी करूंगा, और जो गलत कार्यवाही हुई है या जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है, वह माननीय सदस्यों के सामने जल्दी से जल्दी रखने की कोशिश करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो कल आपको मिल गया होगा? सूचना मेरे प्रस्ताव की आपको कल मिल गई होगी?

श्री शोभाराम : असल में यह स्थगन-प्रस्ताव मुझे तो नहीं मिला है। 'लोकवाणी' का जो ताल्लुक है वह लेबर वगैरह से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो मैंने स्थगन-प्रस्ताव रखा है उसकी कापी आपको कल भेजी है।

श्री शोभाराम : एजेन्डा या बिजिनिस का मेरे खयाल से जो तरीका है वह साधारणत: सब के पास में आता है। इस प्रकार की कार्यवाही की फोर्ज्ड डाक्युमेन्ट की नकल का सम्बन्ध सहकारिता विभाग से है उसकी ध्वनि उससे नहीं निकलती थी।

आधे घंटे की चर्चा

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): माननीय उपाध्यक्षजी, 18 मार्च के प्रश्न के तारांकित

(श्री देवीदत्त गाडिया)

प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया गया वह पूर्ण असन्तोष पूर्ण था, और उस मामले को दबाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ कोर्स ग्रेन्स आर्डर, नं. 964 और दूसरा डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ ग्राम एण्ड बारले आर्डर, 1964 के तहत राजस्थान की सरकार ने व्यापारियों से 25 प्रतिशत गल्ला खरीदा, मोटा गल्ला खरीदा, और उसी के अन्तर्गत राजस्थान की सरकार ने 25 प्रतिशत उस गल्ले में से उन व्यापारियों को राजस्थान के बाहर भेजने की छूट दी। इसके बाद जो 50 पर्सेन्ट गल्ला व्यापारियों के पास बचा उसको राजस्थान की सरकार ने आदेश जारी करके यह बताया कि व्यापारियों को उस 50 प्रतिशत गल्ले को राजस्थान के अन्दर बेचना पडेगा। यदि इस आज्ञा का उल्लंघन किसी भी व्यापारी ने किया तो डी. आई. आर. के तहत राजस्थान की सरकार उस व्यापारी के विरुद्ध मामला बनायेगी।

(1.22 म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, बारां नगर की मेसर्स नारायण हरिशंकर की फर्म ने और उस फर्म के मालिक श्री सेठ रामगोपालजी ने जो कि एक बहुत बडे कांग्रेस के नेता हैं उनके विरुद्ध इस प्रकार की जिन्होंने कार्यवाही की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय, उस व्यापारी ने बारां के अन्दर ज्वार की खरीद की, कोई 10—20-100-200 बोरी नहीं खरीदीं कम से कम चार हजार बोरियां ज्वार की खरीदीं, और उसके अन्तर्गत 25 प्रतिशत उस फर्म ने सरकार को तुलाई और 25 प्रतिशत के परमिट जो कि राजस्थान सरकार का नियम था उसके अन्तर्गत उनको बाहर भेजा, लेकिन जो 50 प्रतिशत गल्ला उस व्यापारी के पास बचा सरकारी आदेशों के अन्तर्गत उसको उसे राजस्थान के अन्दर ही बेचना चाहिये था, लेकिन, सभापति महोदय, उस व्यापारी ने कांग्रेस का नेता होने के नाते उस गल्ले को बाहर निकाला राजस्थान के अन्दर यदि वह उस 50 प्रतिशत गल्ले को वहां पर बेचता तो राजस्थान में उस समय जो गल्ले के भाव ज्वार के भाव 125 रु. क्विन्टल थे वह कम होते। उस व्यापारी ने उन आदेशों की अवहेलना करते हुए 50 प्रतिशत गल्ला गुजरात सोसाइटी को बेचा और वह गल्ला जो राजस्थान में बिकने के लिये था वह राजस्थान से बाहर गया।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यापारी ने जिसकी कोटा और बारां के अन्दर दो दो स्थानों पर फर्में थीं उनके दोनों के अन्दर उसने और चार हजार का फर्जी ट्रान्जेक्शन किया। जो गल्ला बारां के अन्दर था उसका उसने अपनी कोटा फर्म के अन्दर ज्वार की खरीद का जमा खर्च किया, और उसी गल्ले को उस व्यापारी ने कोटा से बारां लाकर दिखाया, और इस प्रकार से उस ज्वार के 50 प्रतिशत गल्ले को जो राजस्थान में बिकना चाहिये था उसका ट्रान्जेक्शन करके सारे का सारा अधिकांश गल्ला गुजरात सोसाइटी को बेचकर उसने राजस्थान सरकार के उन दोनों आदेशों की अवहेलना की।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

इस सम्बन्ध के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, जनता की शिकायत करने पर राजस्थान के खाद्य कमिश्नर के आदेशानुसार जयपुर से एक एन्फोर्समेन्ट आफिसर वहां गया। उसने उसकी जांच की। उसने उस व्यापारी की दोनों फर्मों की जांच करके यह सिद्ध कर दिया कि सारे का सारा जमाखर्च फर्जी किया गया है? सभापति महोदय, फर्जी इस प्रकार से हुआ कि उस व्यापारी ने बड़ी तरकीब से सिद्ध करना चाहा कि उसने बारां के मार्केट में यह गल्ला खरीदा और उसने जो चार हजार बोरियां थीं उसके अन्दर यह बताया कि ट्रक के द्वारा कोटा लाई गई। उसके बाद 2 हजार बोरियां कोटा से अपनी फर्म से वापिस लेकर बारां में जमाखर्च करके दिखाया। लेकिन, सभापति महोदय, जब इसकी जांच हुई और जांच के अन्दर उसने यह सिद्ध किया तो उसके ऊपर उस फर्म के मालिक ने कोटा डी. एस. ओ. आफिस के अन्दर जयपुर से आये हुए एन्फोर्समेन्ट आफिसर के सामने उसको पूछा कि यह किस प्रकार से फर्जी कार्यवाही हुई तो उसके ऊपर उसने सिद्ध किया कि फर्म के मालिक ने जो चार हजार बोरियां कोटा ले जाना बतलाया है ट्रक के द्वारा तो ट्रक का नम्बर क्या है और कोटा के अन्दर बैरियर्स लगे हुए हैं कोटा नगरपालिका के तो बताओ कि कोटा की नगरपालिका को चुंगी दी है क्या? इसी प्रकार से बारां के अन्दर 4 हजार ज्वार की खरीद का जमाखर्च बताया है तो उससे पूछा कि क्या इस प्रकार से बारां के अन्दर कोटा से ज्वार ले गये तो वहां की म्युनिसिपैलिटी को चुंगी दी है। उसने कोई चुंगी नहीं दी, कोई सेल्स टैक्स नहीं दिया और न कोई उस व्यापारी ने ट्रक का नम्बर बताया। इस प्रकार से उस फर्म के खिलाफ जिसने बोगस जमाखर्च किये हैं जिसने सेल्स टैक्स की चोरी की है, जिसने चुंगी की चोरी की है, सभापति महोदय, स्पष्ट रूप से डी. आई. आर. का केस बनता है। राजस्थान की सरकार राजस्थान के गरीब व्यापारियों के खिलाफ या मध्य श्रेणी के व्यापारियों के खिलाफ जिसने प्रातःकाल अपनी दूकान खोली और उसने यदि भावों की सूची नहीं टांकी या तारीख नहीं बदली तो उनके खिलाफ डी. आई. आर. के केस बनाती है, उनको गिरफ्तार किया गया और अदालत में उनका चालान किया गया, मैं खाद्य मन्त्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस फर्म के विरुद्ध राजस्थान के खाद्य कमिश्नर ने तीन बार ऐसे आदेश दिये हैं, सभापति महोदय, कि इस व्यापारी के खिलाफ डी. आई. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय, इसने खाद्यान्न आदेशों की अवहेलना की है, इस पर गम्भीर आरोप सिद्ध हुए हैं, इसका चालान किया गया अदालत में? लेकिन कोटा के डी. एस. ओ. और कोटा के एक्स कलेक्टर महोदय ने और बारां के एस. डी. ओ. और तहसीलदार ने इन चारों अधिकारियों ने मिलकर राजस्थान के फूड कमिश्नर के आदेशों की भी अवहेलना की है, और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

. . . .

मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि इनके खिलाफ चार केसेज चल रहे हैं 65 के अन्दर, 66 और 67 के अन्दर। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि चार-चार जिस फर्म के विरुद्ध मुकद्दमें चल रहे हैं उनके खिलाफ यह कह कर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

कि व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की है। उसका लाइसेन्स सस्पेन्ड कर दिया है, उसके ऊपर 100 रु. जुर्माना कर दिया, 100 रु. का जुर्माना अपर्याप्त है तो 250 रु. का जुर्माना कर दिया। इस प्रकार की कार्यवाही इस बात का स्पष्ट संकेत करती है कि इस व्यापारी को संरक्षण दिया जा रहा है। उसका कारण यह है जैसा कि मैंने कहा कि वह कांग्रेस का एक नेता है। उनके यहां राजस्थान के राजस्व मन्त्रीजी आते हैं। उनका उनसे घनिष्ट सम्बन्ध है। राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी जब बारां पधारते हैं तो उनके यहां जाकर दावत लेते हैं। कई स्थानीय अधिकारी व पुलिस के अधिकारी उनसे इस लिये भी दबते हैं और केस नहीं चलाते हैं।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, उक्त फर्म ने जब जब राजस्थान सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये हैं उनकी अवहेलना की है। राजस्थान के जितने सीमावर्ती इलाके हैं उनमें गल्ला जा नहीं सकता यही आदेश है लेकिन अफसोस के साथ कहना पडता है कि बारां से किशनगंज शाहबाद, जो गरीब व्यक्ति पापी पेट की भूख मिटाने के लिये एक मण ज्वार ले गया या 2 मण ज्वार ले गया तो उसके खिलाफ बारां की पुलिस, या किशनगंज की पुलिस ने या राजस्थान के फूड इन्सपेक्टर ने उनके खिलाफ केस बनाया, गिरफ्तार करके अदालत में उनका चालान किया। एक गरीब आदमी जिसको 10 क्विन्टल अनाज रखने का अधिकार है लेकिन सीमा पर रहने के कारण एक बोरी अनाज ले गया तो उसका चालान करके अदालत में पेश कर सकते हैं लेकिन यह जो बडा सेठ है, इसने सीमावर्ती इलाके में ज्वार भेजी, यहीं नहीं उक्त फर्म ने बारां से रावतभाटा तक जो सीमावर्ती इलाका है कोटा जिले का वहां गल्ला भेज दिया लेकिन इसके खिलाफ डी. आई. आर. में केस नहीं बना, उसको गिरफ्तार करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई . . .

श्री **सभापति** : संक्षेप में कहें।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : इस फर्म ने 100 बोरी गेहूं ट्रक में भर कर बिना किसी परमिट के सिरोही भेज दिया और उसमें बारां का तहसीलदार बैठ कर गया। देवली की नाका चौकी पर उस ट्रक को पकडा गया और उससे परमिट मांगा, बिल मांगा लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। राजस्थान सरकार को लिखा, कोटा के कलेक्टर को लिखा और बारां के एस. डी. ओ. को लिखा कि 100 बोरी गेहूं सिरोही ले जा रहा है, ट्रक में बारां का तहसीलदार बैठा है उस फर्म ने बिल्टी बनाई है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने सारे कानूनों की अवहेलना करके 100 बोरी गेहूं सिरोही भेजदी उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

इतना ही नहीं सन् 1965 में कोटा के जिलाधीश ने गेहूं की समस्या हल करने के लिये, सस्ता गेहूं लोगों को देने के नाम पर मौखिक आदेश जारी किया, वरबल ओर्डर देकर एस. डी. ओ. और तहसीलदार के माध्यम से नवम्बर, 65 में जबर्दस्ती किसानों के घर जाकर 30 हजार बोरी गेहूं इकट्ठा किये। मैं पूछना चाहता हूं कि उक्त कलैक्टर ने किसके आदेश से यह गेहूं इकट्ठा किया। और वह गल्ला सरकारी गोदाम में नहीं रखा गया बल्कि मैसर्स नारायण हरिशंकर, श्री श्री जगराज, कोटा और एक तीसरी और

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

फम है इन तीनों की कमेटी बनाई और जिसके पास लाइसेन्स नहीं था, जिसको इतना गल्ला रखने का अधिकार नहीं था उसके पास 30 हजार बोरी गल्ला रखा गया मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही क्यों हो रही है ?

इसी प्रकार डी. एस. ओ. और सप्लाई विभाग ने 30 हजार खाली बोरियां दे दीं डी. एस. ओ. को 30 हजार खाली बोरी देने का क्या अधिकार था ? इसमें हजारों रुपयों का घोटाला हुआ है। 5000 खाली बोरियों का हिसाब नहीं है, तहसीलदार खा गया या क्या हुआ ? जो 30,000 बोरी गेहूं इकट्ठा किया गया था वह 55) प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदा गया जब कि 60) के हिसाब से खरीदना चाहिये था। उपरोक्त तीन व्यापारियों ने गेहूं इकट्ठा कर लिया और अपनी स्वेच्छा से बेच कर 60) या 61) के भाव से दाम वसूल किये। उक्त व्यापारियों के विरुद्ध गम्भीर चार्जेज हैं, डी. आई. आर. में केस बनता है, फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ओर्डर का उलंघन किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? सन् 65 से अब तक किसी भी केस में उसका चालान लाइसेन्स के निस्वत नहीं हुआ, एक बार भी उस पर जुर्माना नहीं हुआ। 100) 200) रु. का भी जुर्माना कभी उस पर नहीं हुआ। आप कोटा और दूसरी जगह पर लोगों का चालान स्टेटमेन्ट नहीं भरने के कारण कर सकते हैं लेकिन इस व्यापारी को आज तक क्यों नहीं पकडा गया ? इस फर्म ने फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर की धाराओं की, हमेशा अवहेलना की है। सभापति महोदय, वहां के स्थानीय एन्फोर्समेन्ट इन्सपैक्टर और दूसरे अधिकारियों ने उसके खिलाफ जांच करने की कार्यवाही चलाई थी लेकिन वहां के कलेक्टर और एस. डी. ओ. ने उन पर दबाव डाला। फूड कमिश्नर ने तीन चार बार आदेश जारी किये लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना क्यों की गई ? उसके खिलाफ इन्क्वायरी करने वालों को क्यों दबाया जाता है ? यह मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं। इस व्यापारी ने सारे कानून की अवहेलना की है, नियमों का उल्लंघन करके काम किया है तो इस फर्म का एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत अदालत में चालान होना चाहिए था तो क्यों नहीं चालान किया गया ? इसके अलावा क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के खाद्य व्यापारियों के विरुद्ध अदालत में मामले चले तो इसके विरुद्ध क्यों नहीं चला ? किशनगंज कोटा, और दूसरे स्थानों के प्रमुख व्यापारियों के खिलाफ मामले चले हैं तो इसको क्यों बख्शा गया ? क्या इस फर्म के मालिक श्री रामगोपाल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं इस लिये इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? अन्त में मैं पूछना चाहता हूं कि इस व्यापारी के फर्म की शाखाएं कोटा, बारां, और दूसरे स्थानों पर हैं उसकी जांच करने के लिये आपके डिपार्टमेन्ट के एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर ने जयपुर से आकर इसकी बहियों की जांच की, बहियों पर हस्ताक्षर किये हैं। इसने गोल माल किया है, सेल्स टैक्स की चोरी की है, इसने खाद्यान्न नियमों का उल्लंघन किया है फिर भी इसके खिलाफ आज तक डी. आई. आर. का केस क्यों नहीं बनाया गया, सेल्स टैक्स में इसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

Page No. 68

श्री शंकरलाल (जैतारण): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग आर्डर के तहत यह जानना जरूरी होगा कि लाइसेन्स कैंसिल करने न करने के पॉवर्स सरकार को हैं या कानून के तहत किसी अधिकारी को है ? यदि किसी अधिकारी को है तो सरकार उसमें दखल कर सकती है या नहीं कर सकती ? दूसरा यह किसी सोसाइटी को एक्सपोर्ट का लाइसेन्स दिया था उसका ब्रीच हुआ या नहीं ? जो प्रोसिडिंग्ज काम में लेते हैं वह जुडिशियल नेचर की है या नहीं ? अगर जुडिशियल नेचर की प्रोसिडिंग्ज हैं तो सरकार उसमें किसी तरह से दखल कर सकती है या नहीं इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे। क्योंकि इस कानून में कलेक्टर को पॉवर्स हैं, गवर्नमेन्ट कुछ नहीं कर सकती। अदालत का माल है तो लाइसेन्सिग ऑर्डर में कलेक्टर ने डिसीजन लिया है तो उसकी अपील हो सकती है या रिविजन हो सकती है या हाईकोर्ट में रिट की जा सकती है। यह कानूनी मामला है इसमें दखल किया जा सकता है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): चेयरमेन महोदय, बारां के माननीय सदस्य ने 18–3–68 को पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कुछ मुद्दों पर चर्चा उठाई। चर्चा के दौरान माननीय सदस्य ने कहा कि कोटा और बारां में फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग होल्डर मेसर्स नारायण हरिशंकर ने फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है, उसका चालान अदालत में होना चाहिये था। प्रश्न के उत्तर में जैसा कि निवेदन किया था, फूड डिपार्टमेंट के एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर कोटा गये थे और उन्होंने यह पाया कि कोर्स ग्रेन रेगुलेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, 64 की खिलाफवर्जी उसने की है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये। यह पहला मामला था हमने 19-11-65 को कलेक्टर को लिखा। कलेक्टर ने उसको लेकर जो लाइसेन्सिग ऑथोरिटी डी.एस.ओ. है उनको कार्यवाही करने को कहा। राजस्थान फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग ऑर्डर के अंतर्गत गवर्नमेन्ट के द्वारा जिसको लाइसेन्सिग आथोरिटी अपोइन्ट किया जाता है उसको पॉवर्स डेलीगेट होते हैं और उसमें वह एक्शन ले सकता है। डी.एस.ओ.ने एक्शन लिया। उसके बाद में 250 रुपये की सीक्योरिटी जब्त की। जब सीक्यो-रिटी जब्ती की इत्तला राज्य सरकार को हुई तो राज्य सरकार ने कोटा कलेक्टर को लिखा कि लाइसेन्सिग ऑर्डर के नीचे जो आर्डर दिया है, एक्शन लिया है वह ठीक है लेकिन राजस्थान कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए थी। उस वक्त पार्टी ने कलेक्टर के पास अपील की, अपील को सुनने के अख्तियारात कलेक्टर के पास हैं कि अपील के मैरिट के ऊपर केस को देखें, तो अपील के मेरिट के ऊपर देखने के बाद इस केस को कलेक्टर ने डी.एस.ओ. को रिटर्न कर दिया और कहा कि इसमें इन मुद्दों की जांच की जानी चाहिए। अब उन मुद्दों पर जांच करके डी.एस.ओ. कोटा ने उस पर फैसला नहीं दिया है। जो लाइसेंसिग आथोरिटी है उस लाइसेंसिग आथोरिटी को पनिशमेंट इम्प्लिमेंट करने के अख्तियारात हैं, चाहे वह सीक्योरिटी को फोरफिट करने की कार्यवाही करे, चाहे पनिशमेंट के अन्दर पैनल्टी इम्पोज करे वह पैनल्टी इम्पोज कर सकता है, लाइसेन्स को कैंसिल कर सकता है, लाइसेन्स को सस्पेन्ड कर सकता है। इस

(श्री परसराम मदेरणा)
प्रकार की जो भी कार्यवाही है, मेरी ऐसी मान्यता है, चैअरमैन महोदय, वह कार्यवाही पीनल सर्वीट्यूड है उसका मतलब यह है कि इस प्रकार की जिनको आथोरिटी है, और जिनको इस प्रकार की पावर आफ फंक्शन हैं वह एक तरह से क्वासी जुडिसियल फंक्शन हैं, जहां क्वासी जुडिशियल फंक्शन की एक तरह से राज्य सरकार ने पावर डेलीगेट कर दी हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार भी सक्षम नहीं है कि वह किसी क्वासी जुडिसियल फंक्शन में इन्टरफियरेन्स करे। इसलिए यह मामला डी. एस. ओ. के पास में पैंडिंग है। डी. एस. ओ. इस पर फैसला होने के बाद यदि राज्य सरकार अपने को एग्रीव्ड फील करती है कि उसने ठीक एक्शन नहीं लिया है तो राज्य सरकार भी उस आथोरिटी के सामने एक पार्टी है, जिस प्रकार कि एक व्यापारी पार्टी है, और हम हमारे एन्फोर्समेंट स्टाफ को आदेश देंगे अगर राज्य सरकार सेटिस्फाइड नहीं होती है तो जो जजमेंट है उसकी अपील कलेक्टर के पास में कर सकती है। उस अपील पर कलेक्टर का फैसला होने के बाद में दूसरी सैकिंड अपील कलेक्टर को लाइ नहीं करती है और दोनों में से कोई भी पार्टी हाइ कोर्ट में रेमेडी सीक करने के लिए जा सकती है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है--

श्री **देवीदत्त गाड़िया**: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

श्री **सभापति**: आर्डर प्लीज । पहले रिप्लाई आ जाने दीजिये।

श्री **परसराम मदेरणा**: मैं पहले कह दूं उसके बाद में आप पूछ लीजिये। चर्चा के दौरान मामला चार हजार बोरी ज्वार बेचने का उठाया। मुझे यह तो नहीं बताया कि चार हजार बोरी थीं लेकिन गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी को जो ज्वार उन्होंने बेचा और जब यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में आया तो राज्य सरकार ने आदेश दिया कि इनके खिलाफ दोनों आर्डर्स के अन्दर फूड लाइसेंसिंग आर्डर और कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर कार्यवाही की जानी चाहिए क्योंकि कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन ऑर्डर के अन्तर्गत, पचास पर्सेन्ट, जो कोटा राजस्थान के अन्दर खरीदते हैं वह उनको यहां कन्ज्यूमर्स को बेचना लाजिमी था, आवश्यक था, तो एक तो वह लाजिमी काम नहीं किया इसलिए उनके खिलाफ दोनों एक्शन होने चाहिए। यह लिखने के बाद जहां तक लाइसेंसिंग आथोरिटी थी उस मामले में वह तो एस. डी. ओ. बारां थे तो एस.डी.ओ. बारां ने उसमें उनकी सीक्योरिटी जब्त की, वह सीक्योरिटी करीब सौ रुपये थे, वह सौ रुपये जब्त करने के बाद में कलेक्टर के पास में जब यह मामला गया तो कलेक्टर ने उस सौ रुपये के अमाउन्ट को इन्क्रीज करके साढ़े तीन सौ कर दिये।

श्री **देवीदत्त गाड़िया**: ढाई सौ!

श्री **शंकर लाल**: कलेक्टर के पास अपील में गया या वैसे ही गया?

श्री **परसराम मदेरणा**: कलेक्टर ने उस अमाउन्ट को इन्क्रीज करके साढ़े तीन सौ किया और सीक्योरिटी फोरफिट कर ली।

श्री **देवीदत्त गाड़िया**: सौ रुपये तो पहले और फिर ढाई सौ रुपये और बढ़ाये हैं, इस प्रकार साढ़े तीन सौ हैं।

श्री **परसराम मदेरणा**: आप मेरी बात सुनिये। मैं कह रहा हूं यह ढाई सौ रुपये पहले वाले मामले में हैं जिसमें आपने चुंगी वाली बात कही है। जो गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी को अनाज बेचा, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि उसमें उन्होंने सौ रुपये की सीक्योरिटी फोरफिट की पहले एस. डी. ओ. ने, उसके बाद में कलेक्टर ने सीक्योरिटी के अमाउन्ट को इन्क्रीज करके सौ रुपये से तीन सौ पचास किये हैं।

श्री **शंकर लाल**: क्या कलेक्टर के पास में अपील में गया ?

श्री **परसराम मदेरणा**: अब जहां तक रहा प्रश्न राजस्थान कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर को नीचे अदालत चलाने का, उसमें वह जो सोसाइटी थी उसको बारां का लाइसेन्स दिया गया था। बारां का लाइसेन्स देने की वजह से एक लाइसेन्स होल्डर दूसरे को बेच सकता है या नहीं यह लीगल पाइन्ट इसमें इन्वाल्व्ड है। उस पर गवर्नमेंट एडवोकेट से राय ली कलेक्टर कोटा ने और गवर्नमेंट एडवोकेट ने उस पर यह राय दी है कि जो लाइसेंसिंग आर्डर है, उस लाइसेन्स के अन्दर जो कन्डीशन्स थी, उन कन्डीशन्स में कन्डीशन नम्बर दो के अन्तर्गत ऐसी मार्केटिंग सोसाइटी को, गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी को अनाज एक्सपोर्ट करने का अख्तियार था, इसलिए कि तमाम रेगुलेशन वगैरह, प्राइसेज वगैरह को गुजरात गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी।

श्री **देवीदत्त गाडिया**: एक थोड़ी बात बता दें।

श्री **परसराम मदेरणा**: पहले मेरी बात सुन लीजिये।

श्री **देवीदत्त गाडिया**: आपको थोड़ी भ्रांति हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी थी यह राजस्थान की नहीं थी, यह कोई बारां फर्म नहीं थी उसने सिर्फ परमिट लिया था कोटा जिले को, कोटा जिले का किसलिए कोटा जिले से कहीं से गल्ला खरीदने के लिए। उसमें से पचास पर्सेन्ट लेवी राजस्थान सरकार को चुकाने के बाद, पच्चीस पर्सेन्ट का परमिट एक्सपोर्ट का लेने के लिए उसका पचास पर्सेन्ट जो बचता है वह राजस्थान के कन्ज्यूमर को बेचना अनिवार्य था, वह गल्ला गुजरात सोसाइटी को बेच नहीं सकते थे। गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी भी मण्डी के अन्दर से गल्ला खरीद सकती थी, गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी किसी दूसरी फर्म द्वारा मंडी से गल्ला खरीद कर गुजरात भेज सकती थी, लेकिन पचास पर्सेन्ट गल्ला वहां से खरीद कर भेजने का अधिकार नहीं है। तो जिस फर्म ने बेचा है और जो इस तरह से गलत बेचान हुआ है उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री **परसराम मदेरणा**: गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी का मामला है, इसमें मुझे गलत फहमी नहीं है, आपको गलतफहमी है। गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ने लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत जो लाइसेन्स लिया था, वह लाइसेन्स लेने के बाद उसको यहां से एक्सपोर्ट करने के अख्तियारात थे। वह बारां, रामगंज मण्डी, भवानी मण्डी, केशोराय पाटन, प्रतापगढ़ का अनाज गुजरात ले जा सकता था। यह भी उसमें कन्डीशन थी लाइसेन्स आर्डर में कि जो प्राइसेज गुजरात गवर्नमेंट फिक्स करेगी उस प्राइस पर बेचना पड़ेगा। उसमें दूसरा भी

(श्री परसराम मदेरणा)

कई कन्डीशन्स थी। तो उस पर लीगल यह राय आई कि जो मेसर्स नारायण हरिशंकर, या जो कुछ भी मोटा अनाज इस सोसाइटी को बेचा इसने कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर की खिलाफवर्जी नहीं की है, यह मामला कोर्ट के अन्दर स्टेण्ड नहीं हो सकता है, यह मामला कोर्ट में चालान करने के लायक नहीं है। इसलिए कलेक्टर ने इस मामले को कोर्ट में चालान नहीं किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ने लाइसेन्स ले लिया राजस्थान का, तो जब मण्डी में से गल्ला खरीदा तो क्या उसने भी राजस्थान की सरकार को पच्चीस पर्सेन्ट छोड़ा? क्या पच्चीस पर्सेन्ट गुजरात भेजा और बाकी का पचास पर्सेन्ट गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ने राजस्थान में मोटा अनाज बेचा? उस पर भी वही कानून लागू होता है जो कि राजस्थान के व्यापारी पर लागू होता है। उसने कानून का पालन नहीं किया तो क्या कारण हुआ, कि जो उसने लाइसेन्स लेने के बाद राजस्थान के व्यापारी के ऊपर जो राजस्थान का फूड ग्रेन्स कानून लागू होता है, वह सारा का सारा कानून, लाइसेन्स आर्डर, उसके ऊपर भी लागू होता है तब फिर उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

श्री परसराम मदेरणा: चेअरमैन महोदय, पच्चीस पर्सेन्ट गवर्नमेंट को बेचेगा, पच्चीस पर्सेन्ट गवर्नमेंट को बेचने के बाद यह आर्डर में था, कि पचास पर्सेन्ट कन्ज्यूमर को बेचेगा और दोनों को देने के बाद पच्चीस पर्सेन्ट एक्सपोर्ट करने की इजाजत सर्टीफिकेट के रूप में देगा कलेक्टर तो एक्सपोर्ट किया जायगा। यह कोर्स ग्रेन्स रेगुलेशन आफ डिस्ट्रिब्यूशन आर्डर में था। इस सोसाइटी ने उसमें से एक्चुअली कितना बेचा, कितना नहीं बेचा यह फैक्ट्स मेरे पास नहीं हैं। उस समय जो कुछ भी फेक्ट्स थे उसमें एक्सपोर्ट किया, यहां नहीं बेचा यह मामला था इस मामले में लीगल एडवाइज ली गई तो लीगल एडवाइज यह आई कि यह केस नहीं बनता है, यह आफेन्स नहीं बनता है मेसर्स नारायण हरिशंकर हैं उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा बनाना ठीक नहीं है। इसलिए कलेक्टर ने इस मामले को कोर्ट में चालान नहीं किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। आप यह फर्मा रहे हैं कि आपके पास गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी का हिसाब नही है कि कि कितना गल्ला उसने खरीदा, कितना बाहर भेजा। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ने जितना गल्ला खरीदा है, कोटा के अन्दर और बारां के अन्दर और अन्य स्थानों के अन्दर वह सारा का सारा गल्ला उन व्यापारियों, जिनको ऐसा पचास पर्सेन्ट गल्ला राजस्थान में बेचना चाहिए था, से खरीदा। जब कि राजस्थान सरकार के कोटा जिले के अन्य व्यापारियों के खिलाफ, जिन्होंने गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी को बेचा, कार्यवाही कर सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा बना सकती है तो नारायण हरिशंकर के खिलाफ राजस्थान सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन व्यापारियों ने गल्ला बेचा, उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, उनके खिलाफ कागज चले, राजस्थान के फूड कमिश्नर ने उक्त व्यापारी के खिलाफ बारम्बार आदेश

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दिये कि इसके खिलाफ डी.आई.आर. का केस बनता है, इस केस को पुलिस में दिया जाय इसको गिरफ्तार कराया जाय, उसका अदालत में चालान किया जाय, मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा कलेक्टर, डी.एस.ओ. और बारां का एस. डी. ओ. राजस्थान के फूड कमिश्नर से बड़े हैं ?

श्री सभापति: आपने बात कहदी, माननीय सदस्य !

श्री **परसराम मदेरणा** । चेअरमैन महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, गुजरात मार्केटिंग सोसाइटी ने ऑफेंस कमिट किया था या नहीं किया, क्या उसको नाज तुलवाना जरूरी था या नहीं यह आपने नये मुद्दे उठाये हैं . . .

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी आप जांच करवा लें।

श्री परसराम मदेरणा: इसकी मैं जांच करवा लूंगा कि इसमें लीगल पोजीशन क्या है। मैसर्स नारायण हरिशंकर का जो सवाल है उस पर मुकदमा अदालत के अन्दर असेंसियल कामोडिटीज एक्ट की धारा 3 (/) के अन्तर्गत चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि, यह आर्डर प्रसारित हुआ है यह असेंसियल कामोडिटीज के नीचे हुआ था, यह डिफेंस आफ इण्डिया रूल्स के नीचे नहीं हुआ था। इसलिए उसके अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अब इस पर लीगल राय आजाती है और लीगल राय के अनुसार केस बनता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी जो लाइसेंसिंग ऑर्डर और राजस्थान कोर्स आफ ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर की खिलाफवर्जी की है तो उसके ऊपर डी. एस.ओ. ने सौ रुपये की सिक्योरिटी जब्त की है और कलेक्टर के पास जाने के बाद उसने तीन सौ पचास रुपये जब्त कर दिये हैं। इस सिक्योरिटी के अमाउण्ट को उसने बढ़ा दिया है।

तीसरा मामला बताया, इन्होंने सिरोही को गेहूं भेजा था, और गेहूं भेजने के अन्दर उन्होंने फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर के खिलाफवर्जी की थी। यह जो सवाल था यह टैक्नीकल टाइप का आफेंस था और लाइसेंसिंग आथोरिटी के सामने जब यह मामला गया तो उसने 50 रु. की सिक्योरिटी जब्त करदी। 50 रु. की सीक्योरिटी जब्त करने के बाद जो राज्य सरकार की बात कही है, राज्य सरकार को मतभेद हो, तो जहां तक क्वासी जुडिशियल बाडी के फैसले का मामला है, इस में राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है। यह प्रश्न अगर राज्य सरकार एग्रीव्ड फील करती है तो उसको अपील में जाना चाहिए। वह इस आथोरिटी को डाइरेक्ट नहीं कर सकती कि इसमें कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कलेक्टर को कह दिया कि ऐसा मालूम होता है कि जो जब्ती की है वह सिर्फ पचास रु. की है। वह थोड़ी की है। उस पर कलेक्टर ने यह लिख भेजा कि मेरे पास रिव्यू की पावर्स नहीं हैं। मेरे पास प्रिडीसेसर ने सौ रुपये से 50 रु. किये हैं वह कानून में सही नहीं मानता हूं। लेकिन मेरे पास अपील नहीं थी और अपील नहीं होने की वजह से मैं एक्शन लेने में समर्थ नहीं हूं। सक्षम नहीं हूं एक्शन नहीं लिया है। इसके ऊपर पांच रोज पहले, जब प्रश्न पूछा था। उसके जवाब में यह राज्य सरकार को इत्तिला दी है।

Page No. 73

(श्री परसराम मदेरणा)

चौथा मामला 67 का है। एन्फोर्समेंट आफिसर, जहां पर मैसर्स हरिशंकर अपना कारोबार करता है, वहां दुकान पर गया और जाकर निरीक्षण किया कागजातों का, रिकार्ड का, कागजात का इन्सपैक्शन करने के बाद उसमें अनियमितताएं पाईं तो राजस्थान फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर के नीचे उसने नोटिस दिया। उसके बाद वह जो रिप्लाई दे उस रिप्लाई के बाद यह मामला उसी आथोरिटी के पास जाने की तजवीज है। वह जो फैसला करेगा, उस पर हमारी एन्फोर्समेंट ब्रान्च यह बात समझती है, उसके अन्तर्गत अपील करेगी। मेरा निवेदन करना था कि लाइसेंसिंग अथोरिटी प्रासीक्यूशन अथॉरिटी, प्रासीक्यूशन करने का अधिकार कलेक्टर को है, इसमें जो फूड कमिश्नर या फूड मिनिस्टर की बात कही है तो जो अथॉरिटी को पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं उसके बाद राज्य सरकार किसी प्रकार ऐसा आदेश करने के लिए कि इसमें ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिये, सक्षम नहीं है। कानून के मातहत सब पोजीशन को एग्जामिन कर लिया है। और लॉ डिपार्टमेंट में कल परसों दो दफा जाकर बात की है। उसके बाद मेरी यह मान्यता है कि जो ऑथोरिटी पावर्स डेलीगेट कर दी तो प्रासीक्यूशन करने, पनिशमेंट देने और पैनल्टी इम्पोज करने की बात है उसमें वह अथोरिटी सक्षम है, उसने जो जजमेंट दिया है और जुडिशियल माइंड एप्लाई करते हुए फैसला दिया है उसमें एक अपील के बाद दूसरी अपील का प्रावीजन नहीं रहता है। एक अपील के ऊपर फैसले के बाद जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी रेमेडी है वह हाईकोर्ट में रिट में जाने की है। इसके अलावा राज्य सरकार कोई डाइरेक्शन ओथोरिटी को नही दे सकती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी किसी मामले में अपना फंक्शन अदा करते वक्त क्या फैसला देती है, उसके बाद में समझता हूं कि राज्य सरकार बार बार रिमाइण्डर भेजे तो में आप से कहूं कि राज्य सरकार एक जनरल नेचर का रिमाइण्डर भेज सकती है, कि इस प्रकार फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर की खिलाफ वर्जी आम व्यापारी कर रहे हैं उस मामले में हमारे जो सिविल सप्लाईज के इंचार्ज हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। और जहां कहीं इस प्रकार के आर्डर्स का इन्फ्रिजमेंट या वायोलेशन किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार केवल जनरल तरह की ऑर्डर दे सकती है। किसी पर्टीक्युलर मामले में एक खास व्यक्ति के मामले में राज्य सरकार लाइसेंसिंग अथोरिटी को कह नहीं सकती कि तुम इसमें लाइसेंस केंसिल कर दो। लाइसेंस कंसिल करने का लाइसंस सस्पेंड करने का और उसके साथ सिक्योरिटी को फोरफिट करने का यह सब अख्तियारात लाइसेंसिंग अथोरिटी को है। वह अपना माइंड एप्लाई करने के बाद अपना जजमेंट डिलीवर कर सकती है। उस जजमेंट के अन्दर हम किसी प्रकार का ओब्स्ट्रेक्शन देने में या डाइरेक्शन देने में सक्षम नहीं हैं। मैं समझता हूं जो एक्शन लिया है इन मामलों को देखते हुए लिया है। यह पहला मामला था। उसके अन्दर कलेक्टर ने यह बात की है कि लाइसेंसिंग आर्डर की खिलाफवर्जी की है इसलिए उसकी सिक्योरिटी को इन्क्रीज कर 300 रु. फोरफिट कर दिये हैं। इसमें फरदर फैक्ट्स की जांच करने की बात कही है तो जब तक फरदर फैक्ट्स की जांच नहीं होती तब तक राजस्थान कोर्स ग्रेन्स रेगूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर के अन्दर किसी प्रकार की कार्यवाही

(श्री परसराम मदेरणा)

करने की बात पैदा नहीं होती इन फैक्ट्स की जानकारी करने के बाद में निर्णय लेंगे। इसके बाद मामले में लीगल ओपिनियन आ गई है और तीसरे मामले में जो लाइसेंसिंग आथोरिटी का फैसला था उसकी अपील नहीं की उसको एक साल हो गया है। अब अगर राज्य सरकार अपील करना चाहती है तो एक माह की मियाद है। जो एक साल की मियाद है उसमें राज्य सरकार एक्शन नहीं ले सकती है।

चौथा मामला डी.एस.ओ. के जेर तजवीज है। वह जो फैसला देगा और उसमें एग्रीवड फील करते हैं तो पार्टी की हैसियत से अपील कर देंगे, अगर एग्रीव्ड फील नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे।

श्री शंकरलाल: माननीय मन्त्री ने बताया कि कलेक्टर सक्षम है इसलिए सौ रु. का जुर्माना लिया। और उसके बाद कलेक्टर ने अपने आर्डर का रिव्यू किया गवर्नमेंट के डाईरेक्शन पर। तो क्या उसका रिव्यू करना गलत था? अगर गलत किया है कलेक्टर ने तो क्या गवर्नमेंट इस प्रकार के आदेश जारी करेगी कि इस प्रकार वह अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकते?

श्री परसराम मदेरणा: इसके फैक्ट्स में मालूम कर लूंगा। जो भी कलेक्टर ने तीसरे मामले के अन्दर लिखकर भेजा है, मेरी बात आप सुनिये कि मुझे रिव्यू की पावर्स नहीं है और मेरे प्रेडिसर ने, ऐसा लगता है, रिव्यू किया है। तो मैं सारे कागजात मांगकर देखलूंगा। कलेक्टर को रिव्यू की पावर्स नहीं हैं। कलेक्टर रिव्यू कर सकता है कोई अपील कर दे। अपील एन्फोर्समेंट स्टाफ, डी.एस.ओ. या दूसरे ने की इसके कागजात को देखने के बाद कोई जनरल निर्णय लेने की सोचेंगे। कलेक्टर की रिव्यू की पॉवर्स रिवीजन की पावर्स फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर नहीं है। वह अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता, उसमें कायदे से अपील करना पड़ेगा। अपील होने पर अपील पर वह अपना माइंड एप्लाई करके फैसला करेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया: एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री सभापति: बहुत समय ले लिया है।

श्री देवीदत्त गाडिया: मैं संक्षेप में पूछना चाहता हूं। एक आप यह बताने का कष्ट करें कि जब आपके विभाग के एन्फोर्समेंट आफिसर ने जो उस फर्म, बारां और कोटा फर्म ने फोर्जरी की है, 420 का काम किया है, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

(2 म.प.)

दूसरे यह कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट ने लिखा कि इसने सेल्स टैक्स की चोरी की, चोरी से गल्ला सिरोही भेजा, कोटा में ही नहीं सारे राजस्थान में, जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के बाहर गल्ला भेजा, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई उनका पुलिस में चालान किया गया, कोर्ट में चालान किया गया, तो इनके खिलाफ यह सारी कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

दूसरा प्रश्न यह है कि नवम्बर, 1965 में कोटा कलैक्टर ने बिना सरकारी आदेश के, बिना कमिश्नर की आज्ञा के 30,000 बोरी गेहूं इकट्ठा किया, वह किसी कानून के तहत किया और तीन चार फर्मों को मिलाकर

Page No. 75

(श्री देवीदत्त गाडिया)

सोसायटी बनाई, उस सोसाइटी को बेचने का अधिकार कैसे दिया ? कोटा में किसानों से जबरन वसूली की, 55 रुपया क्विन्टल, के भाव से किसानों से खरीदा और इस फर्म को 61 रुपया क्विन्टल के भाव से बेचने को कहा, यह कार्यवाही कैसे की ?

कोटा में जिन व्यापारियों ने गल्ले की सूची नहीं टांगी इस आरोप पर पुलिस ने उन व्यापारियों को गिरफ्तार किया, किसी व्यापारी के स्टाक में एक दो बोरी का फरक पड गया तो इसी लाइसेसिंग आथोरिटी ने उनको गिरफ्तार किया, कोटा में उनके हाथों में हथकडी डाल कर बिन्दोरी निकाली, जब कोटा के व्यापारी भावों की लिस्ट नहीं टांगते हैं तो इस थोडे से अपराध में, उनको गिरफ्तार किया गया, तो फिर इनके खिलाफ इतना संगीन अपराध होने पर भी क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

मांगरोल के एक व्यापारी ने भावों की लिस्ट नहीं टांगी, उस के खिलाफ पुलिस ने केस बनाया और अदालत में चालान किया। ऐसे छोटे छोटे केसेज में आप गिरफ्तारियां करते हैं, चालान करते हैं पर इसने तो गल्ला सिरोही भेजा था, उसने बयान दिये कि मैं ने सिरोही गल्ला नहीं भेजा, पर मैसर्स नारायण हरिशंकर को गल्ला भेजा है, उसने पुलिस में बयान दिये हैं कि सिरोही गल्ला इसने भेजा, है, सिरोही की जिस फर्म को गल्ला भेजा गया, उस फर्म की बहियों में इन्दराज है कि इसके यहां से गल्ला आया, उसको महज इसलिये कि वह कांग्रेसी नेता है, बृजसुन्दरजी शर्मा से उसका दोस्ताना है, अप्रत्यक्ष रूप से वह मुख्य मन्त्रीजी का कृपापात्र है, इसलिये उसको बचाया जाता है ? वरना वास्तव में आप चाहते हैं, मुझे आप में विश्वास है, यदि आप चाहते हैं कि चोर बाजारी रुके तो इस मामले को विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द कर दीजिये, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा, और जो अपराधी है वह कठघरे में खडा होगा, जिससे दुनियां को पता चल जाय कि यह ऐसा व्यापारी है जो चोर बाजारी करता है।

श्री सभापति : इन मुद्दों का जवाब दे दिया गया है। चर्चा समाप्त हुई . . .

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने जो प्रश्न उठाये है, उनका जवाब देने दीजिये, माननीय मन्त्रीजी खडे हुए है जवाब देने के लिये, उनको जवाब देने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : चेअरमैन महोदय, 30 हजार बोरी गेहूं कलैक्टर ने इकट्ठा किया, खाली बोरियां, थीं, गायब कर गये, यह नया मुद्दा है, इन फैक्ट्स की मुझे जानकारी नहीं है।

यह फर्जी रेकार्ड का पहला केस है, मैंने निवेदन किया कि उसकी सिक्योरिटी फोरफिट की कलैक्टर के पास अपील की, कलैक्टर ने फरदर इन्क्वायरी कोप करने के लिये रिमाण्ड कर दिया है, वह पैन्डिग है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहने के लिये मैं असमर्थ हूं।

सिरोही की संस्था के मामले में कहा लेकिन यह टेक्निकल टाइप का केस था, 50 रुपया सिक्योरिटी का फोरफीट किया। 500 की सीक्योरिटी फोरफीट कर सकते हैं पर अब समय नहीं है। राजस्थान सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अपील में कर सकती थी, अब तो एक महिने की मयाद निकले हुए भी दस, ग्यारह महिने हो गये हैं, इसलिये कोई एक्शन लेने में सक्षम नहीं हूं।

माननीय सदस्य ने बहुत से व्यापारियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में कहा, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलग अलग केसेज के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, जैसे जिस केस के फैक्ट्स होते हैं उनके माफिक कार्यवाही की गई होगी। लेकिन यह कोई प्रश्न नहीं उठता कि वह कांग्रेस का है, मुख्य मन्त्रीजी का कृपापात्र है, मुख्य मन्त्रीजी उसके यहां दावत खाने गये थे इसलिये उसे गैर कानूनी तौर पर प्रोटैक्शन दिया है, मैंने एक एक पोइन्ट पर लॉ डिपार्टमेन्ट की कानूनी राय ली है और जो कानूनी पोजीशन थी, वह मैंने आपके सामने रखी है। जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि यह नेचरल जस्टिस के आधार पर तय होता है, पहले ओपोर्च्युनिटी दी जाती है और जो फैसला होता है, उसमें राज्य सरकार इन्टरफीयर नहीं कर सकती।

श्री भैरोंसिंह : एक व्यवस्था तो करदें कि ऐसे ब्लैक मार्केटियर के यहां मुख्य मन्त्रीजी दावत नहीं लें।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे दावत की जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री को दावत ब्लैक मार्केटियर ही देते हैं ब्लैक मार्केटियर्स के यहां मुख्य मन्त्री दावत खाने नहीं जायेंगे तो और कहां जायेंगे, क्योंकि ब्लैक मार्केटियर्स के अलावा और कोई उन्हें दावत नहीं देता।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्री या आप किसी के यहां दावत खाने चले जावें और उसके खिलाफ डी. एस. ओ. के यहां मुकद्दमा चल रहा है और आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो ब्लैक मार्केट का प्रश्न नहीं सर्टेन इन्फ्रिजमेन्ट्स आफ दी लाइसेन्सिग आर्डर का प्रश्न है। ज्यादा से ज्यादा सरकार यह कर सकती है कि उसके लाइसेन्स को सस्पेन्ड कर सकती है, लाइसेन्स को केन्सिल कर सकती है?

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : हमारे यहां हरिदेवजी और बृजसुन्दरजी गये और दावत खाई और चना गुजरात में भिजवाया, परमिट दिलवाया, उनको पूछ लीजिये।

श्री सभापति : श्री केशरी सिंह।

आधे घंटे की चर्चा

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डौली) : सभापति महोदय, 5 मार्च, 1968 को मेरा एक तारांकित प्रश्न था, पोलोविक्ट्री सिनेमा में "आखिरी खत" फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है, उसके सम्बन्ध में। उसका स्पष्ट उत्तर नहीं देने की वजह से यह आधे घंटे की चर्चा उठाई गई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि जो भी चल चित्र मनोरंजन कर से मुक्त किया जाता है तो वह सेन्सर बोर्ड आल इन्डिया का होता है, उसके द्वारा किया

(श्री केसरीसिंह हाडा)

जाता है । उसमें भी किस पिक्चर को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाय और किसको मुक्त नहीं किया जाय, इसका मापदण्ड होता है। जो चल चित्र ऐसे हों कि जिनका जन मानस पर अच्छा असर पडता हो, देशभक्ति की भावना पैदा होती हो या जन जागृति की भावना पैदा करने वाले चित्र हो, उसको मनोरंजन कर से मुक्त किया जाता रहा है। मगर न मालूम किन कारणों से पोलोविक्ट्री में 21 तारीख तक मनोरंजन कर सहित चलता रहा, उसके बाद 22 जुलाई से उस चल चित्र को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया गया। मेरे प्रश्न के उत्तर में राजस्थान के उप मन्त्री महोदय ने कहा कि समस्त राजस्थान में इस चित्र को मनोरंजन कर से मुक्ति मिली है, इस पर मैंने चाहा कि बूंदी में 'आखरी खत' चित्र चला था तो मनोरंजन कर लिया गया था, इस पर। उन्होंने कहा कि कर वापिस लौटा दिया जायगा ...

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप मन्त्री, आबकारी) यह नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : पहले मुझे सुन लीजिये, फिर आपको जो कहना हो कहें।

हमने पूछा कि किस को दिया जायगा तो उत्तर नहीं दे सके। हो सकता है कि मालिक को ही दें क्योंकि किसने टिकट खरीदा, किसने नहीं खरीदा, यह तो किसी तरह से मालूम नहीं हो सकता ।

इस प्रकार 22-7-67 से 7-8-67 तक पोलो विक्ट्री में यह चल चित्र चला और इस अर्से के दौरान यह मनोरंजन कर से मुक्त रहा। इस दौरान काफी स्कूलों के बच्चों और हर प्रकार के बच्चों से ताल्लुक रखने वाली संस्थाओं को देखने को भेजा गया और इसमें खास तौर से सिनेमा मालिक को एक लाख रुपया या इससे अधिक का फायदा हुआ। मैं निवेदन करूं कि इसमें लेशमात्र भी जन जागृति या देश भक्ति पैदा करने जैसी बात नहीं है। जिस प्रकार सेन्सर डिपार्टमेन्ट में जैसे "जागृति" हुई, "मदर इण्डिया" हुई । "हकीकत" हुई, "उपकार" हुआ इस तरह की पिक्चर्स जो जनता के अंदर जन जागृति करते हैं, उनको सेन्सर बोर्ड ने ही कर मुक्ति दे दी थी मगर इसको कोई कर मुक्ति नहीं मिली । खासतौर से जोधपुर के ठेकेदार होने के नाते शाह रूपनारायण जी सांघी 22 तारीख से पूर्व जो मयूर टाकीज के हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने मंत्रीजी से काफी समय वाद विवाद किया और किसी प्रकार से उनको बाध्य किया और उन्होंने इस बात को मन्जूर किया कि इस पिक्चर को मनोरंजनकर से मुक्त किया जाय और 22 तारीख से यह मुक्ति दी गई और जब तक पिक्चर चली इसको मुक्ति मिली और उससे उनको फायदा हुआ सिनेमा वाले को और राज्य सरकार को बहुत बड़ी हानि हुई जो सरकार के कोष पर असर पड़ने वाली बात है । इसके आलावा बूंदी के लिए मंत्रीजी ने कहा, बूंदी के अंदर भी कर मुक्ति होना चाहिए। अगर मैनेजर ने ले लिया है तो उसका जवाब दिया जायगा और इस पर ऐतराज होगा, या जो कुछ होगा । मैंने स्वयं ने कहा था, फिर मैं वहां गया और यह पिक्चर 5 दिन चली 11-1-68 से 15-1-68 तक । 11 तारीख को 188.82, 12 तारीख की

Page No. 78

(श्री केसरीसिंह हाडा)

119.85, 13 तारीख को 116.38, 14 तारीख को 175.17 व 15 को 67.96 रुपये कर वसूल किया। कुल मनोरंजन कर वसूल किया 668.17 रु. सिनेमा मालिक ने राजकोष में जमा कराया तो यह भी उनका कहना असत्य है कि सारे राजस्थान में इसको कर मुक्ति मिली। मैंने यह भी पूछा था कि क्या आपने कर मुक्ति देने से पूर्व अधिकारियों से सलाह ली थी तो कोई उत्तर नहीं दिया। कोई सलाह उनसे नहीं की गई, यह मामला केवल जोधपुर के बीच में था, उनको फायदा देना था और शाह रूपनारायण को फायदा उठाना था और उन्होंने ले लिया। 19-10-67 को राज्य सरकार एक आदेश निकालती है कि क्योंकि यह पिक्चर 7-8-67 को खतम हुई और 19-10-67 को आदेश निकाला और कर-मुक्ति को वापस लिया। ऐसी धांधली सरकार ने की है। एक बार मनोरंजन कर से मुक्ति दे दी, दुबारा उस पर मनोरंजन कर लगाया, न आपकी नीति है न रीति है, जो मन ने चाहा कर दिया जो चाहा नहीं किया। मुझे कहते हुए शर्म आती है। ऐसी सरकार को सोचना चाहिए, मनमानी नहीं चलेगी और मनमानी करना देश के प्रति और जनता के प्रति गद्दारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पिक्चर को खासतौर से एक व्यक्तिविशेष के लिए मनोरंजन कर माफ किया है और मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, उनका स्पष्टीकरण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने . . .

श्री केशरीसिंह हाडा : जरा आवाज और जोर से होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : उप मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, यहां पर वित्त विभाग के राज्य मंत्री उपस्थित हैं और इनको अभी तक दुर्भाग्य से इस सदन में बोलने का मौका भी नहीं मिला . .

श्री बी. एन. जोशी : गलत है।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम इनको भी मौका मिल जाय, इनकी वाणी सुन लें, इनकी नालेज का भी पता लग जाय। रोज उपमंत्री ही सवालों का जवाब देते हैं, पता भी लग जाय कि आप इनसे ज्यादा काबिल हैं या कौन है, टेस्ट हो जाय।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसका कर से संबंध है।

श्री भैरोंसिंह : आप उपमंत्री हैं वित्त विभाग के।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं टैक्सेशन का उपमंत्री हूं।

श्री बी. एन. जोशी : इसका सीधा संबंध उपमंत्री से है।

श्री सभापति : उपमंत्री के जवाब के बाद सवालों के जवाब राज्य मंत्री देंगे।

श्री बी. एन. जोशी : आपमें (श्री भैरोंसिंह) इतनी काबलियत नहीं है कि आप मुझे क्षमता का सर्टीफिकेट दे दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बून्दी से आने वाले माननीय सदस्य . . . .

श्री केशरी सिंह : बून्दी से तो आपके राजस्व मंत्री हैं, मैं हिंडोली से हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है। हिंडोली से आने वाले माननीय सदस्य ने फिल्म "आखिरी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
खत" को लेकर कुछ मुद्दे उठाए और इस बारे में उन्होंने प्रश्न भी सदन में पूछा था जिसका मैंने जवाब दिया था। खासतौर से माननीय सदस्य ने कहा है कि बून्दी के अंदर इस पिक्चर को मनोरंजन कर से मुक्त नहीं किया गया और जयपुर के पोलो विक्टरी सिनेमा को इस कर से मुक्त किया गया···

श्री केशरी सिंह हाडा : यह कोई खास बात नहीं है। 21 तारीख तक मनोरंजन कर था और 22 से मुक्त किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस पिक्चर को सारे राजस्थान में मनोरंजन कर से मुक्त किया गया और यह पिक्चर जैसे माननीय सदस्य ने फर्माया, बून्दी के अंदर भी इस पिक्चर को कर मुक्त किया गया था लेकिन 1-1-68··

श्री केशरीसिंह हाडा : मैंने कहा कर लगाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कर मुक्ति सारे राजस्थान में थी लेकिन 1-1-68 को इसको वापिस ले लिया और उसके बाद वह पिक्चर बून्दी के अंदर रिलीज हुई इसलिए वहां कर वसूल किया गया। लाखेरी में यह पिक्चर 1-1-68 के बाद रिलीज हुई, वहां पर भी कर वसूल किया गया। आपके मन में भ्रांति है कि जयपुर के अंदर कर वसूल नहीं किया गया और बूंदी में कर लिया। यह गलत है क्योंकि एग्जेम्प्शन विथ्ड्रा कर लिया इसलिए बूंदी में कर वसूल किया।

श्री केशरीसिंह : क्यों किया? माफ करने का क्या कारण था, वापस लेने का क्या कारण था और कुछ नहीं मैं चाहता। यूं हमने माफ किया और वापिस लिया, आप बता दीजिए। ज्यादा चर्चा मत करें, समय बरबाद हो रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप खुद बरबाद कर रहे हैं। इस पिक्चर को 21-7-67 को एग्जेम्पशन दिया गया था और वह बराबर 1-1-68 तक रहा। 1-1-68 को विथ्ड्रा कर लिया। जहां तक विथ्ड्रा करने का सवाल है, राजस्थान के अन्य 10 स्थानों पर भी यह पिक्चर चली 1-1-68 से पहले वहां भी बराबर छूट मिली। ये थे जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर, प्रतापगढ़, पाली, उदयपुर, किशनगढ़, भवानी मंडी और भरतपुर। मैंने जवाब दिया था कि इस पिक्चर को हरियाना और दिल्ली प्रशासन के अंदर भी छूट दी गई। तो बाकी सवाल रह गया कि इसके बाद एग्जेम्पशन को वापिस क्यों लिया खाली? जिस समय हमने नोटीफिकेशन निकाला, इस पिक्चर का ही विथ्ड्रा नहीं किया, जितनी भी पिक्चर्स को छूट दे रखी थी, उन सब की वापस ली। सिर्फ एक पिक्चर थी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में उसकी मनोरंजन कर की मुक्ति को वापिस नहीं लिया गया। क्योंकि 31 मार्च नजदीक था इसलिए जो मनोरंजन कर के टारगेट्स थे, इतनी रकम इकट्ठी करनी थी, वह पूरे नहीं हो रहे थे इस कारण से मनोरंजन कर का जो एग्जेम्पशन दिया था वह विथ्ड्रा किया। किसी एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की नीयित से नहीं किया जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जोधपुर के ठेकेदार हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने एक लाख कमा लिया। माननीय सदस्य ने आंकड़े देखे होंगे, मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने कितना मनोरंजन कर खोया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब छूट दी जाती है तो इस बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मुद्दा उठाया है कि गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, 21-7-67 को जो सूचना निकाली उसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और उसका नोटिफिकेशन हुआ था 11वें महीने के अंदर। इस प्रकार कानूनी खामी नहीं थी। जो कुछ कार्यवाही हुई उसमें बदनियती नहीं थी। पिक्चर की अच्छाइयों को देखकर कि बर्लिन की फिल्म फेस्टीवल में उसका सिलेक्शन हो चुका था, अखबारों में कटिंग्स हैं इसके अन्दर एक बालक कलाकार को लेकर सारे हिन्दुस्तान में तारीफ हुई है उसको प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपने भी वह पिक्चर देखा है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी बार देखा है आपने ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बार।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : कितनी दफा देखो आपके टिकट थोड़े ही लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी तरह मेरे को कौन दिखाने आता है।

श्री केशरी सिंह हाडा : मुझे कौन दिखाता है, आपको तो वहुत हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसमें मैं अर्ज कर दूं कि विभाग की कोई गलती नहीं है।

श्री सभापति : एग्जम्पशन के विथड्रा के आर्डर्स हैं आपके पास, वह पढ़कर सुना दीजिये।

श्री केशरीसिंह हाडा : वह तो मेरे पास भी है। दो प्रतियां हैं। सदन की मेज पर एक प्रति रख देता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : "राजस्थान मनोरंजन तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम 24 सन् 1957) की धारा की उप-धारा (2) धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार यह राय रखते हुये कि लोक हित में ऐसा करने के लिये युक्ति युक्त आधार विद्यमान है, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना सम; संख्या दिनांक 22-11-66 जो राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) दिनांक 27-4-67 को प्रसारित हुई है को निरस्त करती है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव में आयेगी।"

श्री केशरीसिंह हाडा मैं यह जानना चाहूंगा, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 21 से पूर्व इसको कर मुक्ति नहीं की, 22 से की, क्यों ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां, यह सूचना सही है। ऑर्डर 21 को ही पास हुये है।

श्री केशरी सिंह हाडा : 21 तारीख के दिन कौन कौन से छबी गृह में कौन कौन से चल चित्र चल रहे थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा : इससे राज्य सरकार को कितने धन का नुक्सान हुआ होगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा न कि इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

श्री केशरीसिंह हाडा : जनता पर टैक्स लगे, आप काहे को रखने लगे। क्या आपने कर

Page No. 81

(श्री केशरीसिंह हाडा)
मुक्ति के समय आपके अधिकारियों से भी सलाह की थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया-प्रश्नों के जवाब में भी आपको बता दिया था कि यह आववश्यक नहीं है कि अधिकारियों की राय ली जाय।

श्री केशरीसिंह हाडा : यह फिर किस आधार पर करते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारे पास पिक्चर की कटिंग आती है हम यह भी देखते है कि अन्य प्रान्तों में दिया गया है या नहीं दिया गया है। पिक्चर के रिलीज हो जाने के बाद पब्लिक के री-एक्शन को मद्दे नजर रखते हुये सैंक्शन करते हैं।

श्री केशरीसिंह हाडा : सेंसर डिपार्टमेन्ट से कोई स्वीकृति आई थी क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हैं। सेन्सस डिपार्टमेन्ट से कोई मतलब नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा : सेन्सस डिपार्टमेन्ट नहीं सेन्सर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां सेन्सर डिपार्टमेन्ट तो खाली पिक्चर रिलीज करने से पहले देखता है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल मेटर तो नहीं हैं, कोई अश्लील या भद्दे चित्र तो प्रदर्शन में में नहीं आते हैं। सेन्सर डिपार्टमेन्ट से कोई हमारा सम्बन्ध नहीं है।

श्री केशरीसिंह हाडा : तो क्या 21 से पूर्व राज्य सरकार की कोई योजना नहीं थी ?

श्री **प्रद्युम्न सिंह**: योजना का प्रश्न ही नहीं होता है।

श्री केशरीसिंह के बीच में खड़े होने पर, और कुछ बोलने पर) पहले आप सुन लीजिये। डिस्ट्रिब्यूटर को एक्जम्पशन के प्रुफ देने पड़ते हैं। वे लोग ऐसे प्रुफ लेकर आते है कि फलां फलां जगह एग्जेम्पशन दिया जा चुका है, यह भी देखा जाता है। पब्लिक के रि-एक्शन को भी देखा जाता, यह सब बातें आप भी जानते है। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुये एग्जेम्पशन दिया गया है।

श्री केशरीसिंह हाडा : वापिस क्यों लिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया जितनी आमदनी होती थी इस तस्वीर से वह . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, एक प्रश्न।

श्री सभापति : माननीय सतीशचन्द्रजी !

श्री केशरीसिंह हाडा : सभापति महोदय . .

श्री सभापति : माननीय सतीशचन्द्रजी बोलना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, एक पिक्चर को एग्जेम्पशन दिया जाय या नहीं दिया जाय, इसका क्या सरकार ने कोई क्राईटेरिया निर्धारित कर रखा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं। कोई क्राईटेरिया निर्धारित नहीं हैं। यह क्राईटेरिया भी फिक्स करना असम्भव हैं। पहले से क्राइटेरिया फिक्स अप करके चल नहीं सकते हैं। यह एन्टीसिपेट नहीं कर सकते हैं कि पिक्चर में क्या खासियत आने वाली है। पहले से क्राइटेरिया करना मश्किल है। मै

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
समझता हूं किसी भी प्रान्त में इस प्रकार का क्राइटेरिया नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस सम्बन्ध में क्या कोई पिक्चर के अधिकारी पिक्चर को देखते हैं या पिक्चर की डिटेल्स अवेलेबिल करते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह: हमारे पास पेपर्स की कटिंग्स आती हैं। पब्लिक से इस बात का पता लग जाता हैं। ये बातें कोई छिपी हुई नहीं रहती हैं। आप भी देखने जाते हैं। इस तरह लोगों से तारीफ सुन लेते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह तो ठीक है कि आप तारीफ सुनकर कर देते हैं। क्या सरकार भविष्य में पिक्चर्स को एन्टर्टेनमेंट टैक्स से मुक्त करने के सिलसिले में जो कि यह आम शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट जिसको फेवर करना चाहे, उसको कर-मुक्त कर देती है और जिसको फेवर नहीं करना चाहे, उसको नहीं करती है तो भविष्य में एग्जेम्पशन करने की दृष्टि से कोई बोर्ड बना दिया जाय कि किस पिक्चर को कर-मुक्त करना है और किस को नहीं करना है, यह सब देख लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि सारी बातों को देखकर ही करते हैं। बोर्ड के गठित करने की जो बात है, उसके लिये तो मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं, क्योंकि यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। कोई क्राइटेरिया फिक्स करना भी मुश्किल है। जिन तस्वीरों को हमने राजस्थान में कर मुक्ति दी है, उनके बारे में किसी की कोई शक शुबाह नहीं है। हमने जिस पिक्चर को मुक्त किया है, उसकी काफी तारीफ हुई है। कोई चलती फिरती पिक्चर को राजस्थान में एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है।

श्री केशरीसिंह हाडा: "आखिरी खत" को देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रद्युम्न सिंह: यह तो अपनी समझ की बात है।

श्री केशरीसिंह हाडा: "आखिरी खत" से कौनसी जन जाग्रति पैदा होती है? वह तो बहुत अश्लील और गन्दा पिक्चर था। इसमें कंवारे लड़के और कुंवारी लड़की के पुत्र पैदा होता है और वही उस पिक्चर का हीरो होता है इससे बढ़कर क्या अश्लीलता हो सकती है।

श्री सभापति: (माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता: पुत्र पैदा होता है, यह अश्लीलता नहीं है।

श्री केशरी सिंह हाडा: कंवारों के पुत्र पैदा हो, यह कोई अच्छी बात है।

श्री मनोहर सिंह मेहता: यों कहो कि कंवारों के होता है।

श्री केशरी सिंह हाडा: मेरा मतलब कंवारों से ही तो है।

श्री सभापति: कृषि मंत्री जी!

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1968

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि उदयपुर

(श्री शोभाराम)
विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री राम नारायण ! श्री गिरधारीलाल ! श्री सतीशचन्द्र !!!

श्री सतीशचन्द्र अ्ग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उदयपुर युनिवर्सिटी विधेयक है या कौनसा विधेयक रखा है, सुनाई नहीं दिया, सभापित महोदय।

श्री सभापति : उदयपुर विश्वविद्यालय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर विश्वविद्यालय, जो कृषि मंत्री महोदय ने उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1968 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है इसको जनमत जानने हेतु एक प्रस्ताव की सूचना मैंने सदन को दी है। सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस विधेयक में जितना थोड़ासा संशोधन करने की आवश्यकता सरकार को महसूस हुई, उसके अनुसार इस विधेयक को जनमत जानने हेतु भेजने की आवश्यकता तो नहीं है, परन्तु इस विधेयक के सिलसिले में विचार प्रकट करते हुए मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि आपने इस विधेयक के माध्यम से केवल एक धारा में संशोधन करने की बात कही है। मैं कृषि मंत्री महोदय को विशेष रूप से कह रहा हूं और शिक्षा मंत्री जी जो यहां अनुपस्थित हैं, उनको भी विशेष रूप से और इस सम्पूर्ण राज्य सरकार को शिक्षा के सम्बन्ध में एक दो बातें यहां कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकार द्वारा वित्त सचिव या अन्य सचिव जो बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के सदस्य हैं उनको समय नहीं मिलता है इस कारण वे बैठक से अनुपस्थित रहते हैं इसलिये उनके स्थान पर उनके अधीनस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमीनेट करदे ताकि वह बोर्ड की बैठक में भाग ले सके उसको अनुमति दी जाय इस प्रकार की धारा लाकर संशोधन चाहा गया है।

सभापति महोदय, इस सदन के अन्दर आज से नहीं जब भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामनिवासजी मिर्धा थे उस समय भी हमने एक बात की मांग की है कि राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालयों के खोलने की नीति जो राज्य सरकार की है क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्रीय भावना से प्रेरित है। आज राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वे राजस्थान के विश्वविद्यालयों को अनुदान दे सकें। राजस्थान सरकार राजस्थान के विश्वविद्यालयों की हालत नहीं सुधार सकती राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय में जो परीक्षायें होती हैं उनके जिस प्रकार के रिजल्ट्स हैं उनके अन्दर किसी प्रकार का सुधार नही कर पायी। राजस्थान के विश्वविद्यालययों में जो शिक्षा का स्तर है, प्राध्यापक हैं उनका जिस प्रकार का सम्बन्ध छात्रों से है उसके कारण छात्र और प्राध्यापक में भी असन्तोष व्याप्त है। राजस्थान के विश्व विद्यालयों की हालत के बारे में इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जोधपुर विश्वविद्यालय अपना कनवोकेशन एड्रेस नही कर सका इस प्रकार की विचित्र स्थिति राजस्थान में विश्वविद्यालयों की है। जोधपुर विश्वविद्यालय का कोई कन्वोकेशन नहीं, उसका कोई प्रोग्राम नहीं, डिग्रियां चेम्बर में वितरण करना, डाक द्वारा भेजना यह सब बातें बताती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं कि इन विश्वविद्यालयों की हालत क्या है। इससे अधिक शर्म की बात सरकार के लिये और क्या हो सकती है?

इसी प्रकार जोधपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस सदन में अनेक प्रश्न उठाये गये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा और हम लोगों ने भी उठाये कि विश्व विद्यालयों में जो लेक्चरार्स का, प्रोफेसर्स का या रीडर्स का एपाइन्टमेन्ट होता है वह बड़ा अनियमित ढंग से होता है। उस पर राज्य सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में विश्वविद्यालय को आगाह किया जायगा। आज हम देखते हैं कि राजस्थान की युनिवर्सिटी का जो शिक्षा का स्टेन्डर्ड है वह कितना गिरता जा रहा है, रिजल्ट्स का स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है। हमें यह कहते हुए कोई गर्व नहीं होता, दुख होता है। आज हमारे बजट का 25 प्रतिशत खर्चा हम शिक्षा पर कर रहे हैं, 29 करोड़ रुपया युनिवर्सिटी एज्युकेशन पर और अन्य शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन भी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है। लेकिन राजस्थान के विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार का शिक्षा का स्तर होना चाहिये ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स का वह नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर आई. ए. एस. और आइ. पी. एस. और आई. एफ. एस. के सिलेक्शन में आ नहीं पाते। हमारे विश्व विद्यालय के विद्यार्थी इन कम्पीटिटिव परीक्षाओं में आगे आने चाहिये लेकिन वे आ नहीं पा रहे हैं। राजस्थान विश्व विद्यालय के छात्र आल इन्डिया कम्पटिशन में टिक नहीं पाते। शिक्षा का स्तर लो है। आज दुर्भाग्य से राजस्थान के विश्वविद्यालय पोलिटिक्स के केन्द्र बने हुए हैं, राजनीति के ये केन्द्र बनते जा रहे हैं। राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से विचित्र स्थिति राजस्थान के विश्वविद्यालयों की है। ऐसी स्थिति में इनमें सुधार करने के लिये कोई प्रभावकारी कदम उठाया जाना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में युनिवर्सिटीज की जो हालत है, शिक्षा का स्तर है उसको देखते हुए एक कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिये। युनिवर्सिटी एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है, राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया गया है कि इन्सपेक्शन की दृष्टि से वे इस प्रकार की इन्सपेक्टिंग कमिटी का निर्माण कर सकते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय या राजस्थान सरकार हमारी इस भावना को चान्सलर के पास पहुंचायें कि विधान सभा सदस्य युनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर जिस प्रकार का प्रावधान है उसके अन्तर्गत युनिवर्सिटी की शिक्षा, इनमें एपॉइन्टमेन्ट, इनमें होने वाली इर्रेग्युलेरिटीज के सम्बन्ध में एक कमीशन बिठाना चाहते हैं। चान्सलर महोदय एक कमिटी बनाये जो सारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में घूमने के बाद जानकारी हासिल करे और वह रिपोर्ट सदन में पेश करे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सदन गंभीरता से विचार करे।

हमने इस सदन में कई बार मांग की है राजस्थान विश्वविद्यालयों की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये। उस समय इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस सदन में प्रस्तुत करेंगे लेकिन एक भी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
युनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सरकार के सामने और न ही सदन के सामने आई हमने इस बारे में सवाल भी पुछे और सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित भी किया कि वह रिपोर्ट सदन में विचारार्थ आनी चाहिये ताकि सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव युनिवर्सिटी एज्युकेशन के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे सकें। लेकिन अभी तक किसी भी युनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली। आज विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की स्थिति है कि स्टूडेन्ट्स और प्रोफेसर्स में प्रेम नहीं। आज इनमें एग्जामिनेशन को लेकर और दूसरे दूसरे मसलों को लेकर विद्यार्थी हडताल का सहारा लेते हैं यह बडे दुर्भाग्य की बात है।

अभी आपने देखा होगा राजस्थान के मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों ने द्वितीय वर्ष एम.बी.बी. एस और प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. की परीक्षा के विषय को लेकर हड़ताल की थी। इसी तरह से पोलिटेकनिक के छात्रों ने भी हड़ताल की थी। इससे यह पता चलता है कि राजस्थान में शिक्षा के अन्दर किस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही है। आज उनके लिये पढ़ाई में लगने का समय है लेकिन वे, युवा पीढ़ी राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल करने को आमादा हो रही है। आज इसका कारण यह है कि उनको यह अन्देशा है कि उनको अपनी आजीविका के लिये कोई साधन नहीं मिलेंगे इसलिये छात्र वर्ग में असन्तोष फैल रहा है।

मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि उदयपुर पोलिटेकनिक के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। होना तो यह चाहिये था कि सरकार उनकी मांगो को मन्जूर करती या सहानुभूतिपूर्वक विचार करती इसके बजाय राजस्थान सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करना तो दूर रहा उल्टा पोलिटेकनिक कालेज में 400 सशस्त्र सिपाहियों ने घुसकर लड़कों को, प्रोफेसर्स को मारा पीटा। इस तरह से वहां असन्तोष की स्थिति पैदा की। आज यही हालत राजस्थान में सब जगह चल रही है।

मैं यह मानता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जब जयपुर में स्थापित हुई उसके बाद क्षेत्रीयवाद चला और उसी के आधार पर उदयपुर और जोधपुर में विश्वविद्यालय खोले गये जो क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर खोले गये।

राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है। उदयपुर में विश्वविद्यालय होना चाहिए यह सवाल जब खडा हुआ तो जोधपुर में भी यह सवाल खडा हुआ कि यहां भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिये। विश्वविद्यालय हो, इससे मुझे ऐतराज नहीं। पर उनके पास जितनी धनराशि, बिल्डिगें आदि साधन होने चाहिए वे साधन नहीं होंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय जो करना चाहेगा वह सुन्दर और सुचारु रूप से नहीं कर सकेगा। नतीजा यह होगा और यह हुआ कि यहां इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा के संबंध में राजस्थान में बडा भारी असन्तोष है। •

इसलिये इस मौके पर इस विधेयक के संबंध में हालांकि ये सारे विचार विषय के अन्तर्गत नहीं है, पर चूंकि यह विचारार्थ यहां आया है तो इसलिये सरकार से यह कहना चाहता हूं और कृषि मंत्री महोदय मेरी सारी बातों का जवाब दे भी नहीं सकेंगे क्योंकि उनके सामने तो सवाल है एग्रीकल्चर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यूनिवर्सिटी का। पर सरकार से अपील करना चाहूंगा कि यह जो आज राजस्थान में विश्वविद्यालयों की हालत है उसकी जांच करने की आवश्यकता है। अगर इन ने अपने शिक्षा के स्तर को नहीं बढ़ाया तो राजस्थान में आने वाले वर्षों में प्रशासनिक सेवाओं में जैसे लोग उपलब्ध होने चाहिये नहीं हो सकेंगे।

एफीलियेशन के सवाल को लेकर असन्तोष व्याप्त है। जयपुर के महाराजा कालेज में इवनिंग कालेज खुला है और "लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल कालेज" के नाम से खुला है और उसे एफीलियेट किया है। ऐसी इन्स्टीट्यूट्स का स्टेण्डर्ड क्या हो सकता है? इस इवनिंग कॉलेज में जितने प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स हैं उनमें से तीन चौथाई एक ही व्यक्ति विशेष के रिश्तेदार हैं। इन रिश्तेदारों को नौकरी देने के लिये ही यह कालेज खोला गया है ऐसा लगता है। इसलिये कहता हूं कि ये कांग्रेस के एक बडे नेता हैं देवीशंकरजी तिवारी। इसमें उनका लडका है, साला है, दूसरे रिश्तेदार हैं, लडकी है, लडकी के साथ जिसकी शादी होने वाली है ऐसे भावी दामाद हैं। तो इस तरह से एक ही परिवार के सदस्यों को नौकरी देने के लिये कालेज खोला जावे और यूनिवर्सिटी से एफीलियेट किया जावे ऐसी बातों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

आज हिन्दुस्तान के एज्युकेशन के स्टेण्डर्ड के मुकाबले में हमारी यहां की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। यह पी. एस. सी. की रिपोर्ट आवेगी तब मालूम होगा कि हमारी युनिवर्सिटी से निकले हुए इन्टेलेक्चुअल्स को जनरल नोलेज का स्टेण्डर्ड कितना गिरा हुआ है। यह पी. एस. सी. की रिपोर्ट पहले भी आई थी और आवेगी तब मालूम पडेगा चाहे आप इस पर कितना ही खर्चा करें 25 प्रतिशत रेवेन्यु का खर्चा करें। पूछा गया था उनको कि सम्पूर्णानन्द कौन थे। उत्तर दिया स्वामी विवेकानन्द के भाई थे। मैं समझता हूं कि आज जिस हालत में हमारी एज्यूकेशन चल रही है, हमें इस यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन को सुधारने के लिये विचार करना होगा। सारे यूनिवर्सिटी एक्ट के बारे में सोचकर एक मूल एक्ट बनाकर सारे राजस्थान में एक सी व्यवस्था लागू करनी होगी। इस प्रकार की व्यवस्था सम्पूर्ण यूनिवर्सिटियों में लागू करनी होगी।

राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट की धारायें और अनुदान नियम अलग। जोधपुर का अलग और उदयपुर का अलग। यह सब नहीं चल पावेगा अब अगर आप को स्तर बढाना है तो। आपको इसे कोडीफाई करके कन्सोलिडेट करके सब के लिये एक प्रकार की व्यवस्था और प्रोविजन्स कानून की धाराओं में करने होंगे। सीनेट और सिंडीकेट का एक सा गठन करना होगा। इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिये।

आज सरकार अपने सरकारी अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा बोर्ड आफ कन्ट्रोल में रखना चाहती है। यह निन्दनीय है। हेय है। सरकारी अधिकारियों को इनमें घुसेडना शिक्षा के क्षेत्र को पीछे धकेलना है। फाइनेन्स सेक्रेटरी को मीटिंग में जाने का समय नहीं मिलता तो इसलिये उसका अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी जाना चाहिए यह कौनसे शास्त्र में लिखा है? परसरामजी हाउस में नहीं आ सके; समय नहीं मिलता उनको इसलिये उनका प्राइवेट

Page No. 87

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सेक्रेटरी आकर यहां बैठे तो यह नहीं होने का है। समय नहीं है तो नहीं है। आप का फाइनेन्स सेक्रेटरी समय नहीं मिलने से उसमें नहीं जा सकता, पब्लिक एन्टर प्राइज की मीटिंग हो उसमें नहीं जा सकता। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में जा नहीं सकता हमारा लाखों करोडों का उनमें इनवेस्टमेन्ट है वहां नहीं जा सकता। घाटा हो रहा है तो उसको देखने नहीं जा सकता·······

(2.45 म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

तो कहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। सेक्रेटरी नहीं जा सकता फाइनेन्स सेक्रेटरी नहीं जा सकता, नहीं जावे। पर इसके बदले उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी को अधिकार देना गलत होगा। शिक्षा क्षेत्र में अनड्यू इन्टरफीयरेन्स होगा। इस व्यवस्था और प्रावधान की निन्दा करते हुए, यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन के स्टेण्डर्ड की दृष्टि से इसकी जांच कराने की दृष्टि से मांग करते हुए मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्रजी !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1968 जो सदन के समक्ष रखा गया है उसके संबंध में मैंने इसे जनमत जानने हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिये प्रस्ताव रखा है। मेरे विचार इस बारे में मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अभी जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे इस यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन के बारे में, उस बारे में मेरा भी यह अभिमत है कि जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीन यूनिवर्सिटियों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक से ही बखूबी काम चलाया जा सकता है। आज हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है। बाकी विश्व विद्यालयों को जल्दी से जल्दी बन्द कर देना चाहिये।

राजस्थान विश्वविद्यालय से 80 कालेज एफीलियेटेड हैं जब कि जोधपुर से पांच और उदयपुर से दो तीन। तो क्या आठ दस कालेजों के लिये अलग विश्वविद्यालय बनाये रखना बुद्धिमत्ता की बात हो सकती है ? यह मेरी समझ में नहीं आता। गहराई से काफी अध्ययन करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं। देश के शिक्षा के स्तर को देखते हुए भी एक यूनिवर्सिटी ही काफी है। आज इन तीनों का अध्ययन का स्तर बराबर का नहीं है। इसका कारण है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर लेक्चरार नियुक्त किये जाते हैं उनका एक अच्छा स्टेण्डर्ड है, उनके स्टेण्डर्ड को बनाये रखने के लिये अच्छी लाइब्रेरी है जो कि देश की अच्छी लाइब्रेरियों में से एक है। इसके मुकाबले में जोधपुर और उदयपुर में अच्छी लाइब्रेरी नहीं है और इतने योग्य प्रोफेसर और लेक्चरार भी नहीं हैं। फिर यहां प्रोफेसरों के प्रमोशन्स और एपॉइन्टमेन्ट्स में भी काफी पक्षपात और धान्धली बरती जाती है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जो पी. एच. डी. नहीं है और न उचित योग्यता रखता है उसको प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया जाता है। जोधपुर में ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर नाम लेना इस समय में उचित नहीं समझता।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

फिर राजनीति काफी सीमा तक इनमें बरती जाती है जिसने सारे शिक्षा के वातावरण को विषाक्त कर दिया है। यही कारण है कि आज इनकी रेपूटेशन भी नहीं है। यहां के पास बी. एस. सी. को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एम. एस. सी. के लिये एडमिशन भी नहीं मिलता। तो इन का स्टेण्डर्ड ठीक न होने के कारण रेपूटेशन भी नहीं बनती है। तो सिर्फ एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण रख कर यूनिवर्सिटियों को जारी रखना कतई वान्छनीय, नहीं है।

दूसरा जो पॉइन्ट है विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासनहीनता बहुत ज्यादा है। उसके मूल कारण में हमें जाना चाहिये। इसका मैंने बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया है। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका मुख्य कारण राजनैतिक पार्टियां हैं जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये इन छात्रों का दुरुपयोग करती हैं। इनकी शक्ति और स्फूर्ति का अपने स्वार्थ के हित में दुरुपयोग करती हैं। अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण वे यदा-कदा छात्रों को उकसाते रहते हैं इन्दिरा गांधीजी यू. पी. में आई थीं और इन्हीं राजनैतिक पार्टियों के चंगुल में फंसकर छात्रों ने उनका भी अपमान करने की ठान ली थी। तो इस अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये राजनैतिक पार्टियों द्वारा उनको भडकाना रोकना चाहिये। तो इस प्रकार की जो राजनैतिक पार्टिया हैं जो प्रधान मंत्री का जैसा उच्च पद है उसका अपमान करने का प्रयास करें और विद्यार्थियों को भडकाने की कोशिश करें तो यह प्रश्न है जिसके लिए सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार यह अनुशासनहीनता समाप्त की जाये। इसके लिए आवश्यक है कि इन विद्यार्थियों के मामलों में इन राजनैतिक पार्टियों को कतई भाग नहीं लेना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी भी तरीके से कोई भी पोलीटिकल पार्टी यूनिवर्सिटी कैम्पस में जाकर कोई उनको बहकाने का प्रयास नहीं करे और उनको भडकाने का प्रयास नहीं करे। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक विद्यार्थियों में जो राजनैतिक पार्टियां हैं इस प्रकार की अनुशासनहीनता बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आज पोलीटेक्निक कालेज का प्रश्न आता है और दूसरे मेडिकल कालेजेज का प्रश्न आता है इसमें गहराई से जायें तो राजनैतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए उनको उकसाती हैं और गलत वातावरण पैदा करती हैं जिससे देश को नुकसान होता है। जो विद्यार्थी देश के कर्णधार होंगे वह किस प्रकार देश की आजादी को कायम रख सकेंगे यह प्रश्न भी बडा विचारणीय प्रश्न रह जाता है। और यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है कि फाइनेन्स सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में उनके जो नेक्स्ट रेंक का ऑफिसर है वह जायेगा तो मैं भी इसी मत का हूं कि बोर्ड नॉन-आफिशियल मेम्बर्स का होना चाहिए और उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी को लिया जाता है तो वह उसकी योग्यता के आधार पर ही लिया जाता है। अगर आज कोई भी मिनिस्टर है उसकी जगह डिप्टी मिनिस्टर उसका कार्य नहीं कर सकता उसी प्रकार फाइनेन्स सेक्रेटरी की जगह उसका जो असिस्टेन्ट है वह इस प्रकार की योग्यता रख नहीं सकता और वह यूनिवर्सिटी के मामले में ज्यादा कन्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता इसलिये मेरी राय है कि उनको कोशिश

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
करनी चाहिए कि फाइनेन्स सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद वालों को कि वह उनको अटेन्ड करें और कोई अनएवायडेबल सर्कम्स्टान्सेज हों और अटेन्ड नहीं कर सकें तो दूसरे सदस्य होंगे वह उसके बारे में निर्णय ले लेंगे। इसलिए नेक्स्ट रेंक वाली ऐसी चीज नहीं है कि उसको मान्यता दी जाये और जो अमेन्डमेन्ट किया गया है मैं उसके विरोध में हूं और मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट एक्ट वापिस ले लिया जाये तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा ....

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : और कोडी-फाइड रूप में लाया जाय तो भी ऐतराज नहीं है।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : हां और कोडीफाई कर दिया जाय तो भी मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री **सभापति** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : सभापति महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी के वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के लिये वर्तमान बिल पेश किया गया है। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कि आज यह आवश्यकता है राजस्थान में कि हम जो हमारे 3 विश्व-विद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम के बारे में हम पुनर्विचार करें। सभापति महोदय, राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और उस वित्तीय स्थिति में जो हम लगभग 1।। करोड रुपये अपने फण्ड से राजस्थान के विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं—मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि जो नतीजे उपलब्ध हैं, अभी तक जिस तरीके की शिक्षा पद्धति हमारी युनिवर्सिटीज में चल रही है, जिस प्रकार का प्रशासन इन यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, उनमें जो हमारा इनवेस्टमेन्ट है, जो हमारी होप्स हैं, हमने जिस दृष्टिकोण से इन यूनिवर्सिटीज को बनाया था वह हमारे पूरे नहीं हुए। अभी जयपुर से आने वाले या बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस संबंध में जो विचार व्यक्त किये अथवा जिनकी शिक्षा में दिलचस्पी है जो चाहते हैं कि राजस्थान की शिक्षा का स्टेण्डर्ड ऊंचा हो, क्या आप पत्रों को देखें, क्या आप बुद्धिजीवी लोगों के कमेन्ट्स को देखें आज विश्वविद्यालयों में जिस तरह की स्थिति है उससे पूरी तरह से वे चिन्तित हैं। सभापति महोदय, यह बिलकुल सही है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की शिक्षा और उनकी प्रगति को देखते हुए केवल एक राजनैतिक निर्णय था कि एक यूनिवर्सिटी उदयपुर में और दूसरी जोधपुर में और शुरू कर दी गई जब कि वास्तविकता यह थी कि हम अपने विश्वविद्यालयों की शिक्षा को एक यूनीवर्सिटी में केन्द्रित करके उनका फैलाव हमें करना चाहिए था। उदयपुर के अन्दर कुछ कॉलेजेज इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हों वहां रेजिडेन्शियल तरीके की एक ही यूनिवर्सिटी में व्यवस्था कर दी जाये, उसी प्रकार से जोधपुर में हो जाये और दूसरी जगह हो जाये उससे मुझे आपत्ति नहीं लेकिन अलग यूनिवर्सिटी कायम करके हम शिक्षा के बजट को केवल प्रशासनिक कार्य में खर्च करें, हम इन यूनि-वर्सिटीज को एक इन्ट्रीग्ज का अड्डा बना दें, मैं समझता हूं कि यह सही दृष्टिकोण नहीं है और पैसे का सही उपयोग नहीं है......

Page No. 90

श्री विजयसिंह रावत : सभापति महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, कोरम नहीं है। 18 होने चाहिये 14 ही हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैंने एप्रोप्रियेशन बिल के बहस के समय कुछ तथ्य सदन के सामने रखे थे और मैं उम्मीद करता था कि गवर्नमेन्ट की ओर से उसका उत्तर दिया जायगा लेकिन मुझे खेद है कि माननीय वित्त मंत्री जी जो जोधपुर यूनिवर्सिटी के हालात से पूरी तरह से परिचित हैं उन्होंने इस बात को कहकर टाल दिया कि इस मामले को शिक्षा के दिन उठाया जाना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आज चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी बिल को माननीय कृषि मंत्री जी पाइलेट कर रहे हों लेकिन यह प्रश्न सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज शिक्षा मंत्री जी खुद मौजूद हैं और मुझे खुशी है वह इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय के लिये निवेदन किया था कि सन् 62 में यूनिवर्सिटी बनी लेकिन पिछले 6 वर्षों में जोधपुर विश्वविद्यालय किस स्थिति पर पहुंच गया वह राजस्थान के लिये लज्जा की बात है। सभापति महोदय, आज यूनिवर्सिटी अखाड़ेबाजी का केन्द्र बन गया। जिस प्रकार के वाइस चान्सलर वहां पर चुने गये, मैं यह कहना चाहूंगा कि वाइस चान्सलर का पद सम्मान, योग्यता और एफीशियेन्सी का होता है उसके मुकाबले में इस प्रकार के लोग वहां पर चुने नहीं गये। मैं बहुत इज्जत के साथ कहना चाहूंगा कि वर्तमान जो वहां पर वाइस चान्सलर श्रीमान् रूंगवाल जी मेरी जानकारी के अनुसार यह कम्पलसरेली रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जलोजी के। कम्पलसरेली रिटायर किये गये। इन्होंने कोशिश की राजस्थान के जोन के अन्दर इनको कोई जॉब मिल जाये और जिसकी सेलेरी 500 रुपये थी वहां एप्लाई किया। वहां उनको नहीं लिया गया और ऐसे व्यक्ति को आप यूनिवर्सिटी का वाइस-चान्सलर बनाकर बैठा दें मैं समझता हूं कि उसके नतीजे जो होने चाहिए थे वह हम आज भुगत रहे हैं।

(3 म. प.)

यह स्थिति है, सभापति महोदय, उस यूनिवर्सिटी की। उस यूनिवर्सिटी के अन्दर आज इतनी सेंक्टिटी नहीं रही है कि डाक्यूमेन्ट्स में भी वहां के वायस चान्सलर और रजिस्ट्रार ने जो वहां पर मिनिट्स रखे जाते हैं उन मिनिट्स तक में तब्दीली करने की कोशिश की। सभापति महोदय, वहां पर एक मीटिंग हुई है उसमें कुछ प्रोफेसर्स के एपॉइंटमेन्ट्स का सवाल आया और उसमें वायस चान्सलर को यह पॉवर दी गई कि वायस चान्सलर साहब फलां लोगों की निगाह करें इस बारे में। मिनिट्स में यह भी लिख दिया कि निगाह करके एपॉइन्टमेन्ट्स करदें। जब सिन्डीकेट को मालूम हुआ तो हमारे भूतपूर्व स्पीकर, श्री रामनिवासजी मिर्धा ने एतराज उठाया कि ऐसा तय नहीं हुआ था। उनें एपाइन्टमेन्ट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और उस सिन्डीकेट की उस मीटिंग में उन शब्दों को हटाया गया और जो एपॉइन्टमेन्ट्स वायस चान्सलर ने किये उनको गैर कानूनी करार दिया गया। तो इस तरह की जहां की स्थिति है, जहां मिनिट्स तक को चेन्ज कर दिया जाय तो आप अन्दाजा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लगा सकते हैं कि क्या स्टेन्डर्ड एज्यूकेशन का होगा और क्या दूसरी तरह के स्टेन्डर्ड होंगे ?

सभापति महोदय, जहां तक एपाइन्टमेन्ट्स का सवाल है, प्रोफेसर्स, रीडर्स वगैरह के जो भी एपाइन्टमेन्ट्स होते हैं इनमें काफी इर्रेग्युलेरिटी है। इसमें भाई भतीजावाद चलता है, अपने लोगों को रखने की कोशिश की जाती है। नाम मात्र के लिये एडवर्टाइजमेन्ट निकाल दिये जाते हैं और एडवर्टाइजमेन्ट निकाल कर भी जिनको रखना होता है इनको रख लिया जाता है। आज जिस यूनिवर्सिटी पर हम करोड़ों रुपया खर्च करते चले आ रहे हैं वहां का यह हाल है। डा. सी. पी. सिंह का एपॉइन्टमेन्ट भी इसी तरह से हुआ है। एक के. एन. गुप्ता, बोटेनी के लेक्चरार हैं इनका एपॉइन्टमेंट भी इसी तरह का है जिनके खिलाफ रिप्रेजेन्टेशन अपने चान्सलर, गवर्नर साहब तक को हुआ है। तो इस तरह के कितने ही एपॉइन्टमेन्ट्स के बारे में घोर असन्तोष यूनिवर्सिटी में है। 39 एपॉइन्टमेन्ट्स तो ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने, स्टेट गवर्नमेन्ट नेजिनको इर्रेग्युलर बताया है और जिनको डिसएप्रूव कर दिया है उनको अभी तक जोधपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर कायम रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य इस बात को जानते भी हैं कि वहां के भूतपूर्व रजिस्ट्रार श्री सुरेन्द्र कुलश्रेष्ठ जो रजिस्ट्रार थे वे डेप्युटेशन पर थे जिनको भूतपूर्व गवर्नर श्री सम्पूर्णानन्दजी का कोई रिश्तेदार या मिलने वाला बताया जाता है। उन्हें इनका डेप्युटेशन का टर्म खत्म होने के बाद स्टेट गवर्नमेन्ट ने वापिस बुलाया तो उन्होंने आने से इन्कार कर दिया और यूनिवर्सिटी से कहलवा दिया कि हम रिलीव नहीं करेंगे। यहां से मिनिस्टिर ने फिर लिखा और गवर्नमेन्ट की तरफ से डिसीजन लिया गया फिर भी उनको रिलीव नहीं किया गया। यहां तक कि इस सदन में बात हुई कि अगर नहीं आते हैं तो डिपार्टमेन्टल एक्शन लिया जाना चाहिये फिर भी वहां से रिलीव होकर नहीं आये और इस तरह से साइडट्रेक करते रहे। जब आखिर में मामला क्रिटिकल सिचुएशन पर पहुंच गया, मैंने सुना है कि एज्युकेशन मिनिस्टर जो उस समय थे उन्होंने रिजाइन करने की धमकी दी तब रिलीव किया गया, और उसके बाद वे यहां पर आये।

तो इस तरह से उस युनिवर्सिटी में यह हालत चल रही है। यहां के हमारे वित्त मन्त्रीजी, माथुर साहब ने एक चिट्ठी लिखी यूनिवर्सिटी को कि हम 55 साल के जो लोग हो गये हैं उनको रिटायर कर रहे हैं और आटोनॉमस बोडीज हमें सहयोग देती आई है और हम यह उम्मीद करते हैं क जोधपुर युनिवर्सिटी उसी तरह से सहयोग देगी। लेकिन इस तरह से कन्टेम्पच्युअसली उस पर विचार किया गया है एक लाइन के अन्दर। वे लिखते हैं कि चिट्ठी पर विचार किया गया एण्ड स्टेटस को गुड बी मेन्टेन्ड यानी चिट्ठी रिजेक्टेड, रिक्वेस्ट रिजेक्टेड। जो स्टेटस को है वैसे ही चलेगा। तीन बार गवर्नमेन्ट की तरफ से लिखा गया और तीनों बार वही जवाब उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया। जिसको यह गवर्नमेन्ट ग्रान्ट इन एड देती है, जिसको मदद देती है, जिन यूनिवर्सिटीज पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करते हैं इस तरह का एटीट्यूड वहां पर उस यूनिवर्सिटी का है।

Page No. 92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैंने उस रोज भी बताया था। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी की जानकारी के लिये मैं फिर दोहरा देता हूं कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन को वहां की लाइब्रेरी की 8 हजार किताबें गायब मिली हैं। 20 लाख रुपये उन्होंने इन्जीनियरिंग फैकल्टी को डेवलप करने के लिये दिये गये थे। वह रुपया उस फैकल्टी पर खर्च नहीं करके इधर-उधर उसमें खर्च कर दिया गया, और अब उसका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेने की तलाश में हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से खर्च करने का कोई उनको अधिकार नहीं था, कोई उनको सेन्क्शन नहीं थी। जहां उदयपुर के कुछ लोगों ने इस तरह का खर्च कर लिया था होस्टल्स वगैरह के लिये महिला विद्यालय में तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने उस चीज के खिलाफ सीरियस व्यू लिया है। मैं समझता हूं कि जोधपुर यूनिविर्सिटी में इस तरह की बात चले वह कभी बर्दाश्त होने लायक नहीं होनी चाहिये।

मैंने उस रोज आपको यह भी बताया था इस सदन में कि आखिर हमारी इस यूनिवर्सिटी इस जोधपुर यूनिवर्सिटी की रेप्युटेशन किस हद तक गिर रही है कि यह चर्चा का विषय ऑल इण्डिया के अन्दर हो गया है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने एडीटोरियल निकाला। हिन्दुस्तान टाइम्स का जो वीक्ली निकलता है "वीक एण्ड रिव्यू" यह 3 फरवरी, 68 का है, इसके अन्दर इसके बारे में एक कमेन्ट निकला है, और, सभापति महोदय, इसमें यह लिखा है–

"In the five years since it was established, it has squandared all this original goodwill, along with a crore of the taxpayers, money over and above the normal budget of the colleges that originally constituted the University. It would be worthwhile now to assess what way the founding of the University has improved the equality of higher education in the area."

"What is involved in Jodhpur and a hundred other centres of learning is the question of getting a return for the nations' investment."

इस तरह से इस अखबार के अन्दर भी बहुत ऐसे कमेन्ट्स हैं जो कि जोधपुर युनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ही बुरे कमेन्ट्स हैं।

सभापति महोदय, आज वहां पर इस तरीके से सिन्डीकेट का निर्माण हो रहा है यानी जिस तरीके से यह निर्माण होता है यानी एक्सपर्ट्स का एपॉइन्टमेन्ट्स होता है वह भी बजाय इस के कि जो एक्सपीरिन्स्ड वास्तव में एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हों उन लोगों का एपॉइन्टमेन्ट किया जाय। चान्सलर के आफिस में कुछ लोग जो पोलिटिकली इन्ट्रेस्टेड हैं चान्सलर को अपना जजमेन्ट इस्तेमाल करने के बजाय अपने लोगों को जो चाहे एक्सपर्ट हों या न हों, एजुकेशन का कोई एक्सपीरियन्स हो या न हो, ऐसे लोगों को उसमें घुसाने की कोशिश की जाती है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेन्ट में रहे हों, उनको एक्सपर्ट की जगह पर लगाने की कोशिश की जाती है। अभी तक इस तरीके का अनुभव वहां पर रहा है अभी तक दो जगह वहां पर खाली हैं कि एक्सपर्ट्स आयें हमारे चान्सलर साहब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को उनकी नियुक्ति करना चाहिये। मैं समझता हूं कि गवर्नर को चाहिये तो यह कि वास्तव में जो एजुकेशनिस्ट हों उन लोगों का एपॉइन्टमेन्ट उनमें होना चाहिये। लेकिन अपने लोगों को जिनको कोई जॉब की तलाश हो उन लोगों को नियुक्ति करने की कोशिश की जाती है।

सभापति महोदय, ······ (हंसी) सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन यूनिवर्सिटी के ····आप माफ करें, क्योंकि माननीय सभापति महोदया ही यहां पर इस समय हुआ करती हैं इसलिये यह आदत पड़ी हुई है। आज आपने उनकी जगह पूर्ति करली है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या एक्सक्लूजिवली उनका राइट समझते हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज में से यह मैंने आपके सामने कुछ जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा की है····

लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज दूसरी बुराइयों से बरी हो सो बात नहीं है। आज उदयपुर यूनिवर्सिटी सी. आई. ए. की एक्टिविटीज का केन्द्र बनी हुई है। हमारे मुख्य मन्त्रीजी एक बार अमेरिका हो आये। उनको वहां पर कुछ प्रेरणा मिली। वहां से आते ही पहले तो उन्होंने सेक्रेटेरियट का टाइम चेन्ज कर दिया। अब अक्ल आई है और सूझी है तो वापिस पुराना टाइम चेन्ज कर दिया। इस उदयपुर यूनिवर्सिटी में अमेरिकन पेटर्न लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में बाकायदा कुछ एक्सपर्ट्स के नाम पर अमेरिकन इन्टेलिजेन्स के लोगों को बुलाकर नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और वे लोग काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं गवर्नमेन्ट को इस बात को सीरियसली लेकर जांच करनी चाहिये।

राजस्थान यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेन्ट्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, जो प्रजातान्त्रिक अधिकार थे, जब कि हमको देश में प्रजातान्त्रिक अधिकार हैं तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिये, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रजातान्त्रिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इन यूनिवर्सिटीज स्टूडेन्ट्स को यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है। एक तरीके से पाकिस्तान में अय्यूब ने गाइडेड डेमोक्रेसी चला रखी है उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के हाथ में ये यूनियन्स हैं। जिस प्रकार प्रि-इन्डिपेन्डेन्स डेज में विद्यार्थियों को आजाद तरीके से अधिकार थे, उनके पास पूरे फन्ड्स होते थे, उनके फीस इलेक्शन्स होते थे, उनको अपने फण्ड में से खर्चा करने का अधिकार होता था, उन अधिकारों को आज यूनिवर्सिटीज छीनती जा रही हैं।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कुछ राजनैतिक पार्टीज आज स्टूडेन्ट्स में इन्डिसिप्लिन की भावना फैला रही हैं। वे ऐसा मानकर चलते थे कि आज स्टूडेन्ट्स में इन्डिसिप्लिन है, स्टूडेन्ट्स में अनुशासन नहीं है। वे कह रहे थे कि इनकी जिम्मेदारी कुछ राजनैतिक पार्टी और राजनैतिक लोगों की है। सभापति महोदय, मैं उनके इस आरोप को बिल्कुल गलत मानता हूं। मैं समझता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं कि आज विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता की बात कहना अपनी जिम्मेदारी से दूर हटने का बहाना है। देश के नेतृत्व की जिन पर जिम्मेदारी थी, देश के विकास के स्वप्न को पूरा करने के लिये विद्यार्थियों ने आजादी के दिनों में कुर्बानियां की थीं, जो देश में सच्ची आजादी देखना चाहते थे आज उनका डिसइल्युजनमेन्ट हुआ है। उनकी आशाएं टूटी हैं इसलिये वे बगावत करते हैं। देश की मौजूदा स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं इसलिये देश को बदलना चाहते हैं। नई तब्दीली की इच्छा और जिज्ञासा रखते हुए नया रास्ता ढूंढने की तलाश में हैं। मौजूदा नेतृत्व से उनको संतोष नहीं है। मौजूदा नेतृत्व विद्यार्थियों की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सकता और अपने पाप के घड़े को विद्यार्थियों पर फोड़ना चाहता है, विद्यार्थियों को अनुशासन हीन या इन्डिसिप्लिन बताना चाहते हैं यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है।

आज जगह जगह हड़तालें हो रही हैं, राजस्थान में भी हुई हैं। विद्यार्थी कहते है कि अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य मत करो। साम्राज्यवाद के समय हम लड़े थे, हम यह सोचते थे कि आजादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा को खत्म करेंगे। हमने उनके तौर तरीकों और वेश भूषा को अपना लिया लेकिन उनकी भाषा अब भी सिर पर चढी हुई है। हम भूल गये कि विद्यार्थी इसी बात को लेकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई में आगे बढ़े थे। आज भी आप उन पर जबर्दस्ती अंग्रेजी थोपे हुए हैं। आपने क्या उनको यह नहीं कहा था कि पहले दर्जे से लेकर एम. ए. तक आपको मजबूर नहीं किया जायगा कि आप अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन आप आज भी कहते हे कि अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। 6 दफा मौका दिया, वे योग्य नहीं है, काबिल नहीं हैं इसलिये नहीं पढ़ना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो पढ़ना चाहते हैं वे पढ़ें लेकिन उनकी बिना पर हम हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजी पढ़ने के लिये मजबूर क्यों किया जाय? हमारी राष्ट्रभाषा और मातृ भाषा दूसरी है उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन आज यदि कोई टेलीफोन वाले को कहता है कि हल्लो What do you do? तो फौरन टेलीफोन मिल जायगा और यदि यह कहोगे कि नमस्तेजी, जरा टेलीफोन मिला दीजिये तो आपको जवाब मिलेगा कि अभी एन्गेज्ड है। इसी तरह से किसी दफ्तर में जाकर कहोगे कि Hallo. Good Morning, Sir, I am coming from such and such place. तो फौरन कहेंगे कि आइये कुर्सी पर, बैठिये, और अगर वहां जाकर यह कहेंगे कि मैं फलां जगह से आया हूं तो वे कहेंगे कि महाशयजी अभी तो टाइम नहीं है जरा बाहर बैठिये, (हंसी) इसमें हंसने की बात नहीं है, इस तरह का व्यवहार सब जगह हो रहा है। हमें इस चीज को खत्म करना है। हमारे प्रान्त में इस तरह का आन्दोलन उठा था पिछली साल। हमारी सरकार ने उनकी भावना को नहीं समझा, उनको दबाना चाहा। आप कहेंगे कि स्टूडेन्ट्स में इन्डिसिप्लेन है। इन्जीनियरिंग कॉलेजेज के लड़कों ने और पोलीटेक्निक के लड़कों ने स्ट्राइक्स किये, मैडिकल कॉलेजेज के लड़कों ने स्ट्राइक्स किये, उसके बाद उनको एडमिशनस्स मिले, लेकिन इन कालेजों से पास होकर निकलने के बाद आज यह हालत है कि चप्पल चटकाते हुए एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज का कादरवा

Page No. 95

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खटखटाना पड रहा है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान सही तरीके से करें? मैं निवेदन करूंगा कि आज हम सरकार की जिम्मेदारी है, सारे नेताओं की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को गाली देकर और यह कह कर कि उनमें इन्डिसिप्लिन है, आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते।

मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों ने कुर्बानियां की हैं, यूथ भावना उनमें जागृत हुई है। दूसरे देशों में भी विद्यार्थियों ने कुर्बानियां की हैं। बूढे लोग नौजवानों की भावना को नहीं समझ सकते। अपनी आंखों से नौजवानों को देखने और आंकने की कोशिश मत करो। नौजवानों को नौजवानों की आंखों से देखने की कोशिश करो और फिर देखो कि गैर जिम्मेदारी कहां पर है। नौजवान देश में इन्कलाब लाये हैं परन्तु आपने गद्दारी की है, आप इन्कलाब नहीं ला सके हैं, आपने इस व्यवस्था को कायम किया है जिसके पीछे देश के 45 करोड लोग परेशान हो रहे हैं। नौजवानों को गैर जिम्मेदारी की बात कहने की कोशिश मत करो।

[illegible] मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आज सेक्रेट्री और डिप्टी सेक्रेट्री को लेने की बात कह कर इसके महत्व को घटा रहे हैं कल सुप्रिन्टेन्डेन्ट को या क्लर्क को या चपरासी को भेजने की बात कहेंगे। यदि आप उनकी जिम्मेदारी को नहीं समझते तो मैं कहता हूं कि आप एज्युकेशन के साथ सहानुभूति नहीं रखते। मैं यह मांग करता हूं कि यूनिवर्सिटी एज्युकेशन की जांच होनी चाहिये और इसके लिये जांच कमीशन बैठना चाहिये जो इस बात को जांच करे कि युनिवर्सिटी के फंक्शन्स क्या हैं, एज्युकेशन का स्टेन्डर्ड, एकेडेमिक चीजों को [illegible] और सुधार करने के उपाय बतावें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): श्री माननीय सदस्य ने एक गम्भीर बात कहदी। उन्होंने कहा कि युनिवर्सिटी में अमेरिकन इन्टेलीजेन्स के आदमियों को घुसाया जा रहा है। यह गम्भीर मामला है। क्या आप बतायेंगे कि यह किस आधार पर कहा और इसमें कहां तक सच्चाई है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो आपके पास है वही इनके पास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय सदस्या से जानकारी चाहता हूं कि उनको भी जानकारी है या नहीं? वे किस आधार पर इसको गलत मानती है?

श्री सभापति : श्री रामनारायण

श्री मूलचन्द डागा (पाली): थोडा समय का ध्यान रखा जाय, सभापति महोदय।

(श्री रामनारायण से) आप तो बोलिये।

श्री **विजय सिंह** : हम राजी हैं।

श्री **सभापति** : जिस प्रकार संशोधन आये हैं उसी प्रकार से समय दे रहा हूं।

श्री **रामनारायण चौधरी** (मंडावा) :सभापति महोदय उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में जो संशोधन रखा जा रहा है, यह आवश्यक नहीं है, यह अनावश्यक संशोधन है। यदि आप को विश्वविद्यालय कानून में कोई संशोधन लाना है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय और व्यापक रूप से संशोधन इस कानून में लाये जांय। जिन संशोधन की आवश्यकता है वह पूरे संशोधन एक साथ लाने चाहिये। सभापति महोदय, यह संशोधन जो लाया जा रहा है, उसका उद्देश्य यह बताया गया है कि सेक्रेट्री आफ एज्यूकेशन, फाइनेन्स सेक्रेट्री और एग्रीकल्चर सेक्रेट्री इनको समय नहीं मिलता है। यह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में है, इनको वक्त नहीं मिलने की वजह से डिप्टी सेक्रेट्री को यह अधिकार होगा कि वह यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट में जाय, वहां भाग ले और सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करे। आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि आप यूनीवर्सिटीज को इतना लाइटली नहीं लें, इनके बारे में इतने हल्के दृष्टिकोण से नहीं सोचें। आज आवश्यकता इस बात की है, आज समय का तकाजा है कि हम यूनिवर्सिटी के स्टेन्डर्ड को बढ़ावें, उसको और अच्छा करें, और गिरते हुए एज्यूकेशन के स्टेन्डर्ड की आप चिंता करें और स्टेन्डर्ड को बढ़ावें। लेकिन विपरीत दिशा में जाकर, यूनिवर्सिटी में जो सीनेट है, जो सिन्डीकेट है, उनका जो आज स्टेन्डर्ड है, उसमें अब डिप्टी सेक्रेट्री, और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट इनको सरकार अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेज कर सरकार स्वयं इस बात का परिचय दे रही है कि वह इस मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है। आज एज्यूकेशन सेक्रेट्री यूनिवर्सिटी की किसी कमेटी में जाकर बैठते हैं, वहां पर सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सभापति महोदय, उनका एक प्रकार से असर होता है, वह सरकार की रीति नीति को सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठ कर बता सकते हैं, वहां पर बैठ कर वह बचन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उनकी जो मान्यता होगी उसका वहां पर असर होगा। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी की जो एग्रीकल्चर कमेटी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्रेट्री जायें तो वह सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में सरकार की पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से बताने और उत्तर देने की स्थिति में होंगे। इसी प्रकार से फाइनेन्स सेक्रेट्री की पोजीशन है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि सेक्रेट्री को समय नहीं मिलता है, इसलिए डिप्टी जा सकता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में जा सकता है, उचित नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि इनको समय नहीं मिलता है, ये ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वहां जायें, क्योंकि आज बड़े अधिकारी की पोजीशन ऐसी हो गई है, वह इतने आराम तलब हो गये हैं कि वह अपने शरीर को, अपनी काया को कष्ट नहीं देना चाहते और वह ऐसी चीजों में भाग नहीं लेना चाहते। वह तो सिर्फ सरकारी दफ्तर और घर के बीच में आने जाने के सिवाय कोई दूसरी प्रकार का अपना करेक्टर नहीं बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की स्थिति बन गई है। जो इतने बड़े अधिकारी हैं, शिक्षा के मामले में एज्यूकेशन सेक्रेट्री हैं उनको वहां जाकर बैठना चाहिए, उसके बजाय इस प्रकार का प्रस्ताव आप ला रहे हैं कि उसके नीचे सबोर्डिनेट आफिसर वहां जायं और वहां पर सरकार का प्रतिनिधित्व करें, मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

समझता हूं यह दुखद स्थिति है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन करना अनावश्यक है और इसको लाने की जरूरत नहीं है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल**: वेरी नाइस।

श्री **रामनारायण चौधरी**: आज हमारे पूरे देश में ही यह स्थिति है, केवल राजस्थान में ही ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो स्टेन्डर्ड है हमारे यहां उसके साथ साथ एज्यूकेशन का स्तर भी गिरता जा रहा है। यूनिर्वासटी में जिस प्रकार की धांधली होती है, सभापति महोदय, यह आपसे छिपा हुई नहीं है। हमारे सदन का यह प्रिविलेज है कि यूनिवर्सिटी की एनुअल रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए। लेकिन वह एनुअल रिपोर्ट हमारे पास आती नहीं है। आज हमारे सामने यूनिवर्सिटी की इन्कम और एक्सपेंडीचर का स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन वह भी हमारे सामने नहीं आता है। आज हम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहें, वहां की व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रकट करें तो हमारे पास उसके लिए कोई आधार नहीं है कि जिसके आधार पर हम कुछ कह सकें। लेकिन जो जानकारी इधर उधर से मिलती है, उसके आधार पर ही हमको निवेदन करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस यूनिवर्सिटी कानून में इस प्रकार का संशोधन लायें जिससे हमारे यहां आज जो शिक्षा-प्रणाली है, और आज जो यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां हैं उनको चैक किया जाय, और यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट और सीनेट, जिसका एज्यूकेशन में काफी महत्व है, को व्यापक बनाया जाय, उसमें अच्छे स्टेन्डर्ड के व्यक्ति और अच्छे केलीबर के आदमी आयें। उसमें शिक्षा-शास्त्री होने चाहिए और उसमें निष्पक्ष आदमी होने चाहिएं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के इस कानून में संशोधन होने चाहिएं। मैं कोई शिक्षा-शास्त्री नहीं हूं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला एक ग्रामीण कार्यकर्त्ता हूं, मैं यह महसूस करता हूं कि आज हमारी शिक्षा की अच्छी स्थिति नहीं है। जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनका स्टेन्डर्ड देख कर मुझे थोड़ा दुख होता है। आज कृषि के जो स्नातक हैं, वह एग्रीकल्चर की परीक्षा पास करने के बाद में पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर जाते हैं। सभापति महोदय, मैं पंचायत समिति के छ साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी से निकले हुए ये एग्रीकल्चर स्नातक एग्रीकल्चर के मामले में ए. बी. सी. डी. भी नहीं जानते हैं। आप उनको एग्रीकल्चर की एज्यूकेशन यूनिवर्सिटी में देते हैं और उसके बाद उन्हें कृषि क्षेत्र, देहातों में भेजते हैं, मैं समझता हूं, इस कारण वह कोई लाभदायक कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं। उनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं है, प्रेक्टिकल नॉलेज नहीं है, अनाज को पहचानने का उनमें ज्ञान नहीं है। आज वह मोठ के पत्ते को, ग्वार के पत्ते को और मूंग के पत्ते को अलग अलग पहचानने की हालत में नहीं होते हैं। इसलिए आपके ए. ई. ओ इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके, स्नातक बन कर देहातों में जाकर कोई यूजफुल काम कर सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संशोधन रखा जा रहा है मेरा इसके लिए निवेदन है आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मंत्री महोदय को कि वह इन संशोधनों पर जोर नहीं दें और यूनीवर्सिटी का स्टेन्डर्ड कायम रखने

(श्री रामनारायण चौधरी)

के लिये यह जरूरी है कि आपके एग्रीकल्चर सेक्रेट्री वहां जायं, आपके एज्यूकेशन के सेक्रेट्री वहां जायें, फाईनेन्स सेक्रेट्री वहां जायं इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री केदार नाथ !

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : सभापति जी, मैंने आपकी मार्फत पहले भी एक बार निवेदन किया था कि राजस्थान में तीन यूनीवर्सिटियां हैं, मगर एक यूनिवर्सिटी के अधिकारी तो हमारे माननीय शोभाराम जी हैं, और बाकी दो यूनीवर्सिटियां हैं, जिसमें मेडिकल कालेज हैं, वह माननीय दामोदर लाल जी व्यास के हाथ में हैं। इन तीनों के एप्रोच हैं, शिक्षा मंत्री का एप्रोच, कृषि मंत्री जी का एप्रोच और मेडिकल मंत्री का एप्रोच तीनों के अलग अलग एप्रोचेज हैं। माननीय व्यास जी तो कन्वेन्शनल एटीट्यूड रखते हैं लाइफ के बारे में माननीय शोभाराम जी का प्रोग्रेसिव एटीट्यूड तो नहीं थोड़ा लिबरल एटीट्यूड है और शिक्षा मंत्री का सेन्सेशनल एटीट्यूड है। मुझे आप बताइये, मान्यवर, तीनों का एप्रोच अलग अलग है तो वह यूनिवर्सिटी के लड़कों में कौनसी स्प्रिट इन्फ्यूज करेंगे? यूनिवर्सिटी को किस क्राइटेरिया, किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पोलिटिकल स्प्रिट इन्फ्यूज कर सकेंगे।

श्री केदारनाथ: उनका जो बेसिक एप्रोच है, वही गलत है। यह सदन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग ग्रान्ट्स और डिमाण्ड्स के सम्बन्ध में क्वेश्चन आते हैं, मैं समझता हूं, इनमें लाजिमी कोआर्डिनेशन होना चाहिए। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यूनिवर्सिटी एक्ट तीनों यूनिवर्सिटी एक्ट्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो आज की मौजूदा हालत को, यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन जिस प्रोसेज में जा रही है उसको और जो प्रॉब्लम फेस कर रही है यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन उसको ध्यान में रख एक कॉम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट बिल आना चाहिए। जो संशोधन माननीय कृषि मंत्री जी ने पेश किया है, यह साबित करता है कि सिन्डीकेट में नॉमीनेटेड आदमियों की गिनती ज्यादा है, सिन्डीकेट में नॉमीनेटेड आदमियों की संख्या ज्यादा है, यूनिवर्सिटी की एज्यूकेशन वाइस चान्सलर के हाथ में है, सारे एपॉइन्टमेंट उसके हाथ में हैं। आज की मौजूदा हालत में यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी कैसे रहेगी? इसमें मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्शन से इस यूनिवर्सिटी को देखें तो आपकी यूनिवर्सिटी एक टीचिंग शॉप बन गई है, यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक ब्रान्च बन गई है। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक ब्रान्च है-इस क्लाइमेट के साथ, इस बैकग्राउन्ड के साथ में यह स्थापित की गई। आप ताज्जुब करेंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेन फंक्शन था, यह एक रूरल चेंज लाये, देहातों में खेती बाड़ी में तब्दीली लाये और रूरल चेंज के लिए ऐसे मिशनरी, ऐसे एलाइट पैदा करें, जो खेतों में जाकर क्रॉप को समझ सकें और क्रॉप के बारे में लोगों को समझा सकें। उदयपुर में जाकर यह यूनिवर्सिटी को रखा है, तो मझे समझ में नहीं आया कि इस यूनिवर्सिटी का क्लाइमेट, बैकग्राउन्ड क्या है? अगर वह पोलिटिकल कन्सीडरेशन है तो गलत है। जैसा कि जयपुर में आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पोलिटिकल

(श्री केदारनाथ)

कन्सीडरेशन से यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और क्षेत्रीय भावना को इसमें लिया गया है तो इससे शिक्षा के काम के अन्दर कोई अन्तर नहीं होगा, कोई इसका देहातों में प्रोजेक्शन नहीं होगा।

मान्यवर, तीन वहां पर सब्जेक्ट्स होते हैं-एक रिसर्च का, एक टीचिंग का, और एक एक्सटेंशन सर्विस का। इन तीनों कामों में कार्डीनेशन लाने का यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन वह कर सकती है कार्डीनेशन ? वहां का जो बैकग्राउण्ड हैं जो क्लाइमेट है, उसमें एक स्टूडेंट पढ़ता है और किताबें पढ़ने के बाद आप सोचते हैं कि वह खेतीबाड़ी की बात समझा सकता है। खेती बाड़ी की, क्रोप ग्रोथ की बात वह ग्रोअर को समझा सकता है-तो गलत बात है। आप गलत उम्मीद रखते हैं। एक्सटेंशन पर्सनल्स से कि वह फील्ड में जा कर काम करता है। क्रोप को देखता है। क्रोप का नया पैटर्न बताया है। क्रोपकी डिसीलेज को फेस करता है। आज आप की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च स्टूडेंट निकलते हैं उनमें ट्रान्समीशन रिसर्च ऑफ आइडिया की क्षमता आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पैदा नहीं कर सकती है। यह मेरी बात नहीं है। जो इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की कमेटी बनी थी, उसने जो आठ यूनिवर्सिटीज़ हैं देश में खेती बाड़ी की उन युनिवर्सिटी की रिपोर्ट पेश की थी, और उसमें उसने उदयपुर की यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था कि एग्री-कल्चर यूनिवर्सिटी तो केवल नाम है, यह खेती बाड़ी का कालेज है, न तो इसमें रिसर्च है, न एक्सटेंशन सर्विस है और इसने कोई सक्सेसफुल रिजल्ट भी अचीव नहीं किये हैं। यह रिपोर्ट मैं आप को साइट कर रहा हूं उसके अनसार दरअसल लुधियाना के अन्दर यूनिवर्सिटी काम कर रही है। हमारे वहां एक लाख फील्ड आपरेटर है और एक लाख फील्ड आपरेटर्स में से तीन रिसर्च स्कालर हैं। हमारे यहां एक लाख में तीन रिसर्च स्कालर हैं। पाकिस्तान में छः है। जापान में अस्सी हैं। कहीं सौ है और कहीं दो सौ हैं। हमारे यहां एक करोड़ काश्तकार हैं और उनकी फसल को देखने के लिए, फसल में डिसीजेज को रोकने के लिए नये पैटर्न देने के लिए, और साइंटि-फिक नो हाउ देने के लिए सिर्फ तीन आदमी हैं। मैं मानता हूं ऐसी यूनिवर्सिटी की जरूरत बहुत है। क्योंकि हमने नारा दे दिया है, 1971 में हम सेल्फ सफीशिएंसी की स्टेज पर पहुंच जायेंगे। जहां कितनी एकड़ जमीन काश्त के नीचे आयेगी। कितनी जमीन इर्रीगेशन के नीचे आयेगी। कितने लाख टन हमें अनाज पैदा करना है। इसलिए हम एग्रीकल्चर स्नातक निकालें, महज स्नातक निकालें और मिशनरी भावना से काम में लायें।

मान्यवर, आज तक इस यूनिवर्सिटी की एजूकेशन का प्लानिंग नहीं हो सका है। वह प्लानिंग किस लिए नहीं हो सकता, इसके लिए अलग अलग प्रॉविन्स में अलग तरीके की बातें कही गई हैं। आज यह चीज चल रही है कि यूनिवर्सिटी की एजूकेशन एक स्टेटिक सिस्टम पर पहुंच गई है तो कैसे इसको स्विच ओवर किया जाय। डाइनेमिक फार्म में आये। इसलिए एक्ट में तब्दीली आये। इसके स्टेन्डर्ड में तब्दीली आये। इसके साथ साथ वाइस चांसलर का अपाइंटमेन्ट कैसे हो। मान्यवर, इसके बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं, चांसलर, चूंकि कान्स्टीट्यूशनल हैड गवर्नर है वह चीफ मिनिस्टर अपाइंटेड होता है। इसी तरह से वाइसचांसलर को अपाइंट करें। लेकिन वाइस चांसलर के अपाइंटमेन्ट में सिण्डीकेट को, सीनेट को कोई

(श्री केदारनाथ)

पावर नहीं है । सिण्डीकेट में नामीनेटेड मेम्बर की गिनती है तो यह सारा कम्पोजीशन यूनिवर्सिटी का ऐसा है कि उसे डिपार्टमेन्ट ने अपना प्रोजेक्शन बना रखा है । इसमें ओटोनामी नहीं है । मैं इस पोइंट पर जनरल डिबेट इसलिए करना चाहता हूं कि यह स्ट्रेंजेंट सर्विस है । उनमें एक प्रश्न पैदा हुआ । कि आज यह जितने भी कृषि फार्म हैं, आप जाकर, मान्यवर वहां देखिए, कि कहीं भी आज तक हिन्दुस्तान के स्टेण्डर्ड की कोई क्रोप, पैदा करने में कोई पार्ट प्ले नहीं किया है । आज गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हिन्दुस्तान के अन्दर कई चीजों में आगे है, अच्छा माल्टा और नारंगियां देने में हिन्दुस्तान में नम्बर एक जगह है । अगर काम करने वालों के लिए जहां तक हमारा खुद का सम्बन्ध है तो खेतीबाड़ी डिपार्टमेन्ट की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्सटेंशन सर्विस कायम नहीं की गई है । रिसर्च सैल वहां पैदा नहीं किया गया है । मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा इलाका है, उसमें तीन बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं हैं । प्रोडेक्शन में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा वहां कोई रिसर्च सेंटर नहीं है । यूनिवर्सिटी उदयपुर में है । यूनिवर्सिटी की ब्रांच इस इलाके में होनी चाहिए । वहां क्रोप है । उसके पास में ही पंजाब का इलाका है । लुधियाना, उसके बहुत अचीवमेंट्स आये हैं । वहां जाकर देखें तो कितनी अच्छी क्रोप वहां, जितने स्टूडेंट वहां से निकलते हैं वह वहां पर फावड़ा और हल लेकर खुद खेत पर जाते हैं । लेकिन आज हम यहां उल्टा देख रहे हैं यूनिवर्सिटी है वह आम जनता की फिलासफी को नहीं समझे । तो उसमें वाइट कालर एटीट्यूड पैदा हो जाएगा । और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड पैदा हो जाएगा । और इस कारण जो सोशल आर्डर बदलना चाहिए । उसके न होने में न तो दोष है स्टूडेंट का और न दोष है टीचर्स का । गलती जिसे सुधारा नहीं गया है वह गलती राजस्थान सरकार की है । गलती यूनिवर्सिटी की है । जब तक इनका बैसिक कंसेप्शन और बैसिक एप्रोच नहीं बदलता है तब तक यूनिवर्सिटी का स्टेण्डर्ड गिरा र गा । और उसको गिरने से रोक नहीं सकते ।

मान्यवर, आटोनामी के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । लेकिन मैं ज्यादा न कहते हुए स्टूडेंट में जो वहां पर लॉ लैसनेस आती है, यह बाहरी समस्या वाली है । मान्यवर, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, यदि स्टूडेंट के सामने सारे देश में सोशियो-इकानामिक क्राइसिज है, और उसके कारण असुविधा और जो टीचर है, रीडर है, लेक्चरार है, प्रोफेसर है, उनके बारे में एप्रोचेज गलत हैं तो सब को एक साथ लेकर जो क्या तो इकानामिक ट्रबल है, क्या सोशल क्राइसिस है, क्या एजूकेशन में गड़बड़ी है, इन सारे को वह एक इन्टीग्रेटेड फार्म से, प्रौस्पेक्टिव से नये दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे । तब तक उसका एप्रोच ठीक नहीं हो सकता । यह बात आती है कि स्टुडेंट में अनरेस्ट है । टीचर्स में अनरेस्ट है । उनके अपाइंटमेन्ट में, उनके फिक्सेशन में उनका स्पेशल ग्रेड देने में पक्षपात होता है । यह सब वाइसचांसलर का वन मैन शो है । इसलिए अनरेस्ट पैदा होता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स की एसोसिएशन है, उसको हर फील्ड में मान्यता मिलनी चाहिए । सिण्डीकेट और सीनेट में उसके मेम्बर बनें ताकि वह अपनी बात वहां कह सके । यूनिवर्सिटी का मतलब यह है चाहे रिसर्च लेबिल में हो, चाहे टीचिंग लेबिल में हो, सेक्शन लेबिल में हो चाहे इन्क्वायरी लेबल में हो । सबमें उनकी सीट

(श्री केदारनाथ)

होनी चाहिए। वह हर मामले में प्रोफेसर्स से बहस करें। उसमें एक नया दृष्टिकोण हो एक नया एप्रोच हो। इसके विपरीत यह हुआ करता है कि कोई पालिटिक्स के ऊपर बहस करें और कोई कम्युनिज्म की बात कर ले या कोई जनसंघ की बात कर ले तो उसका अपाइंटमेन्ट रोक दिया जाता है। उसको सलेक्शन नहीं दिया जाता है। उसको स्पेशल ग्रेड नहीं दी जाती है। अगर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार हमने दखल देना शुरू कर दिया तो जिस तरह से रूस में रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट है, चाइना में जो रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट है, वही हमारे यहां है, कांग्रेस शासन में रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट है। इसलिए टीचर्स की एसोसिएशन को मान्यता मिले और स्टूडेंट की प्राबलम्स को समझने के लिए एक सैल कायम हो, उसमें टीचर्स हों स्टूडेंट के नुमाइन्दे हों और वहां वाइसचांसलर भी हो ताकि स्टूडेंट की क्या प्राब्लम्स है उनकी दिक्कत कैसे दूर हो और उनमें और टीचर्स म जो अनरेस्ट है वह थोड़े अंशों में दूर हो। वह और किसी आइडियालोजी से प्रभावित है। यह कहना गलत होगा। सही प्रोब्लम्स है कि जो स्टूडेंट बाहर से आते हैं और यूनिवर्सिटी के वातावरण में कितना आपस में गैप है तो उसमें कौन सा एटीट्यूड पैदा होगा। क्या एटीट्यूड बना उसके मन में कि बाहर के वातावरण में और यूनिवर्सिटी के वातावरण में बहुत फर्क है। इसलिए उनकी समस्याएं और उनके दिमागों को समझने के बाद मैं समझता हूं, स्टुडेंट अनरेस्ट काफी हद तक अपने आप दूर हो जाएगा।

अन्त में मान्यवर यह कहते हुए कि यह तीनों यूनिवर्सिटी के जितने एक्ट हैं, इनमें एक बात ध्यान में रखी जाये कि वाइसचांसलर को पावर्स मिलें, नामीनेट मेम्बर्स का रेश्यो ज्यादा हो, आटोनोमी समाप्त हो। टीचर्स एसोसिएशन की कीमत रहे। स्टुडेंट में अनरेस्ट पैदा होने के कारणों को नहीं समझ पाये तो इससे स्टेंडर्ड गिरता जाएगा। अपाइंटमेन्ट सलेक्शन आदि के लिए, मैं समझता हूं, एक काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेन्ट आये तीनों यूनिवर्सिटी के तीनों मिनिस्टर कन्सर्ड हैं उनको अपने अपने एप्रोचेज के फर्क को मिटाना होगा। और आज जो समस्याएं हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि कोई काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेन्ट लायें। मैं मानता हूं कि कृषि मन्त्री इसे पास करा देंगे। वैसे आपकी जगह कोई और होता तो वह भी संशोधन पास करवा सकता था। यह एक डिपार्टमेंटल प्रोजेक्शन है। फाइनेंस सेक्रेट्री नहीं जा सकता तो कोई दूसरा चला जाये। इसलिए इस बारे में मैंने निवेदन किया है। अब मैं यूनिवर्सिटी एजूकेशन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में एक शब्द आखिर में कहना चाहता हूं। हमारे यहां खेती बाड़ी कालेज है सांगरिया में, उसकी हालत बहुत खराब है। जहां और जगह करोड़ों रुपया खर्च हो वहां हमारे यहां ऐसी संस्था को फण्ड्स नहीं दिये जायं, फण्ड्स की कमी के कारण वह संस्था बिखर रही है, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट्स उसके लिये आप खोलते नहीं, वहां स्टुडेन्ट्स का नम्बर बहुत है, खेती बाड़ी के कामों की वहां सुविधा मिलती है, पर वहां लेबोरेटरी नहीं है और किसी तरह की सुविधा मिलती नहीं है। ऐसी हालत में जहां खेती बाड़ी के ज्यादा स्नातक निकल सकते हैं, वहां हर प्रकार की सुविधा देना चाहिये।

इस खेती बाड़ी के रूप को जब तक आप कोआपरेटेड बेसिस पर नहीं लायेंगे तब तक कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि आज

(श्री केदारनाथ)

होल्डिग्स का प्रेस्मेन्टेशन होता जा रहा है, यह खेती का सिस्टम है यह हानि कारक है, जब तक खेती बाड़ी के काम को कोऑपरेटिव बेसिस पर नहीं लायेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा कोई हल नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में खेतीबाड़ी के स्टुडेन्ट्स में डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बेसिस, सोशियल परपज का आउटलुक और ट्रान्स्पिशन आफ थॉट्स को पैदा करें, जब तक इन तीनों का इन्टेग्रेशन नहीं होगा कोई मतलब हल नहीं होगा।

उदयपुर की यूनिवर्सिटी एक पोलिटिकल यूनिवर्सिटी है, टीचिंग गौण है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : एक निवेदन करना था, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी की प्रेजेन्स में लिया जाने वाला था, मुख्य मंत्रीजी के आने का 3 बजे का समय था, इसलिये 3 बजे के लिये रखा था, उसे ले लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तीन बजे कहां गये थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 3 बजे न आप थे और न मुख्य मंत्री जी थे। अब 3.40 हो गये, डिबेट दूसरे सब्जेक्ट पर चालू हो गई। इसलिये सभापति महोदय, यह गलत परम्परा होगी कि मुख्य मंत्रीजी की जब सुविधा हो आवें, 3 बजे की बजाय 3.40 पर आवें और दूसरे सब्जेक्ट पर बहस चल रही हो उसको बन्द करके नया मेटर लिया जाय। वह नया कल लिया जायगा, आज नहीं लिया जायगा।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में क्या निर्णय है ?

श्री सभापति: कल ...

श्री बृज सुन्दर शर्मा: परसों ले लिया जाय।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया: मैं यह निवेदन करूंगा कि परसों रख लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: परसों तो सुबह आ जायेंगे न आप ?

श्री रामकिशन : शुरू टाइम में ही लेंगे ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : जब इसका वक्त आ जाता है।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जो संशोधन मुख्य मंत्री जी लाये हैं इसमें मेरा भी संशोधन है कि इसे जन मत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

जैसा कि मेरे से पूर्व जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, श्री वृद्धिचन्द्रजी ने और श्री रामनारायण जी ने विचार रखे, उनसे मैं पूर्ण सहमत हूं। दो चार बातें मैं भी इसके अन्दर रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि आज राजस्थान की सरकार यूनिवर्सिटी जैसे मामले में कह कर कर चले कि क्योंकि हमारे सेक्रेटरीज को वक्त नहीं मिलता है इसलिये डिप्टी सेक्रेटरी या अन्य नोमिनेटेड आदमी बोर्ड आफ कन्ट्रोलर्स के अन्दर जाय और

(श्री विजयसिंह रावत)
इस प्रकार का संशोधन सदन में ला कर पास कराने जायं, इससे बढ़ कर खेद की बात सरकार के लिये और नहीं हो सकती ।

कहीं भी देख लीजिये, फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर हैं, उनकी जगह पालियामेन्टरी सेक्रेटरी काम कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट के बजाय, उसके किसी भी असिस्टेन्ट ऑफिसर से काम करा सकते हैं तो फिर आपको तीन, साढ़े तीन हजार देने की और चीफ सेक्रेटरी व हैड आफ दी डिपार्टमेंट्स रखने की क्या जरूरत रहती है । इस बारे में मेरा निवेदन है कि इस बिल को वापिस लें और मोडिफाई कर के सदन के सामने लायें ।

अब मैं थोड़ा विश्वविद्यालयों के खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । जब से आजादी मिली है और विश्वविद्यालय खोले हैं तो इस सरकार ने राजनैतिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर विश्वविद्यालय खोले हैं इससे सरकार डिनाई नहीं कर सकती । हाई कोर्ट के मामले से लेकर यूनिवर्सिटी के मामले में राजनैतिक दबावों पर यह सरकार कार्य करती रही है, राजनैतिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर यह सरकार काम करती रही है । आज यूनिवर्सिटीज को आप बराबर खुला रखना चाहते हैं । जैसा कि बिरदीचन्दजी ने कहा, तीनों यूनिवर्सिटीज को बन्द कर दिया जाय, मैं किसी हद तक उनसे सहमत हूं । आप पोलीटेक्निक को बन्द करने जा रहे हैं, आपकी योजनाएं असफल रहीं, आपकी पोलिसीज के माफिक आपने एक्ट नहीं किया, आपकी कथनी और करनी में फरक है, आपकी नीति शुद्ध नहीं थी, इसलिये उन विद्यार्थियों के लिये जिनके लिए हजारों लाखों रुपया खर्च कर के पोलिटेक्निक कालेज खोले, उनको बन्द करने जा रहे हैं ।

एक तरफ तो यह बात थी कि इन्जीनियर्स की कमी है, इन्जीनियर्स की कमी को मीट करने के लिये, ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स खोलें, उनको अब आप बन्द करने जा रहे हैं । मैं कहूंगा कि इनको बन्द करने से पहले यदि सरकार के पास साधनों की कमी है, अर्थाभाव है तो पहले यूनिवर्सिटीज को बन्द कर दिया जाय तो माना जा सकता है पर पोलिटेक्निक संस्थाओं को बन्द करेंगे तो यह हमारे प्रान्त के लिये बड़ा अहितकर होगा, हां उनकी संख्या को कम कर सकते हैं ।

(3.46 म. प.)

(श्री जसवन्तसिंह नाहर, सभापति, पदासीन)

इसके साथ ही साथ में एक बात और कहूंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स लेक्चरार्स और टीचिंग स्टाफ की नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें अन एक्सपीरियेन्स्ड व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाती हैं, अगर मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । जैसा कि रामानन्द जी ने कहा, आज विद्यार्थियों को यह कह कर कलंकित किया जाता है कि वे एजीटेशन करते हैं, दर असल इसके लिये जिम्मेदार आपका टीचिंग स्टाफ है । विद्यार्थी वर्ग वह वर्ग है जो आगे जा कर देश का कर्णधार बनने वाला है । उनके दिमाग में आज यह बात बैठ जाय कि वे आगे जा कर किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध स्थापित करेंगे, जो आज मद्रास में कार्यवाहियां हुई हैं, उनसे मझे खेद है, विद्यार्थियों को

(श्री विजयसिंह रावत)

डिसिप्लिन में रखना जरूरी है पर विश्वविद्यालयों में जो लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स और दूसरा टीचिंग स्टाफ है, उनको भी आप नियन्त्रण में रखें। विद्यार्थियों के साथ वे लेक्चरार्स, प्रोफेसर्स चौधरी होटल में और दूसरे होटलों में शराब पियें और सिनेमा जायें, इससे विद्यार्थियों में कभी डिसिप्लिन नहीं पनप सकता। ऐसी दशा में कोई एजिटेशन हो और रोश हो तो विद्यार्थियों के दिमाग में वह भावना नहीं रहेगी जो रहनी चाहिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सीनियर कोलेजेज में और यूनिवर्सिटीज में जो टीचिंग स्टाफ है, प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स हैं, उनके चरित्र पर चाल चलन पर पाबन्दी रखें, जब भी उनके खिलाफ कोई इस प्रकार की शिकायत आये तो उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाय। प्रोटेक्शन इस लिये देते हैं कि यदि वह शोभारामजी के रिश्ते में है या अन्य मंत्री के रिश्ते में है तो लेक्चरार के, फोफेसर्स के पद के लायक नहीं है, उसका आचरण खराब है तो भी वह उसी जगह रहेगा। यह बिल्कुल गलत तरीका है। जिस पौधे को आप सींचते हैं, जिस पौधे से आप हाई ब्रीड का का बीज निकालना चाहते हैं, वह आपकी इस प्रकार की कार्यवाहियों से कभी नहीं निकलने वाला है।

विद्यार्थियों के बारे में मैं यह कहूंगा कि विद्यार्थियों के एजीटेशन का कारण यह है कि स्कालरशिप में भारी पक्षपात और भेद भाव बरता जाता है। मैंने तीन चार दफा सुना, अमृतलाल जी यादव के बच्चों को कितनी स्कालरशिप दी, किस प्रकार के कितने घोटाले किये हैं। इस प्रकार के उदाहरण सदन में आते हैं, विद्यार्थियों के सामने आते हैं तो इनसे अच्छे से अच्छे इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थी के दिमाग में ऐसी भावनाएं पैदा होंगी कि वह सरकार के विरुद्ध क्रान्ति करेगा, विद्रोह करेगा और षडयन्त्र करेगा जैसा कि माननीय सतीशजी ने, मा. बिरदी चन्द जी ने सुझाव दिया था कि एक कमेटी गठित की जाय, और उस कमेटी के द्वारा इस सम्बन्ध में हर साल की रिपोर्ट रखी जाय। जिससे सही रूप से मालूम पड़े कि वास्तव में जो छात्रवृत्तियों का वितरण है और दूसरी सुविधायें जो मिलनी चाहिएं विद्यार्थियों को और दूसरी उनके साथ जो शिक्षा की बातें हैं, जो खामियां हैं, सारी की सारी हम डिस्कस कर सकें, विचार कर सकें, इस प्रकार का कुछ न कुछ करना चाहिए।

इसके अलावा यह जो आज विद्यार्थियों के अंदर दूसरी बात मुझे देखने में आती है, मैं अपने विदेश के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारत से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, अपनी बीमारी छोड़ गए। आज तक गांवों में यह प्रवृत्ति थी जिस गांव में 4 हजार की आबादी थी वहां 3-4 आदमी चाय पीने वाले मिलते थे लेकिन आज वे छाछ को छोड़ कर अंग्रेजी चाय को पीते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों के अंदर सबसे बड़ी खराबी है कि पाश्चात्य फैशन के अंदर पड़ गए हैं। आज जो प्राचीन सभ्यता है जिस आधार पर उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, सबको छोड़ कर विद्यार्थियों का जो आचरण है, वेशभूषा है, अन्य गतिविधियां हैं, सबको देखने से मालूम पड़ता है कि इस देश का नक्शा आगे जाकर क्या बनेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर है। जिस तरह से काश्मीर सरकार ने अध्यादेश द्वारा...

श्री मूलचन्द डागा : विद्यार्थियों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए ? आप जैसी ?

श्री विजयसिंह रावत : आ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को अपनी पोशाक का खयाल है।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे खयाल है। विद्यार्थियों के अंदर फैशन आ गया है और फैशन की दृष्टि से तड़क भड़क के कपड़े चाहिए। को-एजूकेशन कालेजिज के अंदर और अन्य कालेजिज का मैं एक दिन का उदाहरण बता रहा हूं। जैसे मैं बस से आ रहा था तो किसी लड़की की किताबें गिर गईं, किताबें उठाने के लिए दूसरे से रिक्वेस्ट की क्योंकि वेशभूषा ऐसी थी, नीचे नहीं झुक सकती थी। इस तरह जिस तरह से काश्मीर सरकार ने पाबंदी लगाई तंग कपड़ों पर, तंग पैजामे, तंग कुर्ते और तंग पेंट जिसकी मोरी 11 इंच होती है, माथुर साहब ने 14 इंच की बना रखी है, इन सब पर आप भी रोकथाम करें नियम बनायें क्योंकि जब 16 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र इनसान तंग कपड़े पहनता है उसका बदन पर क्या असर होता है, आप जान सकते हैं। ऐसी हालत में विद्यार्थियों के विभाग, उनके आचरण, सोचने की शक्ति पर क्या परिवर्तन होता है, आप बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, जानते होंगे। तो विद्यार्थियों का आचरण सुधारना, सिद्धांत रूप से पेरिन्ट्स से लेकर प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स तक जिस हालात के अंदर आचरण को लेकर उनकी गेम्स गतिविधियों की ओर अन्य गतिविधियों की सारी सरकार को जिम्मेदारी है। जो समाज आगे आने वाला है, अपने देश को अपने कंधों पर उठाने वाला है, जिस तरह ऐसे ढांचे के अंदर डालें जिससे आगे जाकर ये विद्यार्थी ईमानदार, शिक्षित और राष्ट्र के स्वामि-भक्त बनें, उससे हमारे देश को ही नहीं बल्कि विश्व को फायदा होगा। सरकार अपनी मनमानी से लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स जो इन्इफीशियेंट हों और अन्य बातों के अंदर पक्षपात रखकर चलते हैं तो विद्यार्थियों के जो आंदोलन होते हैं—उनमें असंतोष है, आज अनुशासनहीनता की बात कही जाती है, यह स्वाभाविक है।

जो भी राजनैतिक पार्टियां है जिस प्रकार से अंग्रेजी के प्रश्न को लेकर अगर कोई आदमी कहे कि आज अंग्रेजी को एक साथ हटा दिया जाय मैं उन पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहता और यह बात मैं निश्चित तौर से मानता हूं कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या अन्य दल की हो, किसी भी सरकार के लिए अंग्रेजी जैसा विषय जरूरी है, हमारे पास पर्याप्त लाइब्रेरीज नहीं है जो एक साथ उस विषय को बंद किया जाय। नहीं तो ऐसी बात होगी जैसे अगस्त सितम्बर तक किताबें नहीं मिलती हैं, किताबों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और यहां पर स्थगन प्रस्ताव आते हैं। उस प्रकार से अंग्रेजी को हटाना जरूरी है लेकिन इसका सब्सिटीट्यूट जब तक हमारे पास लाइब्रेरीज न हों, सारे विषयों का हिंदी में अनुवाद न हो जाय, हमारे पास प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स और टीचिंग स्टाफ न हो जाय तब तक एक विषय को एकदम से खतम करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं हो सकेगा। राजनैतिक तौर पर कोई पार्टी अगर कहे और विद्यार्थियों को उकसायें तो खेद का विषय है। हरेक पार्टी को चाहिए कि विद्यार्थियों को राजनीति से परे रखें, वे असंतुष्ट हों तो अलग से बिठाकर उनको संतोष देने की आवश्यकता है, उनको ठीक रास्ते पर चलाने की आवश्यकता है न कि संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए या आंदोलन के लिए या आंदोलन करके राष्ट्रीय संपत्ति बरबाद करें, एजीटेट करें जिससे उनके विभाग पर एजीटेशन

(श्री विजयसिंह रावत)
और बढ़ जाय और ऐसा न हो कि जिस योग्यता को वे प्राप्त करना चाहते हैं वहां न पहुंचे, गंदे तत्वों के साथ चले जायं जिससे राष्ट्र के हित की चीजों को नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को वापस ले लें और मोडीफाई करके कमीशन नियुक्त करें जो जांच करें।

श्री **परसराम मदेरणा** : भाषण तो विद्वत्तापूर्ण था।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : सभापति महोदय, मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। कई माननीय सदस्यों ने आम तौर से इस विधेयक के बारे में अपने विचार रखे-जो आजकल शिक्षा है उस बारे में, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता के बारे में अपने अपने सुझाव रखे। यह तो हमें मानना पड़ेगा कि प्रजातंत्र में जब कि किसी भी पार्टी का शासन हो, तो यह जरूरी होता है विद्यार्थियों में अनुशासन रखने के लिए सब दलों की जिम्मेदारी है कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं घुसेड़ें। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में रोष व्यक्त किया और कहा कि सारी जिम्मेदारी सत्तारूढ दल की है और दूसरे दलों की नहीं कही जा सकती, विद्यार्थियों को भड़काने में उनका हाथ है। लेकिन विरोधी पक्ष में कितने दल क्यों न हों, सारे दल जिम्मेदार हैं, विचार रखने की स्वतंत्रता है और देश को नेतृत्व देने का जहां तक सवाल है, सभी दल अपनी अपनी नीति रखते हैं और अपना प्रचार करते हैं। परन्तु सारे नेता जो हैं कहते आए हैं कि पहले विद्यार्थियों ने शासन के खिलाफ भाग क्यों लिया? वह ऐसी विदेशी सत्ता थी उसमें समान विचार थे, उस बारे में कहा जा सकता है, नेहरूजी ने भी विद्यार्थियों को पार्टी पोलिटिक्स में पार्ट लेने के लिए कहा था परन्तु वह बात ऐसी है जिसके अंदर आज हमारा खुद का शासन है, उसमें कमियां हो सकती हैं, अपनी अपनी नीतियों का प्रतिपादन किया जा सकता है परन्तु जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, किसी पार्टी का सवाल पैदा नहीं होता है। विश्वविद्यालयों में हो, कालेजों में हो या शिक्षालयों में हो।

(4 म. प.)

अनुशासन का जहां तक सवाल है, वह किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं होता है। विद्यार्थी सब तरह के पढ़ते हैं, उनमें अनुशासन रहना चाहिये। हालांकि कई तरह की पार्टीज यूनिवर्सिटी में और कालेजों में विद्यार्थियों की संसद् होती है। उसमें चुनाव होते हैं और इस प्रकार की जनतन्त्र में पालियामेंट के जरिये विचार रखने की स्वतन्त्रता है। ऐसी स्थिति में अपने हकों के प्रति लड़ाई करें, अपने हकूकों को रखें, उसे पालियामेंट के जरिये रख सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, दूसरी पार्टीज कोई भी हो, कांग्रेस हो या दूसरी। सब पार्टीज का फर्ज है कि ऐसे छात्रों के आन्दोलन में कोई भी पार्टी सक्रिय रूप से भाग लें, उनका नेतृत्व करें, उनको सहयोग दें और फिर यह कहें कि हमारा कोई हाथ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा हालांकि कोई भाषण अच्छी तरह दिया जा सकता है और आन्दोलन के अन्दर भाग लेने में स्वतन्त्रता है लेकिन छात्रों का आन्दोलन इस प्रकार का है कि कालेजों में, यूनिवर्सिटियों में छात्र संसद् होती है, उनसे अपने हकूकों की रक्षा कर सकते हैं। सक्रिय रूप से भाग लेना

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अच्छी चीज नहीं है । इन डाईरेक्ट वे में विद्यार्थियों को भाग नहीं लेना चाहिये । उसमें तथ्य है कि विद्यार्थियों की एक अपरिपक्व अवस्था होती है, उनका मस्तिष्क का विकास रुक जाता है और उनका सारा दिमाग प्रशासन की ओर और पार्टी विशेष की ओर झुक जाता है । मैं तो कहता हूं कि अगर उनका बाप भी किसी पार्टी में है तो भी उसको उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये और बाप का यह फर्ज हो जाता है कि बच्चों की मनोवृत्ति को उस तरफ आकर्षण नहीं करें । शिक्षकों में और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों में यह दायित्व नहीं है कि विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता आये । हमारा एक ही कर्तव्य है, इस बारे में उनको यह मानना पड़ेगा जहां तक विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का सवाल है, सारी पार्टीज का सहयोग जरूरी है । सब पार्टीज का समन्वय होना अति आवश्यक है । कोई भी इसका नाजायज फायदा उठाकर विद्यार्थियों को नहीं भड़कावें । स्कूलों में बिल्डिंग्स की प्रापर्टी होती है और कई तरह की प्रापर्टी होती है, विद्यार्थियों के तोड़ने का सवाल, कालेजों में, विश्वविद्यालयों में जहां कांच, फर्नीचर तोड़ने की कोई भी पार्टी मंजूर नहीं कर सकती है । हमारे लड़कों के जरिये यह टूटे, इसको कोई मंजूर नहीं कर सकता है और इसमें दो राय नहीं हो सकती है । सभापति महोदय, सब पार्टीज की जवाबदारी होनी चाहिये । जो विध्वंसकारी प्रवृत्तियां हैं, उनको दूर रखनी चाहिये । माननीय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने लड़कों में फ्रस्टेशन पैदा करने की बात कही । उसका कारण यह है कि प्रोफेसर्स, रीडर्स या लेक्चरार्स के प्रमोशन के बारे में उनको फ्रस्टेशन पैदा करते हैं । लड़कों के जरिये प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं । इसका एक कारण है कि उनमें आपस में मतभेद चलता है । शिक्षण संस्थाओं में समन्वय होता है, वहां स्ट्राइक कम होती है । प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स खुद न करके लड़कों को शिकार बनाते हैं, उनके द्वारा आन्दोलन करते हैं । यह अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है । इस बारे में हमको सोचना पड़ेगा । माननीय सभापति महोदय, कुछ सक्रिय सुझाव आये हैं । माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने सोशियल इकोनोमिक कार्ईसिस के बारे में कहा है–लड़कों का भविष्य अन्धकार मय प्रतीत होता है । उनका भविष्य शिक्षा के जरिये–जीवन यापन नहीं कर सकते हैं । यही कारण है, हमारे प्रधान मंत्री ने जोर दिया है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की जो पृष्ठ भूमि है, वह बिलकुल गलत है । विद्यार्थियों के अन्दर अनुशासनहीनता की कोई बात न आये, इस बारे में सक्रिय कदम उठाने की बात चल रही है । इस पर मैं बोल नहीं सकता लेकिन माननीय सभापति जी एक बात मानकर चलना पड़ेगा कि सारी पार्टीज में विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता फैलाने में कतई सहयोग नहीं देना चाहिये । कोई पार्टी विशेष जाकर उनको उकसाये वहां उसका उल्टा दायित्व हो जाता है, उस पार्टी का यह फर्ज नहीं होना चाहिये । अपनी पार्टी को मजबूत करनी चाहिये, विद्यार्थियों का उसमें सहारा ले यह गलत बात है । क्योंकि यह एक ऐसा हथियार है जो किसी भी रूप में काम में आ सकता है । आज किसी भी पार्टी का शासन हो सकता है । जैसे केरल में कम्यूनिस्ट सरकार है । मद्रास में दूसरी सरकार है । सरकार उन आन्दोलनों को दबा नहीं पायेगी, इस तरह की जो भावना है, वह नहीं होनी चाहिये । सब पार्टीज को

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सहयोग करके चलना चाहिये। विध्वंसकारी प्रवृत्ति जो लड़कों के मस्तिष्क में घुस रही है उसको दूर करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इस बारे में जो यूनिवर्सिटी के बैकग्राउन्ड जिनके बारे में उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय में जैसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि इनमें समन्वय होना चाहिये। इस तरह उनको संशोधन करने की आवश्यकता है। इस पर सरकार विचार करें सभापति महोदय, इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी को आपके जरिये कहना उचित समझूंगा कि जिस बारे में यह कानून बना है–उस बारे में यह जो गवर्नमेन्ट का नामीनेशन है कि फाईनेन्स सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी और एज्यूकेशन सेक्रेटरी को जो बोर्ड के कन्ट्रोल में रखने की एक सेक्टिटि है, उसको मेन्टेन किया जाना चाहिये। इन लोगों को बोर्ड के कन्ट्रोल में रखा गया है ताकि वे अपनी जवाबदारी पूरी तौर पर दे सकें, यही इसकी मंशा थी परन्तु, सभापति महोदय, इतने अर्से काम करने के बाद शायद माननीय मंत्री जी को यह खयाल आया कि विभाग की ओर से ऐसा संशोधन पेश किया जाय, उसका यही अन्दाज लग सकता है कि इन सचिवों के पास बहुत ज्यादा काम रहता है और बोर्ड की मीटिंगों में भाग नहीं लेते हैं, यह गलत धारणा है। जिस भावना से इनको बोर्ड में रखा गया था कि ये पूरी जवाबदारी के साथ जवाब दे सकते हैं वह उप सचिव अगर कोई डिफिकल्टी अराईज हो तो पुख्ता जवाब दे सकें, इसमें हमें शंका है। इसलिये जिस भावना से यह नोमीनेशन रखा गया है वह पूरा होना चाहिये। अगर कोई रिप्रजनटेटिव जाकर रिप्रजनटेट करें तो उसको बहुत महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं, और वे इसको भली प्रकार कर नहीं पाते हैं ? यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण संस्था है इसमें जो समस्यायें आती हैं उसमें कृषि सचिव, वित्त सचिव और शिक्षा सचिव को सहयोग देना चाहिये। थोड़े अर्से बाद कभी कठिनाई पेश हो सकती है फिर उस समय विचार करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की मांग है कि सचिवों को वहां रखा जाय। बहुत मामूली संशोधन है मेरे खयाल से आपके जरिये मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही अनुपयुक्त संशोधन है। इस छोटे से संशोधन पर इतनी बात आपको सुननी पड़े और सदन का पूरा दिन खर्च हो, यह ठीक नहीं है। मेरे खयाल से मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी को भविष्य के लिये आग्रह करने की कोशिश करूंगा कि ऐसी अनुपयुक्त धारा को न रखें। कोई महत्वपूर्ण संशोधन हो तो उसे पेश करना जरूरी था। और इसके अलावा कुछ ऐसे सुझाव भी हो सकते हैं जो आपके दिमाग में न हो और वे सुझाव प्रवर समिति के सामने आजायं इसलिये यह आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय क्योंकि इस एक्ट के अन्दर और भी संशोधनों की आवश्यकता है। उसमें महत्वपूर्ण सुझाव भी आ सकते हैं, इसके लिये भी एक दिन विधान सभा में लगाना पड़ा अगर उसके बाद भी उद्देश्य की पूर्ती नहीं होती है तो यह आवश्यक हो जाता है इस बिल को जैसा कि मेरा प्रस्ताव है प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय। वैसे मेरा इस बिल को विरोध करने का नहीं था आपका जो संशोधन है वह बहुत मामूली है उसके अनुसार सेक्रेटरीज बोर्ड की बैठक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में अनुपस्थित रहे, उनके पास काम ज्यादा होने की वजह से यूनिवर्सिटी के बोर्ड आफ कन्ट्रोल की मीटिंग में भाग न ले सके इसलिये उनसे लोअर रेंक के अधिकारी को भेजा जा सकता है। इस बोर्ड में जो सचिवों का नोमीनेशन रखा गया है वह बहुत सोच विचार के बाद रखा गया वह लोअर रेंक के अधिकारी के जाने से पूरा नहीं होगा। इस तरह से काम ज्यादा काम का बहाना लेने लगे तो कल यह भी हो सकता है उप सचिव भी कह दें कि मेरे पास भी काम ज्यादा है अतः अन्डर सेक्रेटरी को भेज दिया जाय। इस तरह से इस बोर्ड में जो सचिवों के रखने का मकसद था वह पूरा नहीं होगा। इस बोर्ड की मीटिंग में बहुत महत्व पूर्ण निर्णय लेने होते हैं सरकार के उच्च अधिकारियों का नोमीनेशन इसी लिहाज से किया गया है कि उसमें सरकार के मामले की पूरी तरह से पैरवी हो सके। यूनिवर्सिटी ओटोनोमस बोडी है अतः इसमें सचिव जैसे अधिकारी ही रिप्रेजेन्ट कर सकते हैं फाइनेन्शियल मेटर का सवाल हो वहां अन्डर सेक्रेटरी क्या कर सकता है इसलिये उच्च अधिकारी सचिव का ही नोमीनेशन रखा गया है। इस बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण परसनल जाकर बैठते हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो सचिवों को रखा है वह बहुत सोच समझ कर रखा है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस में जो संशोधन लाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसका कोई खास महत्व भी नहीं है। इसलिये इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इन सब मसलों पर वहां विचार हो सके। साथ ही साथ संशोधनों के लिये भी सुझाव मिल सकें। ताकि जो एन वक्त पर जो संशोधन आते हैं जो इस प्रकार की विभाग की प्रवृत्ति बन गई है उसे हमें डिसकरेज करना चाहिये।

इसके साथ साथ छात्रों में जो अनुशासन हीनता है रीडर्स और लेक्चरार्स में जो नियुक्ति होती है उसमें भी अनियमितता है आदि के बारे में भी सुझाव आ सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो आपने लोअर रेंक के अधिकारी के नोमीनेशन के लिये प्रस्ताव किया है उसको फिर से एग्जामिन किया जाय। और फिर कन्सोलिडेट रूप में विधेयक आवे ताकि बार बार नोमीनेशन बदलने की आवश्यकता न पड़े इसलिये यह जरूरी है कि इस बिल को प्रवर समितिके सुपुर्द किया जाय।

श्री सभापति: श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, भारत को यह खतरा है कि कहीं यहां बौने लोग पैदा न होने लग जायं। आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में उत्पादन होता है, धान की उपज बढ़ रही है लेकिन मुझे डर है कि आज अच्छे आदमी नहीं बन रहे हैं। अच्छे आदमियों के जो बनाने के कारखाने हैं वहां से अच्छे आदमी बनकर नहीं निकलते। आज हम देखते हैं मानव का चरित्र दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आज मानव को निर्मित करने से चरित्र का प्राधान्य नहीं रहा है। आज मानव में जिस प्रकार के दुर्गुण पैदा हो रहे हैं उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मानव के चरित्र का कोई महत्व नहीं रहा। आज हमें मानव के चरित्र के विकास के बारे में सोचना होगा, उसको ठीक करके ही हम मानव को शक्तिशाली और समृद्धिशाली बना सकते हैं आप चाहे इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कर लें लेकिन जब आपका चरित्र गिरा हुआ है। आज जिस प्रकार की

(श्री मूलचन्द डागा)

हालत हम विधान सभाओं में देखते हैं, गलियों में देखते हैं वही कालेज में होता है आज इसका सारा दोष शिक्षा को दिया जा सकता है। विधान सभाओं में क्या हालत है कालेज में क्या होती है, रेल के डिब्बे जला दिये जाते हैं इसका कारण यह है कि हमको शिक्षा देते जा रहे हैं वह अधूरी है और दोष पूर्ण है। आज जो लड़के पढ़ कर आते हैं वे जमाने की चुनौती सह नहीं सकते। उनको यह विश्वास नहीं होता कि वे अपनी अपनी आजीविका किस तरह से कमा पायेंगे इसी कारण वे इस प्रकार के गलत काम करते हैं। आज जो इस प्रकार की स्थिति देश के सामने है वह बडी संकट पूर्ण स्थिति है। आज जो देश के सामने संकट आने वाला है वह संकट है चरित्र के गिरने का वह हम कब तक मिटा पायेंगे यह नहीं कह सकते

आज देश के हर साल 10 लाख छात्र कालेजों से पढ़ कर बाहर निकलते हैं। वह लड़के दीक्षान्त समारोह में जिसमें इंदिरा गांधी दीक्षान्त अभिभाषण कर रही थीं छात्रों ने कहा : We want jobs and not degrees.

आज हम देखते हैं जगह जगह यूनिवर्सिटीज से इसी प्रकार की अवाजें आती हैं। इसका क्या कारण है? आज हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं जो शिक्षा के अन्दर परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको चाहिये वे शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन करें जिससे आने वाले नवयुवक अपनी आजीविका कमा सकें, वह शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिये। उनको इस प्रकार से शिक्षित किया जाय ताकि वे देश की हर परिस्थिति में देश और जमाने की चुनौती को समक्ष सकें। हम कुछ किताबों को रटकर परीक्षा पास कर लेते हैं और डिग्रियां लेलेते हैं उससे ही सन्तोष कर लेते हैं लेकिन इससे मानव जीवन का जो गुण है उसका विकास नहीं कर पाते।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ आज हम देखते हैं विश्व विद्यालयों में प्रोफेसर्स लेक्चरार्स आदि की जो नियुक्तयां होती हैं उनमें भी पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है। जब इन लोगों की नियुक्ति में इस प्रकार का व्यवहार होता है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वे छात्रों में अनुशासनहीनता को रोक सकेंगे। आज अगर आप डाइरेक्ट उनकी नियुक्ति करते हैं तो लोगों को यह अनुभव होना चाहिये कि इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया है। तभी जाकर वे छात्रों पर अपना प्रभाव जमा पायेंगे गुणों के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिये न कि सिफारिश पर।

विद्यार्थियों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते कि विद्यार्थी सिनेमा न जाय। पर वह जाता है। इसका कारण उसमें व्याप्त निराशा है। अगर शिक्षा द्वारा सही चारित्र निर्माण की दिशा में काम किया जाय और श्रम के प्रति उसमें तीव्र प्रेम पैदा किया जाय तो वह छात्र इतना सुन्दर होनहार देश का भावी नागरिक बनकर निकलेगा जिस पर कोई भी गर्व कर सकेगा।

आज तो यह हालत है कि वह पढ़ लिखकर स्नातक बनकर अपने गांव में जा नहीं सकता, जावेगा तो वहां फिट नहीं हो सकता। वह अपने मां बाप की सेवा करने में और उनके कपड़े धोने करने में अपने को गौरवान्वित अनुभव नहीं करेगा, बल्कि अपमानित समझेगा। यह क्या देश को देगा? वह तो आजकल बिलकुल फिल्म फैड और सिनेमा फैड निकलता है

(श्री मूलचन्द डागा)

तो आज शिक्षा शास्त्रियों को चाहिये कि वे छात्रों को प्रारम्भ से अनिवार्य रूप से खेतों में काम करने को भेजे। इस तरह से अभ्यस्त छात्र बाहर जब जावेगा तो नौकरी की तलाश नही करेगा। खेतों की तलाश करेगा।

पर क्षमा करें कृषि मन्त्रीजी, आप इस तरह जुड़ गये हैं इस ढर्रे से कि इससे इधर उधर नही हो सकते। आप इस फन्दे को तोड़ कर उन्मुक्त शिक्षा के वातावरण में छात्र को ला नही सकते। आज आपकी शक्ति सेक्रेटरियों द्वारा लिखी फाइलों पर दस्तखत करने तक सीमित हो गई है। मुझे तो यह भी शक होता है कि मन्त्री लोग उन सेक्रेटरियों द्वारा लिखी गई फाइलों को भी पढ पाते है या नही। उनको समय नहीं मिलता अध्ययन करने का अवसर नहीं मिलता। आज तो निर्णय वे ले रहे है शिक्षा के क्षेत्र में भी केवल फाइलों में फंसे रहते है, विद्या से रुचि जिनकी नहीं रह गई है। आज उनका भाषण सुनना तक विद्यार्थी पसन्द नहीं करता। क्योंकि उनमें शिक्षा को वह क्रान्तिकारी दिशा की तरफ मोड़ने की क्षमता नहीं है। आज के इलेक्टेड आदमी भी शिक्षा शास्त्री नही हैं, व्यवहार वादी नही हैं, मानव के मन को समझने वाले नहीं होते।

आने वाले जमाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं जब कि लाखों की तादाद में विद्यार्थी निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, वे यह नहीं सोच रहे है कि इन को कहां एडजस्ट करेंगे।

आज आप नौकरियों को ही देख लीजिये। उन में जाने वालों में भी आज सेवा भाव नहीं रह गया है। प्रोफेसर वे लोग है जिनको वास्तव में विद्या से अनुराग नहीं है। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली दूषित है।

यह तो विभाग ने अमेन्डमेन्ट लाने के लिये लिखकर भेज दिया आपके पास और आप उसे यहां ले आये। यही कारण है कि हम लोग भी मन्त्रियों के भाषणों से प्रभावित नही होते। वे किताबों से अध्ययन से दूर रहते हैं। वे तो केवल फाइलों में उलझे रहते हैं जो शिक्षा विदेशी हुकूमत के वक्त थी उसी की छाया आज भी शिक्षा पर पड़ी हुई है हम स्वतन्त्र भी हुए। पर हमने राजा राम मोहन राय, टैगोर आदि के विचारों को शिक्षा में साकार नहीं किया। उनके विचारों के अनुसार हम अपने देश की शिक्षा को ढाल नही सके। कभी आप उनके कपड़ों पर आक्षेप करते हैं, विद्यार्थियों के रहन सहन पर आक्षेप करते हैं पर आपने इन सबका कारण ढूंढकर उस शिक्षा के अन्दर जो विदेशी हुकूमत की छाया पड़ी हुई थी उसको दूर करके अपने देश की आवश्यकता के अनुकूल नहीं ढाल सके। हमने आत्मानुसन्धान नहीं किया। इसके बिना अन्दर की खूबसूरती बाहर नही निकलती हैं। केवल पढ लिख लेते हैं साक्षर हो जाते है पर शिक्षित नहीं होते।

आपको अपनी आवश्यकता के अनुकूल अपनी शिक्षा प्रणाली निश्चित करनी होगी। वरना आने वाले जमाने में खतरा आवेगा। इसलिये प्रार्थना है इन फाइलों से उलझने वाले कोरे सेक्रेटरियों से इस क्षेत्र में काम नही चलेगा आपको शिक्षा शास्त्रियों को यह काम सौंपना होगा।

पर कृषि मन्त्रीजी अन्दर का मन तो आपका भी जोर लगावेगा, पर आपको तो अपना कर्त्तव्य मन्त्री पद के प्रति अदा करना होगा। अन्दर से तो आप भी घुट रहे है कि ऐसे प्रतिनिधि वहां पर क्या करेंगे। पहले से ही वहां बहुत से ऐसे बैठे हैं। शिक्षा शास्त्रियों को भेजना चाहिये जिनमें नोलेज हो। आपका सेक्रेटरी और नौकर तो वहां फाइल लेकर आवेगा और उसमें काला पीला करेगा।

(श्री मूलचन्द डागा)
उससे कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। वह तो फाइल देखना भर जानता है। शिक्षा से उसका क्या वास्ता है। पर आज भी वही ढर्रा चल रहा है जो अंग्रेजों के वक्त था।

पर आज देश इस शिक्षा में परिवर्तन की मांग करता है। अगर यह परिवर्तन नहीं तो आने वाले जमाने में हमारी ये यूनिवर्सिटियां केवल कारखाना बनकर रह जायेंगी। जिनका बनाया हुआ माल बाजार में भर जावेगा, ग्राहक नहीं मिलेगा उनका। देश की तालीम को तो हमें बदलना होगा।

श्री **सभापति**: श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): जिस प्रकार का अमेण्डमेन्ट है उसका विरोधी नहीं हूं। पर होना यह चाहिये था कि सेक्रेटरी अगर नहीं पहुंचता है तो इसका दोष किसका है उस दोष को दूर करना चाहिये था।

हम इन यूनिवर्सिटियों पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं और जन लेखा समिति की रिपोर्टें हैं और दूसरी जगह की रिपोर्ट हैं उनको देखने से लगता है कि उस पैसे का दुरुपयोग होता है। तो अगर फाइनेन्स सेक्रेटरी वहां नहीं पहुंचता है और अपनी ड्यूटी अन्जाम नही देता है तो जिन यूनिवर्सिटियों के द्वारा हम देश को लाभान्वित करना चाहते हैं कृषि के एक्सपर्ट निकालना चाहते हैं उनको अच्छी संस्थाएं बनाना चाहते हैं वह नही हो सकता। तो यह इनका परम कर्त्तव्य होना चाहिये और उन पर जोर डाला जाना चाहिये था कि वे इन इन्स्टीट्यूशन्स में अवश्य जाएं और उनकी पूरी जानकारी रक्खें और अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से अदा करें।

एक निवेदन और कर देना चाहता हूं। सरकारी अधिकारी को आप नियुक्त करते हैं इसके बजाय तो उस विषय के एक्सपर्ट को नियुक्त करें तो ज्यादा लाभ हो सकता है। इसलिये सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा भी जो एक्सपर्ट हैं उनकी नियुक्ति इन सिन्डीकेटों में करनी चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि जहां पर हम एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और आपने विनियोग विधेयक में भी निवेदन किया था कि हम एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं।

राज्य सरकार को चाहिए कि जो अपना बजट है उसका 10 प्रतिशत बजट एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च करे लेकिन होता यह है कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर 10 पर्सेन्ट से ज्यादा हम एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जिन योजनाओं को हम पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं और जिस प्रोग्राम के साथ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं उसके अभाव में उतनी तेजी से नही बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको इसको ज्यादा से ज्यादा तेजी से बढ़ाना है और उसके सम्बन्ध में हमको आगे भी कार्यवाही करनी है आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जरिये से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन भविष्य में उनके लिए स्थान नहीं आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट उनके लिए कोई भी प्रबंध आगे के लिए नही कर रहा है इसलिए इन इन्स्टीट्यूशन्स को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है ताकि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकलते हैं वह बहुत सी खुराफातों में नौकरी के अभाव में पड़ जाते हैं तो ऐसी समस्याओं को हम तभी समाप्त कर सकते हैं जब कि इनके ऊपर हम गंभीरता से सोचें।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तो मेरा सुझाव है कि क्योंकि सारा देश हमारा खेतिहर देश है और जितनी ज्यादा हम तवज्जो खेती के सम्बन्ध में करेंगे और जितना रिसर्च करेंगे उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होने वाला है। अगर आज हर जिले के ऊपर रिसर्च वर्क करें मिट्टी के संबंध में पानी के संबंध में, बीज के संबंध में और किसी प्रकार के भी रिसर्च वर्क हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च इन्सटीट्यूशन्स खोल दें तो उससे हमको और हमारे काश्तकारों को बहुत ज्यादा लाभ होगा जो हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको भी एम्पलायमेन्ट मिलेगा और वह रिसर्च वर्क लाकर देश को बहुत फायदा पहुंचायेंगे। इसलिए दोनों परपज हमारे सर्व होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको एम्प्लायमेंन्ट मिलता है और उसके साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में हम पीछे हैं और जिनके संबंध में हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं उसकी रिसर्च हो जाती है तो उससे हमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और उससे हम खेती के प्राडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ज्यादा जोर दें। हमने फाइनेन्स सेक्रेटरी को भेजे या डिप्टी सेक्रेटरी को भेजे या एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को भेजें या एजुकेशन के एक्सपर्ट को भेजे लेकिन उसके साथ ही साथ जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनको खपाने की आपके पास कोई योजना नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी और सारे काम बिलकुल बेकार हो जाते हैं। इसलिए इस संबंध में हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए कि हम इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन्स हर डिस्ट्रिक्ट में खोलें जिस से हमारी धरती की जांच हो जाय, पानी की जांच हो जाये और किस का किससे काम्बीनेशन है और किस प्रकार का बीज बोने से ज्यादा पैदावार हो सकती है तो यह सारी की सारी चीजें ऐसी है कि जिससे हम अपने आपको और देश को लाभान्वित कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा हम प्राड्यूस कर सकते हैं इसलिए मेरा यही सुझाव है कि हमको एग्रीकल्चर के संबंध में रिसर्च वर्क खोलने चाहिए और उसके साथ ही साथ जो दूसरे सबजेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के जिसके विषय में हमको अभी तक बहुत कम जानकारी है उनको भी हमको हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर या यूनिवर्सिटी के अन्दर इस प्रकार के सबजेक्ट्स चालू करें जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो। जैसे हमारे पास पानी की समस्या है राजस्थान में उसको हाल्व करने के लिए हम को यूनिवर्सिटी के अन्दर एक इस प्रकार का अलग सबजेक्ट खोलना चाहिए जिससे कि लोग इसमें अनुसंधान करने वाले लोग हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के अन्दर पढ़ने वाले लोग हों, चाहे ग्रेजूएशन में पढ़ने वाले लोग हों उनको विशेष ज्ञान दिया जायेगा और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हम लाभ प्राप्त करा सकें इस प्रकार का प्रावीजन मंत्री महोदय करें तो देश को खास तौर से लाभ होगा। क्योंकि हमारे यहां कई जगह पहाड़ी क्षेत्र है, कई जगह रेगिस्तानी क्षेत्र है और इन दोनों ही क्षेत्रों में पानी की शार्टेज है। सभी स्थान में एक या दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पानी की काफी जगह कमी है और इसकी पूर्ति के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे और इस संबंध में हमको एक्सपर्टस ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे तो वह इस संबंध में और ज्यादा जानकारी देंगे और उससे प्रदेश को ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय की इस तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि आप खास तौर से कुछ न कुछ करने की कृपा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
करें जिससे यह प्रदेश लाभान्वित हो और वैसे यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है व सीधा है सेक्रेटरी के बजाय डिप्टी सेक्रेटरी किया गया है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह का प्रावधान किया जाता तो उससे ज्यादा अच्छा होता, उससे आपके इन्सटीट्यूशन्स भी स्ट्रांग होते, इसलिए मेरे यह सुझाव हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदय, मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संबंध में और दूसरे विश्वविद्यालयों के संबंध में निवेदन करना है। जहां तक मंत्री महोदय का प्रश्न है शोभाराम जी को कौन नहीं जानता? राजस्थान के जो इने गिने चरित्रवान व्यक्ति हैं उनमें से आप एक हैं इसलिए इसके बारे में तो मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है और शिक्षा मंत्री तो युवक हैं और उन्होंने आकर जो काम किये हैं उससे सचमुच बहुत खुशी होती है। लेकिन सभापति महोदय, जो विश्वविद्यालयों की हालत है वह बिल्कुल ऐसी है कि आग सुलग रही है। मैं निवेदन करूं कि विश्वविद्यालय जयपुर 90 परसेन्ट को कवर करता है और बाकी के दोनों विश्वविद्यालय 10 परसेन्ट को कवर करते हैं। लेकिन जहां तक मेडिकल कालेजों का संबंध है 50 प्रतिशत से ऊपर दोनों विश्वविद्यालय के लड़के हैं और 90 प्रतिशत जहां के कालेजेज हैं 50 परसेन्ट से भी कम लड़के हैं। जयपुर यूनिवर्सिटी को छोड़कर दोनों यूनिवर्सिटीज में योग्यता से अधिक नम्बर देते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में जितने कायदे से होने चाहिए उतने देते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की साख का जहां तक सवाल है वह तो बहुत बड़ी साख है लेकिन जब एडमीशन्स का सवाल आता है तो प्रथम श्रेणी दोनों विश्वविद्यालयों के लड़कों को मिला हुआ होता है इसलिए उनको मिलते हैं अगर इन्टरव्यू के लिए बुलाते हैं तो यही होता है। तो आप अन्दाजा लगालें कि प्रथम श्रेणी वालों को बुलायेंगे तो दोनों यूनिवर्सिटीज का नम्बर आयेगा और इनका नहीं आयेगा उससे बड़ा असंतोष फैलता है।

यह भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आपने इतने विश्वविद्यालय बना दिये। माला होती है 108 मोतियों की उसमें सुमेरु तो एक ही होता है। एक विश्वविद्यालय होता और बाकी कालेजेज रहते और सब इसके अन्तर्गत रहते तो कितना अच्छा होता। चुने हुए अच्छे शिक्षा शास्त्री उसमें आते और वह सोचते कि राजस्थान का हित कैसे हो और यहां का स्नातक कहीं जाये तो यहां की कैसे खुशबू फैलायें? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके एक ही विश्वविद्यालय रहे और बाकी के दो को बन्द कर दें तो अच्छा रहेगा। पीछे कदम उठाने में कुछ नहीं होगा। अतः साहस के साथ कदम उठायें।

'अकल बन्द पकड़े नहीं, पूंछ गधा की तारग।
पकड़ लेय तो छोड़ दे, आता ही ओसाण।।

बहुत दफा कहा जाता है कि लड़के बहुत उद्दण्ड हो गये हैं और स्ट्राइक करते हैं। मुझे क्षमा कीजिए सभापति महोदय आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि स्ट्राइक को प्रोत्साहन तो सरकार देती है। लड़के सही ढंग से अपनी बात रखते हैं आप उनकी बात मानते नहीं और जब वह तोड़ फोड़ पर आते हैं तो आप फौरन उनकी बात मान लेते हो।

'मूंह देखी ई राज की बड़ी विचित्तर टेक।
हाण हुया पीछे सुणे पेली सुणे न एक।।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

पहले सुनते नहीं और जब वह नुकसान करते हैं तब सुनते हैं। जब आप उनकी बात सुनकर कोई काम नहीं करते तो लड़के क्या सोचते हैं कि हमारी बात मनवाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। तो मैं आपको संक्षेप में दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह कि कृपा करके इस संशोधन को वापिस ले लें और जितने कुछ अच्छे चुने हुए शिक्षाशास्त्री हैं उनकी कमेटी बैठायें और फिर जांच करें कि किस तरह से राजस्थान का शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और विश्वविद्यालय से निकले हुए लड़के किस तरह से ऐसे निकलें जैसे पहले सुदामा और कृष्ण निकलते थे किस तरह से चरित्रवान हों, किस तरह से गांवों में जाकर काम करें, किस तरह से श्रम और शिक्षा और श्रम और बुद्धि दोनों का समन्वय बैठे। बाकी आज तो हालत यह है कि श्रम करने वाला अत्यन्त नीचा माना जाता है और बुद्धि वाली चीफ सेक्रेटरी और श्रम करने वाला कितनी भी महनत करे ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि उसे रूखी सूखी रोटी मिल जाये और गुदडें मिल जायें वही बहुत हैं।

उनको बड़ा नीचा माना जाता है। औरों की क्या बात करते हैं यहां पर भी फर्क दिखता है। हम लोग भत्ता 21 रु. रोज का लेते हैं और जो प्रहरी तीन महीनों से बाहर से आये हुए हैं उनको सिर्फ 10 दिन का भत्ता मिलेगा। मैं यहां तक तैयार हूं कि हमारा कुछ कम कर दें और प्रहरियों को वह दे दिया जाय। इनके भी बालबच्चे हैं। क्या स्थिति होगी? कृपा करके शिक्षा मंत्रीजी वह स्थिति लायें कि श्रम और शिक्षा में समन्वय होसके।

एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब यह कोशिश करेंगे कि एग्रीकलचर युनिवर्सिटी के अन्दर से इस प्रकार के स्नातक निकलें चाहे उनका कोटा कम ही रहने दें लेकिन वहां से निकलकर खेत पर जाकर अच्छे से अच्छा पैदा करके बतायें। सचमुच में वह पढ़ा है तो अपनी 30 बीघा जमीन पर जितना आज तक पैदा होता आया है उससे दुगुना पैदा करके बता दें। वह सच्चे मायनें में शिक्षित है, सच्चे मायने में उसने बहुत कुछ ज्ञानोपार्जन किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को वापिस लें और वहां पर जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच करके ऐसी स्थिति लादें कि यहां के निकले हुए स्नातकों में से खुशबू निकल सके।

श्री **देवीदत्त गाडिया** (बारां): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो अन्य विश्वविद्यालय हैं जयपुर व जोधपुर के उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जो लेक्चरार्स व प्रोफेसर्स हैं व उनके अन्दर जो अन्य कर्मचारी हैं उनका जो वेतन है व उनका जो सिटी एलाउन्स है वह जो कुछ मिलता है उसी स्तर के ऊपर उदयपुर विश्वविद्यालय के जो लेक्चरार्स व प्रोफेसर्स हैं व जो कर्मचारी हैं उनके अन्दर वह वेतन क्यों नहीं मिल पाता है? क्या कारण है? जब कि उस विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स व अन्य कर्मचारियों और स्टाफ ने अनेक बार राजस्थान की सरकार को लिख कर दिया और इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया? तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की भेद-भाव की नीति क्यों चलाई जाती है?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इसके साथ साथ माननीय मंत्रीजी उदयपुर विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष कई वर्षों से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अमेरिका और दूसरी जगह विद्यार्थी और लेक्चरार्स गये। उनमें से कई लेक्चरार्स और विद्यार्थी जिस प्रशिक्षण के लिए जिस टेक्निकल ज्ञान के लिए जितने समय के लिये थे उससे पहले ही उनमें से अधिकांश, माननीय सभापति महोदय, अमेरीका जो गये थे वे वापिस आये, और अमेरिका की सरकार ने राजस्थान की सरकार को और हिन्दुस्तान की सरकार को एक इस प्रकार का नोट लिखकर भेजा है कि इस प्रकार से राजस्थान से राजस्थान विश्वविद्यालय के अयोग्य व्यक्ति या सिलेक्शन कुछ नहीं होने के कारण या योग्यता के आधार पर नहीं भेजने के कारण से इस प्रकार से जो अमरीका भेजे गये थे वे वहां पर अयोग्य साबित हुए जिसके कारण से जिनको तीन साल के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा वे साल भर के अन्दर वापिस आये, जिनको दो साल के लिए भेजा वे 6 महीने में वापस लौटकर आये। तो माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से आज तक राजस्थान के अन्दर से और उदयपुर विश्वविद्यालय के द्वारा जितने लेक्चरार्स या विद्यार्थी जो भेजे गये हैं उनमें से वापिस कितने आये और किस कारण से आये, अमेरिका की सरकार और वहां की शिक्षण संस्थाओं ने क्या नोट लिखकर भेजा है, और उसके ऊपर आपने क्या कदम उठाया है?

इस प्रकार से विश्वविद्यालयों को और शिक्षण संस्थाओं को, माननीय सभापति महोदय, मैं पवित्र मन्दिर मानता हूं, और पवित्र मंदिर की मर्यादा को रखने की जिम्मेदारी जहां पुजारी की है वहां पर पवित्र मंडल के अन्दर प्रवेश करने वाले दर्शनार्थियों की भी है। लेकिन जो जिम्मेदारी उस पुजारी की है यदि वह पुजारी भ्रष्ट हो गया तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मंदिर के देवता की प्रतिष्ठा गिरेगी, और जो दर्शनार्थ आते हैं उनकी भावना में विकार पैदा होगा। आज इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो विश्वविद्यालय हैं उनके अन्दर राजनीति प्रविष्ट हो गई है और विश्वविद्यालयों के अन्दर और कालेजेज के अन्दर जो प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स नियुक्त हुए हैं उनकी राजनैतिक कारणों के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। इस कारण से इस पवित्र मंदिर की पवित्रता भंग हुई है, और यही एक कारण है कि आज राजस्थान के अन्दर उदयपुर विश्वविद्यालय में इतनी हड़तालें चलती हैं। उनको यदि यह कहकर टालें कि विद्यार्थियों का दोष है तो उसके कारण से यह बुराई दूर नहीं होगी। मैं यह मानता हूं कि इस हड़ताल के अन्दर कुछ गलतियां विद्यार्थियों की भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि पवित्रता की जिम्मेदारी पुजारी की है उसी प्रकार से आज इस हड़ताल के होने के कारण की यदि हम गहराई से जांच करें तो जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग की है, और उसी कारण से आज हमारे बच्चों का जीवन अन्धकारमय बनता चला जा रहा है।

इतनी ही नहीं आज माननीय मंत्रीजी और सरकार यह कहती है कि हमें पोलीटेक्निक कालेजों के अन्दर और इन्जीनियरिंग कालेजों के अन्दर छात्रों की संख्या कम करनी पड़ेगी, और ऐसी घोषणा की भी है। यह बात ठीक है कि यदि हम उनको नौकरी नहीं दे सकें तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय महोदय, कि राजस्थान के अन्दर कोटा में आणविक शक्ति केन्द्र है। उसके अन्दर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स काम करते हैं। उनके नीचे सहायक इन्जीनियर्स काम करते हैं, और सहायक इन्जीनियर्स के नीचे पोलीटेक्निक शिक्षण प्राप्त किये हुए छात्र ओवरसियर के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार से कोटा के अन्दर उस आणविक शक्ति केन्द्र के अन्दर 150 से कम इस प्रकार के इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स और ओवरसियर्स में राजस्थान के क्षेत्र के ऐसे इन्जीनियर्स की संख्या कितनी है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सभापति महोदय, कि वह नगण्य के बराबर है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मद्रास की सरकार ने यह फैसला किया कि वहां पर जो आणविक शक्ति केन्द्र है वहां पर मद्रास गवर्नमेंट ने यह तय किया है कि आणविक शक्ति केन्द्र के अन्दर जितने भी एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स होंगे, जितने भी ओवरसियर्स होंगे वे मद्रास के क्षेत्र के होंगे। जो वहां के क्षेत्र से प्रशिक्षण प्राप्त लोग होंगे उनको इन्जीनियर्स बनायेंगे ताकि उनको नौकरी दे सकें। माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह इस प्रकार का निर्णय ले ले। यदि हमने इस ओर ध्यान दिया, यदि राजस्थान के अन्दर जितने भी प्राइवेट कारखाने हैं बड़े 2 उद्योगपतियों के कारखाने चल रहे हैं, उनमें यदि हमने सख्त कदम उठाकर इन उद्योगपतियों पर दबाव डाला और कहा कि आपको इस प्रकार से प्रति वर्ष राजस्थान से जितने भी इन्जीनियर्स निकलते हैं, जितने भी ओवरसियर्स निकलते हैं उनमें से इतने प्रतिशत लेने पड़ेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी बेकारी दूर हो सकती है। लेकिन राजस्थान में जितने भी उद्योग पति हैं जिनके कि कारखाने यहां पर चल रहे हैं वे हमारी सरकार के ऊपर हावी हो रहे हैं। वे अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं लेकिन राजस्थान सरकार जिसका कि उनके कारखाने में लाखों और करोड़ों रुपया लगा हुआ है, ऋण के रूप में या शेयर्स के रूप में लगा हुआ है, वे उस पूंजी को हड़प रहे हैं और सरकार को कोई डिविडेन्ड या बोनस नहीं देते हैं, उन पर यह भार डाल कर कि हमारे विश्वविद्यालयों से जो छात्र निकल कर आते हैं उनको रोजगार नहीं दे पाती है। हमने नौकरियां नहीं दी हैं यह कहकर कि हम नौकरी नहीं दिला सके और वह दर दर की ठोकरें खाते हैं।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आज जो राजस्थान के अन्दर कृषि कालेज है और जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके बारे में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह वास्तव में बिल्कुल तार्किक दृष्टि से सही है। ये कृषि कालेज उन्हीं स्थानों पर हों, वहीं पर खोले जाने चाहिए थे जहां पर कृषि का उत्पादन हो, जो कृषि के क्षेत्र हों, इस दृष्टि से राजस्थान के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो ही ऐसे स्थान हैं, एक कोटा और दूसरा गंगानगर। ये दोनों जिले ही कृषि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ इलाके हैं। आज राजस्थान की सरकार को उसी आधार पर, कृषि की दृष्टि से ही, कृषि जहां का मुख्य धन्धा हो, जहां पर 90 प्रतिशत व्यक्ति कृषक हों, जहां पर कृषि भूमि हो

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जहां पर सिंचाई के साधन हैं, जहां पर राजस्थान की जनता के लिये ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की जनता के लिये अन्न पैदा करके बाहर भेजते हैं वहां पर खोलने का दृष्टिकोण रख कर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती तो अधिक हित कर होता। मैं अधिक समय नहीं लेता हुआ इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम क्षेत्रीय भावना को न रख कर यदि लोकतन्त्र को पनपाने के लिये उचित निर्णय करने लगें तो यह समस्या पैदा नहीं होती। आज जो यह कहते हैं कि विद्यार्थियों में उद्दण्डता पैदा हो गई, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यदि उद्दण्डता आई है तो यह किसका कसूर है? इसका एक मात्र आधार राजनीति है। इसका एक मात्र आधार सरकार है जिसने यह सब किया है।

कुछ दिन पहले उदयपुर पोलीटेकनिक के विद्यार्थियों ने हड़ताल की। उनकी न्यायोचित मांग थी, सांकेतिक हड़ताल थी, उसको उभारने की जिम्मेदारी वहां के प्रिन्सिपल की थी लेकिन वहां पर पुलिस ने अपनी तानाशाही और रौब दिखाने के लिये जो रवैया अपनाया उसके कारण आग और अधिक भड़की।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कृषि विश्वविद्यालय में सामान की खरीद होती है कृषि से सम्बन्धित, उस सामान में हजारों रुपयों का घोटाला क्यों होता है? जो सामान ठीक ढंग से खरीदना चाहिये, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये जिस सामान की खरीद होती है, जिस सामान से विद्यार्थियों को फील्ड में प्रशिक्षण के लिये सामान मिलता है वह ठीक नहीं होने से जैसा उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता। ठीक तरह का सामान नहीं आने से, बीज अच्छी किस्म का नहीं मिलने से, इम्प्लीमेन्ट्स ठीक नहीं होने से जो विद्यार्थी कृषि के विषय में बी. ए. पास करके आते हैं उनको पूरा ज्ञान नहीं होता। इस कारण यह नौबत आगई कि कालेज से निकल कर आया है, बी. ए. पास किया है और पंचायत में ए. ई. ओ. बन कर आया है उससे अनपढ़ किसान अधिक निपुण है वह अच्छी तरह से जानता है कि फसल में कीडा किस प्रकार पैदा होता है उसका निदान किस प्रकार होता है, किस प्रकार का बीज बोना चाहिये, किस प्रकार का खाद देना चाहिये और कब कब पानी लगना चहिये यह सब वह अनपढ़ किसान जानता है लेकिन वह पढ़ा लिखा ग्रेजुएट यह सब नहीं जानता इस लिये वह पंचायत समिति में आकर भी अनपढ़ किसानों को संतोष नहीं दिखा सकता और यही कारण है कि आज जो आर्टिफिशियल खाद है उसके बारे में गरीब अनपढ़ किसान को ठीक प्रकार से बता नहीं सकता कि किस प्रकार से खाद देना चाहिये, किस प्रकार से पानी देना चहिये। इस प्रकार का प्रेक्टिकल ज्ञान कालेज से निकले हुए विद्यार्थी को नहीं होने से किसानों को नुकसान होता है और इस प्रकार आज जो कृषि प्रशिक्षण केन्द्र हैं वह इस प्रकार का बनगया है कि राजस्थान में जगह जगह जिस ओर गांवों के लडके कालेजों में जाते हैं लेकिन कालेजों से निकलने के बाद वे शहर की ओर नौकरी के लिये भागना चाहते हैं, गांवों को छोड़ कर शहरों की चकाचौंध की ओर बढना चाहते हैं अगर उनमें यह भावना अधिक पनपने लगी तो गांवों का अहित होगा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
और जो अच्छे साधन उपलब्ध कराये हैं उनमें कमी आयेगी। यदि किसान के लड़कों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिली और पढ़कर वे खेती की ओर आकर्षित नहीं हुए तो ऐसी शिक्षा से फायदा ही क्या। खेती के लिये जो आधुनिक औजार, बीज, खाद आदि चाहिये उनका सही ज्ञान उनको होना चाहिये तभी वे इस ओर आकर्षित होंगे और गांव वालों को भी उनसे फायदा होगा वरना रूढ़ीवाद की परिपाटी वैसी की वैसी रहेगी।

मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बार सरकार सर्वे करा कर देखे कि किसान का लडका और गांवों में रहने वाले लड़के मैट्रिक पास करके, या इन्टर, बी. ए. या एम.ए.पासकरके शहर की ओर नौकरी के लिये क्यों आ रहे हैं इसकी जांच करवाई जाय। यदि उनमें खेती करने के भाव पैदा नहीं हुए तो शहरों की समस्या बहुत अधिक बढेगी। शहरों में वैसे ही अन्न की समस्या है फिर बिजली पानी और मकानों की समस्या और बढ जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि गांवों के रहने वाले लडकों को आप सही ढंग से कृषि की शिक्षा दें और उनमें यह भावना पैदा होनी चाहिये कि कृषि का अच्छा ज्ञान पैदा कर के मैं गांव में जाकर खेती करूंगा। अभी 5 मण गेहूं पैदा होता है तो मैं उससे चार गुणा अधिक पैदा करने का प्रयत्न करूंगा। अच्छे बीज अच्छे खाद और समय पर पानी की सहायता से दुगुना चौगुना पैदा करूंगा। नौकरी में अगर मुझे 100।- रु. मिलेंगे तो म गांव में जाकर 400।- पैदा करूंगा। अगर यह भाव उनमें पैदा नहीं हुए तो आपकी समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी।

अन्त में मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के जो छात्र और लेक्चरार कृषि का विशेषप्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अमेरिका गये थे वे तीन चौथाई साल में ही वापिस लौट कर क्यों आये? उन लोगों की संख्या कितनी है और जो वापिस आये उन पर सरकार ने कितना खर्चा किया और अमेरिका सरकार का कितना खर्चा हुआ और आपने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय के लेक्चरार्स, कर्मचारियों और दूसरे लोगों के वेतन श्रृंखला में और अन्य जयपुर, जोधपुर विश्वविद्यालयों के वेतन श्रृंखलाओं में अन्तर क्यों है? वहां पर वेतन कम क्यों है जब कि वहां के लोगों ने लिखित में कई बार मांग की है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : सभापति महोदय, कृषि मन्त्रीजी ने उदयपुर विश्वविद्यालय बिल में संशोधन पेश किया है उससे जाहिर है कि आज राजस्थान में सिर्फ सेक्रेट्ररी राज्य रह गया है क्योंकि उनकी सुख सुविधा को ध्यान में रख कर यह संशोधन किया जा रहा है इसके अलावा उसका कोई खास मकसद नहीं है। इसके लिये अधिक नहीं कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय इस समय चलाया जा रहा है उस स्थान पर जिस स्थान पर इसको चलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज क्षेत्रीय भावना को पनपाने के लिये क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी उदयपुर से आये हैं इसलिये वहां पहाडी जगह पर जाकर यह विश्वविद्यालय खोला गया है। इसको गंगानगर में या कोटा में खोलना चाहिये था

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जहां पर कि लाखों बीघा जमीन में सिंचाई होती है। जिस मकसद से विश्वविद्यालय को खोला गया उस मकसद को पूरा नहीं करने के कारण राजस्थान को नुकसान हो रहा है। जो लडके विश्वविद्यालय से निकल कर आते हैं उनको कृषि के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होता है। एक कृषि कालेज से निकल कर कृषि अधिकारी गंगानगर आया और खेत में जाकर खड़ी हुई गोबी को देखकर कहा कि यहां पर तम्बाकू बहुत अच्छी खडी है। खेती का ज्ञान नहीं होने से काश्तकार को नुकसान है। जो भावना आज चल रही है उससे काश्तकारों को लाभ नहीं है। फसल में कीडा लग जाता है लेकिन एग्रीकल्चर औफीसर को पता नहीं चलता है और इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता कि कौनसी दवाई से कौनसा कीडा मरता है। इसमें उनका दोष नहीं है क्यों कि . . .

श्री **सभापति** : सदन की अनुमति से सदन का समय 5 मिनिट के लिये बढाया जाता है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : विश्वविद्यालय में इस बात की कोई शिक्षा नहीं मिलती है सिर्फ कागजी शिक्षा मिलती है। मैं कहूंगा कि इस समय विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिये लेक्चरार नियुक्त किये जाते हैं और दूसरे साल फर्स्ट डिविजन के लडके आते हैं उनको रख लिया जाता है और पुरानों को हटा दिया जाता है। और वह ओवर एज हो जाते हैं जिससे बेचारे मारे मारे फिरते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इसके अन्दर चल रही है इसको रोका जाय।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर जो कृषि विश्व-विद्यालय उदयपुर के अन्दर कोर्स चलाया जा रहा है तो इसकी जांच करवाई जाय कि वास्तव में उस स्थान पर इस विश्वविद्यालय की आवश्कता है या नहीं? उस विश्व-विद्यालय के प्रांगण में जाकर आप देखें, वहां पर कितनी जगह पर दूब लगा रखी है, मैं कृषि मन्त्री जी से पूछूंगा कि उस दूब पर इतना खर्चा हुआ है, यह पैसा गरीबों की खेती बाडी के काम में आता तो कितना फायदा होता? वहां पर इतनी दूब लगाने से फायदा क्या। वहां पर विद्यार्थियों को खेती बाडी का काम बताने के लिए कोई स्थान नहीं है। जब कि राजस्थान में इतना नहरी क्षेत्र है, इतना सारा सिंचित इलाका है, उसको कृषि विश्वविद्यालय से वंचित किया जाय, उसको कल कारखानों से वंचित किया जाय, कृषि कालेज से वंचित किया जाय और जो एक संगरिया प्राईवेट तरीके से कृषि कालेज चलाया जा रहा है उसको पूरी तरह से एड नहीं दी जाय, और किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाय– यह व्यवस्था उचित नहीं है। इस कारण से गंगानगर के इलाके में जमीन में जो उपज होती है वह कम है। इस साल बाजरे का बीज दिया और उस बाजरे के बीज में कीडे लग जायें तो उसके लिये वहां पर कोई एग्री-कल्चर का आफिसर जानता नहीं. . . .

श्री **सभापति** : बढ गया! टाइम बढ गया, पांच मिनिट !

श्री **रामचन्द्र आर्य** : जिससे कि उस कीड़े का निवारण किया जा सके। इसलिये, सभापति महोदय, मैं कृषि मन्त्रीजी का ध्यान

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आकर्षित करूंगा कि इस उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में एक जांच कमेटी बैठाई जाय, और उस के द्वारा जांच करवाई जाय, जो यह देखे कि किस प्रकार से राजस्थान के अन्दर कृषि की संस्था को उदयपुर के अन्दर खोलना गैर अनिवार्य है और कितना गैर आधार है। किस प्रकार से विद्यार्थियों को कागजी शिक्षा देकर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भेज दिया जाता है और उनसे काश्तकारों को कोई लाभ नहीं होता है। वह विद्यार्थी कालेज से निकलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो कृषि उनके लिये तमाशा साबित होती है क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। प्रैक्टिकल ज्ञान न होने का एकमात्र कारण यह है कि विश्वविद्यालय उदयपुर में कायम किया गया है, उसको पहाडी इलाके में कायम करने से क्या मकसद सिद्ध हुआ है। राजस्थान में जो कृषि क्षेत्र है, सिंचाई होने वाला क्षेत्र है वह दूसरा इलाका है, वहां पहाडी इलाके में स्कूल चलाना, कालेज चलाना राजस्थान के लिये कोई लाभदायक नहीं हुआ। मैं शिक्षा मन्त्रीजी को निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनके अन्दर एकाधिकार की प्रवृत्ति पनप रही है उसको रोका जाय। इसका विश्लेषण इस वर्ष किया जाय, इसके लिये कोई कमेटी बनाई जाय जो यह जांच करे कि वास्तव में इसके पीछे क्या षडयन्त्र है, किस तरह के लोग इसमें पनप रहे हैं, नाजायज लोग कार्य कर रहे हैं, किस तरह से षडयन्त्र वहां चल रहा है, किस तरह से विद्यार्थियों को ठुकराया जा रहा है, उनको दाखिला तक नहीं मिलता है, और वहां से निकलते हैं वह बेकार हैं। जितने भी टेक्निकल इन्जीनियर पिछले सालों में निकले हैं वह बेचारे मारे मारे फिरते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है। फिर क्या फायदा है इस तरह विश्वविद्यालय चलाने से जब कि शिक्षा के बाद में लोगों को शिक्षा के लिहाज से काम नहीं मिले। राजस्थान सरकार उनको नौकरी दिलाने में असफल रही है तो फिर इससे क्या लाभ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय इस वक्त चल रहे हैं उनकी सही तरीके से जांच कराई जाय और इन समस्याओं पर कन्ट्रोल किया जाय। लेकिन आज की सरकार के वश की बात नहीं है। आज तो राजस्थान के अन्दर नौकरशाही पनप रही है। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) आज नौकरशाही के अन्दर मन्त्रियों का हुक्म नहीं माना जाता है यह इस बिल से साफ जाहिर होता है कि सेक्रटरी नहीं जायेंगे और डिप्टी सेक्रेट्री जायेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति आज प्रशासन में चल रही है और जो मन्त्री हैं वह इसको रोकने में असमर्थ हैं और असमर्थता का कारण यह है कि इन लोगों में कमजोरी है और उस कमजोरी के कारण आये दिन इनके सामने अड़चन आ रही है और प्रशासन के अन्दर उनका एकाधिकार जमता जा रहा है, वह जो चाहें वह कानून पास करवा लेते हैं, वह चाहे जो नियम हमारे सामने धर देते हैं और उस पर मन्त्री महोदय के दस्तखत हो जाते हैं। इससे बढ कर कोई शर्म की बात हो ही नहीं सकती। इस प्रकार की भेदभाव की नीति के द्वारा राजस्थान के अन्दर गरीब लोगों को सताया जायगा, गरीब विद्यार्थियों को जगह नहीं दी जायगी, और उनको जो शिक्षा दी जायगी वह गलत दी जायगी जिससे आगे चल कर उनको नुकसान ही है। इसका प्रमाण है

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अमेरिका में यहां से प्रशिक्षण के लिये विद्यार्थी भेजे गये उनको वहां से निकाल दिया गया है। इससे बढ़ कर शर्म की क्या बात हो सकती है। राजस्थान के अन्दर इतनी कृषि भूमि होते हुए, सिचाई के साधन होते हुए भी एक पहाडी इलाके में कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। इस कारण से लडकों की पढाई अधूरी रहती है और जो बाहर विद्यार्थी भेजे जाते हैं उनको वहां से निकाल दिया जाता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अधिक न कह कर यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो कृषि कालेज चलाया जा रहा है वह कृषि कालेज पक्षपातपूर्ण नीति से नहीं चला कर राजस्थान की सवा दो करोड जनता के लिये जो अन्न उत्पादन करने वाली भूमि है उस भूमि के अन्दर कृषि कालेज खोला जाय, उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाय जिससे देश के अन्दर जो अन्न की कमी है उसको आगे चल कर दूर किया जा सके। इसके अलावा आज फसल में जो कई प्रकार के कीडे लग जाते हैं, उनका परीक्षण करके उनको किसी तरह से समाप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जितने वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है, इसकी गहराई के अन्दर घुसे हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय में किस प्रकार के घपले होते हैं किस प्रकार की पक्षपातपूर्ण नीति बरती जा रही है इसके लिये एक कमेटी बैठा कर इसकी जांच करवाई जाय और जांच करवाने के बाद जो कमी है उसको दूर किया जाय।

श्री **सभापति** : सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 5 बज कर 5 मिनिट पर बुधवार दिनांक 3 अप्रेल, 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 1031 की सूची)

विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायतों के पुराने सचिवों के बकाया वेतन का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	रकम जो बकाया है	रकम कब से बकाया है
1.	कोटा	2071-00	62 से 67
2.	बाडमेर	1481-31	62
3.	चित्तौडगढ़	7789-89	62 से 67
4.	उदयपुर	5605-06	60-61 से 66-67
5.	बूंदी	600-00	63-64 का
6.	झालावाड	9171-00	61 से 67
7.	बांसवाडा	1520-00	62 से 67
8.	भीलवाडा	10916-14	60 से 68
9.	टौंक	306-44	64 की
10.	भरतपुर	11935-52	61 से 67
11.	जालोर	1624-00	61 से 64
12.	नागौर	4930-16	67 की
13.	झुन्झुनू	85389-67	60 से 65
14.	बीकानेर	8451-21	61 से 66
15.	सवाई माधोपुर	93740-00	63 से 65
16.	चूरू	5319-00	63 से 66
17.	गंगानगर	5261-54	63 से 64
18.	अजमेर	2240-87	63 से 67
19.	अलवर	4218-95	64 से
20.	पाली	1420-00	65 से 66
21.	जोधपुर	3725-00	62 से 63
22.	सिरोही	4019-00	56 से 65
23.	सीकर	4681-00	58 से 64
24.	जयपुर	18148-29	59 से 67
25.	डूंगरपुर	377-00	56 से

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 1034 की सूची)

प्रश्न सं. 3 के साथ विवरण

1. **रामसिंह नगर**:—तमाम माफीदारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं।

2. **गंगानगर**:—215 खातेदारों को हकूक दिये गये हैं बाकी 15 माफीदारों को खातेदारी हकूक देने बाकी हैं।

3. **पदमपुर**:—तमाम माफीदारों को हकूक दे दिये गये हैं।

4. **संगरिया**:—आठ गांवों में खातेदारी हकूक नहीं दिये गये बाकी सब को दे दिये गये हैं।

5. **सादुल शहर**:—49 गांवों में से सिर्फ 19 गांवों के माफीदारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं।

6. **सूरतगढ**:—44 गांवों में खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं।

7. **टीबी**:—इस तहसील में कोई माफीदार नहीं हैं। यहां बिस्वेदारी सिस्टम था।

8. **हनुमानगढ**:—29 गांवों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं, 16 गांवों में खातेदारी हकूक जेर तजवीज हैं।

9. **भादरा**:—भादरा तहसील में 6 गांवों के माफीदारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं। 24 गांवों की मिसलें तहसीलदार भादरा ने उपजिलाधीश, नोहर को पेश करदी हैं बाकी 11 गांव की मिसलें तहसील में जेर तजवीज हैं।

10. **करनपुर**:—तमाम माफीदारों को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं।

11. **अनूपगढ**:—तमाम माफीदारों को खातेदारी हकक दे दिये गये हैं।

12. **नोहर**:—तहसील में माफीदारों को खातेदारी हकूक नहीं दिये गये हैं क्योंकि रिकार्ड भू-प्रबन्ध अधिकारी बीकानेर के पास है। यह रिकार्ड आने के बाद खातेदारी हकूक दिये जायेंगे।

REVENUE A) DEPARTMENT

FROM:—

The Secretary to Government,
Rajasthan, Jaipur.

To:—

The Collector,
Ganganagar.

No. F. 2 (682) *Rev./B/62* *Dated, Jaipur the June* 6, 1965.

SUB.:—Application of Muafidars Union Distt. Ganganagar for allotment of Muafi lands.

SIR,

With reference to your letter No: GC/REV/64/8381 dated the 15th December, 1964 I am directed to inform you that the matter has been

considered in detail and it has been decided that the present Keturuls, Larkhans, Wuju, Pujaris, Gram this and Molvis, if any, of the Ganganagar District who held village-service grants or muafi lands may now be notified that their services are no longer required and if they wish to secure khatedari rights in respect of the lands held by them in lieu of these village services, they will have to pay:—

(a)	in the case of persons to whom lands were allotted by Government for such village service on the establishment of the colony—	the reserved price of the land in the usual number of instalments, and rent at the ordinary sanctioned rent-rates in future,
and (b)	in the case of village servants who had lands in their possession at the time of the establishment of the colony and who were allowed to retain such lands on the conditions of rendering service to the village community free of rent.	their khatedari rights may be recognised provided they undertake to pay rent at the sanctioned rent-rates.

Necessary action may please be taken accordingly.

This bears the concurrence of the Finance Department vide their U. O. Note No. I D. 698/FD/65, dated the 28th May, 1965.

Yours faithfully,

Deputy Secretary to Govt.

Copy forwarded to:—

1. The Colonisation Commissioner, Bikaner.
2. The Registrar, Board of Revenue, Ajmer.
3. The Jagir Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
4. The Secretary to Chief Minister.
5. The P. S. to Finance Minister/Revenue Minister/Dy. Minister Revenue.

Sd/-
Assistant Secretary to Govt.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 1045 की सूची)

प्रश्न संख्या 1 से सम्बन्धित सूचित फर्म मगनी राज मूत सिंह ने जो 13 क्लेम प्रस्तुत किये हैं :--

1.	साहबजादी फारूक अली खान ..	कर्जा निम्न भिन्न भिन्न तारीखों का है जैसे 13-3-1911, 14-10-1917 आदि के हैं व कर्जा निजी खर्च के लिये लिया गया
2.	साहबजादा मौहम्मद खान साहब बहादुर	1905 में
3.	साहबजादा मौहम्मद सादिक खान ..	7 जनवरी 1900 निजी खर्च हेतु 1. रु. प्रति माह
4.	साहबजादा मौहम्मद सनिफ खान ..	20 अक्टूबर, 1906 निजी खर्च हेतु
5.	साहबजादा अब्दुल्ला खान	दिनांक ज्ञात नहीं है
6.	साहबजादा अब्दुल वहीद खान साहब भूतपूर्व जागीदार बावडी	
7.	साहबजादा अब्दुल वहीद खान साहब	
8.	साहबजादा अहसानुल्लाह खान ..	तारीख दर्ज नहीं है
9.	हर लेट हाईनेस मालिका मौहम्मद जमानी	6 अक्टूबर 1901 से 1. रु. प्रतिशत महावार
10.	साहबजादा शुजात अली खान ..	तारीख ज्ञात नहीं है
11.	साबजादी अहमननिसा बेगम सहाबा	तारीख ज्ञात नहीं है
12.	साहबजादा अब्दुल हाफिज खान ..	तारीख ज्ञात नहीं है
13.	स्पेशल कोर्ट	तारीख ज्ञात नहीं है

प्रश्न संख्या 4 से सम्बन्धित सूची:--

क. राज्य सरकार द्वारा चुकाये गये--

		रु.
1.	साहबजादा फारुक अली खां के सम्बन्धी	57095-84
2.	साहबजादा मौहम्मद जान समशेरगंज	47,823-34
3.	साहबजादा अब्दुल वाहिद खान	15 750-00

Page No. 127

ख. आपसी तसफिया दोनों पार्टी ने किया :—

		रु.
1.	श्रीमती महरुन्निसां बेगम	6,491-22
2.	साहबजादा सादिक अली खां	6,163-13

ग. जागीर मुआवजे में से काटे गये :—

1.	श्री अब्दुल वहीद खां भूतपूर्व जागीरदार बावडी ..	23,790-19

घ. जिलाधीश द्वारा चुकाये गये :—

स्पेशल कोर्ट के विरुद्ध क्लेम	4777-19

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 842 की सूची)

Statement showing the position of Excise Arrears as on 30th Sept. 67

SL. No.	*Name of District*	*Amount Rs.*
1.	Ajmer.	17,97,362
2.	Sawai Madhopur.	79,388
3.	Tonk.	75,245
4.	Alwar.	49,697
5.	Bharatpur.	49,607
6.	Jaipur.	8,93,121
7.	Jhunjhunu.	1,57,316
8.	Sikar.	71,115
9.	Bikaner.	29,716
10.	Churu.	35,650
11.	Nagaur.	1,75,012
12.	Sriganganagar.	33,420
13.	Jalore.	32,893
14.	Sirohi.	1,08,679
15.	Barmer.	4,172
16.	Jodhpur.	2,78,329
17.	Jaisalmer.	21,631
18.	Pali.	2,28,507
19.	Chittorgarh.	2,10,068
20.	Banswara.	3,76,505
21.	Bhilwara	1,23,241
22.	Kotah.	5,04,228
23.	Bundi.	1,10,682
24.	Jhalawar.	1,13,872
25.	Udaipur.	38,16,678
26.	Doongarpur.	1,76,146
	TOTAL:	65,86,244

Statement showing the amount written off from Excise arrears during the last three years.

Sl. No.	*District*	1964-65	1965-66	1966-67
1.	Ajmer	..	12,960	..
2.	Bharatpur.	1,702	..	..
3.	Jaipur.	10,500	..	160
4.	Sikar.	..	1,032	..
5.	Tonk.	140	..	..
6.	Bikaner.	1,421	..	..
7.	Sirohi.	1,875	..	..
8.	Jodhpur	...	...	1,51,611
9.	Pali.	450	..	..
10.	Bhilwara.	334	3,902	..
11.	Jhalawar.	..	748	..
12.	Udaipur.	9,200	2,374	5,175
	TOTAL:	25,631	21,066	1,56,946

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

छीपा बडोद रेन्ज में जंगलात की भूमि पर नाजाइज काश्त

1046. श्री **प्रेमसिंह सिंघी** (छबडा): क्या. वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि छीपाबडौद रेन्ज, डिवीजन बारां, जिला कोटा में इस वर्ष जंगलात विभाग की हजार. बीघा जमीन पर जबरन नाजायज काश्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि जंगलात की जमीन को विकास अधिकारी व प्रधान पंचायत समिति छीपाबडौद द्वारा अवैध तरीके से काश्त की गई है ? अगर हां, तो कितनी और कौन से गांव की ?

(3) क्या सरकार जिनके द्वारा जमीन नाजायज तरीके से काश्त की गई है उन व्यक्तियों या संस्थाओं को यह जमीन अलाट करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

1. जी हां, छीपाबडौद रेन्ज डिवीजन बारां जिला कोटा में इस वर्ष जंगलात विभाग की कुल भूमि पर जबरन नाजायज काश्त हुई है ?

2. जी हां, वन विभाग की भूमि श्री विकास अधिकारी एवं श्री प्रधान पंचायत समिति छीपाबडौद द्वारा अवैध तरीके से काश्त कराई गई है। यह भमि लगभग 50 बीघा बीड घास अमलावदा सरन खसरा नं. 3 की है।

3. भमि अलोट करने का सम्बन्ध इस विभाग से न होकर राजस्व विभाग से है।

ग्राम डोसरोली के ग्रास फार्म की जमीन

1047. श्री **मदन सिंह** (दांता रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या तहसील दांता रामगढ के ग्राम डांसरोली के ग्रास फार्म की जमीन हरिजनों व फौजियों के लिये दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जमीन में खेजडे आदि के पेड हैं उनकी कीमत अलग वसूल की जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने उक्त पेडों की कीमत वसूल करना उचित नहीं समझा था ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई लिखित आदेश आदि हैं ?

उत्तर

1. जी हां।

2. पेडों का मूल्य वसूल नहीं किया जा रहा है। किन्तु उस क्षेत्र की वार्षिक आय के आधार पर वृक्षों का मुआवजा लेने का प्रस्ताव है।

3. यह सही है।

हाईटेक फैक्ट्री, धौलपुर

1048. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर की हाईटेक फैक्ट्री को जो बन्द पडी है दुबारा कब तक चालू किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में नुकसान अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है ? यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान के स्कूल, कालेज व चिकित्सा विभाग में हाईटेक के साइन्टिफिक एपरेटस की काफी मांग है ?

उत्तर

(1) धौलपुर हाईटेक फैक्ट्री को दुबारा चालू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) फैक्ट्री में नुकसान किसी एक विशेष अधिकारी या अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हुआ। अतः खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां।

जिला जैसलमेर में अकाल राहत कार्य

1049. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर व बाडमेर क्षेत्रों में अकाल घोषित किया गया है ? अगर हां, तो जिला जैसलमेर में अकाल राहत कार्य किस तारीख से आरम्भ हुए और जिला बाडमेर में किस तारीख से आरम्भ किये गये ?

(2) क्या यह सच है कि बाडमेर में जैसलमेर से पहले कार्य आरम्भ किये गये हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) राज्य सरकार ने किस किस तरह के कार्य अकाल राहत कार्यों में लेने की स्वीकृति दी है ?

(4) क्या यह सच है कि जिला बाडमेर में नाडियों पर कार्य किया जा रहा है जब कि जैसलमेर में इन कार्यों को न करने के आदेश हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जैसलमेर जिले के 502 गांव एवं बाडमेर जिले के 122 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। जैसलमेर जिले में सहायता कार्य 1 मार्च, 68 से व बाडमेर जिले में 7 फरवरी, 68 से प्रारम्भ हुए हैं।

(2) जी हां, बाडमेर में जैसलमेर से पहले कार्य आरम्भ हुए हैं। जब जहां लोगों को सहायता कार्यों की आवश्यकता पडी, जिलाधीश द्वारा सहायता कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं।

(3) सहायता कार्यों के लिए निम्नलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं :—

(1) लघु सिंचाई कार्य, (2) भू-संरक्षण कार्य, (3) वन विकास कार्य, (4) सडक कार्य।

Page No. 132

(अकाल सहायता मंत्री)

(4) जी हां, बाड़मेर में नाडियों पर कार्य चलाये जा रहे हैं। जैसलमेर में इन कार्यों को न करने के कोई आदेश नहीं हैं।

कस्बा खिरनी में चरागाह की भूमि

1050. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कस्बा खिरनी तहसील बौंली में चरागाह-भूमि ईयरमार्क्ड है ? यदि हां, तो यह कब और कितनी भूमि निकाली गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस चरागाह में से अधिकतर भूमि पर अनधिकृत कब्जा कई काश्तकारों ने कर रखा है ? यदि हां, तो चरागाह के किन किन नम्बरान पर कितने कितने रकबे में किस किस व्यक्ति ने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि चरागाह की फसल को नष्ट कराये जाने के राज्य सरकार के आम आदेश के उपरान्त भी खिरनी चरागाह की फसल को नष्ट न कराये जाने के आदेश जिलाधीश महोदय ने जारी किए थे ? यदि हां, तो ये आदेश किस तारीख को जारी किए गए थे ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने इस आदेश पर घोर आपत्ति की और मंत्री महोदय, जिलाधीश महोदय एवम् एस. डी. ओ. को फसल नष्ट कराये जाने बाबत कई पत्र दिए ?

(5) क्या यह सही है कि जिलाधीश महोदय ने अपने आदेश तब तक वापिस नहीं लिये जब तक कि अतिक्रामकों की फसल नहीं कट चुकी थी ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त चरागाह पर फसल उन्हालू में भी अतिक्रमण यथावत् विद्यमान है ? राज्य सरकार इस अतिक्रमण को कारगर ढंग से हटाने के लिये क्या विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां, जिलाधीश सवाई माधोपुर के पत्र संख्या 1348 दिनांक 5-8-61 के द्वारा 1287।।।)1 रकबा चरागाह घोषित किया गया है।

(2) जी हां, चरागाह में से 469।।)4 पर फसल खरीफ सम्वत् 2024 में काश्तकारों ने कब्जा काश्त की है जिनके नाम व रकबा व खसरा नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) पंचायत की ओर से जो प्रार्थना-पत्र आये उनको तहसीलदार महोदय को उचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित कर दिये गये।

(5) जी नहीं।

(6) फसल उन्हालू की गिरदावरी अभी नहीं हुई है विशेष रूप से जांच कराने पर 12।।) बीघा रकबे पर 5 व्यक्तियों की काश्त नाजायज पाई गई जो प्रश्न 2 के उत्तर में सूची में अंकित है। तहसील द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

सूची

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा बीघा	नाम व्यक्ति
1.	3008।9	3)	श्री विशन पुत्र गोरया गूजर
2.	3008।10	2)3	श्री किशनलाल पुत्र गोरया गूजर
3.	3008।11	1।।)	श्री रामचन्द्र पुत्र ओंकार गूजर
4.	2095।1	।)1	श्री गोपी पुत्र सुखदेवा गूजर
5.	1028	5।।)1	श्री धन्या पुत्र बजरंगा मीना
	योग रकबा	12।।)	

ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा गोचर भूमि का पट्टा

1051. **श्री रघुनाथ निश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर, पंचायत समिति सांचोर में गोचर जमीन का ग्राम पंचायत सांचोर ने भीमजी वेचरजी को पट्टा देने का निर्णय कर दिया था ? अगर हां, तो कब व कितने रुपये में ?

(2) क्या यह सत्य है कि उस जमीन पर भीमजी बेचरजी का नाजायज कब्जा हटाने का मुकदमा दफा 91-राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत चल रहा था ? अगर हां, तो फिर उसका पट्टा देने का निर्णय कैसे किया गया ? वेदखली की कार्यवाही तहसील द्वारा कब व किसकी सूचना पर चालू की गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर ने उस पट्टे की मंजूरी के लिये फाइल सीधी विकास विभाग को भेजी थी ? अगर हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ? जिला विकास अधिकारी क मार्फत फाइल न भेजने के क्या कारण थे ?

(4) क्या सरकार ग्राम पंचायत की उक्त गलत कार्यवाही रद्द करने का निर्णय शीघ्र करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) 830 वर्ग गज भूमि का पट्टा 2075) रुपया में करने का निर्णय लिया था। यह भूमि उस समय आबादी में शुमार हो गई थी ।

(2) जी हां, किन्तु यह भूमि आबादी की थी। वेदखली की कार्यवाही 6-12-65 को पटवारी की सूचना पर चालू की गई।

(3) जी हां, पत्रावली पुनः पंचायत को लौटा कर जिलाधीश द्वारा भेजने के लिये लिखा गया। जानकारी के अभाव में पत्रावली सीधी विभाग को भेज दी गई थी।

(4) पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय गलत नहीं था।

पंचवर्षीय योजनाएं और पिछड़े इलाके

1052. **श्री विजय सिंह रावत** (नसीराबाद) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के पश्चात् यह पता लगाया है कि राज्य के अन्दर अब कौन कौन से पिछडे हुए इलाके हैं जहां खास तौर पर उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकसित करने की आवश्यकता है ?

(2) यदि हां, तो वे कौन कौन से पिछडे हुए इलाके हैं और उनके विकास के लिये क्या क्या किया जायेगा ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौथी योजना बनाते समय 1964 तक की भौतिक उपलब्धियों के आधार पर जिलेवार आर्थिक संकेत (Economic indicators) संकलित किये गये थे और इनके आधार पर जालौर व सवाई माधोपुर जिले सबसे पिछडे हुए इलाके माने गये थे। उद्योग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अलग पिछडे इलाकों का पता नहीं लगाया गया था।

(2) रु. 313 करोड की तो अस्थायी तौर पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नवम्बर, 1966 में बनाई गई थी उसमें जालौर व सवाई माधोपुर में विकास कार्यों को गति देने के लिये रु0 1 करोड का विशेष प्रावधान रक्खा गया था। परन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप न दिये जाने से इस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती अब नई चौथी योजना का निर्माण करते समय अब तक के उपलब्ध आंकडों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जिलों के पिछडेपन की पुनः जांच की जायेगी और पाई गई कमियों को दूर करने का उचित प्रावधान किया जायेगा।

पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक शालाओं के लिए कन्टिनजेन्सी फन्ड की व्यवस्था

1053. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जो प्राथमिक स्कूलें शिक्षा विभाग के आधीन चल रही हैं उनके लिये जो कन्टिनजेन्सी फन्ड की सुविधा है वह पंचायत समितियों के अधीन चल रही प्राथमिक शालाओं के लिये नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अधीन चल रही प्राथमिक स्कूलों में कोई चपरासी रखने की व्यवस्था नहीं है जब कि शिक्षा विभाग के अधीन चल रही प्राथमिक स्कूलों के लिये यह प्रावधान है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त दोनों सुविधायें पंचायत समितियों के अधीन प्राथमिक शालाओं के लिये भी उपलब्ध करेगी ?

उत्तर

(1) कन्टिन्जेन्सी की सुविधा पंचायत समितियों के अधीन चल रही प्राथमिक शालाओं में भी है।

(पंचायत मंत्री)

(2) पंचायत समितियों के अधीन पाठशालाओं में चपरासी नियुक्त नहीं हैं। शिक्षा विभाग की प्राथमिक शालाओं में भी प्रत्येक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान नहीं है।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम बडवा के चन्दन के पेडों की कटाई

1054. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा जिला की मांगरोल तहसील क्षेत्र के ग्राम बडवा में सरकारी चन्दन के पेडों को काटकर ले जाने संबंधित किसी प्रकार की रिपोर्ट अन्ता पुलिस स्टेशन या बारां पुलिस स्टेशन उप अधीक्षक कार्यालय में आज के करीब 3-4 वर्ष पहिले हुई थी ?

(2) क्या बडवा ग्राम के सरकारी चन्दन के पेडों को चोरी से काटकर ले जाने संबंधित जांच बारां उप पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी पुलिस अधिकारी ने की थी ? यदि हां, तो पुलिस की जांच रपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार ने पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई उचित कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच पुलिस स्टेशन अन्ता द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

(3) सिटी मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा की गई जांच के आधार पर श्री अली मोहम्मद व नूर मोहम्मद पटवारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

ग्राम फेकाना में हरिजनों को अलाट की गई भूमि

1055. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव फेफाना, तहसील नोहर के हेतराम व मनसुख भूमिहीन हरिजनों को पन्द्रह पन्द्रह बीघा भूमि गांव फेफाना के रकबे में अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो कब अलॉट हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति एलाट शुदा भूमि की किश्त सरकार को सालाना देते हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी किश्त व माल आज तक जमा करवाया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि का कब्जा इन हरिजनों को आज तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? सरकार इस मामले में कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) उक्त हरिजनों को एलाट की गई भूमि किसके कब्जे में है और उस पर कौन काश्त करता है ?

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1957-58 में।

(2) जी नहीं। श्री मनसुख ने कवल 562)50 तीन किस्तों में जमा कराए हैं। श्री हेतराम ने 185)62 की एक किस्त जमा कराई है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं । उनको दिनांक 29 अक्टूबर, 1961 को कब्जा दिया जा चुका है ।

(4) उक्त भूमि में से 6 बीघा हेत राम व 23।।।) 2 बीघा पर राम प्रताप वल्द बीझाराम का कब्जा काश्त बताया जाता है ।

ग्राम गाथर खेडा के बन्ध से सिंचाई

1056. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कठूमर पंचायत समिति के ग्राम गाथर खेडा के बन्ध के वर्षा के पानी की पिलाई ली जाती है ? यदि हां, तो कितनी ? इसके पानी से कितनी एकड भूमि की सिंचाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन किसानों के खेतों में उक्त बांध का पानी जाता है उससे उसकी खेती को नुकसान होता है और इसी कारण वे लोग कई बार अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं कि इस पानी की पिलाई उनसे न ली जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर में गाथर खेडा नामक कोई बांध नहीं है बल्कि गाला खेडा नामक का बान्ध अवश्य है । इससे पिलाई ली जाती है । सन् 1963-64 से 1965-66 तक सिंचाई निम्न प्रकार हुई है ।

सन्	रकबा एकडों में
1963-64	182
1964-65	362
1965-66	156

(2) पानीकाश्त कारों की मांग पर दिया जाता है ।

ओरयी बांध के ठेकेदार को भुगतान

1057. **श्री भरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौडगढ के ओरयी बांध के ठेकेदार को राक कटिंग तथा सीमेन्ट कन्ट्रोल के नाम पर एग्रीमेन्ट तथा बेसिक शिड्यूल आफ रेट से भी अधिक भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितना, कब, किस आधार और किसकी आज्ञा से ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने मिनिमम वेजेज के लागू होने के कारण लेबर पर हुए खर्च के नाम पर लगभग 7।। लाख के अधिक भुगतान की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) जिला चित्तौडगढ के ओरयी बांध के ठेकेदार को टेंडर में वर्णित मिकदार से ज्यादा राक कटिंग का भुगतान एग्रीमेन्ट तथा बेसिक शिड्यूल आफ रेट से ज्यादा दर पर किया गया । 82,000 रु० का भुगतान, सरकारी ड्यूज की 23838) राशि काट कर ठेकेदार द्वारा मांगी दर को वाजिब

(सिंचाई मंत्री)

मानते हुए फरवरी सन् 1967 में राजाज्ञा दिनांक 20-2-67 के अनुसार किया गया।

जहां तक सीमेन्ट की रेट का प्रश्न है ठेकेदार से सीमेन्ट की कीमत वसूल की गई, न कि उसको भुगतान किया गया, राजाज्ञा दिनांक 14-12-67 से यह आदेश दिया गया कि सीमेन्ट की कीमत ठेकेदार से सीमेन्ट देने की तारीख को प्रचलित दर से वसूल की जावे व उसके साथ प्रशासनिक खर्चा भी लिया जाये।

(2) यह सही है कि ठेकेदार ने मिनीमम वेजेज के लागू होने के कारण लेबर पर हुई खर्च के नाम पर अधिक भुगतान की मांग की है जो सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति डीडवाना द्वारा चद्दरों का वितरण

1058. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति डीडवाना द्वारा सफेद नालीदार व सफेद चद्दरों के वितरण के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या इस सम्बन्ध में कभी कोई जांच भी हुई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, जांच कराई गई थी।

(2) जी हां, जांच प्रतिवेदन की ति सदन की मेज पर रखी गई है।

विषय:—शिकायत विरुद्ध प्रधान पंचायत समिति डीडवाना।

प्रसंग:—आपका पत्रांक सी. एस. टी.। 489, दिनांक 5 मई, 1965 व 488, दिनांक 5-5-65 एवं स्मरण-पत्र।

निवेदन है कि मेन परिशिष्ट अ के अनुसार सारी शिकायतों पर विचार करके शिकायत करने वाले सर्व श्री अजीत सिंह, जीवण सिंह, चतराराम, रामूराम एवं भोमाराम को तीन बार लिखित नोटिस दिये एवं मौखिक सूचना भी दी मगर कई बार वचन देने पर भी उन्होंने कोई शहादत नहीं दी न स्वयं ही प्रस्तुत हुए।

सब शिकायतों को एक साथ लेने से स्पष्ट है कि ये शिकायतें पांच भागों में बांटी जा सकती हैं जैसा कि मैंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में स्पष्ट किया है जिससे यह सब शिकायतें रिपोर्ट में बताए गए कारणों के अनुसार प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई आधार नहीं बनातीं अत. सारी शिकायतें फाइल फरमाई जावें।

वास्तव में इन पांचों आदमियों की मूल शिकायत यह है कि इनकी जिन शिकायतों पर विकास आयुक्त महोदय ने जांच की पर राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया मगर मुझे यह पता नहीं कि किन आरोप की जांच की गई व रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई या नहीं। इन पांच सरपंचों ने शिकायतों के आरोपों में से 35 आरोप ऐसे बताए जिनकी जांच विकास आयुक्त महोदय ने करली बताई जाती है। मैंने आग्रह किया कि विकास आयुक्त द्वारा जांच शुदा आरोप छोड दिये जावें बाकी के बारे में सबूत पेश किया जावे। इन शिकायतों

(पंचायत मंत्री)
से संबंधी सब पत्रावलियां वक्त जांच तैयार रखने के लिये विकास अधिकारी को आदेश दिया गया मगर कोई सबूत पेश नहीं हुआ।

जांच करने से पता चला कि कई आरोपों के बारे में जैसे सरपंच कोलिया के साथ मारपीट करना आदि विषयों पर अदालतों में जांच जारी है व मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डीडवाना से मुन्तकिल होकर सिविल जज व प्रथम श्रेणी दण्डनायक नागौर के न्यायालय में जेर तजवीज है इसमें मुलजिम श्री चेना राम व चार पंचायत समिति के कर्मचारी हैं जिनका इस्तगासा धारा 307 भारतीय दण्ड विधान में विचाराधीन है इससे अलावा और भी इस्तगासे श्री चेनाराम के विरुद्ध अदालतों में विचाराधीन है मगर शिकायत करने वालों की ओर से इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। अतः मेरी राय में ऐसी दशा में जांच समाप्त की जानी चाहिए।

समस्त कागजात, समस्त शिकायतें तामील शुदा नोटिस पत्रावली के साथ संलग्न हैं, जो यदि उचित समझा जावे तो सहायक सचिव (जांच) पंचायत एवं विकास विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जावे।

जिलाधीश महोदय,
उप जिला विकास अधिकारी,
नागौर।

ग्राम असनावर में मोटर स्टेण्ड की योजना

1059. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर जिला झालावाड में मोटर स्टेण्ड सड़क के किनारे पर बनी गुमटियों के मालिकों के विरुद्ध तहसील झालरापाटन में मुकद्दमें चलाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा इन लोगों को किराये से दी गई ?

(3) क्या यह भूमि राजस्व विभाग की है अथवा पी. डब्लू. डी. विभाग की है ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानीय पटवारी द्वारा यह मुकद्दमें लोगों को केवल परेशान करने के लिये ही चलाये गये हैं ?

(स्थगित किये जाने हेतु सरकार द्वारा प्रार्थना की गई)।

आडिट एतराजों की अनुपालना

1060. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के ध्यान में है कि कई पंचायत समितियों द्वारा आडिट एतराजों की अनुपालना नहीं की जाती है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

जी हां। अनुपालना नहीं करने पर स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

स्थगित प्रश्न
(26-3-68)
रिटायर्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेन्शन के मामले

855. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : **श्री श्रवण लाल** (हिन्डोन) : क्या वित्त

(श्री जुझार सिंह)
मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(1) रिटायर्ड की उम्र 58 साल से घटा कर 55 कर देने के फलस्वरूप, कितने गजेटेड व कितने नानगजेटेड अफसरों को रिटायर किया गया है ? कृपया विभागानुसार तफसील देने का कष्ट करें ।

(2) क्या लोकल बोडीज व अन्य अर्ध सरकारी विभागों में भी यह ओर्डर लागू किया गया है ? यदि हां, तो इन संस्थाओं में कितने व्यक्तियों को रिटायर किया गया है ?

(3) रिटायर्ड अफसर की मुस्तकिल पेन्शन हो जाने से पूर्व इन लोगों को अपने दैनिक खर्च चलाने हेतु अस्थाई व्यवस्था की गई है और कितने व्यक्तियों के पेन्शन केसेज अब तक निर्णीत कर दिये गये हैं ।

(3) ग्रेच्युटी के रूप में सरकार को कितनी धन राशि रिटायर्ड कर्मचारियों को भुगतान करनी पड़ेगी व पेन्शन के रूप में कितनी ?

(5) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी 55 साल से अधिक उम्र होते हुए भी किन्हीं विशेष कारणों से रिटायर्ड नहीं किया गया है, सरकार द्वारा रिटायरमेन्ट की उम्र के बाद दूसरे रूप में एडवाईजर आदि बना कर ले लिया है ?

(6) पेन्शन केसेज फाइनल कब तक कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) अभी तक जिन विभागों से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 188 राजपत्रित अधिकारियों व 1044 अराजपत्रित अधिकारियों को सेवा निवृत्ति किया गया । विभागानुसार सूची संलग्न है ।

(2) स्टेच्युटरी बोडीज, कोआपरेटिव पब्लिक सेक्टर कारपोरेशन व अन्य संस्थान जो राजकीय सरकार के आदेश द्वारा सूचित किये जाते हैं तथा जहां राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण (ind irect entrats) के अधिकार हैं ऐसे संस्थानों में 55 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत करने के आदेश लागू हैं । इन संस्थानों को ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिये जो कि उन पदों से भिन्न हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की अनुमति प्राप्त होती है, सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष करने के आदेश दिये गये थे । ऐसे संस्थानों में कितने व्यक्तियों को सेवा निवृत्त किया गया इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है तथा सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा ।

(3) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को स्थाई पेन्शन मिलने से पूर्व दैनिक खर्च चलाने हेतु अन्टीसीपेटरी (Anticipatory) पेन्शन शीघ्र स्वीकार करने के आदेश प्रसारित किये गये, आदेशों की प्रति संलग्न है । महालेखाकार, राजस्थान की सूचना अनुसार 20-3-68 तक 2456 पेन्शन के मामले उनके कार्यालय में प्राप्त हुए जिनमें से 2181 व्यक्तियों के पेन्शन के मामले निबटाये जा चुके हैं ।

(4) यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ग्रेच्युटी व पेन्शन के रूप में कितनी धन राशि भुगतान करनी पड़ेगी क्योंकि ग्रेच्युटी व पेन्शन की राशि राज्य कर्मचारियों के सेवाकाल व वेतन पर निर्भर

(वित्त मंत्री)

करती हैं। फिर भी 20-3-68 तक जो पेन्शन ग्रेच्युटी के मामले निर्णित किये गये हैं उन पर 1.63 लाख रुपये प्रति माह पेन्शन पर तथा 54.02 लाख रुपया ग्रेच्युटी पर भुगतान होगा।

(5) जिन व्यक्तियों को 55 साल से अधिक उम्र होते हुये भी किन्हीं विशेष कारणों से पुर्ननियुक्त (Re-employ) किया गया उनकी संख्या 7 है तथा एक को एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

(6) इसके बारे में कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती। जल्द से जल्द निपटाए जाने की कोशिश की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(1-4-68)

गंगानगर क्षेत्र में ली गई भूमि का मुआवजा

1003. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा सु.) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर क्षेत्र में कई किसानों की भूमि राज्य सरकार ने वर्षों पूर्व ले ली थी जिसके बदले में उन किसानों को न भूमि दी गई और न मुआवजा ही दिया गया ?

(2) ऐसे किसानों को भूमि का मुआवजा व बदले में भूमि न देने के कारण क्या उनसे संबंधित मिसलें गायब हो जाना है ?

(3) क्या कलेक्टर, गंगानगर द्वारा डाक से सी. जी. रेव. 5232, दिनांक 1-9-67 द्वारा श्री गंगाराम सुपुत्र हीराराम ब्राह्मण, निवासी रायावाली (55 आर. बी.) तहसील रायसिंह नगर की मिसल असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, रेवेन्यू (बी), जयपुर के पते से भेजी गई, जो सचिवालय में उपलब्ध नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि यह मिसल सन् 1947 के पहले से चल रही है और कई बार गुम हो चुकी है ? कलेक्टर गंगानगर द्वारा कई बार सिफारिश करके मिसल भेजी गई और सचिवालय से गम हो गई ?

(5) अब कब तक इनका फैसला कर दिया जायगा ? क्या राज्य सरकार उस काश्तकार को इतने वर्षों का हरजाना देगी ? नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

उत्तर

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

Page No. 141

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 1036 की सूची)

पंचायत समिति टोडारायसिंह को मिली हुई भूमि का विवरण :—

खसरा नम्बर			क्षेत्र	
			बीघा	बिस्वा
3014 (एम)	..	..	60	..
3174 (एम)	..	..	16	10
3175 (एम)	..	..	67	19
3176 (एम)	..	.	33	..
3177	..	.	6	15
3178	..	..	..	6
3179	..	..	2	16
3180	..	..	2	12
3181	..	..	3	17
3182	..	..	4	15
3183	..	..	..	17
3184	..	..	3	18
3185	..	..	4	10
3186	..	..	1	18
3187	..	..	6	2
3188	..	.	0	14
3189	..	..	1	16
3190	..	..	1	10
3191 (एम)	..	..	18	0
3203	..	..	8	0
3204 (एम)	..	..	4	15

———

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 292 की सूची)

नाम जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायत जिन्हें भूमि आवंटन की गई	शेष ग्राम पंचायतें	पंचायत समितियां	पंचायत समितियों को भूमि आवंटन		शेष पंचायत समितियां
					सं.	क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अजमेर	273	207	66	8	.	..	8
2. अलवर	440	193	247	14	.	...	14
3. बांसवाडा	190	82	108	8	.	..	8
4. बाडमेर	247	57	190	8	2	45 बीघा	6
5. भरतपुर	452	195	257	13	1	100 बीघा	12
6. भीलवाडा	344	143	201	11	4	447 बीघा	7
7. बीकानेर	123	7	116	4	1	25 बीघा	3
8. बूंदी	136	81	55	4	1	208 बीघा	3
9. चित्तौडगढ	311	228	83	12	1	53 एकड	11
10. चुरू	202	201	1	0	.	..	7
11. डूंगरपुर	176	116	60	5	.	..	5
12. गंगानगर	350	159	191	9	1	63 एकड	8
13. जयपुर	595	340	255	17	2	187 एकड	15
14. जैसलमेर	100	14	86	3	.	...	3
15. जालोर	216	8	208	7	2	230 एकड	5
16. झालावाड	211	148	63	6	1	96 बीघा	5
17. झुंझुनू	246	12	234	8	.	..	8
18. जोधपुर	246	100	147	9	2	303 बीघा	7
19. कोटा	302			11			.
20. नागौर	360	110	250	11	.	..	..
21. पाली	298	138	160	10	3	145 एकड	11
22. स. माधोपुर	390	160	230	10	1	40 बीघा	9
23. सीकर	292	65	227	8	1	20 एकड	7
24. सिरोही	132	77	55	5	1	100 एकड	4
25. टोंक	192	125	67	6	2	240 बीघा 8 एकड	4
26. उदयपुर	558			18			

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक, 2 अप्रेल, 1968)

स्कम्भ से. 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	अन्तिम से 7	पा।	पास
3	8	पर भी आप अभी विचार	पर भी अभी विचार
5	10	धनराशि जो करीब आपकी	धनराशि जो आपकी
6	अन्तिम से 12	श्री हीरालाल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
6	„ 5	पंचाय ाें	पंचायतों
12	3	1038	1034
14	10	श्री बृजा ुन्दर शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
16	12	वा णी	वारानी
17	अन्तिम से 2	अा ार	अनुसार
18	„ 9	सर्टि फ्किट्स	सर्टिफिकेट्स
22	13	वई	कई
23	20	श्री नारायणीं ह मसूदा	श्री नारायणसिंह मसूदा
24	9	श्री रत शचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
24	14	श्रे नारायणसिंह मसूदा	श्री नारायण सिंह मसूदा
24	अन्तिम से 11	हफी	सही
24	„ 3	श्र रामकिशन:	श्री रामकिशन
28	9	एलाटमेट	एलाटमेन्ट
28	10	श्री पृथ्वी संह	श्री पृथ्वी सिंह
28	अन्तिम से 12	सैं क	सैनिक
29	1	श्र खेत संह	श्री खेतसिंह
29	3 व 17	श्री उपाध्क्ष	श्री उपाध्यक्ष
30	12	श्री पृ व सिंह	श्री पृथ्वी सिंह
31	अन्तिम से 3	जा ी	जाती
32	„ 4	श्री रा । प्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
34	अन्तिम से 12 व 7	श्री म प्रसाद लड्ढा	श्री राम प्रसाद लड्ढा
34	„ 10	श्री नाथूराम	श्री नाथूराम
36	16	सका ी	सकती
41	3	उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
41	9	श्र मनोहर सिंह मेहता	श्री मनोहर सिंह मेहता
42	5	श्री बृजसुन्दर शम	श्री बृजसुन्दर शर्मा
42	अन्तिम से 14	अलग प्रश्न	अलग प्रश्न है
42	„ 13	श्र रामानन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
42	„ 4	श्री नन्थ सिंह	श्री नत्थीसिंह
48	6	श्री हीरालाल देव ा ु रा	श्री हीरालाल देवपुरा
51	अन्तिम से 2	जाजत	इजाजत
53	„ 7	म	मैं

1	2	3	4
56	अन्तिम से 4	श्री दौलतराम स्रण	श्री दौलतराम सारण
56	„ 2	श्री परसराम ा देरणा	श्री परसराम मदेरणा
57	6	श्री परसराम मदेरा	श्री परसराम मदेरणा
63	12	आप कल इसे	आप इसे
66	अन्तिम से 9	श्री बृजसुन्र शर्मा	श्री बृजसुन्दर शर्मा
67	„ 8	श्री ललनसिंह	श्री ललित सिंह
76	„ 9	यह भूमि भूमि	यह भूमि
77 से 82	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
77	5	श्री जयनाराण्ण सा ोदिया	श्री जयनारायण सालोदिया
78	अन्तिम से 4	सन	सन्
81	13	विकस	विकास
81	अन्तिम से 2	ह	है
83	शीर्ष	——	(वित्त मन्त्री)
83	13	कयि	किये
83	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
84	7	विधान सभा में पुस्तकालय	विधान सभा पुस्तकालय
84	12	परियोजन	परियोजना
85	शीर्षक	अ ारांकित श ोतरबप्रेल	अतारांकित प्रश्नोत्तर-2 अप्रेल
86	17	589	80
89	15	लग्न	संलग्न
91	1	म	में
92	अन्तिम से 2	दूसी	दूसरी
93	शीर्ष	—	(श्रम मन्त्री)
96	13	भमि	भूमि
97	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
98	4	अन्तर्गहीं	अन्तर्गत
98	7	भू गि	भूमि
98	„	को	कोई
99	अन्तिम से 10	ैनि ें	सैनिकों
101	„ 7	ए ा ट टें	एलाटमेन्ट
101	„ 6	श्री वद्यासागर	श्री विद्यासागर
102	„ 5	श्री देवेन्द्र मार मीणा (गोगुदासु.)	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा सु.)
102	„ 4	(ै निक)	(सैनिक)
105	„ 7	हो ने	होने
105	„ 6	पंचाय ें	पंचायतें
106	„ 3	श्री र ाकिशन	श्री रामकिशन
109	„ 9	ा ष्ट करो	स्पष्ट करते
110	12	कूड़ी	कुड़ी
114	6	श्री उ ाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
114	17	श्री नत्थी संह	श्री नत्थी सिंह

1	2	3	4
116	शीर्ष	—	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव
118	8	इस्यू	इश्यू
118	अन्तिम से 10	एटीचूड	एटीट्यूड
122	4	तारिव	तारीख
122	20	कहना कि	कहना है कि
124	अन्तिम से 10	एक्श ा	एक्शन
127	से शीर्षक	ध्यान आकर्षण प्रस्ताव	आधे घन्टे की चर्चा
163			
127	अन्तिम से 10	उपा ध्यक्ष	सभापति
133	2	फम	फर्म
136	1	ए०	एण्ड
138	8 व 9	रे ग लेशन	रेगुलेशन
140	अन्तिम	दूसरा	दूसरी
145	2	चौ ा ा	चौथा
146	22	एम्लाई	एम्प्लाई
147	अन्तिम से 9	श्री पसराम मदेरणा	श्री परसराम मदेरणा
149	6	फर्य	फर्म
151	7	न	ने
151	16	काननी	कानूनी
157	8	मक्त	मुक्त
157	9	श्री केशरी संह हडा	श्री केशरी सिंह हाडा
158	अन्तिम से 10	नी यित	नीयत
160	" 11	श्री केशर सिंह हाडा	श्री केशरी सिंह हाडा
161	शीर्ष	श्री केशर सिंह ा डा	श्री केशरी सिंह हाडा
161	6	आववश्यक	आवश्यक
161	अन्तिम से 6	प्रदर्शन में में	प्रदर्शन में
161	" 2	श्री प्रद्युम्नार्ा ह	श्री प्रद्युम्न सिंह
162	4	प्रफ	प्रूफ
162	15	श्री स ा सिचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
162	अन्तिम से 14	श्री सभापत	श्री सभापति
162	अन्तिम	म श्किल	मुश्किल
163	14	ह	है
163	17	गर्वा मेंट	गवर्नमेन्ट
165	6	श्री सतीश चन्द्र आ वाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
166	अन्तिम से 12	विद्यालययों	विद्यालयों
170	" 4	आया तो	आया है तो
172	" 6	फाइ ेन्स	फाइनेन्स
173	" 9	श्री वद्धिचन्द्र जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
174	" 7	बरा ी	बरती
177	4	सर्कम्स्टान्सेज	सर्कम्सट्रान्सेज
177	6	लें ें	लेंगे
178	3	ा शा सन	प्रशासन
182	21	क	कि

1	2	3	4
183	2	होचे	रोज़
185	8	क रो	करने
186	5	इ	इस
187	6	पू	पूरा
187	14 व 15	ने तत्व	नेतृत्व
188	अन्तिम से 2	चट	चटखाने
188	„ 1	दखा	दरवाज़ा
190	शीर्षक	(सं ा ोधन)	संशोधन
190	5	सु ा र	सुधार
190	6	श्रो मी ल क्ष्मी कुमारी चुण्डा-वत	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डा-वत
190	7	अ ा ी	अभी
190	13	श्री स ा ो चन्द्र अ वाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
190	20	श्री मूलचद डागा (पली)	श्री मूलचन्द डागा (पाली)
192	अन्तिम से 15	रो जोशन	पोज़ीशन
192	„ 13	अप ा ी	अपनी
192	अन्तिम	हां	वहां
196	अन्तिम से 6	यह	इस
196	अन्तिम से 2	में	से
197	अन्तिम से 1	अनसार	अनुसार
200	7	र गा	रहेगा
„	अंतिम से 3	टीकिंग	टीचिंग
201	20	म	में
202	1	नामीनेट	नामीनेटेड
„	8	कन्सर्ड	कन्सर्न्ड
203	1	प्रेस्मेन्टेशन	फ्रेगमेन्टेशन
203	7	हशूमन	ह्यूमन
	8	ट्रान्स्पिपशन	ट्रान्समिशन
204	अंतिम से 4	कह कह कर	यह कह कर
207	अंतिम से 12	का बीज	खोज
214	अंतिम से 14	में	को
217	9	काम ज्यादा काम	ज्यादा काम
220	2	डग्रियां	डिग्रियां
227	5	एक्सपट्स	एक्सपर्ट्स
228	अंतिम से 13	तारग	तांण
239	11	खती	खेती
241	20	स्कल	स्कूल
246	1	रार्मासहनगर	रार्मासहनगर
248	अंतिम से 2	समशेरगंज	समशेरजंग
252	अंतिम से 1	भमि	भूमि
253	शीर्ष	फक्ट्री	फैक्ट्री
259	अंतिम से 5	आयक्त	आयुक्त
262	अंतिम से 8	गम	गुम